खण्ड-310, अंक-7
मंगलवार, 15 श्रावण, शक संवत् 1896
(6 अगस्त, 1974 ई0)

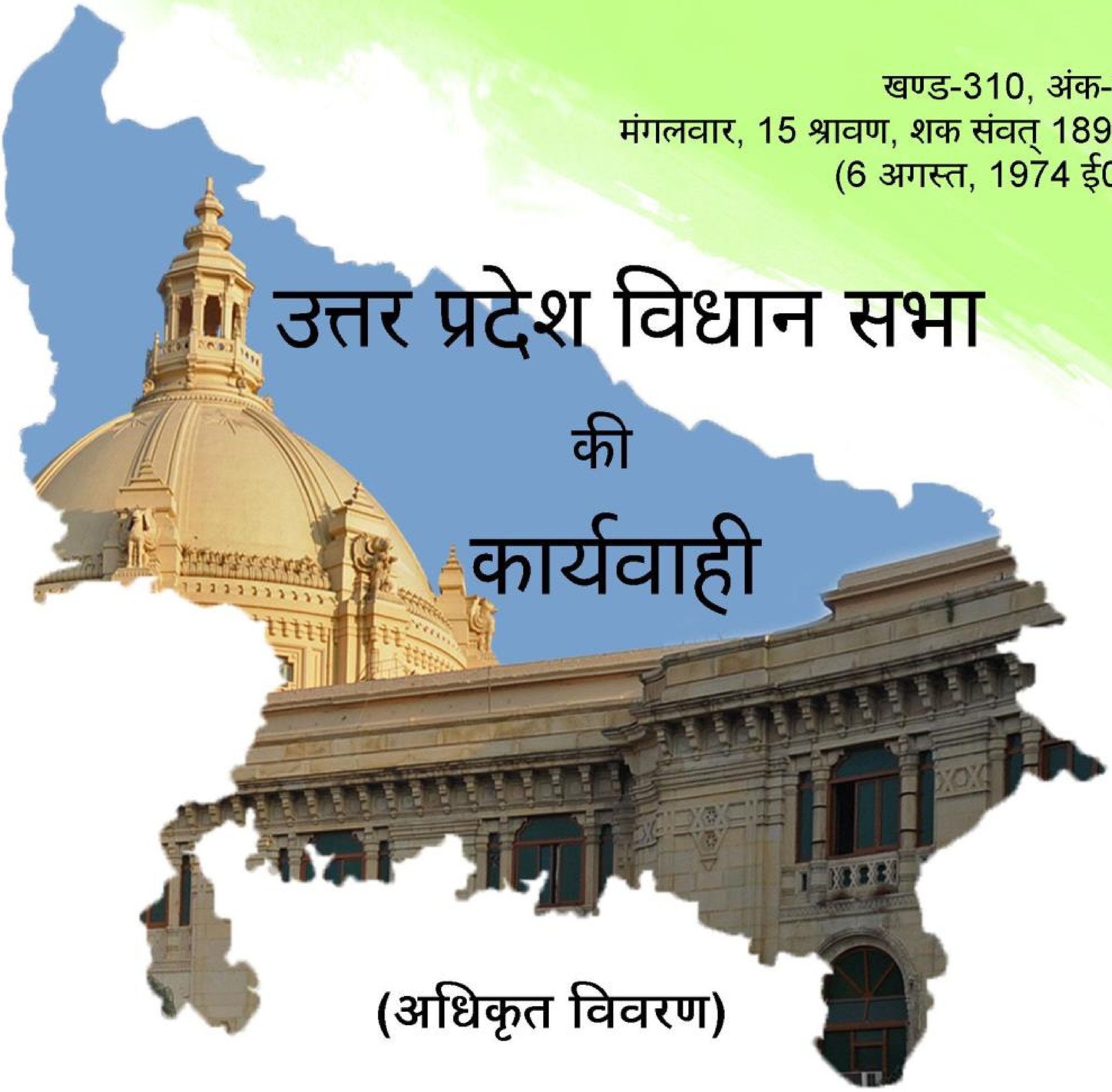

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 310 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1974

मूल्य : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ६ अगस्त, १९७४

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३७३

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह, श्री
अठई राम, श्री
अनवार मोहम्मद, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्र पाल सिंह, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रांति कुमार, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री

गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शास्त्र, श्री
गोबिन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह, श्री (जिला टिहरी-गढ़वाल).
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराम गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
ज्ञान लाल अहिरवार, श्री
जिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दल सिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायन पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर, (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजू राम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह, भंडारी
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसा अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक श्री (जिला देवरिया)
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)

प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नारायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भोला दत्त शकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मंजूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, श्री (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां,
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह, एडवोकेट,
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुलतान सिंह यादव चौधरी,
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द राजपूत, श्री
मेघनाथ सिंह शिशौदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती

राजपाल, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण, श्री
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
राम जी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल सेन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्दु, एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सजावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पान्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान वर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिव चरन लाल, श्री
शिवनाथसिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री

श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ मुलई माई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्री
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सोहन लाल लाठ, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल बुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बक्शी श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज सिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ६ अगस्त, १९७४

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल व सिविल अस्पताल के औषधि भण्डारों की जांच

**१—कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि १७–१८ जुलाई, १९७४ की रात्रि में लखनऊ के बलरामपुर तथा पुराने सिविल अस्पतालों के औषधि भण्डारों पर मुख्य मंत्री का विशेष आज्ञा से विजिलेन्स विभाग के अधिकारियों द्वारा छापा मारा गया ? यदि हां, तो क्या कोई अवैधानिकता मिली ? यदि हां, तो कौन-कौन सी ?

न्याय मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

मुख्य मंत्री जी के विशेष आदेशों से विजिलेन्स विभाग के अधिकारियों ने १८ जुलाई, १९७४ से लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल तथा सिविल अस्पताल के औषधि भंडारों की जांच प्रारम्भ कर दी है। उक्त भण्डारों में अनियमितताओं के बारे में अभी विस्तृत रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है। जांच जारी है।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि विस्तृत रिपोर्ट अभी नहीं मिली है तो जो थोड़ा बहुत मालूम हुआ है उसके बारे में बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय—

जो अभी तक जांच हो रही है उसमें मामूली अनियमिततायें कहीं-कहीं पाई गयी हैं । उन अनियमितताओं में छानबीन की जा रही है कि जो परचेज हुये हैं उनमें कोई सैंक्शन हुई है या नहीं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

उस जांच में क्या यह शिकायत मिली कि दवाई की डेट एक्सपायर हो गई और उनको फिर भी स्टोर में रखा हुआ प्राप्त किया गया ?

श्री राज मंगल पांडेय—

इन शिकायतों को विस्तृत विवरण मेरे पास नहीं है । मुख्य मंत्री जी से कुछ नौजवानों ने जो भ्रष्टाचार निरोधक समिति से सदस्य हैं कहा कि दवाइयों का वितरण ठीक नहीं हुआ है और इसी बारे में जांच हो रही है ?

कुंवर श्रीपाल सिंह—

क्या यह सत्य है कि वहां से दवाइयां निकाल कर दूकानों पर रख दी जाती थीं और वे वहां बिकती थीं और संबंधित अधिकारी उसमें अपना हिस्सा लेते थे ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मैं पहले बता चुका हूं कि परचेजेज तथा वितरण की शिकायत हमारे पास आई थी । यह शिकायत नहीं आई कि दूकानों पर दवायें रख दी जाती हैं और बिकने पर अधिकारी उसमें हिस्सा लेते थे ।

श्री ऊदल—

जब विस्तृत रिपोर्ट नहीं आयी है तो यह रिपोर्ट कब तक सरकार के पास आ जायगी ?

श्री राज मंगल पांडेय—

चूंकि अस्पताल बड़े और कई हैं और दवाइयों का स्टाक भी बहुत है जिससे वाउचर्स, रजिस्टर वगैरह देखने में काफी वक्त लग जाता है । इसलिये निश्चित समय बताना संभव नहीं है । लेकिन सरकार इस बात के लिये तो प्रयत्नशील है कि विस्तृत रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आ जाय ताकि हम उसे आपके सामने प्रस्तुत कर सकें ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*१—श्री मन्ना लाल तथा डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

[९वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पन्त व्यायाम मन्दिर, सुल्तानपुर की भूमि को सिनेमा हेतु दिया जाना

*२—श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि जिलाधिकारी सुल्तानपुर ने जिला परिषद् सुल्तानपुर के पन्त व्यायाम मंदिर को किसी व्यक्ति को सिनेमा चलाने के लिये किराये पर दे रक्खा है ? यदि हां, तो यह किसके आदेश से तथा किस व्यक्ति को, कितने किराये पर दिया गया है ?

सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

जी हां । जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला परिषद्, सुल्तानपुर ने अपने आदेश द्वारा पन्त व्यायाम मंदिर के प्रांगण की पश्चिमी भाग की भूमि को श्री बलराम कुमार शर्मा मालिक, शंकर टूरिंग टाकीज, गाजियाबाद को १५ रुपया प्रतिदिन किराये पर दी है ।

*३—श्री जफर आजमी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

आगरा नगर महापालिका की "चर्च रोड विकास" स्कीम

*४—श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आगरा नगरमहापालिका के हास्पिटल रोड से सम्बन्धित "चर्च रोड विकास" स्कीम का विवाद सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है ? और नगरमहापालिका अधिकारियों ने उस भू-खंड पर स्टाल बनाने की आज्ञा प्राप्त करते हुए अनेकों व्यक्तियों को कब्जा दिया है ? यदि हां, तो क्यों और किस की अनुमति से तथा क्या यह भी सही है कि कब्जा देते समय दूकानदारों के पुराने स्टाल नहीं हटाये हैं ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जी हां ।

चर्च रोड भूमि पर नगर महापालिका को कब्जा मिल चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने कोई निषेध आदेश नहीं किये हैं । हास्पिटल रोड के दुकानदारों को बसाने के लिए नगर महापालिका ने उनको चर्च रोड भूमि पर अस्थायी तौर पर स्टाल बनाने की अनुमति दे दी है ।

श्री गुलाब सेहरा—

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि आगरा नगर महापालिका ने हाईकोर्ट में एक एफिडेविड दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला न हो जाय तब तक हम यह कब्जा किसी को नहीं देंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय—

सुप्रीम कोर्ट के वकील से राय ली गयी थी । वह यह थी कि १० अक्तूबर, १९६९ से ३१ मार्च, १९७० तक नगर महापालिका कोई बीज नहीं करेगी । न्यायालय का स्थगन आदेश १० अक्तूबर, १९६९ का अब लागू नहीं होता । चूंकि ट्रस्ट में स्थगन आदेश प्राप्त हुआ है, इसलिए वह कार्यवाही हो सकती है ।

श्री राजेंद्र प्रसाद दौनेरिया (जिला आगरा)—

ये जो दूकाने एलाट की गयी हैं इनमें रुपया ले ले करके एलाटमेंट किया गया है, क्या इसके लिए जांच सरकार करायेगी ?

श्री राज मंगल पांडेय---

ये दूकानें बिलकुल अस्थायी हैं क्योंकि वे लकड़ी के स्टाल हैं। शर्त यह है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश खिलाफ हुआ तो उनको हट जाना पड़ेगा। इसलिए पैसा लेने का सवाल पैदा नहीं होता है। देखना अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेगा। दुकानदारों को बसाने का सवाल नहीं है बल्कि अनधिकृत रूप से जो कब्जा किये हुए हैं उनको तत्काल हटाने का है।

श्री गुलाब सेहरा---

मान्यवर, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि दुकानदारों को बसाने के लिए ये स्टाल दिये गये हैं जबकि स्थिति यह है कि जो लोग काबिज थे उनको दूसरे स्टाल दिये गये हैं जिसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीमकोर्ट में यह केस चल रहा है और दूसरी ओर प्रशासन के कुछ लोग इन लोगों को ये स्टाल देने में इन्टेरेस्टेड थे, इसकी जानकारी मन्त्री जी को है?

श्री राज मंगल पांडेय---

मान्यवर, जिनको यह एलाटमेंट है, उनकी शर्तों को मैं आपके सामने पढ़ देता हूं:

(१) आइन्दा जो खर्चा सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमें में होगा, उसे पुराणार्थी संघ वहन करेगा।

(२) जो जगह दी जायगी वहां पक्का निर्माण नहीं करेंगे, बल्कि पचास रुपए मासिक पर लकड़ी का स्टाल लगायेंगे, जिसका परिकल्प (डिजाइन) महापालिका देगी। मौजूदा लकड़ी के पुराने स्टालों का किराया भी देते रहेंगे, परन्तु उनके सामने जो अनाधिकृत जमीन घेर रक्खी है, उसे परन्तु हटा लेंगे।

(३) सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद महापालिका की पक्की दुकान निर्माण योजना के समय बिना आपत्ति अपने सामान हटा लगे। पक्की दुकानों का जो किराया महापालिका तय करेगी वह देंगे और पक्की दुकान पर कब्जा लेने के पश्चात् अस्पताल से सटी पुराने स्टालों को हटाने में आपत्ति नहीं करेंगे। इन दोनों बातों में किसी के उल्लंघन पर महापालिका को चार गुना किराया क्षतिपूर्ति के रूप में वसूलने का अधिकार होगा।

नगीना हरेवली सड़क, बिजनौर के निर्माण में अनियमित भुगतान

*५---श्री कल्याण सिंह (जिला देवरिया)---

क्या सरकार को जानकारी है कि हाल ही में जिला बिजनौर के कस्बा नगीना के निकट लगभग ४ किलोमीटर की किसी सड़क के कथित निर्माण एवं मरम्मत के नाम पर कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने लगभग सात लाख रुपए हड़प कर लिये हैं जबकि उक्त सड़क का न तो निर्माण ही हुआ और न ही मरम्मत हुई? क्या यह सच है कि सम्बन्धित पत्रावलियों में भारी हेरफेर करके मामले को दबाये जाने का प्रयास किया जा रहा है? यदि हां, तो सम्पूर्ण तथ्य क्या हैं तथा सरकार ने उस पूरे मामले में किस-किस को उत्तरदायी पाया है, तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

नगीना के निकट नगीना-हरेवली सड़क पर, ३-६३ किलोमीटर की लम्बाई में जिला परिषद् के इंजीनियर के द्वारा वर्ष १९७३ में कार्य कराया गया था। इस सड़क पर किये गये काम की जाँच जिलाधिकारी, बिजनौर ने मई, १९७४ में कराई। जांच के पश्चात् यह अनुमान लगाया गया कि इस सड़क पर लगभग १ लाख रुपए का भुगतान

गलत तरीके से हुआ है । जिलाधिकारी, बिजनौर ने सम्बन्धित इंजीनियर को ओवर-सियर के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया है। यह सही नहीं है कि मामले में हेर-फेर करके उसे दबाया जा रहा है ।

उक्त मामले की शासन को जानकारी होने पर प्रश्नगत सड़क पर किये गये कार्य की जांच हेतु एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया गया है। जांच पूरी होने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री कल्याण सिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इस सड़क पर कुल कितना धन व्यय हुआ है और दूसरी चीज यह है कि जैसा मन्त्री जी भी स्वीकार करते हैं कि इसके लिए ८ लाख रुपए का अनियमित भुगतान किया गया है तो क्या इस इंजीनियर को केवल ओवरसियर के पद पर डिमोट कर देना ही मन्त्री जी पर्याप्त समझते हैं ।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, इस सड़क का जो आगणन था वह ६,०३,७०० था और यह सड़क ८ किलोमीटर बननी थी। इस पर ४ किलोमीटर तो नगीना से हरवेली खो नदी तक और ४ किलोमीटर हरवेली से नगीना तक बननी थी। इस सड़क से ऐसा लगता है कि जैसा प्रारम्भिक जांच से मालूम हुआ, पत्थर की सप्लाई का जो काम था वह ४१.४० प्रति घनफुट पर यह ठेका दिया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग का जो रेट था वह ३६.७५ था। इसका मतलब यह हुआ कि ४.६५ प्रति घनफुट अधिक रुपया लिया गया जो कि १३,५०० होता है। इसी तरह से जो क्षतिग्रस्त भाग था संशोधित आगणन के अनुसार उसमें १३ हजार रुपए का अधिक गोलमाल बताया गया। क्षति का कोई विवरण तैयार नहीं किया गया है और न ही प्रमाण-पत्र दिया गया। आगणन में १२१३१ रुपए, इस तरह से कुल १ लाख रुपया निकला। यह सहायक अभियन्ता थे और उनकी देखरेख में यह कार्य हो रहा था। तो ऐसा लगा कि इतना गोलमाल हुआ है। लेकिन जब तक जांच रिपोर्ट अन्तिम रूप से शासन को नहीं मिल जाती, तब तक आगे की कार्य-वाही किसे-किसे सजा देनी है, किसके-किसके खिलाफ कार्यवाही करनी है, यह करना सम्भव नहीं है ।

श्री कल्याण सिंह--

मैंने यह प्रश्न इसलिए किया, क्योंकि वह ओवरसियर वहीं पर काम कर रहे होंगे। आप मानते हैं कि एक लाख रुपया का गलत पेमेन्ट हो गया है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पर भी उस ओवरसियर को सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा है? और यदि नहीं करना चाहते हैं तो जांच का परिणाम आने तक कम से कम उसका उस स्थान से स्था-नान्तरण क्यों नहीं कर दिया जाता, जिससे कि वह सम्बन्धित पत्रावलियों में कोई गड़-बड़ी न कर दें या जांच को प्रभावित न कर दें ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर वह ओवरसियर जिला परिषद् का है। जिले में ही कहीं उसकी नियुक्ति या स्थानान्तरण हो सकता है। किसी दूसरे जिले में भेज नहीं सकते। उसके खिलाफ, मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को जांच के लिए नियुक्त किया गया है। जैसे ही उनकी रिपोर्ट आ जायेगी, तुरन्त ही उसके विरुद्ध आगे की कार्यवाही होगी। इस समय वह कहां पर तैनात हैं, इसकी जांच करा ली जायगी और आवश्यक हुआ तो उसको वहां से हटा दिया जायगा ।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब प्राइमा फेसी केस सिद्ध हो गया और यह मालूम हो गया कि एक लाख रुपए का गबन हुआ है, तो सम्बन्धित ओवरसियर या अन्य सम्बन्धित कर्मचारियों को तुरन्त ही निलम्बित क्यों नहीं किया गया ? और क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में सरकार पर कुछ दबाव पड़ रहा है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं। सरकार पर दबाव डालने का कोई कारण नहीं मालूम होता। जांच की रिपोर्ट जैसे आयेगी—ओवरसियर हो, इंजीनियर हो या और कोई हो, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, उन्होंने बताया कि एक लाख रुपया की क्षति हुई है, जिसकी वजह से उसे रिबर्ट कर दिया गया है, तो क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि जांच सार्वजनिक निर्माण विभाग के किसी अधिकारी द्वारा कराई गई अथवा किसी ए० डी० एम० (प्लानिंग) या एस० डी० एम० आदि के द्वारा कराई गई है ? यह जो मुख्य अभियन्ता रूरल इंजीनियरिंग विभाग को नियुक्त किया है तो पहले किस स्टेटस के अधिकारी द्वारा इसकी जांच कराई गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैंने तो निवेदन किया मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को इस जांच के लिए नियुक्त किया गया है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

पहले किससे कराई थी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यह तो जिलाधिकारी ने अपने डिप्टी कलेक्टर के द्वारा यह जांच कराई थी। उसकी प्राविधिक ढंग से जांच नहीं हुई थी। मैंने जो उत्तर दिया, वह कोई श्री वृन्दावन, डिप्टी कलेक्टर थे, उनसे जांच कराई गई, उस आधार पर मैंने उत्तर दिया है।

श्री कल्याण सिंह—

इसमें सम्भावना इस बात की है कि उसे बचाने की कोशिश की जायगी और मंत्री जी हमारे जल्दी दबाव में आ जाते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इसका जांच टेक्निकल-सेल के किसी उच्च अधिकारी द्वारा करायेंगे, जो कि सेल आपका बना हुआ है इस कार्य के लिये ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यदि मुख्य अभियन्ता की रिपोर्ट से बात साफ नहीं होगी, तो टेक्निकल सेल का भी यह यह मामला दिया जायगा।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

अभी क्यों नहीं, तो क्या उनको आप मौका दे रहे है कि वह बच जायें, तुरन्त क्यों न करा दी जाय ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि टेक्निकल सेल को अभी से देने में उनको क्या आपत्ति है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मुझे कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन जो अभियंत्रण विभाग का मुख्य अधिकारी है उसको जब काम सौंपा गया है उसका प्रतिवेदन आने के बाद दूसरी कार्यवाही का जा सकती है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जिला जालौन के कस्बा कोंच की सड़कों की मरम्मत

*१--डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन) (अनुपस्थित)--

क्या यह सही नहीं है कि जिला जालौन के कस्बा कोंच में जब से सीवरेज लाइन बिछाई गई थी तबसे सड़कों की मरम्मत अब तक नहीं कराई गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

नगरपालिका कोंच द्वारा मुख्य मार्ग पर आवश्यक मरमम्त करा दी गई है।

सहायक भूमि रसायनज्ञ क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला, वाराणसी द्वारा उपकरणों की खरीद

*२--श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

क्या मुख्य मंत्री बताने का कृपा करेंगें कि श्री हरि शंकर अग्रवाल, उप कृषि निदेशक, प्रयोग एवं प्रदर्शन मुख्यालय, लखनऊ एवं इसकी रिश्तेदार एच०पी० शाह, सहायक मृदा रसायनज्ञ मृदा केन्द्र, वाराणसी द्वारा करोड़ों रुपये का घटिया किस्म का उपकरण एवं अन्य वस्तुयें वगैरह अन्य अधिकारियों का संस्तुति लिये केवल दास साइंन्टिफिक कारपोरेशन, कानपुर से खरीद ली गई है जो आज भी राज्य के विभिन्न प्रयोगशालाओं में बेकार पड़ी है ? यदि हां, तो ऐसे जन धन का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध शासन द्वारा कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ।

श्री राज मंगल पांडेय--

श्री हरी शंकर अग्रवाल, उप कृषि निदेशक (प्रयोग एवं प्रदर्शन) मुख्यालय, लखनऊ को श्री एच०पी० शाह सहायक भूमि परीक्षण प्रयोगशाला, वाराणसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है । मेसर्स दास साइंन्टिफिक कारपोरेशन, कानपुर से तथा अन्य फर्मों से स्टोर पर्चेज रूल्स के अनुसार उपकरण एवं वस्तुयें क्रय की गयी । यह सभा उपकरण अच्छे किस्म के चालू हालत में है तथा प्रयोगशालाओं में प्रयोग में आ रहे है । कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

अध्यक्ष जी, यह सरकार का जवाब बहुत अधूरा है । इसमें पूछा गया है कि विभिन्न अधिकारियों से संस्तुति ली गयी या नहीं । इसका जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया । दूसरा जो जवाब दिया है उसके आधार पर सवाल करता हूं । १९७२-७३ में किन-किन मुद्रा परीक्षण केन्द्रों के अधिकारियों को आहरण और वितरण करने का अधिकार है यदि शाह रिश्तेदार नहीं हैं तो उपकरण क्यों इन्हीं से खरीद कराये गये और अधिकारियों से क्यों नहीं खरीदवाया गया जब विभिन्न अधिकारियों को अधिकार प्राप्त है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

परचेज रूल्स में डाइरक्टर आफ इंडस्ट्रीज सारी औपचारिकता पूरी करती है स्वीकृति के बाद डिपार्टमेंट खरीदता है। चूंकि मुख्यालय स्थान यहां था, यहां से खरीदने के बाद दूसरी जगहों पर भेज दिया जाता है । इसमें कोई बदनीयती नहीं थी ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अब ९ केन्द्र है । ९ अधिकारियों को खरीदने का अधिकार है । पहले २,३,४ अधिकारियों को खरीदन का अधिकार प्राप्त था । कायदा यह है कि जहां से सामान खरीदा जाय, वहां से डाइरेक्ट उन केन्द्रों पर चला जाय, बजाय बनारस में होता आये और बनारस से देहरादून को मोटर में जाय । इसमें मोबाइल वैन पर बड़ा खर्च होता है । अग्रवाल साहब ने आदेश जारी किया परचेज का और पेमेंट किया शाह साहब ने । क्या फाइनेंशल रूल्स में, मंत्री जी बतलायेंगे कि जो अधिकारी खरीदने का आदेश देगा उसका पेमेंट दूसरा अधिकारी करेगा ? ऐसा क्यों हुआ ? बजाय इसके डाइरेक्ट देहरादून माल चला जाय, बनारस से हो कर माल जाने में खर्चा ज्यादा होगा किस किस तरह से माल भेजा गया और उस पर कितना खर्चा हुआ, यह मंत्री जी बतायें ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जहां तक यह प्रश्न है, कि जब और डिस्बर्सिंग अथारिटी हैं, जिन्होंने परचेज किया उन्होंने क्यों नहीं उन्हें डिसबर्स किया, इस किस्म की रूल्स में अनियमितता नहीं कही जा सकती अगर कोई खरीदने वाला किसी कारण डिसबर्सिंग अथारिटी न हो सके और कोई दूसरा आदमी कर दे तो अनियमित है । इसमें केवल एक चीज है, डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज ने पहले सरकार को लिखा था, संस्तुति की थी, कि हमको यह उपकरण खरीदने की इजाजत दे दी जाय । सरकार से स्वीकृति मिल गयी । इस बिना पर उन्होंने यह समझा कि सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है हमारे विभाग ने संस्तुति लिख कर भेज दिया है । फिर अपने विभाग के अधिकारियों से संस्तुति लेने की आवश्यकता नहीं है । अधिक से अधिक इर्रेगुलेरिटी यह कही जा सकती है, केवल एक बोनाफाइडी मिस्टेक कही जा सकती है जिसके लिये यह नहीं कहा जा सकता कि बदनीयती से कोई चीज की गयी ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस वर्ष और कितने रुपये का यह माल खरीदा गया या तो मान्यवर, दो तीन प्रश्न दे दें बाद में तीनों का उत्तर दे दें । दूसरे, यह कि क्या इस प्रकार की शिकायत जो काशीनाथ जी मिश्र ने प्रश्न उठाया है, सरकार को इस से पूर्व प्राप्त हुई थी ? और उसकी विजिलेंस द्वारा या सरकारी विभाग के किसी अधिकारी द्वारा जांच हुई थी और क्या यह भी सही है कि जिन औजारों की शिकायत की गई है वे कृषि भंडारों में बेकार पड़े हुये हैं ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मेरी जानकारी में पहले कोई शिकायत नहीं थी । ६,९३,४५० रुपये की धनराशि १९७२–७३ में उपकरण खरीदने के लिये उपलब्ध थी जिसमें से ४,२५,८२२.६१ रुपये का सामान खरीदा गया । १९७३–७४ में ५,८५,५०० रुपये की धनराशि उपकरण खरीदने के लिये उपलब्ध थी जिसमें से १,२२,०५३.८५ रुपये का सामान खरीदा गया । जांच से मालूम हुआ है कि कोई उपकरण कहीं बेकार नहीं है और ठीक काम कर रहे हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, किस अधिकारी ने जांच की है ।

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, मेरी जानकारी में विभाग ने ही जांच की ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, यह कोई खुरपा कुदाल नहीं है बल्कि इसका इस्तेमाल साइंटिफिकली होना चाहिये और इनके इस्तेमाल के लिये पर प्रोसीजर है और इसके लिये एक रजिस्टर मेनटेन होता है जो उपकरण खरीदे जाते हैं और इस्तेमाल किये जाते हैं तो क्या उस रजिस्टर को इन्होंने देखा है कि उनका इस्तेमाल उसके अनुसार हो रहा है या नहीं ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, इसकी जांच ज्वाइन्ट डायरेक्टर ने की है। उसकी रिपोर्ट मेरे पास है। एक आध चीज हो तो मैं पढ़ दूं। उन्होंने एक-एक आइटम की जांच की है और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसमें कोई घपला नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, वे बतायें कि रजिस्टर में उनके इस्तेमाल की एन्ट्री है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

यह पता नहीं है। उनक पास रिपोर्ट है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, रजिस्टर का लेखा जोखा उनके पास है या नहीं। राम किशन जी के गुट के ही यह अग्रवाल साहब हैं और आज भी २ लाख रुपया उनकी जेब में है। जब कोई बड़ा अधिकारी फंसता है तो सारे अधिकारी उसकी मदद करते हैं। कृषि विभाग की घपलेबाजी को दूर करने के लिये रामकिशन को हटाया अब अग्रवाल साहब को भी हटाने की जरूरत है।

(मंत्री जी के उत्तर के लिये नहीं पुकारा गया।)

श्री हिम्मत सिंह--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या साइंटिफिक कारपोरेशन से ही टेंडर मांगे गये थे। या अन्य फर्मों से भी मांगे गये थे, यदि हां, तो किस-किस फर्म से मांगे गये और क्या हैं ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, मैं पहले ही कह चुका हूं कि डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के यहां परचेजेज के कुछ रूल्स हैं और कुछ फर्म एप्रूब्ड हैं, उनके कोटेशन्स होते हैं और उन्हीं के आधार पर खरीदारी होती है। हर एक चीज के लिये टेंडर नहीं मांगे जाते हैं। उन्होंने नियमों के अन्दर सामान खरीदा।

श्री ऊदल--

नियमों में यह है कि एप्रूब्ड फर्म होनी चाहिये और दूसरे डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज की परमीशन होनी जाहिये तो क्या इस खरीदारी में से दोनों चीजें पूरी गई हैं ?

श्री राज मंगल पांडेय--

जी नहीं।

श्री काशी नाथ मिश्र--

लाखों का माल खरीदा जाता है और डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज ने डाइरेक्ट परचज की स्वीकृति कैसे उस अधिकारी को दी। इसमें भी घपला है। ये सारे इसमें इनवाल्व हैं। क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, फर्म एप्रूव्ड है और रेट्स एप्रूव्ड हैं। इसलिये उसमें कोई अनियमितता नहीं है। मेरे पास यह नहीं है कि टेंडर मांगे गये हैं या नहीं मांगे गये हैं।

श्री गिरजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)—

जो डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज, कानपुर से वाराणसी के लिये खरीदा गया था और उत्तर प्रदेश के किस जगह के लिये खरीदा गया ?

श्री राज मंगल पांडेय—

डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज से कोई माल खरीदा नहीं जाता है। उसका एप्रूवल होता है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

यह भी जानकारी करवा लें कि १२ वर्ष से अपने पद पर ये हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह अलग प्रश्न है।

श्री काशी नाथ मिश्र—

आधे घंटे की चर्चा इस पर दे दें।

जिला कांग्रेस कमेटी, इटावा द्वारा इटावा नगरपालिका के भवन पर अनधिकृत कब्जा

*३—श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

क्या मुख्य मंत्री जी को ज्ञात है कि इटावा नगरपालिका भवन की ऊपरी मंजिल के मुख्य हाल पर जिला कांग्रेस कमेटी, इटावा द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है और जो दो कक्ष अधिकृत से किराये पर लिये गये थे उनका भी किराया वर्षों से अदा नहीं किया गया है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जी हां। अनधिकृत कब्जा हटाने व उसके किराये की वसूली की कार्यवाही नगरपालिका, इटावा द्वारा की जा रही है। जिला कांग्रेस कमेटी, इटावा ने जो एक कमरा किराये पर लिया था उसका जून, १९७४ तक के किराये का भुगतान हो चुका है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकारा है कि अनधिकृत कब्जा है तो उस पर कार्यवाही करने के बावजूद कब्जा क्यों नहीं हटाया गया और जो किराया लिया गया है वह किस हिसाब से लिया गया है। क्या वह चालू रेट के हिसाब से है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

यह चीजे पहले हो चुकी है उसका किराया ७५ रुपये था। उसके हिसाब से जो होता था वह तो जून तक जमा कर दिया गया है इसके अलावा जो अनधिकृत कमरे थे उनको खाली कराने के लिये नोटिस दे दी गयी है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

यह अनधिकृत कब्जा है तो यह कब्जा हटाने के लिये तुरन्त कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री राज मंगल पांडेय---

मुझे कुछ ऐसा आभास मिलता है कि माननीय सदस्य को कुछ गलतफहमी है। ७५ रुपये किराये पर दिया गया था। यह अपेक्षा की गई थी कि कमेटी इसको सेंक्शन कर देगी। इत्तिफाक से कमेटी बैठी नहीं और सैंक्शन नहीं मिला। केवल यह फारमैलिटी बाकी है। अनधिकृत कब्जा करने वालों से किराये की मांग ही रही है और नोटिस दिया जा चुका है।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)---

उत्तर से प्रतीत होता है कि इसमें दो हिस्से हैं एक मंत्री जी के हिसाब से। अध्यक्ष ने ७५ रुपये किराये पर दे दिया था कि इसकी आज्ञा मिल जायगी लेकिन आज्ञा नहीं मिली? यह जो अनधिकृत कब्जा हुआ वह कब हुआ? दूसरा इस अनधिकृत कब्जे को हटाने के लिये नगर-पालिका के अध्यक्ष ने खुद और जिले के अधिकारियों ने कुछ ऐसी कार्यवाही की। नियमों में यह है कि नीलाम के जरिये या कोई प्रस्ताव पास करके किराये पर दिया जाता है, जिसकी अनुमति जिलाधिकारी द्वारा मिलनी चाहिये क्या यह सभी कार्यवाहियां पूरी की गयी थीं?

श्री राज मंगल पांडेय---

मान्यवर, मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह चीज चूंकि अध्यक्ष ने की है। यह आइटम ३१-३-७४ को स्थगित हो गया, तब से यह मामला जो है वैसे ही पड़ा है। इसलिये जहां तक लीगली आज तक जो है उसको हम अधिकृत नहीं मानेंगे जैसा कि हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं। एक दफा तो अधिकृत रूप से जिला कांग्रेस कमेटी के लोग गये, जाने के बाद अनधिकृत रूप से उन्होंने कब्जा किया। अब उसका किराया १५० रु० की दर से तय किया जा रहा है। अगर किराया नहीं देते हैं तो उनको मजबूर होकर खाली करना पड़ेगा।

श्री राम सेवक यादव---

माननीय अध्यक्ष, जी अनधिकृत रूप से कब्जा हटाना और कब्जा न हटाकर किराया तय करना यह भिन्न चीज है। जिसका उन्होंने अनधिकृत रूप से कब्जा ले लिया, जबरदस्ती कब्जा ले लिया, तो क्या इस कब्जे में वहां के नगर महापालिका के अध्यक्ष की साजिस थी? नहीं तो, यदि कोई अनधिकृत कब्जा करता है तो उसे हटाने की कोशिश होती है, न कि उससे किराया तय कर दिया जाता है।

श्री राज मंगल पांडेय---

मान्यवर, मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसको नोटिसें हैं-२९-४-७४, ३०-७-७४, २३-७-७४ एवं प्रयोग में रखने के कारण १५० रु० किराया भुगतान करना। वहां के प्रभारी अधिकारी ने उसे नोटिस दिया है। बाकी जो खाली कराने को नोटिस है वह अलग से दिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव---

माननीय अध्यक्ष, जी जैसा कि अभी मंत्री जी ने का कि १५० रु० किराया की नोटिस दिया है। मेरी जानकारी में है कि यह हाल इतना बड़ा है कि २ हजार आदमी उसमें आराम से बैठ सकते हैं वहां की जो स्थिति है उसके अनुसार हाल का किराया ही ५०० रु० से अधिक होता है तथा उसमें कमरे भी हैं, तो इस तरह से उसको मिलाकर कुल ८०० और ९०० रु० चालू रेट के हिसाब से किराया आता है। आप जो १५० रु० तय करते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी का कब्जा है, इसलिये इस साजिश से यह १५० रु० किराया तय कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि उस कब्जे को एक हफ्ते के अन्दर हटाने का आश्वासन देंगे, जब कि अनधिकृत कब्जा है और डी०एम० की कोई स्वीकृति नहीं है।

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, मैं पहले ही कह चुका हूं कि चूंकि यह सब स्वायत्त शासन संस्थायें हैं और स्वायत्त संस्थाओं के अपने नियम होते है, उस नियम के अनुसार यहां के प्रभारी अधिकारी उस बारे में कार्यवाही कर रहे है । अगर वह कुछ गवर्नमेंट को लिखते हैं, तब हम उस पर कुछ कार्यवाही करेंगे ।

श्री राम सेवक यादव—

मान्यवर, क्या इसके पूर्व कभी भी इस नगरपालिका के सम्बन्धित कमरे, हाल किराये पर दिये गये थे या कि पहली बार ऐसा हुआ है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, इसका इतिहास तो हमें नहीं मालूम है । लेकिन जब पहले पहल दिया गया तो अध्यक्ष ने दिया था । इस तरह अध्यक्ष कोई चीज करते है, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार कैसे ले ले ।

गोरखपुर जिले में रबी बुआई के समय खाद का वितरण

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर) तथा श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में विगत रबी बुआई के सीजन में किस-किस ब्लाक से किस-किस गोदामों पर कितनी-कितनी खाद दी गई ? क्या सरकार पूरे तथ्य को सदन के पटल पर रक्खेगी ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

गोरखपुर जिले में विगत रबी बुआई के सीजन में ३१ ब्लाकों के ३७ बीज भंडारों पर दी गयी खाद का विवरण (विकास खंडवार तथा क्षेत्र भण्डार वार) संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ ९३१–९३२ पर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, यह जो तालिका उपलब्ध है, इससे पता चलता है कि किसी ब्लाक में ५१ मे० टन और किसी ब्लाक में ११ मे० टन खाद दिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि खाद के वितरण का कौन-सा मापदंड है ? क्या यह जनसंख्या के आधार पर वितरण किया गया है या ब्लाक वाइज दिया गया है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मेरी समझ में तो जनसंख्या के आधार पर दिये जाने की तो कोई प्रणाली अभी तक नहीं अपनायी गयी है । पहली बात तो लोगों की मांग और दूसरी चीज है कि पहले वर्ष में किस ब्लाक में कितना खाद लिया गया । ये ही बेसिस होते है । जहां-जहां लोगों को पहले साल ज्यादा खाद दी गयी या दूसरे साल उनकी मांग ज्यादा रही, तो उसको बेसिस मानकर खाद का आवंटन किया गया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, आप २ फीगर्स को देख लें । एक है धुधली की और एक है परतावल ब्लाक की । इन दोनों की कितनी-कितनी मांग थी और इन दोनों में से एक को ३३ मे० टन और दूसरे को १८ मे० टन खाद दिया गया है और किसी ब्लाक को ५१ मे० टन भी दिया गया है । मेरी जानकारी है और हकीकत भी है कि जिन सीड्स स्टोर्स इंचार्ज ने पर्याप्त मात्रा में जिलाधिकारियों को पैसा दे दिया है, उनको ज्यादा मिला है और जो बेचारे शरीफ और ईमानदार

सीड स्टोर्स इन्चार्ज है, उनको अधिकारियों ने खाद नहीं दिया है । मैं जानना चाहता हूं कि इन ब्लाकों में कितनी-कितनी डिमान्ड थी और कितना कन्ज्यूम हुआ था और इस साल कितना दिया गया । किसी को ५१ मे० टन और किसी को केवल ११ मे० टन खाद क्यों दिया गया, किस आधार पर दिया गया ?

श्री राज मंगल पांडेय---

यह सेशन ६ महीने से चल रहा है । कहीं से भी इस बात की शिकायत नहीं मिली कि किसी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल आफिसर ने किसी सीड स्टोर से पैसा लेकर ज्यादा खाद दी हो और किसी पर कम दी हो ।

(व्यवधान)

घुघली में ५ मे० टन सी०ए०एम० खाद दिया गया परतावल में कुछ नहीं ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

यह सफ़ेद झूठ है । हर जगह से शिकायत है कि उन्हें खाद नहीं मिल रहा है ।

श्री राज मंगल पांडेय---

निचसोल में २६.२२ मे० टन यूरिया खाद दिया गया और १६.०० मे० टन डाई । जहां-जहां लोगों की मांग थी उसक हिसाब से दिया गया । पारसाल के आंकड़े तो मेरे पास नहीं है (१९७२-७३) के ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

आपको कैसे मालूम हुआ कि वहां पर मांग की गयी या नहीं । हम भी वहीं के रहने वाले हैं, किसानों की मांग से इस उपलब्धता का सवाल नहीं है । सीड स्टोर जितना चाहते हैं, उतना ले आते हैं । यह गांव का इलाका है तो यह माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि यहीं किसानों की मांग जहां थी वहां दिया, जहां नहीं थी, वहां दिया गया । तो क्या पूरे मामले की कम से कम गोरखपुर जिले में जो इस तरह से वितरण हुआ है उसकी उच्च-स्तरीय जांच कराने की कृपा करेंगे ? मेरा स्पष्ट आरोप है कि जिन सीड स्टोर इंचार्ज ने जिला कृषि अधिकारियों को पैसा दिया है उनको खाद दिया गया.....

श्री राज मंगल पांडेय---

खाद के बारे में अपनी अलग-अलग पसन्द है । यह अपने खेतों में खाद डालने के बाद किसी निष्कर्ष पर होते हैं कि कौन-सी खाद चाहिये । फिर जो हमें पसन्द है वह दूसरे को नहीं है । इस तरह से जहां-जहां जो-जो मांग करता है एक ब्लाक यूरिया मांगता है तो दूसरा भी उसी को मांगे यह जरूरी नहीं है । दूसरा किसी और को मांगता है । तो यह नहीं कहा जा सकता कि इन आंकड़ों के आधार पर कि उन्होंने जो मांगा वह नहीं दिया । मेरे पास आंकड़े है कि जहां-जहां लोगों ने जिस तरह से भी मांगा उसके अनुसार प्रो-रेटा बांट दिया गया । जहां दिक्कत नहीं रही है वहां जितना हुआ उतना दिया जागगा ।

विकास खण्ड दुद्धी, जिला मिर्जापुर के ग्राम सेवक का निलम्बन

*५---श्री शिव सम्पत्ति राम (जिला मिर्जापुर)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जिले की तहसील दुद्धी के विकास खंड दुद्धी में अप्रैल, १९७४ में कितने ग्राम सेवकों को निलम्बित किया गया तथा क्यों और उल्लिखित निलम्बित ग्राम सेवकों में से कौन-कौन है जिन्हें २०-६-७४ तक चार्ज शीट तथा निर्वाह भत्ता नहीं दिया गया । यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मिर्जापुर जिले की तहसील दुद्धी के विकास खंड दुद्धी में माह अप्रैल, १९७४ में किसी भी ग्राम सेवक के निलम्बन के आदेश नहीं पारित किये गये । अतएव चार्ज शीट तथा निर्वाह भत्ता देने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शिव सम्पत्ति राम--

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार ने एक ग्राम सेवक को जनवरी में निरस्त किया और अप्रैल में आर्डर सर्व किया गया तो उसका क्या कारण है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, उल्लेखनीय बात यह है कि एक श्री लक्ष्मी नारायण दुबे ग्राम सेवक थे । रबी सीजन में किसानों का जो गेहूं बीज वितरण से लिये किसानों को बांटना था वह बांटने के बजाय उन्होंने बाहर अधिक कीमत पर उसको बेच दिया, यह आरोप वहां के खंड मंडलाधीश की जांच करने पर मालूम हुआ । उन्होंने जिलाधीश को संस्तुति की कि इस ग्रामसेवक का निलम्बन होना चाहिये । तो २२, जनवरी, १९७४ को अतिरिक्त जिलाधिकारी, नियोजन ने उसका निलम्बन किया । उन्होंने निलम्बन आदेश को नहीं लिया और अप्रैल में जाकर उनको वह आदेश प्राप्त हुआ और उसके मुताबिक अब वे निलम्बित हैं । वैसे जनवरी में निलम्बित कर दिया गया था ।

प्रदेश में नये किस्म के स्लाटर हाउस बनाने की मांग

*६--श्री मोहम्मद असरार अहमद, श्री राम निहोर (जिला वाराणसी), श्री उदय नाथ, (जिला वाराणसी), श्री राम जी सिंह (जिला गाजीपुर) तथा श्री रघुवीर सिंह (जिला मैनपुरी)--

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि भारत सरकार ने पिछले तीन वर्षों में उ० प्र० सरकार को नये किस्म के स्लाटर हाउस बनाने के सम्बन्ध में अनुदान देने के लिये लिखा था ? यदि हां, तो कब-कब और क्या वे अनुदान भारत सरकार से लिये गये या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों तथा क्या अब सौ लाख रुपये की कोई स्कीम उ०प्र० के लिये नये किस्म के स्लाटर हाउस बनाने के लिये भिन्न-भिन्न नगरों में बनी है जो भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों से पूरी की जायगी ? यदि हां, तो इस स्कीम के अन्तर्गत किन-किन नगरों में स्लाटर हाउस स्थापित किये जायेंगे ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं, परन्तु नगर महापालिकाओं को ऐसी स्लाटर हाउस स्थापित करने की योजनायें बनाने के लिये लिखा गया है । लागत उनके आने पर मालूम होगी । भारत सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं होगा ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि भारत सरकार ने कब क्या आदेश इस सम्बन्ध में भेजा था ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

यह मान्यवर, ७१ में भारत सरकार ने सूचना भेजी थी कि अगर वधशाला निगम बनाया जाय तो भारत सरकार सहायता दे सकती है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

"अब भी" शब्द इसमें काट दिये हैं और टिप्पणी लगा दिया है अपने पाप को छिपाने के लिये, यानी मिल रही ही थी अब नही मिलेगी ?

इसके माने है कि छिपाया जा रहा है । गलत जवाब क्यों दे रहे हैं जब एक चीज सही है । मैं यह जानना चाहूंगा कि इसमें शब्द "अब भी" क्यों आये ?

श्री राज मंगल पाण्डेय---

मैं अब भी कहता हूं कोई अनुदान नहीं प्राप्त हुआ है । भारत सरकार ने बधशाला के रूप में निगम बनाने के सम्बन्ध में कहा था कि अगर निगम बनता है तो भारत सरकार शेयर लेगी ।

कुंवर श्री पाल सिंह---

इन बधशालाओं में कौन-कौन से जानवर काटे जायेंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय---

आपका जिससे तात्पर्य है वह नहीं काटा जायगा ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

मौजूदा सरकार ने सैकड़ों निगम खुद बनाये हैं और जब निगम के सम्बन्ध में भारत सरकार ने खुद ही सलाह दी है तो इस सरकार को यह निगम बनाने में क्या दिक्कत है और आया वह यह निगम बनाने भी जा रही है या नहीं ?

श्री राज मंगल पाण्डेय---

इस सम्बन्ध में एक मीटिंग हुई थी । उन योजनाओं में उत्तर प्रदेश में माडर्न स्लाटर हाउसेज के निर्माण की योजना थी । मैं वह पढ़ देता हूं---

"A note on establishment of modern slaughter houses in Uttar Pradesh submitted by Dr. H. K. Lall, Director Animal Husbandry was discussed at the meeting . . . . ."

श्री अध्यक्ष---

आप उसको क्यों पढ़ रहे हैं । आप सीधा जवाब दे दें कि विचाराधीन है, बनाना चाहते हैं या नहीं ।

श्री राज मंगल पाडेय---

कवाल टाउन्स में केवल एक स्कीम के रूप में है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

आया यह कारपोरेशन जो भारत सरकार ने लिखा है बनाने जा रहे हैं या नहीं ?

श्री राज मंगल पान्डेय---

सरकार के माध्यम से स्लाटर हाउसेज बनाने का कोई प्राविधान नहीं है । यह तो कवाल टाउन्स की महापालिकाओं को लिखा है । अगर वह बनाना चाहती है तो शेयर कैपिटल इस तरह होगा जो भारत सरकार ने निर्धारित किया है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

महापालिकाओं को कब चिट्ठी लिखी गयी और उनका जवाब आया या नहीं ?

श्री राज मंगल पांडेय—

इन महापालिकाओं से कह दिया गया है । उनके निर्णय की प्रतीक्षा हो रही है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

किसको लिखा गया ?

श्री राज मंगल पांडेय—

कवाल टाउन्स की महापालिकाओं को ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मंत्री जी यह तो जवाब दें कि चिट्ठी कब लिखी गयी ? खुद भी सरकार सहमत है या नहीं और जवाब अब तक क्यों नहीं आया ?

श्री राज मंगल पांडेय—

महापालिकाओं का यह अपना प्रश्न है । हमने उनको लिख दिया है कि महापालिकायें अगर मार्डन स्लाटर हाउसेज बनाना चाहें तो उसमें भारत सरकार के शेयर कैपिटल की राशि ऐसी होगी । अगर वह चाहती है तो वह लिख कर भेजें कि उन पर कितना धन व्यय होगा । हम उनको मजबूर तो नहीं कर सकते कि वह जरूर बनायें ?

कुंवर श्रीपाल सिंह—

आप जो जवाब दे रहे हैं उसमें आपने काऊ स्लाटर हाउसेज कहा है और जब मैंने पूछा था तो आपने कहा था कि जिससे आपका मतलब है वह नहीं काटा जायगा । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन स्लाटर हाउसेज में सुअर भी काटे जायेंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय—

काऊ स्लाटर हाउसेज की बात तो मैंने कही नहीं ।

दुग्ध उत्पादन विकास के लिये गठित समिति का प्रतिवेदन

*७—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पहली संविद सरकार के पशुपालन मंत्री द्वारा दुग्ध उत्पादन विकास के लिये सुझाव देने हेतु किसी समिति का गठन किया गया था ? यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन थे ? प्रतिवेदन सरकार को कब प्राप्त हुआ ? मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या है तथा क्या उन्हें शासन द्वारा लागू करने पर विचार किया जा रहा है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

१९६७–६८ में प्रदेशीय पशुपालन तथा मत्स्य बोर्ड ने एक उप समिति दुग्ध उत्पादन के विकास एवं व्यवसाय पर विचार करने हेतु बनाई थी। उसक सदस्यों की सूची संलग्नक "क" में दी हुई है ।

प्रतिवेदन सरकार को निदेशक द्वारा वर्ष १९७३ में प्राप्त हुआ था ।

उसकी मुख्य सिफारिशें संलग्नक "ख" में दर्शाई गई हैं । जैसा कि उनके सम्मुख दी हुई रिपोर्ट से व्यक्त होगा शासन उनको लागू करने की ओर अग्रसर है ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ ९३३ पर) ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं यह जानना चाहता हूं कि कब तक यह लागू हो जायेगी ?

श्री राज मंगल पांडेय--

इस सम्बन्ध में शासन ने निर्णय तो ले लिया है, कार्यवाही होने में अभी कुछ देर लग जायेगी ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

सिफारिशें क्या है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मुख्य सिफारिशें यह है, समिति यह आवश्यक समझती है कि यदि....

श्री अध्यक्ष --

सिफारिशें तो उत्तर में संलग्नक "ख" में दी हुई है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या समिति की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है, यदि हां, तो उन पर कितना रुपया सरकार का व्यय होगा ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मैंने अभी बताया कि शासन ने निर्णय ले लिया । हम यह देख रहे हैं कि कहीं पर भी ओवर लैपिंग न होने पाये । हर मंडल में चुने हुये जिलों में पहले इसका एक्सपेरीमेंट किया जायेगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

गाय के दूध में फैट की मात्रा कम होती है, तो मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे जिससे गाय का दूध ज्यादा आये, उसको प्रोत्साहन मिले ?

श्री राजमंगल पांडेय--

यह सही है कि गाय के दूध में फैट कम होता है, भैंस के दूध में ज्यादा होता है । जितना प्रतिशत कम से कम होना चाहिये हम उसे देख लेते हैं और ऐसा करते हैं कि गाय और भैंस के दूध को मिला देते हैं ।

श्री शारदा भक्त सिंह (जिला हरदोई)--

क्या सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि डेरी डेवलपमेंट का निदेशालय रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव विभाग के अधीन न होकर, पृथक एक स्वतंत्र निदेशालय हो ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अभी ऐसी कोई चीज सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री जंग बहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--

क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि साहीवाल गाय और हरियाना गाय के फैट में अन्तर रहता है, यानी साहीवाल गाय में कम और हरियाना गाय में ज्यादा फट होता है । ज्यादा दूध उत्पादन की दृष्टि से साहीवाल गाय और दूध और बछड़े की दृष्टि से हरियाना गाय अच्छी है, तो इन दोनों को देखते हुये आप कौन सी नीति निर्धारित करेंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जब कारपोरेशन बनेगा तो वे स्वतः इसका निर्णय करेंगे कि उस जिले की क्लाइमेट को देखते हुये कौन सी गाय या भैंस वहां के लिये अच्छी है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, सारे संसार में गाय के दूध का महत्व भैंस के दूध से ज्यादा है । भारत और पाकिस्तान में ही भैंस ज्यादा होती है जहां भैंस के दूध का ज्यादा इस्तेमाल होता है । भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री श्री शेर सिंह ने भी अपने वक्तव्य में कहा है कि सारे विश्व में गाय क दूध का ज्यादा इस्तेमाल होता है । उसमें अनेक उर्जा, विटामिन और जीवनीय तत्व होते ह, तथा गाय का दूध सबसे अच्छा है । फिर आपने भैंस के दूध क महत्व को कसे स्वीकार कर लिया ?

श्री अध्यक्ष—

यह इससे कैसे उठता है ?

प्रदेश में उर्वरक का आवंटन

*८—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ३१ मई, १९७४ को उर्वरक का कितना-कितना स्टाक किन-किन स्थानों पर कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, गन्ना विभाग ऐग्रो तथा प्राइवेट डीलरों के पास था और उपरोक्त उर्वरक विक्रेताओं ने १ मई, १९७४ से ३१ मई, १९७४ तक कितना स्टाक मंगाया था और कितना-कितना किसानों को या छोटे-छोटे अधिकृत विक्रेताओं को दिया था ?

श्री राज मंगल पांडेय—

पूरे प्रदेश के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना संलग्नक में दी हुई है । जिलेवार और संस्थावार सूचना मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है ।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ ...९३४ पर) ।

(अध्यक्ष द्वारा श्री लारी का नाम पुकारने पर) ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोण्डा)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है मान्यवर, माननीय सदस्य जानना चाहत है कि किन किन जिलों में कहां-कहां खाद का कितन स्टाक रह गया ? इस पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिलेवार और खंडवार ब्योरा हमारे आफिस में आकर देख सकते है, तो इसको सदन में बतला देने में उनको क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । प्रश्न करते समय, प्रश्नकर्ता के लिये इतना समय नहीं है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

माननीय मंत्री जी ने यह जवाब कर महत्व को एक दम से खतम कर दिया कि जिलेवार और खंडवार ब्योरा हमारे आफिस में आकर देखा जा सकता है और सूबे का उन्होंने बतला दिया । तो क्या माननीय मंत्री जी जिलेवार और खंडवार खाद के स्टाक का ब्योरा इस सदन को फिर देने की कृपा करेंगे ?

नोटः—नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री राज मंगल पांडेय—

जिलेवार एक सूची मेरे पास है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं इसको भेज दूंगा। लेकिन हर व्यक्ति को यह देना मुश्किल है। क्योंकि अलग-अलग किस्म के खाद हैं और हर जिले में पचासी सीड्स स्टोर्स हैं। कहीं एग्रीकल्चर विभाग का है, कहीं एग्रो का है, कहीं किसी प्राइवेट संस्था द्वारा खाद बेंची जाती है। तो इन सारी चीजों का एक पोथा बन जायेगा जो संभव नहीं होगा कि हार माननीय सदस्य को इस सदन में वितरित कर सकें। मेरे पास एक सूची है जिसे जो चाहे देख सकता है।

श्री अध्यक्ष—

(श्री अब्दुल रऊफ लारी के खड़े रहने पर। आप प्रश्न कर सकते हैं।)

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

मान्यवर, क्या मंत्री महोदय, बतलाने की कृपा करेंगे कि कम से कम वह हमारे गोरखपुर जिले का तो ब्योरा दे ही दें। क्योंकि सवाल में था। हमारे विभाग में कितना स्टाक ३१ मई को था और उसे कितना थोक तथा कितना खुदरा बांटा। तो इसको देने की कृपा करें?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, गोरखपुर में ३१० नाइट्रोजन, १४७ फास्फेट, ११० पोटाश थी। यह स्थिति है।

बहराइच जिलों में सड़कों का निर्माण

*९—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि त्वरित योजनान्तर्गत बहराइच जिले में इस वर्ष कितनी लम्बी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है और कहां-कहां तथा कितना धन इस पर व्यय होगा?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

बहराइच जिले में ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजनान्तर्गत वर्ष १९७४—७५ में कोई नयी योजना नहीं ली गई है। यह अवश्य है कि वर्ष १९७१—७२ में प्रारम्भ की गई ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजनान्तर्गत निम्नलिखित ५० कि० मी० सड़कों पर अवशेष कार्यों पर २—३९ लाख रुपये की अवशेष धनराशि इस वर्ष व्यय की जा रही है:—

सड़क का नाम				लम्बाई (कि० मी०)
१—पयागपुर—शिवदहा	..	..	..	९—५
२—गायघाट—मटिहा	..	..	..	६—५
३—पांडेपुरवा-हरिहरपुर रानी	..	..	..	३—२५
४—फखरपुर-भिलौरा बासू	..	..	..	९—८६
५—बौण्डी धर्म्मनपुर	..	..	..	६—००
६—कुण्डासर-हजूरपुर मार्ग	..	..	..	६—५०
७—रिसिया-सम्पर्क मार्ग	..	..	..	२—१४
८—पटना-मधवापुर	..	..	..	२—७५
९—इकौना-लक्ष्मनपुर	..	..	..	३—५०
			योग	५०—००

पोखड़ा पेयजल योजना जिला पौड़ी-गढ़वाल

*१०—शिवानन्द नौटियाल (जिला पौढ़ी-गढ़वाल)—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला पौढ़ी-गढ़वाल के अन्तर्गत पोखड़ा विकास खंड को पोखड़ा पेयजल योजना कितनी लागत से स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग ने तैयार की है और कब से लोगों को पीने का पानी मिलना आरम्भ हुआ तथा कब से यह योजना खराब पड़ी हुई है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

जनपद पौड़ी-गढ़वाल के अन्तर्गत पोखड़ा विकास योजना पोखड़ा नामक पेय जल योजना की लागत रु० १–८१ लाख थी । इस योजना में प्रस्तावित समस्त कार्य मार्च, १९६७ में पूर्ण किये गये थे तथा मार्च, १९६७ से ही जनता को पेय जल सुविधा मिलनी आरम्भ हो गई थी।

योजना, पूर्ण हो जाने के पश्चात्, ग्राम सभा को रख रखाव हेतु स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा हस्तान्तरित कर दी गई थी परन्तु रख-रखाव की समुचित व्यवस्था न होने के कारण इस योजना में लगभग पिछले २ वर्षों से पानी नहीं चल रहा है ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीज गोदामों में उपलब्ध बीज

*११—श्री चन्द्र शेखर सिंह (जिला बस्ती)—

क्या सरकार प्रश्नकर्त्ता की सूचना को सही मानकर कि पूर्वी उ० प्र० में खरीफ की बुआई का समय आ गया है परन्तु सरकारी बीज गोदामों में अभी तक बीज उपलब्ध नहीं है, बीज की अविलम्ब व्यवस्था करेगी तथा अब तक व्यवस्था न हो पाने का कारण कृपया बताएगी ?

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

प्रश्नकर्त्ता की सूचना कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में खरीफ की बोआई जिसका समय आ गया है. के लिये सरकारी बीज गोदामों में बीज उपलब्ध नहीं है, सही नहीं है । इन गोदामों पर बीज समय से उपलब्ध करा दिया गया है । अतः इसकी व्यवस्था करने एवं व्यवस्था न होने पाने का कारण बताने का प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा जिले के उप मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध जांच की कार्यवाही

*१२—श्री मुन्शी लाल (जिला मैनपुरी)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७२–७३ एवं १९७३–७४ में आगरा जिला के अन्तर्गत उप मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी तथा विभिन्न प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के खिलाफ चल रही जांच कार्यवाही में क्या प्रगति हुई ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला बरेली के अन्तर्गत बरेली रामपुर मार्ग से ग्राम टियूलिया को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण

[ ]

*१३—श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि फतेहगंज पश्चिमी विकास क्षेत्र जिला बरेली के अन्तर्गत बरेली रामपुर मार्ग से ग्राम टियूलिया को जोड़ने वाली लिंक लोड १ वर्ष से अधिक बीत जाने पर भी अभी तक तैयार नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां । ईंटों की कमी रोड रोलर के मिलने में देरी व एलाइनमेंट के बारे में संबंधित काश्तकारों की आपत्ति के कारण सड़क तैयार नहीं हुई ।

दिनांक ६ अगस्त, १९७४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न

*१—श्री कल्याण सिंह—

[१३वें मंगलवार में प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला अलीगढ़ की साधन सहकारी समिति लि० तेवतू के सदस्यों पर बकाया ऋण और सदस्यों पर चलाया गया मुकदमा

*२—श्री कल्याण सिंह—

मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि साधन सहकारी समिति लि० तेवतू विकास खंड बिजोली, जिला अलीगढ़ में दिनांक १-४-७४ तक किस-किस व्यक्ति पर कब-कब से कितनी-कितनी धनराशि बकाया चली आ रही है और सरकार ने उसे वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

साधन सहकारी समिति लि०तेवतू विकास खंड बिजोरी जिला अलीगढ़ में दिनांक १-४-७४ तक संलग्न सूची में उल्लिखित ६८ सदस्यों पर २६,८३६-४६ रु० ऋण बकाया था । समिति के बकायादारों से वसूली हेतु सातवीं कार्यवाही हो रही है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९३५-९३८ पर।)

*३—श्री कल्याण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि यह सच है कि उपरोक्त समिति का फर्जी सरपंच बनाकर दिनांक २०-६-६८ को सहकारी बैंक अलीगढ़ से २०,००० रुपये निकाला गया और फर्जी कर्जदार दिखाकर उपरोक्त धनराशि का गबन कर लिया गया है ? यदि हां, तो गबन किसने किया है और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

समिति के कार्यवाही रजिस्टर के अनुसार दिनांक १८-६-६८ को समिति की सामान्य बैठक में श्री कन्चन सिंह को सरपंच बनना दिखाया है तथा दिनांक २६-६-६८ को संचालक मंडल की बैठक में २०,००० रु० १८ सदस्यों को को ऋण वितरण कर दिखाया है । परन्तु विभागीय जांच में उक्त बैठक और ऋण वितरण की कार्यवाही के फर्जी होने के संदेह में निम्नलिखित

व्यक्तियों के विरुद्ध थाना अतरौली जिला अलीगढ़ में दिनांक २०-७-७४ को रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।

सर्व श्री १—किशन लाल भू० पू० सरपंच, पुत्र बाबूराम निवासी तेवतू।

२—लक्ष्मी नारायण शर्मा पुत्र खुशी लाल नि० बिजोली।

३—महेश दत्त एकाउन्टेन्ट पुत्र हीरालाल निवासी, सिंहपुर हिम्मतपुर।

४—कंचन सिंह सरपंत्र पुत्र प्रेम सिंह, तेवतू।

५—राम फल शर्मा खजांची (मृतक) पुत्र भूरेलाल निवासी तेवतू।

६—बुन्दे अली पुत्र सुक्खन निवासी तेवतू।

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् द्वारा इलाहाबाद में गृह निर्माण

*४—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् द्वारा नगर इलाहाबाद में इस समय कौन-कौन सी गृह निर्माण की योजना चल रही है तथा प्रत्येक योजनाओं के अन्तर्गत कितने मकानों के निर्माण का प्राविधान है?

श्री राज मंगल पांडेय—

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा नगर इलाहाबाद में इस समय करेली तथा महादेवी नामक भूमि विकास एवं गृह-स्थान योजनायें चलाई जा रहीं है और प्रत्येक योजना के अन्तर्गत क्रमशः ४४१ तथा २४९ मकानों के निर्माण का प्राविधान है।

सहायक निबन्धक सहकारिता की उप-निबन्धक के पद पर पदोन्नति

*५—श्री ख्याली राम शास्त्री (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गत ३ वर्षों में अर्थात् १९७०-७१, १९७१-७२ १९७२-७३ में कुल कितने सहायक निबन्धक सहकारिता को पदोन्नति करके उप-निबन्धक सहकारिता विभाग बनाया गया है और क्या जो अधिकारी पदोन्नति किये गये हैं उनमें से कौन-कौन ऐसे हैं जिनकी चरित्र पंजिका में पदोन्नति करते समय प्रतिकूल प्रविष्टियां थीं और आज भी हैं? क्या यह भी सही है कि जिन व्यक्तियों को पदोन्नति किया गया है उनमें से कुछ ऐसे भी हैं कि जिनकी दक्षता रोक (एफीसिएंसी बार) अथवा इंटीग्रेटी सर्टिफिकेट भी रुके हुये थे?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

१९७०-७१—शून्य

१९७१-७२—८

१९७२-७३—४

पदोन्नति के लिये संबंधित अधिकारियों की अच्छी और बुरी सभी प्रविष्टियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तुलना एक अधिकारी और दूसरे अधिकारियों के बीच में भी की जाती है। इसी आधार पर उपरोक्त पदोन्नतियां की गयी हैं। अच्छी और बुरी प्रविष्टियों के आधार पर संबंधित अधिकारियों के नाम प्रकट करना प्रशासकीय दृष्टि से स्वस्थ न होगा।

पदोन्नत किये गये किसी भी अधिकारी का दक्षता अवरोध उसकी अक्षमता या अयोग्यता के कारण रुका हुआ नहीं था और न कोई ऐसा अधिकारी है जिसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणिक तौर से संदिग्ध पायी गयी हो।

*६—श्री राम सेवक यादव—

[८वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न १९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परतावल ब्लाक, गोरखपुर के चिकित्सक द्वारा फर्जी नसबन्दी की शिकायत

*७—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि परतावल ब्लाक (गोरखपुर) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक (डा० जी०डी० त्रिपाठी) के विरुद्ध महानसबन्दी अभियान १९७१–७२, १९७२–७३ में हजारों फर्जी नसबन्दी करने के संबंध में अनेकों शिकायती पत्र शासन को उक्त अवधि में आये हैं और उनकी जांच प्रदेश एवं जिला के वरिष्ठ अधिकारियों की थी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम हुआ ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जी हां,

जांच के फलस्वरूप दोषी पाये गये डा० जी० डी० त्रिपाठी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है और अन्य दो कर्मचारी, एक प्रसार शिक्षक तथा एक बेसिक हेल्थ वर्कर को निलम्बित कर दिया गया है।

लखनऊ में डालीगंज स्थित संक्रामक रोग अस्पताल का स्थानान्तरण

*८—श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव), श्री गोविन्द सिंह नेगी, (जिला टिहरी गढ़वाल), श्री राम चन्द्र बख्श सिंह (जिला बाराबंकी), डाक्टर चरण सिंह (जिला लखनऊ), श्री रघुनाथ (जिला बलिया), श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव (जिला लखनऊ) तथा मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि संक्रामक रोग अस्पताल (आई० डी० एच०) जो इस समय लखनऊ में डालीगंज के पुल के निकट जनता की सुविधा के अनुरूप शहर के लगभग मध्य में स्थित है को शहर के बाहर किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय—

प्रश्नगत अस्पताल का स्थानान्तरण इस कारण आवश्यक हुआ कि उसकी वर्तमान भूमि की सरकार को कृत्रिम अंग केन्द्र (आर्टीफिशियल लिम्ब सेण्टर) स्थापित करने के सम्बन्ध में आवश्यकता है।

नोटीफाइड एरिया कमेटी हस्तिनापुर जिला मेरठ में भ्रष्टाचार

*९—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें नोटिफाइड एरिया कमेटी, हस्तिनापुर, जिला मेरठ में धन संबंधी भारी अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं शासकीय नियमों की अवहेलना संबंधित शिकायतें शासन के पास १९७३ में आई हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कौन सी कार्यवाही हुई ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जी हां ।

आरोपों की प्रारम्भिक जांच अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मेरठ द्वारा करवाई गई थी और उनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर जिलाधिकारी ने कमेटी के मुख्य लिपिक श्री सत्य नाम दास तथा लिपिक श्री सूरज नारायन सूरी को निलम्बित कर दिया था और दोषी पाये जाने पर उन्हें एक वर्ष की वेतन वृद्धि न देकर अलग तथा कड़ी चेतावनी देकर दण्डित करके बहाल कर दिया गया ।

गोरखपुर जिले में हरिजन बस्तियों का निर्माण तथा निर्माण-कार्य में अनियमितता

*१०—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के किन-किन विकास खंडों में जयंती ग्राम के अन्तर्गत कहां-कहां पक्की हरिजन बस्तियां सरकार की ओर से बन रही है ? क्या इनका निर्माण-कार्य ग्रामीण अभियंत्रण योजना के अन्तर्गत सरकार स्वयं बनवा रही है या प्राइवेट ठेकेदारों के माध्यम से हो रहा है? यदि हां, तो पूरा निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

संलग्न सूची में बताये गये ३१ जयंती ग्रामों में हरिजन बस्तियां ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के नियंत्रण में ठेकेदारों द्वारा बनाई जा रही है । वर्षाऋतु के पश्चात् इनके पूर्व हो जाने की आशा है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९३९-९४० पर)

*११—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या यह भी सत्य है कि जनपद गोरखपुर के विकास खंड ब्रह्मपुर के ग्राम राधौपट्टी उर्फ पड़री में बन रही हरिजन बस्ती के विकास में प्रश्नकर्त्ता ने निर्माण कार्य सम्बन्धी अनियमितता के विषय में मार्च, १९७४ से मई, १९७४ तक कितनी शिकायतें बी० डी० ओ० ब्रह्मपुर की जानकारी हेतु भेजी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

गोंडा के वसूली अमीनों वा चपरासियों की सेवा समाप्ति

*१२—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या मुख्य मंत्री को यह जानकारी है कि जिलाधिकारी गोंडा ने दिनांक ७ जून, १९७४ को अपने पत्र संख्या ८१७/म० चप० वसूली प०/७४-७५ द्वारा १९ वसूली अमीन तथा १९ वसूली चपरासी की सेवा से मुक्त कर दिये जाने की नोटिस दिया है ? यदि हां, तो नोटिस दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा—

जी हां ।

सम्बन्धित अमीनों को कारगुजारी निर्धारित माप दण्ड से बहुत ही कम होने के कारण ।

उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पदों पर प्रोन्नत किये गये अधिकारी

*१३---श्री मुहम्मद असरार अहमद तथा श्री रघुबीर सिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष १९७३ में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग के कितने कर्मचारियों को उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर प्रोन्नत किया गया तथा उनके प्रोन्नत करने का आधार क्या था। ?

श्री राज मंगल पांडेय---

वर्ष १९७३ में सीनियर स्केल में प्रोन्नति अधिकारियों में से ८१ अधिकारियों को उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन) के पद पर तैनात किया गया। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद सीनियर स्कूल के है, और इस पर उन्हीं अधिकारियों में से तैनाती की जाती है जिन अधिकारियों को साधारण ग्रेड से सीनियर स्केल में प्रोन्नति के उपयुक्त समझा जाता है, जिसका आधार "अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए ज्येष्ठता" है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सैदपुर जिला बदायूं का भवन

*१४---श्री मुहम्मद असरार अहमद श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ) तथा श्री शिव चरन लाल (जिला आगरा)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के नगर सैदपुर में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बन रहा है वह कब तक पूर्ण रूप से बन कर तैयार हो जायेगा ? अब तक बनने में जो देरी हो रही है उसका क्या कारण है ?

श्री राज मंगल पांडेय---

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सैदपुर, जिला बदायूं अपने राजकीय भवन में शुरू से कार्य कर रहा है। इन भवनों में कुछ सुधार तथा विस्तार के लिये धन स्वीकृत हुआ था जिसके अन्तर्गत कुछ भवनों का मरम्मत आदि का कार्य पूरा हो चुका है। केवल विद्युतीकरण एवं लेबोरटरी टैक्नीशियन के आवास गृह में मरम्मत कार्य शेष है।

सैदपुर में एक नवीन परिवार नियोजन केन्द्र का मुख्य केंद्र का भवन भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। और उक्त विभाग से अनुरोध किया गया है कि इस भवन को शीघ्र पूरा करके चिकित्सा विभाग को हस्तांतरित कर दें। विलम्ब के लिये सूचना मांगी जा रही है।

जिला जालौन, बांदा, झांसी तथा हमीरपुर के चिकित्साधिकारियों का वेतन और उनकी सेवा पुस्तिकाओं का खो जाना

*१५---राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर) तथा श्री उदल---

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिला जालौन, बांदा, झांसी और हमीरपुर के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के चिकित्साधिकारियों को १ १/२ वर्ष से वेतन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री राज मंगल पांडेय---

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

*१६---श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग तथा श्री ऊदल---

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों की बुन्देल खंड संभाग (जालौन, हमीरपुर, बांदा तथा झांसी) की सेवा पुस्तिकायें करीब ४ वर्ष से गाय

हैं यदि हां, तो इसका कौन सा अधिकारी जिम्मेदार है उसके प्रति सरकार ने क्या कार्यवाही की, यदि नहीं तो जांच कराकर जिलेवार सूची प्रदान करने की कृपा करेगी ?

श्री राज मंगल पांडेय---

जी हां, एक चिकित्साधिकारी की सेवा पुस्तिका वर्ष १९७१ से नहीं मिल रही है। मामले की छानबीन की जा रही है।

सुधार मंडल, गाजियाबाद (मेरठ) द्वारा निर्मित मकान

*१७---श्री रेवती शरन मौर्य (जिला मेरठ)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछले १ वर्ष की अवधि में सुधार मंडल, गाजियाबाद (मेरठ) ने कितने मकान बना कर बेचे हैं ? उनकी अलग-अलग कीमत क्या है ? क्या इन मकानों को बेचने की शर्तों में गाजियाबाद के मूल निवासियों को कुछ प्रतिशत स्थान सुरक्षित थे ? यदि हां, तो गाजियाबाद के मूल निवासियों को कितने प्रतिशत मकान मिले हैं ?

श्री राज मंगल पांडेय---

(१) सुधार मंडल, गाजियाबाद ने सन् १९७३ से जून १९७४ तक कुल ४६१ मकान बनाकर बेचे। प्रत्येक भवन की कीमत निम्न प्रकार है:---

कालोनी का नाम	श्रेणी	प्रत्येक भवन की कीमत
		रु0
(क) सूर्यनगर	मध्यम आय वर्ग	४२,०००.००
(ख) राजेन्द्रनगर सेक्टर २ व ३	,,	४२,०००.००
	अल्पआय वर्ग (बड़े मकान)	२७,६००.००
	अल्प आय वर्ग (छोटे मकान)	१८,३५०.००
(ग) पटेलनगर	मध्यम आय वर्ग	४७,३५०.००
	अल्प आय वर्ग (बड़े मकान)	३१,८८०.०
	अल्प आय वर्ग (छोटे मकान)	२१,४७०.००

(२) उपर्युक्त मकानों को बेचने की शर्तों में गाजियाबाद के मूल निवासियों के लिये कोई स्थान प्रतिशत के अनुसार सुरक्षित नहीं रखे गये थे।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्र विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण

*१८---श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिये गये विकास विभाग के अनुभाग १ द्वारा निर्देश सं० १८९६/३८---१२५०२-७४, दिनांक २० अप्रैल, १९७४ में जिन क्षेत्र

विकास अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया था इनमें से वह कौन-कौन क्षेत्र विकास अधिकारी हैं जिनके स्थानान्तरण निदश निरस्त किये गय, यदि हां, तो ऐसा करने का कारण क्या हुआ ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

निम्नलिखित ५ क्षेत्र विकास अधिकारियों की पूर्व तैनाती के आदेशों में संशोधन किया गया :—

(१) श्री सुखबीर सिंह, क्षेत्र विकास अधिकारी, फतेहपुर (बाराबंकी) ।

(२) श्री बी० एन० एस० शिशौदिया, जूनियर एशोसिएट (भूमि संरक्षण), अजीतमल (इटावा) ।

(३) श्री केदारनाथ उपाध्याय, प्रोजेक्ट, आफिसर, सूखा सहायता समिति, आजमगढ़ ।

(४) श्री हनुमान प्रसाद श्रीवास्तव, प्राविधिक सहायक (मुख्यालय) ।

(५) श्री गोपाल दत्त भट्ट, क्षेत्र विकास अधिकारी, काशीपुर (नैनीताल) ।

ऐसा जनहित में किया गया है ।

कोआपरेटिव बैंक लि०, शाहजहांपुर में संकटकालीन स्थिति की घोषणा

*१९—श्री गिरजा किशोर मिश्र (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि सहकारी कोआपरेटिव बैंक लि० शाहजहांपुर को लगभग आठ माह पूर्व इमरजेंसी घोषित कर अपने चार्ज में लिया है ? यदि हां, तो इमरजेंसी किस लिये लागू की गई और कितने समय तक लागू रहने की संभावना है तथा चेयरमैन ने जो अनियमितता बरती है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही अब तक की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां । जिला सहकारी बैंक लि० शाहशहांपुर के अध्यक्ष श्री नत्थूलाल मिश्रा ने बैंक को उप विधि संख्या १० (ख) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर संचालन मंडल के सभी अधिकार दिनांक ८—१०—७३ से ग्रहण कर लिये ।

सहकारी समिति अधिनियम, नियम एवं बैंक की उप विधियों के अनुसार संकट कालीन स्थिति की अवधि की कोई सीमा निर्धारित नहीं है तथा इसके अतिरिक्त मुंसिफ न्यायालय शाहजहांपुर में बैंक के अध्यक्ष का बाद विचाराधीन है । इस बाद में मुंसिफ न्यायालय, शाहजहांपुर के अंतरिम आदेशानुसार दिनांक ७२—९—७३ से सहकारी उप निबंधक, रुहेल खंड मंडल पर यह प्रतिबन्ध लगा है कि बाद के निर्णय तक, वह वादी द्वारा बैंक के अध्यक्ष का कार्य संपादन करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे । उक्त आदेश के कारण बैंक के चेयरमैन के विरुद्ध तथा संकटकालीन स्थिति समाप्त किये जाने हेतु, बाद के निर्णय तक, काई कार्यवाही करना संभव नहीं है ।

दौराला क्षेत्रीय सहकारी समिति लि०, जिला मेरठ की आडिट रिपोर्ट

*२०—श्री मंजूर अहमद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय सहकारी समिति, दौराला, जिला मेरठ का स्पेशल आडिट रिपोर्ट गत दो वर्षों का क्या है ? क्या यह भी सही है कि गत दो वर्षों में लगभग ६ लाख रु० का गबन बताया गया है, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

दौराला क्षेत्रीय सहकारी समिति लि० दौराला, मेरठ, की गत दो वर्षों का आडिट रिपोर्ट अभी नहीं हुआ है न ही कोई गबन प्रकाश में आया है। अतः किसी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

बूढनपुर शीत गृह जिला आजमगढ़ में आलू का सड़ जाना

*२१--श्री राम अधार (जिला आजमगढ़) श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) तथा श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में शीत गृह, बूढ़नपुर में सहकारी विभाग की लापरवाही से किसानों का रखा हुआ १० लाख से अधिक का आलू सड़ गया है। यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि किसानों के सड़े आलू का रुपया कब तक दे दिया जायगा?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

आजमगढ़ में जिला सहकारी फैडरशन लि०, आजमगढ़ द्वारा संचालित शीतगृह बूढनपुर में किसानों का रक्खा हुआ रु० ५,७४,८७२.५० (रखते समय) के मूल्य का आलू नियमित रूप से बिजली आपूर्ति न होने के कारण सड़ गया है। इसके लिये किसी अधिकारी/कर्मचारी पर एक मात्र दोष आरोपित करना संभव नहीं है। प्रान्तीय सहकारी संघ के अधिकारियों से किसानों की क्षति पूर्ति कराये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

लखनऊ स्थित लोहिया पार्क का नाम

*२२--श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ में चौक स्थित लोहिया पार्क का नाम बदलकर पुनः विक्टोरिया पार्क कर दिया गया है और उक्त पार्क में चल रहे अपोलो सर्कस को किस पार्क के नाम से स्थान की अनुमति प्रदान की है?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

जी नहीं। अपोलो सरकस को पूर्व प्रचलित बिक्टोरिया पार्क के नाम से इस पार्क में स्थान की अनुमति ४-३-७४ को दे गयी थी। इस त्रुटि को २८-५-७४ को ठीक कर दिया गया।

जिला देवरिया की शराब व भांग की दुकानों की निलामी

*२३--श्री राम अधार--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया के सर्किल नं० 1 की देशी शराब व भांग की दूकानों की नीलामी दिनांक १८-३-७४ को सबसे ऊंची बोली ६ लाख ५० हजार की बोली गई, परन्तु दूकानों की नीलामी केवल ५ लाख ६० हजार रुपये में ही आबकारी निरीक्षक ने अपने रिश्तेदारों के नाम कर दी जिसकी सूचना जिलाधिकारियों व सरकार को तार तथा प्रार्थना पत्र द्वारा कराई गई? यदि हां, तो सरकार ने क्या उक्त नीलामी को निरस्त कर सबसे ऊंची बोली बोलने वाले के नाम दूकान नीलाम किये जाने व भ्रष्ट निरीक्षक को हटाये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही की है?

श्री राज मंगल पांडेय--

जनपद देवरिया के सर्किल नं० १ की देशी शराब व भांग की दूकानों के लिये १८-३-७४ को हुये नीलाम में सबसे ऊंची बोली छः लाख पचास हजार रुपये की नहीं थी, बल्कि पांच लाख

साठ हजार रुपये की थी। इस बोली पर ही दूकानों का ठेका दिया गया। ठेका लेने वालों में आबकारी निरीक्षक का कोई रिश्तेदार नहीं है। इन दूकानों का 'निलाम आबकारी निरीक्षक ने नहीं किया, बल्कि नीलाम जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस सम्बन्ध में शासन को प्राप्त तार एवं शिकायती पत्रों में लगाये गये आरोप निराधार पाये गये। उपर्युक्त कारणों से नीलाम को निरस्त करने अथवा निरीक्षक को स्थानान्तरित करने का प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर, देवरिया में लघु/सीमान्त कृषक एवं खेतिहर मजदूर विकास योजना की मांग

*२४—श्री अब्दुल रऊफ लारी तथा श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्माल फार्मर्स डेवलपमेंट स्कीम एजेंसी, जनपद बदायूं, राय बरेली तथा फतेहपुर में कायम हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री उपरोक्त स्कीम को गोरखपुर तथा देवरिया जनपदों में भी लागू करने पर विचार करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां।

२—पांचवीं योजना काल में लघु/सीमांत कृषक एवं खेतिहर मजदूर विकास खंड के अतिरिक्त योजनाओं के लिये नये जिलों को चयन करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, काकोरी, लखनऊ के कर्मचारियों का हाउस रेन्ट

*२५—श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, काकोरी, जिला लखनऊ में कार्यरत अनेकों कर्मचारियों को हाउस रट नहीं दिया जा रहा है? यद्यपि वे इसके पाने के अधिकारी हैं? यदि हां, तो ऐसा सौतेला एवं पक्षपाती व्यवहार क्यों किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त सभी कर्मचारियों को समान रूप से हाउस रेंट दिलाने के आदेश प्रसारित करेंगे?

श्री राज मंगल पांडेय—

आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

बहराइच अस्पताल में कुत्ता काटने की दवा का अभाव

*२६—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें दिनांक २३ अप्रैल, १९७४ को श्री बाबू लाल वर्मा, विधायक, जरवल रोड, जिला बहराइच का एक तार दिनांक ३० अप्रैल, १९७४ को पत्र संख्या ९५ प्राप्त हुआ था, जिसमें बहराइच अस्पताल में कुत्ता काटने की दवा लेने के अभाव में मरीजों की परेशानी की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राज मंगल पांडेय—

जी हां, तार व पत्र दोनों प्राप्त हुये हैं। जिला चिकित्सालय, बहराइच में कुत्ते काटने की दवा के लगवाने का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। केवल १५-४-७४ से २५-४-७४ तक ऐंटीरैबिक बैक्सीन पटवाडांगर से न आने के कारण असुविधा अवश्य हुई थी। उसके बाद फिर दवा मरीजों को बराबर लग रही है।

जिला सुल्तानपुर में एलोपैथिक अस्पतालों की स्थापना

*२७—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछले दो वर्षों में जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सलाहकार समिति, सुल्तानपुर ने कितने स्थानों पर एलोपैथिक अस्पताल खोलने की सर्वसम्मति से सिफारिश की है? इनमें से किन-किन स्थानों पर अस्पताल खोले गये? जिन स्थानों पर अस्पताल नहीं उनका क्या कारण है?

श्री राज मंगल पांडेय—

जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सलाहकार समिति, सुल्तानपुर ने वर्ष १९७२–७३ तथा १९७३–७४ में १४ स्थानों पर एलोपैथिक अस्पताल खोलने की संस्तुति की थी। उनमें से निम्नलिखित ६ स्थानों पर अस्पताल स्थापित कर दिये गये हैं :—

१—हंडियापुर।
२—देहली बाजार।
३—क्योरीपुर
४—जैसापारा
५—गोसाईगंज
६—कादीपुर (महिला)।

शेष अन्य स्थानों पर धनाभाव के कारण अस्पताल स्थापित करना संभव नहीं हो सका है।

जिला कानपुर के ग्राम सैबसू में अस्पताल खोलने की मांग

*२८—श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जनपद स्थित तहसील बिल्लौर के ग्राम सैबसू में एक एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने की योजना है? यदि हां, तो उक्त एलोपैथिक चिकित्सालय के कब तक खुल जाने की आशा है।

श्री राज मंगल पांडेय—

जिला स्वास्थ्य सलाहकार समिति, कानपुर ने ६ जनवरी, १९७३ को सैबसू में एक एलोपैथिक अस्पताल की स्थापना की संस्तुति की थी। अस्पतालों की स्थापना हेतु स्थानों का चयन करते समय सैबसू के बारे में भी विचार किया गया किन्तु इसे चुना नहीं गया। चूंकि इस वर्ष प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में ग्रामीण एलोपैथिक अस्पतालों की स्थापना की कोई योजना नहीं है, अतः ग्राम सैबसू में एलोपैथिक अस्पताल की स्थापना संभव न हो सकेगी।

विकास खंड डीह, रायबरेली में अस्पताल की मांग

*२९—श्री दीनानाथ सेवक (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद रायबरेली के विकास खंड डीह में कोई राजकीय चिकित्सालय है? यदि हां, तो कहां पर है और नहीं है तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में अस्पताल खोलने की तुरन्त व्यवस्था करेगी?

श्री राजमंगल पांडेय—

जिला रायबरेली के विकास खंडडीह में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत है।

जिला स्वास्थ्य अधिकारी, मैनपुरी के कार्यालय का भवन

*३०—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रपति शासन काल में माननीय राज्यपाल के सचिव महोदय के पत्र संख्या एम०/३८११/जी० एस०, दिनांक ११ अक्टूबर, १९७३, जो जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मैनपुरी का कार्यालय वर्तमान मकान से हटाये जाने विषयक, था, आवश्यक कार्यवाही हेतु सचिव, स्वास्थ्य विभाग को भेजा गया था, के क्रम में अब तक शासन से क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं हुई, तो क्यों नहीं की गई ?

श्री राज मंगल पांडेय—

प्रश्न गत भवन का सार्वजनिक निर्माण विभाग से परीक्षण कराये जाने पर उसे क्रय किये जाने योग्य नहीं समझा गया । इस भवन को अभी खाली किया जाना संभव नहीं है ।

कानपुर जिले में स्वास्थ्य निरीक्षकों की सेवा समाप्ति

*३१—श्री गजेंद्र सिंह (जिला इटावा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष १९६९–७० में कानपुर जिले के जिन-जिन स्वास्थ्य निरीक्षकों की सेवायें यह कह कर समाप्त की गई हैं कि विभाग को उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है ? उन पर भ्रष्टाचार के मामले थे ? यदि हां, तो उन पर प्रशासनिक कार्यवाही क्यों नहीं की गयी? क्या मंत्री जी उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री राज मंगल पांडेय—

सन् १९६९–७० में कानपुर के केवल एक हेल्थ इन्सपेक्टर श्री हरबिलास सिंह भदौरिया की अस्थायी सेवायें उनकी शर्तों के आधार पर समाप्त की गई थी ।

उक्त सेवा समाप्ति के विरुद्ध श्री भदौरिया की याचिका उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भरथना, (इटावा) का भवन निर्माण

*३२—श्री गोरे लाल शाक्य (जिला इटावा)—

क्या सरकार को जानकारी है कि भरथना (इटावा) पी० एस० सी० अस्पताल की निर्माणाधीन इमारत का निर्माण कार्य क्यों बन्द है, जबकि अस्पताल की पुरानी इमारत इतनी जीर्ण-शीर्ण है कि बरसात लगते ही वह किसी समय ढह सकती है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भरथना (इटावा) के भवन का निर्माण कार्य चल रहा है और आशा है कि यह शीघ्र पूरा हो जायगा ।

वर्तमान केंद्र की हालत ऐसी नहीं है कि वह बरसात लगते ही गिर जाय ।

कानपुर के अन्तर्गत चिकित्सालयों में चिकित्सक का न होना

*३३—कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत ऐसे सामान्य राजकीय चिकित्सालय व महिला चिकित्सालय हैं, जहां चिकित्सक की व्यवस्था नहीं है । यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जी हां, कानपुर जिले के अन्तर्गत चार राजकीय पुरुष एलोपैथिक डिस्पेंसरी में पहिले डाक्टर नहीं थे क्योंकि हाल ही में इन चिकित्सालयों की स्थापना हुई थी और इस समय आवश्यक संख्या में डाक्टर भी तत्काल उपलब्ध न थे । अब डाक्टरों की नियुक्ति कर दी गई है । सभी महिला चिकित्सालय में चिकित्सक नियुक्त हैं ।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में सृजित पदों का वेतन-मान

*३४—श्री त्रिवेणी सेहाय—

क्या सरकार को जानकारी है कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में विभिन्न पदों का सृजन वेतन आयोग की सिफारिशों के पूर्व नवम्बर, १९७२ में चिकित्सा विभाग द्वारा किया गया था, यदि हां, तो क्या वेतन आयोग द्वारा निर्धारित नये वेतन मानों में इन पदों को परिवर्तित करने के आदेश प्रसारित कर दिये गये? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक नये वेतन-क्रम लागू कर दिये जायेंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जी हां, किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में १४-११-१९७२ को ४ पदों को पुराने वेतनक्रम में अस्थायी तौर पर सृजित किये जाने के आदेश जारी हुए थे । इन पदों के लिये नये वेतनक्रम दिये जाने के संबंध में आदेश अभी जारी नहीं हुए हैं क्योंकि ये पद वेतन आयोग की संस्तुति लागू होने की तिथि के बाद अर्थात् १ अगस्त, १९७२ के बाद सृजित हुए है इन पदों के संबंध में शासन के वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक सूचना लखनऊ विश्वविद्यालय से मांगी गई है, जिसके प्राप्त होने पर नया वेतनक्रम दिये जाने पर विचार किया जायगा ।

मलेरिया उन्मूलन में लैब टैक्नीशियन का वेतनमान

*३५—श्री कबूल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९७३ में मलेरिया उन्मूलन में लैब टैक्निशियन (प्रयोगशाला प्राविधिक) विभागीय या नव नियुक्तियों को १००–१६० रु० का वेतन मान दिया गया है जबकि इससे पूर्व १२०–२२० का वेतन मान दिया जाता रहा है ? यदि हां, तो क्यों? इसे शासन शीघ्र दूर करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जी हां । वर्ष १९७३ में शासन ने लैब टेक्नीशियन के पदों पर प्रशिक्षित व्यक्तियों की नई नियुक्तियां रु० १२०–२२० के वेतनमान में करने का निर्णय लिया । किन्तु प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के अभाव के कारण उक्त पदों पर अप्रशिक्षित व्यक्तियों को वेतनमान रु० १ ०–१६० स्वीकृत किया गया । प्रश्न का शेष भाग उठता ही नहीं ।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, लखनऊ में प्रधानाचार्य और अधीक्षक का पद

*३६—श्री आशाराम यादव (जिला मिर्जापुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, लखनऊ में प्रधानाचार्य और अधीक्षक दोनों पदों का कार्यभार कई वर्षों से एक ही अधिकारी सम्भाले हुए हैं ? यदि हां, तो क्यों और क्या उपरोक्त दोनों पदों पर पृथक-पृथक अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जी हां ।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ में प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक का एक ही पद स्वीकृत है । अतएव एक पद पर दो पृथक-पृथक अधिकारियों की नियुक्ति करने का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ नगर के अस्पतालों में सिस्टरों का स्थायीकरण

*३७—श्री आशा राम यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिविल अस्पताल, बलरामपुर अस्पताल और राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, लखनऊ में कितनी सिस्टर ऐसी है जिनको दो वर्षों का प्रोबेशन-काल समाप्त हुये कई वर्ष बीत चुके हैं और उन्हें सिस्टर के पद पर आज तक स्थायी नहीं किया गया है । क्या उन्हें स्थायी करने के आदेश सरकार शीघ्र करेगी ?

श्री राज मंगल पांडेय—

स्टाफ नर्सों की प्रोन्नति सिस्टर के पद पर अस्थायी रूप से की जाती है और उनको प्रोबेशन पर नहीं रखा जाता है । स्थायी रिक्तियों में ज्येष्ठता क्रम से सिस्टर्स के स्थायीकरण पर विचार किया जाता है ।

परिवार नियोजन विभाग के प्रसार शिक्षकों का स्थायीकरण

*३८—श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि परिवार नियोजन विभाग में कार्यरत प्रसार शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची अंतिम रूप से तैयार कर ली है ? यदि हां तो क्या उसके अन्तर्गत प्रसार शिक्षकों का स्थायीकरण किया जा रहा है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय—

परिवार नियोजन विभाग में कार्यरत प्रसार शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची तैयार की जा रही है ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अस्थायी पदों को स्थायी किये जाने का मामला अभी शासन के विचाराधीन है ।

राजकीय चिकित्सालयों में साधारण डिनेचर्स स्प्रिट का प्रयोग न करने का आदेश

*३९—श्री दधीच सिंह (जिला हरदोई)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि हाल ही में किये गये शासकीय आदेश कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों एवं चिकित्सकों द्वारा साधारण डिनेचर्ड स्प्रिट प्रयोग नहीं की जायगी के बावजूद प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों एवं चिकित्सकों द्वारा अभी भी साधारण डिनेचर्ड स्प्रिट का प्रयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे कि राजकीय चिकित्सालयों एवं चिकित्सकों को रेक्टीफाइड स्प्रिट आवश्यकता भर सुविधानुसार प्राप्त हो सके ?

श्री राज मंगल पांडेय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सर हेनरी हार्समैन द्वारा कानपुर स्थित उर्सिला अस्पताल को दी गई धनराशि की और उसकी प्राप्ति के संबंध में पत्र

*४०—श्रीपाल सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि इंगलैन्ड के रहने वाले सर हेनरी हार्समैन ने कानपुर स्थित उर्सिला अस्पताल जो कि उन्ही की पत्नी के नाम पर बना था, जो २५ हजार पौंड का उपहार अपनी अंतिम इच्छा में दे दिये है? यदि हां, तो वह रकम इंगलैन्ड से अब तक क्यों नहीं मंगाई गई ?

श्री राज मंगल पांडेय—

स्वर्गीय सर हेनरी के अन्तिम इच्छा में व्यवस्था की सूचना शासन को विधिवत् रूप से नहीं की गयी थी । वर्ष १९६७ में मिडलैन्ड बैंक, इंगलैन्ड के प्रतिनिधि ने सर हेनरी की इच्छा के अधीन उर्सिला अस्पताल, कानपुर में एक इमरजेंसी व कैजुअल्टी ब्लाक के निर्माण हेतु २५,००० पौंड देने का आश्वासन दिया। बैंक ने अपना अंशदान निर्माण के पश्चात् देने का की इच्छा प्रकट की । निर्माण अब पूरा हुआ है और उक्त अंशदान देने हेतु उपरि-लिखित बैंक को लिखा जा चुका है ।

*४१—कुंवर श्रीपाल सिंह—

क्या यह भी सत्य है कि सर हेनरी हार्समैन ट्रस्ट ने १९६९ में प्रदेश के सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा निदेशक को कोई सलाह, पत्र द्वारा दी थी, उपरोक्त धन के प्राप्त करने के तरीके के बारे में, यदि हां, तो उस पत्र की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं तथा उस पर अब तक क्या कार्य-वाही हुई ?

श्री राज मंगल पांडेय—

एसा कोई पत्र निदेशालय में उपलब्ध नहीं है ।

मथुरा जनपद में फर्जी नसबन्दी

*४२—श्री रामप्रकाश यादव (जिला मथुरा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि गत वर्ष विशाल नसबन्दी अभियान में मथुरा जनपद में फर्जी नसबन्दी हुई थी ? यदि हां, तो सरकार उन संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जी हां,

दोषी पाये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है ।

*४३—श्री वीरेंद्र वर्मा—

(पुनरावृत्ति के कारण निरस्त)

जन विश्लेषण विभाग, लखनऊ के सेवारत जन-विश्लेषक व वायोकेमिस्ट और प्रायोजन टेस्ट के लिये एनीमल हाउस का अभाव

*४४—श्री उमानाथ सिंह, श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर तथा डाक्टर जितेंद्र कुमार अग्रवाल)

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जन-विश्लेषण विभाग लखनऊ में सेवारत जन विश्लेषक तथा वायोकेमिस्ट दोनों ही सी एन्ड सी-१ ड्रग्स के विश्लेषण के अनुभव रखते हैं यदि नहीं, तो उनको सेवा में रखने का आधार क्या है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जी हां । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

*४५—श्री उमानाथ सिंह, श्री ओम प्रकाश सिंह, डाक्टर जितेंद्र कुमार अग्रवाल—

क्या सरकार को जानकारी है कि जन-विश्लेषण विभाग, लखनऊ में पायोजन टेस्ट के लिये कोई एनीमल हाउस नहीं है और न ही कोई एनीमल है जबकि सरकार ने इसका प्राविजन कर रखा है? यदि हां, तो इस अनियमितता को दूर कर दोषी व्यक्तियों को दंडित करेगी ?

श्री राज मंगल पांडेय—

एनिमल हाउस न होने के कारण एनिमल रखना कठिन है । एनिमल हाउस के अभाव को दूर करने के लिये बरामदा घेर कर काम चलाने की अनुमति लखनऊ विश्व-विद्यालय से प्राप्त कर ली गई है।

पाइरोजन टेस्ट के लिये एप्लाब टेली थर्मामीटर तथा पशुओं के लिये पिंजरों की व्यवस्था भी कर ली गई है ।

अतः किसी व्यक्ति को दंडित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला अस्पताल, सीतापुर के डाक्टरों का कार्य-काल और स्थानान्तरण

*४६—श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद)—

क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल, सीतापुर में कार्यरत ऐसे डाक्टर कौन-कौन हैं जिनको सीतापुर जिला अस्पताल में काम करते हुए 30 जून, १९७४ को २ वर्ष से अधिक काल व्यतीत हो चुका है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जिला अस्पताल, सीतापुर में दिनांक ३० जून, १९७४ को निम्नलिखित डाक्टर ऐसे थे जिन्हें उक्त तिथि को २ वर्ष से अधिक काल व्यतीत हो चुका था ।

१—डा० पी०एन० शुक्ला,

२—डा० आई० बी० सिंह,

३—डा० डी० के० शुक्ला,

*४७—श्री तीरथ राम कोहली—

क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित ऐसे डाक्टर कौन हैं जिनका स्थानान्तरण सीतापुर जिला अस्पताल से दूसरे स्थान के लिये इस अवधि में तीन से अधिक बार हुआ परन्तु रोक दिया गया है । रोकने का कारण क्या था?

श्री राजमंगल पांडेय—

डा० पी० एन० शुक्ला फिजिशियन, जिला अस्पताल सीतापुर को इस अवधि में तीन बार स्थानान्तरित किया गया । इनमें से डा० शुक्ला का दो बार स्थानान्तरण रोक दिया गया और एक बार संशोधित किया गया । ऐसा प्रशासनिक कारणों से करना पड़ा ।

*४८—श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी—

[११ वें मंगलवार के लिये स्थगित]

महिला अस्पताल खुर्जा, जिला बुलन्दशहर का जीर्ण भवन

*४९—श्री एदल सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बुलन्दशहर के खुर्जा नगर के जनाने अस्पताल की दशा जीर्ण शीर्ण है तथा उसका किसी भी समय ढह जाने का जबरदस्त खतरा है। यदि हां, तो सरकार इस संबंध में शीघ्र ही कोई कदम उठाने जा रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री राज मंगल पांडेय—

महिला अस्पताल, खुर्जा, जिला बुलन्दशहर के भवन का कुछ भाग जीर्ण अवस्था में है जिसके कारण इसका कुछ भाग प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है। किन्तु शेष भाग अभी अच्छी दशा में है और उनका प्रयोग किया जा रहा है।

धनाभाव के कारण भविष्य में उक्त अस्पताल का क्या भवन निर्माण कराना संभव नहीं है, किन्तु यदि आवश्यकता हुई तो महिला अस्ताल को पुरुष अस्पताल के भवन में स्थानान्तरित किया जा सकता है।

गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर के लेक्चरर डा० एस० के० सिंह की घूस लेने के आरोप में गिरफ्तारी

*५०—श्री अब्दुल रहमान खां (जिला कानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २६-१०-७२ को उप-अधीक्षक, पुलिस कानपुर द्वारा मुरारी लाल, चेस्ट हासपिटल, कानपुर के डा० एस०के० सिंह को घूस लेते हुये रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री राज मंगल पांडेय—

डाक्टर एस०के०सिंह, लेक्चरर इन टयूबरकुलोसिस, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर को १०० रु० घूस लेने के कथित आरोप पर पुलिस अधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान, कानपुर के नेतृत्व में संगठित पुलिस पार्टी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इस सम्बन्ध में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच की गई और उनसे प्राप्त रिपोर्ट विवेचनाधीन है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्याना, जिला बुलन्दशहर को अपग्रेड करने की मांग

*५१—श्री मुमताज मोहम्मद खाँ (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्याना नगर क्षेत्र, जिला बुलन्दशहर के प्राइमरी हेल्थ सेन्टर को नगर की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को देखकर अपग्रेड करके एक जनाना वार्ड की स्थापना करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री राज मंगल पांडेय—

धनाभाव के कारण यह अभी नहीं कहा जा सकता कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्याना, जिला बुलन्दशहर को अपग्रेड करके वहां पर एक जनाना वार्ड की स्थापना कब तक की जा सकेगी। स्याना में मातृ तथा शिशु कल्याण केन्द्र पहले ही से कार्य कर रहा है।

*५२-५३—श्री अठई राम—

(१३वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या १३-१४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित)।

*५४---श्री दया राम भास्कर---

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

उन्नाव स्थित सहकारी शीत गृह में आलू का सड़ जाना

*५५---श्री राघवेन्द्र सिंह (जिला उन्नाव), श्री शिवपाल सिंह (जिला उन्नाव) तथा श्री सुन्दर लाल (जिला उन्नाव)---

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उन्नाव स्थित सहकारी शीतगृह में १४ हजार क्विन्टल क्षमता से ४,००० हजार क्विन्टल अधिक आलू भरा गया था उसका ९० प्रतिशत शीत गृह के अन्दर सड़ गया है और अभी भी उसी तरह भरा हुआ है ? इसके उपरान्त भी आलू रखने वाले कृषकों से पूरे सीजन का पैसा वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

शीतगृह की क्षमता ११,७०० क्विन्टल की है । जिसमें केवल १०,९५३.३१ क्विन्टल आलू वर्ष ७३-७४ में रक्खा गया था ।

अब तक ७,५१६.८४ क्विन्टल आलू निकाला गया है जिसमें से ३,८१५.५९ क्विन्टल (अर्थात् लगभग ५१ प्रतिशत) खराब पाया गया ।

क्षमता से अधिक भंडारण के कारण नहीं वरन बिजली की नियमित आपूर्ति के न होने के कारण आलू खराब हुआ ।

भंडारण की शर्तों के अनुसार बिजली न मिलने के कारण आलू खराब होने के लिये क्षति-पूर्ति की जिम्मेदारी शीतगृह की नहीं है, फिर भी आलू रखने वालों को निम्नलिखित सुविधायें दी जा रही है:---

(१) सड़े हुये आलू का किराया नहीं लिया जा रहा है ।

(२) जिनसे किराया पहले ही लिया जा चुका है उन्हें वापस किया जा रहा है । तथा

(३) सड़े हुये आलू का प्रमाण-पत्र दिया जा रहा है जिससे कि भविष्य में मुआवजा देने पर विचार किया जा सके ।

उप-निदेशक, पशुपालन (फार्म्स) के कार्यालय में अस्थायी एवं अनुपयुक्त आशुलिपिक

*५६---श्री कमला प्रसाद वर्मा---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक, पशु पालन (फार्म्स) के कार्यालय में आशुलिपिक के कितने पद सृजित हैं तथा इन पदों पर नियुक्त कितने कर्मचारी हिन्दी आशुलिपि तथा हिन्दी टंकन का ज्ञान रखते है ? इनमें से कितने आशुलिपिक की सेवायें अस्थायी है ? यदि हिन्दी आशुलिपि और टंकन का इन कर्मचारियों को ज्ञान नहीं है तो उनकी नियुक्ति शासन के लिए किस तरह से उपयोगी है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

उप निदेशक पशुपालन (फार्म्स) के कार्यालय में आशुलिपिक का एक पद सृजित हैं । इस पर वर्तमान आशुलिपिक सन् 1956 से कार्य कर रहे हैं । इनकी सेवायें अस्थायी हैं । यह हिन्दी टंकन में दक्ष नहीं है । इनको आदेश दिये गये हैं कि तीन माह के अन्दर हिन्दी टंकन में निर्धारित गति प्राप्त कर लें ।

*५७—श्री बलदेव—

[११वें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

*५८—श्री राम जनम राय—

[पुनर्विचार पर निरस्त ।]

लखनऊ मंडल के कृषि अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

*५९—श्री दधीच सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को यह ज्ञात है कि लखनऊ में मंडल किन कृषि अधिकारियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें हैं तथा उप कृषि निदेशक, लखनऊ मंडल, लखनऊ ने क्या इसकी रिपोर्ट कृषि निदेशक को की है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाहियां हुईं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां । लखनऊ मंडल के हरदोई और लखनऊ के वर्तमान जिला कृषि अधिकारियों के विरुद्ध क्रमशः ७ व १ शिकायतें है ।

जांच की जा रही है ।

राजकीय फार्म, नरायनपुर, जिला शहजहांपुर का उत्पादन

*६०—श्री गिरजा किशोर मिश्र—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि बरेली मंडल में शाहजहांपुर जनपद के राजकीय फार्म नरायनपुर पर १९७३–७४ में कितना क्षेत्रफल बोया गया और फसलवार क्या उत्पादन रहा । यदि उत्पादन कम रहा हो तो क्यों और इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

बरेली मंडल में शाहजहांपुर जनपद के राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, नरायनपुर पर १९७३–७४ में १५५.९० एकड क्षेत्रफल बोया गया । इस प्रक्षेत्र का फसलवार उत्पादन का ब्योरा संलग्न तालिका में दर्शित है । इस वर्ष में रबी की फसल में उत्पादन कम रहा । इसका मुख्य कारण प्रक्षेत्र पर स्थित नलकूप का खराब होना तथा पाले का पड़ना रहा । प्रक्षेत्र को उचित व्यवस्था न करने के कारण प्रक्षेत्र अधीक्षक को प्रक्षेत्र से हटा दिया गया है ।

(देखिये नत्थी "च" आगे पृष्ठ ९४१ पर ।)

*६१—श्री राम प्रकाश यादव—

(११वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न ५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

बड़ेल गांव, जिला बाराबंकी में पेयजल योजना

*६२—श्री राम सेवक यादव—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत ग्राम बड़ेल, परगना व तहसील नवाबगंज में पेय जल योजना स्वीकृत हुई थी और जिसका उद्घाटन तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री श्री बेनीं सिंह अवस्थी ने दिनांक ३१–१–७३ को किया था ? यदि हां, तो इस योजना का प्रगति विवरण क्या है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय---

जिला परिषद् बाराबंकी द्वारा अग्रसारित ग्राम सभा बडैल गांव के प्रस्ताव पर योजना बनायी गई थी । इसका शिलान्यास तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री जी द्वारा ३१-१-७३ को किया गया । बाद में जिला परिषद् द्वारा ऋण प्रार्थना-पत्र तथा रख रखाव का संकल्प न प्रस्तुत करने के कारण प्रगति नही हुई ।

फार्मेसिस्टों का वेतनमान

*६३---श्री कुंवर बहादुर मिश्र---

क्या स्वाथ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फार्मेसिस्ट (कम्पाउन्डरों) का वेतनमान सेनेटरी इन्सपेक्टरों व क्राफ्टमैनों के वेतन मान से कम हैं जबकि सेनेटरी इन्सपेक्टरों की शैक्षिक योग्यता समान व ड्राफ्ट्स मैनों की योग्यता से कम होती है और फार्मेसिस्टों को अधिक दुरुह सेवायें करना पड़ती है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों है ?

श्री राज मंगल पांडेय---

फार्मेसिस्टों के वेतनमान में सेनेटरी इन्सपेक्टर तथा ड्राफ्ट्समैनों के वेतनमानों से कभी समानता नहीं रही क्योंकि उनके कार्यक्षेत्र अलग-अलग है । वेतन आयोग (१९७१-७३) द्वारा सभी बातों पर विचार करने के पश्चात फार्मेसिस्टों के लिये जिस वेतनमान की संस्तुति की है वही वेतनमान इस समय उन्हें दिया जा रहा है ।

गोरखपुर जिले के विकास खंडों में त्वरित योजनान्तर्गत व्यय की गयी धनराशि

*६४---श्री लक्ष्मी नारायण पान्डेय (जिला गोरखपुर)---

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गतवर्ष गोरखपुर जिले में पनियारा, कम्पियरगंज, फरेन्दा, बृजमनगंज, लक्ष्मीपुर तथा मिश्रोलिया विकास खंडों में त्वरित योजना में अलग-अलग कितना रुपया व्यय किया गया था ? यदि धानी, फरेन्दा और बृजमनगंज खंड विकासों में त्वरित योजना नही चालू की गई तो उसके क्या कारण थे ।

श्री बलदेव सिंह आर्य---

त्वरित योजना के अन्तर्गत वर्ष १९७३-७४ में पनियारा, फरेन्दा, लक्ष्मीपुर तथा नौतनवा (मिश्रोलिया) विकास खंडो मे क्रमशः ७,०७६.०० रुपये, १९,७४[illegible].०० रुपये, १७,४५६.०० रुपये तथा २५,९४१.०० रुपये व्यय किये गये । कम्पियरगंज तथा बृजमनगंज विकास खंडों द्वारा कोई धन व्यय नहीं किया गया क्योंकि इनका पुनर्गठन त्वरित योजना के प्रारम्भ के पश्चात् हुआ था ।

धानी तथा फरेन्दा विकास खंडों में त्वरित योजना कार्यान्वित की गई थी जिसके अन्तर्गत धानी विकास खंड में रिगोली-मरवलिया बांध दो किलोमीटर लम्बाई का व फरेन्दा विकास खंड में खजुरिया मछली गांव 4 कि0मी0 लम्बाई की सड़क का निर्माण लिया गया था । बृजमनगंज विकास खंड में कोई परियोजना नहीं ली गई थी क्योंकि त्वरित योजना प्रारम्भ होने के बाद यह विकास खंड पुर्नगठित हुआ था ।

चीफ मेडिकल आफिसर, मैनपुरी के कार्यालय के सेनेटरी इन्सपेक्टर के एरियर्स का निस्तारण

*६५---श्री वीर सिंह सेंगर (जिला जालौन)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चीफ मेडिकल आफिसर, मैनपुरी के कार्यालय में दिनांक ५-११-६३ से २६-८-६५ तक कितने सेनेटरी इन्सपेक्टरों के एरियर्स तथा क्लेम्स

निस्तारण हेतु पड़े है ? उनके भुगतान न किये जाने का क्या कारण हैं ? क्या सरकार उनके सारे क्लेम्स को यथा शीघ्र निपटाने की कृपा करेगी ?

श्री राज मंगल पांडेय---

केवल एक सेनेटरी इन्सपेक्टर का ।

खंड विकास अधिकारी के कार्यालय से वेरीफिकेशन न होने के कारण ।

सहकारी मिल्क बोर्ड लि० कानपुर में गबन

*६६---चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---

क्या सरकार बतायेगी कि कानपुर के मिल्क बोर्ड में इस समय कितने रुपये का कुल घाटा या गबन है । इसके अध्यक्ष और सदस्य कौन-कौन व्यक्ति है ? क्या सरकार इसमें भारी घोटाले के कारण मिल्क बोर्ड को भंग करने जा रही है ? यदि हां, तो कब ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

कानपुर सहकारी मिल्क बोर्ड लिमिटेड कानपुर में ३०-६-७३ तक कुल ५४,७७,०८९.५५ रु० का घाटा तथा ४,६९८.६३ रु० का गबन प्रकाश में आया ।

इस समय बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य है तथा अध्यक्ष कोई नहीं है:---

(१) श्री राम सनेही तिवारी ।

(२) श्री राम नाथ दुबे तथा ।

(३) श्री देवनारायण सिंह ।

उक्त बोर्ड के भविष्य के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

फर्रुखाबाद जिले में लिंक मार्ग निर्माण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि

*६७---श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)---

क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि लिंक मार्ग निर्माण योजना जो लगभग ४ साल पूर्व चालू की गई थी के अन्तर्गत फर्रुखाबाद जिला को कितनी धनराशि कब दी गई थी ? क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद में अब तक कितनी धनराशि का उपयोग हो चुका है तथा कब तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

फर्रुखाबाद जिले को रु० १४,८१, ४८१--की धनराशि मार्च, १९७२ में प्रदान की गयी

अब तक रु० ६,०६,२८०.०० का उपयोग हो चुका है ।

कार्य शीघ्र पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

लखनऊ में हुए पंच सम्मेलन पर व्यय की गयी धनराशि

*६८---श्री विमल प्रसाद तिवारी---

क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २७ व २८ मार्च, १९७४ को लखनऊ में हुये पंच सम्मेलन में किस-किस श्रेणी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा इस सम्मेलन पर हुये व्यय का पूर्ण विवरण मदवार क्या है ? क्या इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को दैनिक भत्ता भी दिया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इस सम्मेलन में जिस-जिस श्रेणी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया उसका विवरण संलग्न सूची 'क' में अंकित है। तथा व्यय हुये धन का मदवार विवरण संलग्न सूची 'ख' में दिया है। सम्मेलन में भाग लेने वाले गैर सरकारी प्रतिनिधियों को दैनिक भत्ता नहीं दिया गया। भत्ते के बजाय उनके दोनों दिन के भोजन तथा स्वल्पाहार की व्यवस्था शासन द्वारा की गई।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९४२–९४३ पर)

परिवार कल्याण नियोजन कर्मचारी संघ, रोहिलखण्ड की मांगें

*६९—श्री हरीश कुमार गंगवार तथा श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को परिवार कल्याण नियोजन कर्मचारी संघ, रोहिल खंड मंडल का बरेली में दिनांक १६–६–७४ को अपनी ५ सूत्री मांगों के संबंध में पारित प्रस्ताव जून, १९७४ के तीसरे सप्ताह में मिला है ? यदि हां, तो मांगें क्या हैं और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जी हां।

संघ की मांगे संलग्नक में दी हैं। इन मांगों पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ९४४ पर)

*७०—श्री राम बचन—

(११वें मंगलवार के लिये स्थगित)

सीड स्टोर बरालोकपुर, जिला इटावा के सुपरवाइजर की पेंशन

*७१—श्री दल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीड, सुपरवाइजर, सीड स्टोर, बरालोकपुर विकास खंड बसरेहर जिला इटावा जो ३० सितम्बर, १९६९ से सेवा निवृत्त हो गये, की पेंशन जमानत ग्रेच्युइटी एवं १५ महीने का अग्रिम वेतन-क्रम भुगतान कर दिया गया है। यदि नहीं, तो क्यों और कब तक भुगतान कर दिया जायगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी नहीं। संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध जनपद बदायूं एवं इटावा के कार्यकाल की राजकीय क्षति से संबंधित रिपोर्टों पर अंतिम निर्णय न होने के कारण पेंशन, जमानत व ग्रेच्युइटी का भुगतान नहीं किया गया था। १५ महीने का अग्रिम वेतन नियमानुसार देय नहीं है। बकाया धनराशि रोककर शेष देय धनराशि का भुगतान करने के आदेश अब जारी किये जा चुके हैं।

दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड, अलीगढ़ में प्रयुक्त सरकारी धनराशि और जमा की गयी अमानत की धनराशि

*७२—श्री बाबू सिंह यादव (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० अलीगढ़ में कितना सरकारी धन लगा है और इस धन की सुरक्षा एवं उपयोग का निरीक्षण किस अधिकारी के सुपुर्द है तथा अब तक कितनी बार निरीक्षण हो चुका है ? क्या इस संघ के अध्यक्ष द्वारा इस धन का दुरुपयोग करने की कोई सूचना सरकार को प्राप्त हुई है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

अलीगढ़ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० अलीगढ़ में शासन का २३,०४,७९७·५० रु० लगा हुआ है। इसकी सुरक्षा तथा उपयोग का निरीक्षण जिला स्तर पर जिला सहायक निबन्धक, मंडल स्तर पर उप निबन्धक, आगरा तथा मुख्यावास स्तर पर उप दुग्धशाला विकास अधिकारी के सुपुर्द है। उसका निरीक्षण अब तक लगभग एक दर्जन बार किया जा चुका है। संघ के अध्यक्ष द्वारा धन का दुरुपयोग करने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं किन्तु जांच करने पर आरोप निराधार पाये गये।

*७३---श्री बाबू सिह यादव---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, अलीगढ़ पर दुग्ध वाहकों तथा समितियों का अमानत का कितना धन है और इस धन पर इनको कितना ब्याज दिया जाता है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ के कर्मचारियों के वेतनमान जो समय-समय पर राज्य सरकार ने घोषित किये हैं? क्या उन्हें मिल रहा है, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

अलीगढ़ दुग्ध संघ में ३०-६-७३ तक दुग्ध वाहकों की अमानत का ३,४४,६६७ रुपये तथा समितियों की अमानत का ३,८०,८३१ रुपया जमा है। दुग्ध वाहकों तथा समितियों की अमानत पर दुग्ध संघ कोई ब्याज नहीं देता है। दुग्ध संघ के कर्मचारियों को संघ द्वारा निर्धारित वेतनमान दिया जाता है। शासन द्वारा घोषित वेतनमान दुग्ध संघों पर लागू नहीं है।

डिप्टी डाइरेक्टर, ट्यूज, कृषि विभाग का एक्सटेन्शन

*७४---श्री ऊदल तथा रघुनाथ---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डिप्टी डाइरेक्टर, ट्यूज को पिछले वर्ष एक साल के लिये एक्सटेंशन दिया गया था? यदि हां, तो वह २८ फरवरी, १९७४ को खत्म हो गया परन्तु वे अब भी कार्यरत रहे हैं? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

जी हां। १५ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद आगे सेवा में बनाये रखने के प्रश्न पर पुनः विचार किये जाने का निर्णय हुआ था। अतः प्रश्न विचाराधीन है।

फैजाबाद के कृषि विभाग के बफर गोडाउन में गबन

*७५---श्री ऊदल तथा श्री रघुनाथ---

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद कृषि विभाग में से ७० से लेकर सन् १९७३ तक बफर गोडाउन में ३५ लाख रुपये का गबन किया गया था? यदि हां, तो उसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार पाया गया तथा उस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

फैजाबाद जिले के कृषि विभाग के बफर गोडाउन में वर्ष १९७० से लेकर १९७३ तक रु० ६,६०,६१३.७५ पै० की हानियों एवं वित्तीय अनियमितताओं की सूचना शासन को प्राप्त हुई। जिम्मेदार पाये गये तीन प्रभारी, एक लिपिक तथा एक सहायक विकास अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है।

अमीनाबाद पार्क लखनऊ में श्री दयालसिंह कुल्फी वाले का अनधिकृत कब्जा

*७६—श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दयाल सिंह कुल्फी वाला, अमीनाबाद पार्क, लखनऊ के २० वर्ष से अधिक अनधिकृत रूप से तथा बिना एक पैसा दिये कब्जे को हटाने के लिये नगर महापालिका, लखनऊ के प्रशासक ने माह अप्रैल के अंतिम तथा मई के प्रथम सप्ताह १९७४ में लखनऊ नगर के पुलिस अधीक्षक से सहायता मांगी थी? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जी हां, अमीनाबाद पार्क में दयाल सिंह कुल्फी वाले के अनधिकृत कब्जे को हटाने के लिये अप्रैल-मई १९७४ में पुलिस सहायता मांगी गई थी । चूंकि स्थानीय पुलिस उस समय अन्य असाधारण शांति एवं व्यवस्था के कार्य में लगी थी, अतः उस समय पुलिस की सहायता उपलब्ध न हो सकी । जुलाई, १९७४ में पुलिस सहायता से यह अतिक्रमण हटा दिया गया है।

बाजार संयुक्त समिति गनेशपुर बड़नपुर, जिला बाराबंकी द्वारा नौघाट की चुंगी की वसूली

*९७—श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चौकाघाट रोड से चौकाघाट, जिला बाराबंकी तक जाने वाली सड़क जिला परिषद् की है या सार्वजनिक निर्माण विभाग की? यदि उक्त सड़क जिला परिषद् की है तो संयुक्त कमेटी गनेशपुर बड़नपुर द्वारा घाट की चुंगी वसूल करने का क्या औचित्य है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

चौकाघाट रोड से चौकाघाट जिला बाराबंकी तक जाने वाली सड़क (बाराबंकी बहराइच मार्ग का ३९वां मील) जिला परिषद् बाराबंकी के अन्तर्गत है ।

गनेशपुर नौघाट का प्रबन्ध जिला परिषद् में निहित है किन्तु कुछ वर्षों से जिला परिषद् ने इसका प्रबन्ध छोड़ दिया है । बाजार संयुक्त समिति गनेशपुर-बड़नपुर द्वारा इस नौघाट की चुंगी वसूल नहीं की जाती है । यह समिति केवल गनेशपुर बाजार की तहबाजारी वसूल करती है । इस समिति ने कुछ वर्षों से जिला परिषद् की उपरोक्त सड़क पर अनधिकृत रूप से एक बैरियर लगाया है और आने-जाने वाली ट्रकों से तहबाजारी के नाम पर चुंगी वसूल करती है । इस बैरियर को हटाने की कार्यवाही की जा रही है ।

आयुक्त आबकारी द्वारा की गयी नियुक्तियां

*७८—श्री सीताराम निषाद (जिला फैजाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७३-७४ व मई, १९७४ तक आबकारी विभाग में आयुक्त आबकारी ने रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु कितनी नियुक्तियां की हैं ? क्या वे नियुक्तियां बिना सेवा योजन कार्यालय के माध्यम से की गई है ? यदि हां, तो क्यों?

श्री राज मंगल पांडेय—

इंगित काल में आबकारी आयुक्त द्वारा ५५ रिक्तियों की पूर्ति हेतु नियुक्तियां की गई । इनमें से केवल ७ नियुक्तियां सेवा योजन के माध्यम के बिना की गई । इन ७ नियुक्तियों में से एक नियुक्ति वैभागीय कर्मचारी को प्रोन्नति देकर तथा एक अन्य नियुक्ति एक वैभागीय कर्मचारी की मृत्यु के उपरान्त उसके पुत्र को नियुक्त करके की गई । ये दोनों

नियुक्तियां तथा शेष ५ अन्य नियुक्तियां भी अल्पकालीन एवं तदर्थ आधार पर प्रशासन एवं राजस्व के हित में की गई ।

नियत प्राधिकारी गाजियाबाद द्वारा भवनों के गिराने हेतु आदेश और ठेले व खोंचे वालों को दुकान देने की मांग

*७९—श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि गाजियाबाद प्रेसक्राइब्ड अथारिटी ने जो ८–१० हजार मकानों के गिराने के आदेश कर रक्खे हैं क्या उन मकानों को नियमित करने हेतु कोई कमेटी सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो क्या उक्त कमेटी की सूचना उसके सदस्यों को पारित कर दी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय—

(१) नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, गाजियाबाद ने अब तक लगभग ५१३१ भवनों को गिराने के आदेश पारित किये हैं ।

(२) जी नहीं ।

(३) उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध नियंत्रिक प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है । इसके लिये अधिनियम के अन्तर्गत किसी अन्य कमेटी के बनाने का प्राविधान नहीं है ।

*८०—श्री प्यारे लाल—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि गाजियाबाद के ठेल, पटरी, खोका व खोन्चे वालों को सम्मान के साथ रोजी-रोटी कमाने हेतु सस्ते किराये की दुकानें देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त योजना कब तक कार्यान्वित होगी ?

श्री राज मंगल पांडेय—

(१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

जिला कृषि अधिकारी, हरदोई के विरुद्ध कृषि सामानों के अपहरण की शिकायत

श्री दधीच सिंह—

१—क्या मुख्य मन्त्री को यह ज्ञात है कि दिनांक १९ जून, १९७४ को कृषि निदेशक को किसी ने बीज भण्डार हरदोई पर जिला कृषि अधिकारी, हरदोई द्वारा कृषि सामानों के अपहरण कराने की सूचना दी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

श्री राम सुन्दर सिंह सहायक कृषि निरीक्षक हरदोई (निलम्बित) ने अपने पत्र दिनांक १९–६–७४ द्वारा कृषि निदेशक को बीज भण्डार हरदोई पर जिला कृषि अधिकारी हरदोई द्वारा कृषि सामानों के अपहरण करवाने की सूचना दी थी ।

एक मण्डलीय दल सम्प्रेक्षण हेतु भेज दिया गया है ।

नगरपालिका बांदा का बजट परिषद् द्वारा पास न होना

२—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका बांदा का वर्ष १९७३–७४ का रिवाइज्ड तथा वर्ष १९७४–७५ का वार्षिक बजट बोर्ड से पास हुआ अथवा नहीं ? बजट को बोर्ड से पास न कराये जाने का क्या कारण है तथा बिना बोर्ड से पास कराये अभी तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ? और क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

रिवाइज्ड बजट बाबत वर्ष १९७३–७४ तथा वार्षिक बजट बाबत वर्ष १९७४–७५ नगरपालिका बांदा द्वारा पास नहीं हुए क्योंकि नगरपालिका बांदा की बैठक एक वर्ष से नहीं हुई है । बोर्ड ने वर्ष १९७३–७४ में मु० १०,४९,४१८ तथा वर्ष ७४–७५ के दौरान दिनांक २७ जुलाई, १९७४ तक कुल मु० ५,२५,१२६.५९ पैसे को धनराशि अनिवार्य रूप से आवश्यकता की पूर्ति हेतु व्यय किया है ।

३—के० एस० मोहरिया—

[पुनर्विचार पर निरस्त]

उत्तर प्रदेश पंचायती राज समिति की रिपोर्ट

४—श्री सुखद राज सिंह (जिला बहराइच)—

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायती राज संस्था के ऊपर नियुक्त रावत समिति की रिपोर्ट शासन को मिल गई है ? यदि हां, तो उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

उत्तर प्रदेश पंचायती राज समिति ने कोई रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं की ।

सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) फर्रुखाबाद का नया वेतनमान

५—श्री झाम लाल अहिरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के किन सहायक विकास अधिकारियों (पशु पालन) का वेतन नये वेतन-मान में अब तक नहीं निर्धारित किया गया है ? और नये वेतन-मान में निर्धारण वेतन तथा एरियर से वेतन (अवशेष वेतन) का भुगतान कब हो जायगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

फर्रुखाबाद जनपद में कुल ३ कार्य रत सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) में से दो का वेतन नये वेतन-मान में निर्धारित कर दिया गया है । फलस्वरूप निर्धारित वेतन तथा एरियर वेतन (अवशेष वेतन) का भुगतान किया जा रहा है । तीसरे सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) की सेवा पुस्तिका प्राप्त नहीं हुई है । फलस्वरूप उनका वेतन नये वेतनमान में अभी तक निर्धारित नहीं हो पाया है ।

पशु चिकित्सालयों में ड्रेसर की नियुक्ति की मांग

६—श्री झाम लाल अहिरवार—

क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 'स' श्रेणी पशु चिकित्सालयों में ड्रेसर की नियुक्ति आदेश कब तक प्रसारित कर दिये जायेंगे ? क्या सरकार इन पशु चिकित्सालयों को और स्टाफ देने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

"स" श्रेणी पशु चिकित्सालयों पर इस समय ड्रेसर के पद की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इन पशु चिकित्सालयों पर ड्रेसर की नियुक्ति किये जाने के लिए आदेशों के प्रसारण का प्रश्न नहीं उठता।

"स" श्रेणी पशुचिकित्सालयों पर आवश्यकतानुसार स्टाफ उपलब्ध है। अतः और स्टाफ घटाने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

फर्रुखाबाद के कृषकों के लिये खाद का परमिट

७--श्री राजेन्द्र सिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में कृषकों को रासायनिक खाद किन-किन विभागों से मिलती है और इनके परमिट कौन काटता है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

फर्रुखाबाद जिले में कृषकों को रासायनिक खाद कृषि, सहकारिता, एग्रो, गन्ना संघ तथा व्यक्तिगत विक्रताओं द्वारा वितरित की जाती है। इसके परमिट खण्ड विकास अधिकारियों तथा सहायक विकास अधिकारियों द्वारा काटे जाते हैं।

परिवार नियोजन केन्द्र सिवहारा, बिजनौर में प्रस्ताविका के पद पर नियुक्ति

८--श्री अब्दुल वहीद (जिला बिजनौर)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कस्बा सिवहारा, जनपद बिजनौर से परिवार नियोजन कार्य-कर्त्री (एफ० डब्ल्यू० डब्ल्यू०) की पोस्ट है या प्रसाविका (ए० एन० एम०) की पोस्ट है और वह पोस्ट मैटरनिटी बजट की है या परिवार नियोजन बजट की तथा इस पोस्ट पर कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं? यदि एक से अधिक कर रहे हैं तो क्यों?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

कस्बा सिवहारा जनपद बिजनौर में जो केन्द्र चल रहा है वह मातृ एवं शिशु कल्याण के बजट से चल रहा है। इस केन्द्र के लिये ए० एन० एम० का एक पद स्वीकृत है। गत ६ मास से इस केन्द्र पर दो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि एक कर्मचारी का वहां से अन्यत्र स्थानान्तरण किया गया था परन्तु विशेष परिस्थितियों में कुछ समय के लिये वहीं पर रहने दिया गया है।

ग्राम भेड़, जिला जालौन में शराब की दूकान और अनुज्ञापियों के नाम

९--श्री राम चन्द्र बक्श सिंह तथा श्री ऊदल--

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भेड़, तहसील कोंच, जिला जालौन में एक ठेकेदार द्वारा प्राइवेट शराब का ठेका चलाया जा रहा है जब कि उक्त गांव के नाम से कोई ठेका नीलाम नहीं किया गया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

जिला जालौन, तहसील कोंच, ग्राम रनवां में एक नई देशी शराब की दुकान खोला जाना स्वीकृत हुआ था। ग्राम रनवां में वांछित स्थान प्राप्त न होने के कारण रनवां की देशी शराब की दुकान का अस्थायी प्रबन्ध राजस्व हित में समीप ही के ग्राम भेंड में किया गया है।

१०—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह तथा श्री ऊदल—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन में १ जनवरी से ३० जन, १९७४ तक कितने शराब के ठेके नीलाम किये गये और ठेके लेने वालों के नाम तथा पते क्या हैं ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

१ जनवरी से ३० जून, १९७४ तक की अवधि में १६–३–७४ को ३२ देशी शराब की दुकानों का नीलाम हुआ। अनुज्ञापियों के नाम तथा पते का विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ ९४५–९४६ पर)

हसेरन राजपुर मार्ग, जिला फर्रुखाबाद पर पुलियों का निर्माण

११—डाक्टर धर्मपाल सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण रोजगार त्वरित योजना के अन्तर्गत फर्रुखाबाद जिले में विकास खंड हसेरन के अन्तर्गत हसेरन-राजपुर मार्ग पर कितनी नई पुलियों का नव-निर्माण पिछले दो वर्षों में हुआ और पहले से निर्मित कितनी पुरानी पुलियों की मरम्मत हुई तथा नई पुलियों के निर्माण एवं पुरानी पुलियों की मरम्मत में पृथक-पृथक कुल कितना धन खर्च किया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

फर्रुखाबाद जिले में विकास खण्ड हसेरन के अन्तर्गत हसेरन-राजपुर मार्ग पर ६ नवीन पुलियों का नव निर्माण तथा २ पुरानी पुलियों की मरम्मत करायी गई। नई पुलियों के निर्माण में १७,२२४.०० रुपया तथा पुरानी दो पुलियों की मरम्मत में ६,४७७ .०० रुपया की धनराशि व्यय हुई।

प्रदेश के अस्पतालों में एम्बुलेन्स गाड़ियों की संख्या

१२—श्री जफर आजमी (जिला आजमगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राप्त मे कितने अस्पतालों में एम्बुलेन्स की कुल कितनी गाड़ियां हैं ? क्या यह सही है कि इनमें से ५० से अधिक गाड़ियां खराब पड़ी हैं ? यदि हां, तो सरकार उनके दुरुस्ती के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, रामनगर, बांदा के फार्मासिस्ट का वेतन

१३—श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा (जिला बांदा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, रामनगर में ऐसे प्रशिक्षित फार्मासिस्ट कौन-कौन हैं जिन्हें अभी प्रशिक्षित फार्मासिस्ट का वेतन-क्रम नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों तथा उन्हें यह वेतन कब तक दे दिया जायगा ?

श्री राजमंगल पांडेय—

प्रश्नगत चिकित्सा केन्द्र में केवल एक फार्मासिस्ट श्री केशव प्रसाद द्विवेदी ऐसे हैं जिन्हें अप्रशिक्षित फार्मासिस्ट का वेतन मान दिया जा रहा है। श्री द्विवेदी ने मध्य प्रदेश से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उक्त प्रदेश से प्रशिक्षण प्राप्त फार्मासिस्टों को प्रशिक्षित वेतनमान दिये जाने का मामला अभी विचाराधीन है।

जिला आजमगढ़ की हरिजन बस्तियों में कूप निर्माण की मांग

१४—श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र सगड़ी तथा नत्थूपुर, जिला आजमगढ़ के किन-किन ग्रामों की हरिजन बस्तियों में पानी पीने के कुओं की कमियां हैं और उसे दूर करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

संलग्न† सूची में बताये गये सगड़ी तथा नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों की हरिजन बस्तियों में पानी पीने के कुओं की कमियां हैं। इसकी पूर्ति पांच वर्षीय योजना में साधनों की उपलब्धि पर निर्भर होगी।

१५—डाक्टर मलखान सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

१६—बाबा रामनाथ—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद आजमगढ़ में सड़कों का निर्माण

१७—श्री जंग बहादुर तथा श्री गिरजा शंकर पाठक—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो इन सड़कों के निर्माण कार्य को पूरा करने की सरकार की क्या योजना है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

११ सड़कों में से केवल २५.८ कि०मी० लम्बाई की तीन सड़कों का निर्माण-कार्य अधूरा है जिन्हें शीघ्र पूरा कराने का प्रयास हो रहा है।

जनपद गोंडा में हैजे का प्रकोप

१८—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल, सन् १९७४ से ३१ मई, सन् १९७४ तक गोंडा जिले में कितनी मौतें हैजे से हुई हैं ?

श्री राज मंगल पांडेय—

१ अप्रैल, १९७४ से ३१ मई, १९७४ तक गोंडा जिले में हैजे से कोई मृत्यु नहीं हुई।

ग्राम कसियापुर, बहराइच में राजकीय डिसपेन्सरी खोलने का कथित आदेश

१९—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद के विकास खण्ड गिलौला के ग्राम कसियापुर में राजकीय सिडपेन्सरी खोलने का आदेश वर्ष १९७३ के पूर्व हो चुका है ? यदि हां, तो वर्तमान समय में वहां डाक्टर एवं कम्पाउन्डर की संख्या क्या है ?

---

† छापी नहीं गयी।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

जी नहीं। जिला बहराइच के ग्राम कसियापुर में राजकीय अस्पताल की स्थापना के आदेश नहीं दिये गये हैं। अतः डाक्टर एवं कम्पाउन्डर की संख्या का प्रश्न नहीं उठता।

२०--श्री सत्यपाल मलिक--

[८वें सोमवार में प्रश्न संख्या ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

२१--श्री सत्यपाल मलिक--

[१५वें बुधवार के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

ब्लाक नवाबगंज, फर्रुखाबाद में बी० डी० सी० का गठन

२२--श्री राजेन्द्र सिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सरकार कृपया यह बतावेगी कि ब्लाक नवाबगंज, जिला फर्रुखाबाद में नई बी० डी० सी० गठित होने के बाद कितनी मीटिंग हुई और कब-कब ? यदि नियमानुकूल मीटिंग नहीं बुलाई गई, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

उसका-मोहाना मार्ग, जिला बस्ती का निर्माण

२३--श्री राम रेखा यादव (जिला बस्ती)--

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि बस्ती जिले में क्रैश योजना के अन्तर्गत बन रही उसका-मोहाना मार्ग का इस्टीमेंट कब और कितने मूल्य का स्वीकृत हुआ है ? उक्त मार्ग पर अब तक ईंट, गिट्टी, तारकोल व मजदूरी पर मदवार कितनी धनराशि व्यय की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

उसका-मोहाना चार किलोमीटर लम्बे मार्ग की २,८८,०३६.०० रुपये की लागत से निर्माण की औपचारिक स्वीकृति २३ मार्च, १९७४ को दी गई थी।

उक्त मार्ग पर ३० जून, १९७४ तक ईंट, गिट्टी, तारकोल व मजदूरी पर मदवार निम्नलिखित व्यय हुआ है :--

	व्यय (रु० में)
१--ईंट	६४,८८०.५८
२--गिट्टी ईंट	९७,०४४.९१
३--गिट्टी पत्थर	१२,६३४.०३
४--तारकोल	१६,६०४.१०
५--मजदूरी	३५,७७९.१९
कुल योग ..	२,२६,९४२.८१

तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती के कतिपय ग्रामों में अवैध बूचड़खाने

२४--श्री चन्द्र शेखर सिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिला के तहसील डुमरियागंज के ग्राम जगजौआ, हल्लौर, मासदरगाह तथा बयारा में वर्ष १९७३-७४ में बूचड़खाने बनाये गये हैं ?

और क्या यह सही है कि उपरोक्त ग्रामों में बूचड़खाने बन जाने से शान्ति एवं व्यवस्था के लिये संकट की दशा उत्पन्न हो गई है ? उक्त बूचड़खाने बन्द करने के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

कोई बूचड़खाना वैध रूप से नहीं बनाया गया है अतएव प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

जिला बाराबंकी में जैदपुर-सिद्धौर सड़क का निर्माण

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जनपद की निर्माणाधीन सड़क जदपुर से सिद्धौर का निर्माण-कार्य कब तक पूरा होगा ? इस समय उक्त मार्ग पर किस स्तर पर कार्य हो रहा है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

बाराबंकी जनपद में जैदपुर से सिद्धौर सड़क का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है।

नियन्त्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, लखनऊ को आर० बी० ओ० ऐक्ट की धारा ८-बी के अन्तर्गत दिये गये कम्पाउन्ड करने के अधिकार के सम्बन्ध में याचिका

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

मैं, नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, लखनऊ को आर० बी० ओ० ऐक्ट की धारा ८-बी के अन्तर्गत दिये गये कम्पाउन्ड करने के अधिकार को नियत प्राधिकारी को सुपुर्द किये जाने के संबंध में श्री हनुमान सिंह, विधान मंडल, भारतीय क्रांतिदल कार्यालय, विधान भवन, द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

दैनिक समाचार-पत्र 'नेशनल हेराल्ड' के सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने दी थी कि समाचार-पत्र में जनसंघ छप गया है पर वहां पर होना चाहिये था भारतीय क्रांति दल।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर इस बारे में.....

श्री अध्यक्ष--

इसको मैं पढ़े देता हूं।

माननीय सदस्य, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी एवं श्री तीरथ राम कोहली द्वारा दिनांक ३१-७-७४ को दैनिक समाचार-पत्र 'नेशनल हेराल्ड' के सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की यह सूचना दी गयी कि उक्त पत्र ने अपने २६ जुलाई, १९७४ के अंश में यह प्रकाशित किया है कि श्री रामपाल सिंह यादव द्वारा सदन में रामायण के पृष्ठ फाड़े जाने का प्रश्न अपराह्न में दुबारा उठाये जाने के उपरान्त एक जनसंघ के सदस्य ने तुलसी जयंती के उत्सव के

लिये प्राप्त निमंत्रण पत्र को फाड़ा। क्या आपत्ति की यह शोरगुल में सुनायी नहीं पड़ सका। माननीय सदस्यों की आपत्ति जिन शब्दों पर है, वह अंग्रेजी में निम्नलिखित है :—

"A Jan Sangh member later tore an invitation card of a Tulsi Jayanti function. What he objected to was not heard in the din."

यह नेशनल हेराल्ड में छपा है।

माननीय सदस्यों का कहना है कि इस समाचार को देखने से जनसंघ के प्रशंसकों एवं सदस्यों के मन में जनसंघ की प्रतिष्ठा गिरी है। इसकी पुष्टि में उन्होंने मोहमती के कुछ निवासियों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र भी अपनी सूचना के साथ संलग्न किया है। जिसमें वहां के निवासियों ने श्री गंगाभक्त सिंह से, संबंधित सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

दिनांक २५ जुलाई, १९७४ के कार्यवृत्त तथा कार्यवाही को देखने से यह स्पष्ट है कि माननीय सदस्य श्री एदल सिंह एक कार्ड जो वे अपने हाथ में लिये थे, सदन में यह कहते हुये फाड़कर फेंक दिया कि यहां ठाठ से तुलसी जयंती मनायी जा रही है, जिसे मैंने उसी समय अत्यन्त अशोभनीय व्यवहार कहा। श्री एदल सिंह जनसंघ सदस्य नहीं हैं अपितु भारतीय क्रांतिदल के सदस्य हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रमवश या असावधनता से दल के नाम में उक्त समाचार-पत्र द्वारा यह गलती हो गयी है न कि जानबूझ कर क्योंकि समाचार-पत्र को ऐसा करने में क्या हानि-लाभ या प्रयोजन हो सकता है। फिर भी मैं उक्त समाचार-पत्र के सम्पादक से यह कहूंगा कि वे अपने समाचार-पत्र में प्रकाशित करके इसे शुद्ध कर दें।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

यहां पर माननीय एदल सिंह नहीं हैं और न मुझे इस तरह की जानकारी है। अगर होते तो हो जाती।

श्री अध्यक्ष—

वह कार्यवाही का हिस्सा हमने मंगा कर देखा है। हमारे सामने है। लेकिन वह बात जो छप गयी है वह भ्रमवश, गलती से छप गयी है। वहां भारतीय क्रांतिदल होना चाहिये था, लेकिन छप गया है, जनसंघ। भ्रम हो गया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, इस तरफ़ आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मान्यवर, हमारा नाम आ गया है कि हमने फाड़ कर फ़ेंक दिया। इसकी मुझे आपत्ति है।

श्री राम सेवक यादव—

मान्यवर, मुझे आपत्ति है कि श्री एदल सिंह यहां पर नहीं हैं। यह जो प्रश्न उठ रहा है, जहां तक एदल सिंह का सवाल है, अगर वह यहां पर होते .....

श्री अध्यक्ष—

यह तो कार्यवाही में है।

श्री राम सेवक यादव—

मान्यवर, हम लोगों के पास कार्यवाही नहीं पहुंची है और श्री एदल सिंह के पास पहुंची कि नहीं, मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मेरे दल को रेप्रेजेन्ट किया गया है। इससे मुझे जो ठेस लगी है उसको मैं कह नहीं सकता हूं। मैं भी कुछ कहता परन्तु उल्टे हमारे ऊपर हो गया कि हमने फाड़ कर फेंका है।

श्री मोतीलाल देहलवी द्वारा 'स्वतन्त्र भारत' समाचार-पत्र के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब दूसरा है जिसमें श्री मोतीलाल देहलवी ने नियम ६३ के अन्तर्गत विशेषाधिकार की अवहेलना एवं अवमान के प्रश्न की सूचना दी है। उनका कहना है कि ३१ जुलाई, १९७४ के हिन्दी समाचार पत्र "स्वतंत्र भारत" ने "दंडित विधायक को क्षमा दान" नामक शीर्षक के अन्तर्गत भ्रामक एवं वास्तविकता के विपरीत एक समाचार छापा है। उक्त समाचार में उनका नाम छापा गया है और ये शब्द छापे गये हैं कि, "यदि मेरे निर्देश का पालन कर सदन से बाहर चले जाते हैं, तो उन्हें माफ कर दिया जायेगा", तथा "अध्यक्ष ने उसके बाद उन्हें क्षमा कर दिया"।

उक्त सूचना में माननीय श्री मोती लाल देहलवी ने किसके विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना तथा अवमान का प्रश्न उठाया है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त यह सूचना उन्होंने विलम्ब से भी दी है। पूर्व निर्णयों के अनुसार विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना घटना के दूसरे दिन तक दे देनी चाहिये। उक्त सूचना माननीय श्री देहलवी को ३१ जुलाई, १९७४ को ही दे देनी चाहिये थी।

मैंने ३० जुलाई, १९७४ की कार्यवाही देखी। माननीय श्री मोतीलाल देहलवी जब जीवन उपयोगी अनिवार्य वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों से संबंधित अपने कार्य स्थगन के प्रस्ताव की सूचना को पढ़ने के लिये मेरी आज्ञा के बिना सदन में बोलते रहे तो मैंने उनको रोका और यह कहा कि नियम ५२ के अन्तर्गत उक्त विषय पर चर्चा स्वीकृत हो चुकी है तथा उसमें उनका नाम भी जोड़ दिया जायगा। इसलिये उन्हें कार्य-स्थगन का प्रस्ताव पढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उनके व्यवहार की ओर मैंने भारतीय क्रांति दल के नेता का ध्यान भी आकृष्ट किया। श्री देहलवी के पुनः बोलते रहने पर मैंने यह कहा था कि उनकी कोई बात लिखी नही जायेगी तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी। फिर भी जब श्री देहलवी ने स्थान ग्रहण नहीं किया तो मैंने उन्हें दिन भर के लिये सदन से निकालने क आदेश दिया और यह कहा था कि यदि वे डेढ़ बजे तक सदन छोड़कर नहीं जाते हैं तो उसके बाद अन्यथा कार्यवाही की जायगी। बाद में श्री राम सेवक यादव ने श्री देहलवी के व्यवहार से जो कष्ट हुआ उसके लिये अफसोस जाहिर किया। उसके पश्चात् जब श्री देहलवी डेढ़ बजे से पूर्व सदन से बाहर चले गये तब मैंने उनके दिन भर के लिये निकाले जाने के आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें सदन में आकर बैठने की अनुमति दे दी थी।

उपर्युक्त कारणों से मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं क्योंकि सूचना में किसी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नही उठाया गया है और साथ ही सूचना विलम्ब से भी दी गयी है तथा जो सूचना समाचार पत्र में छपी है, वह सदन में हुई कार्यवाही के अनुरूप है।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मैंने आग्रह किया था कि लोक सभा की रूलिंग को सुन लें और तब व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है जिसकी व्यवस्था दी जाय। दूसरा हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में यदि आपको कुछ कहना है तो कहें और इसको हम स्वीकार नहीं करते। मैं पहले पढ़ दूं :

कार्यवाही से किसी सदस्य की बातों के निकालने के अध्यक्ष के अधिकार के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य श्री मोतीलाल देहलवी ने दिनांक २६ जुलाई, १९७४ को कार्यवाही से कहे गय शब्दों को निकाले जाने के अध्यक्ष के अधिकार के सम्बन्ध में एक मौलिक प्रश्न उठाया था। उनका यह कहना है कि इस प्रकार कार्यवाही में से किसी सदस्य के कथन को निकालने से उस सदस्य के अधिकार का हनन होता है तथा इससे जनता भी यह समझने से वंचित रह जाती है कि इस सदस्य ने क्या आचरण किया। मैंने उस दिन इस संबंध में अपना निर्णय बाद में देने को कहा था।

माननीय सदस्य ने इस प्रश्न पर निर्णय देने के लिये मुझे ३१ जुलाई, १९७४ को एक पत्र द्वारा स्मरण कराया और साथ ही उसी दिन सदन में भी इस संबंध में आग्रह किया। मैंने ६ अगस्त, १९७४ को अपना निर्णय देने को कहा था। इस सम्बन्ध मे यह प्रश्न उठते हैं कि:--

(१) क्या किसी सदस्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह बिना अध्यक्ष की अनुमति के सदन में बोले और इस प्रकार अध्यक्ष की अनुमति से बोलने वाले किसी दूसरे सदस्य के भाषण या सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करे?

(२) क्या इस प्रकार बिना अनुमति के नियम विरुद्ध बोलने वाले सदस्य का भाषण कार्यवाही का अंग बन सकता है और क्या अध्यक्ष को नियमों और निर्णयों द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही से किसी सदय के भाषण को निकालने अधिकार है या नहीं? और यदि है तो किस परिस्थिति में?

(३) यदि कोई सदस्य अध्यक्ष की बिना अनुज्ञा के बोलता है और इस प्रकार अध्यक्ष द्वारा अनुज्ञापित किसी दूसरे सदस्य के भाषण में अवरोध डालता है तथा सदन में अव्यवस्था पैदा करता है तो इस सम्बन्ध में क्या अन्य कार्यवाही की जा सकती है?

इन प्रश्नों के उत्तर में ही माननीय सदस्य श्री देहलवी द्वारा उठायी गयी आपत्ति का हल निहित है।

संविधान के अन्तर्गत इस सदन के सदस्यों को वाक् स्वातंत्र्य का अधिकार केवल अनुच्छेद १९४ के खंड (१) में दिया हुआ है परन्तु यह अधिकार भी सीमित है और इस अधिकार पर यह निर्बन्धन है कि उसका प्रयोग संविधान के उपबन्धों के तथा सदन की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों एवं स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए ही किया जा सकेगा। संविधान में ही अनुच्छेद २११ में किसी विधान मंडल में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य पालन में किये गये आचरण के विषय में कोई चर्चा किये जाने पर प्रतिशेध है। इसी प्रकार अनुच्छेद २०८ के अन्तर्गत बनायी गयी इस सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के विभिन्न नियमों में आक्षेपात्मक मानहानिकारक कथनों आदि पर प्रतिशेध है। उसमें इस बात की भी व्यवस्था है कि सदस्य किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण आदि के समक्ष किसी मामले के सम्बन्ध में सदन में चर्चा नहीं कर सकते।

[श्री अध्यक्ष]

नियम २८६ में सदस्यों द्वारा पालनीय नियम का उल्लेख है जिसमें यह भी है कि जब सदन का उपवेशन हो रहा हो तो कोई सदस्य किसी सदस्य के भाषण करते समय उसमें अव्यवस्थित बात या शोर या अन्य किसी अव्यवस्थित रीति से बाधा नहीं डालेंगे तथा कार्यवाही में रुकावट नहीं डालेंगे, चित्कार नहीं करेंगे या बाधा नहीं डालेंगे और जब सदन में भाषण दिये जा रहे हैं तो साथ-साथ उनकी टीका नहीं करेंगे । नियम २८७ के अनुसार जब कोई सदस्य बोलने के लिए खड़े हों तो अध्यक्ष उनका नाम पुकारेंगे और यदि एक ही समय पर एक से अधिक सदस्य खड़े हों जायं तो जिस सदस्य का नाम पुकारा जायगा उन्हीं को बोलने का अधिकार होगा । इसी प्रकार नियम २९१ में भाषण में संदिग्ध बात करने या पुनरावृत्ति करने पर सभा का ध्यान दिलाने के उपरान्त अध्यक्ष सदस्य को अपना भाषण बन्द करने के निदेश दे सकते हैं । नियम ३०४ में शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकालने का अधिकार अध्यक्ष को दिया गया है । उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि सदस्यों का सदन में वाक स्वातंत्र्य का अधिकार अप्रतिबंधित एवं असीमित नहीं है । दूसरे शब्दों में जैसा कि कौल व शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" के पृष्ठ २०१ पर एनसन की पुस्तक "पार्लियामेन्ट" का हवाला देते हुए कहा गया है कि संसद में बोलने और कार्य करने पर कोई आपत्ति या प्रतिबन्ध नहीं है, लेकिन बाहरी प्रभाव या हस्तक्षेप से स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं है कि सभा में बोलने की स्वतंत्रता अबाध तथा बिना किसी अवरोध के है । उसी पुस्तक के पृष्ठ २०३ पर एम० एस० एम० शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए यह भी लिखा है कि कोई सदस्य अपनी किसी बात या भाषण के सम्बन्ध में सभा के अनुशासन के ही अधीन है ।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि इस सदन में कोई सदस्य यदि बिना अध्यक्ष की अनुमति के बोलता है और दूसरे सदस्य के भाषण में तथा सदन की कार्यवाही में इस प्रकार रुकावट डालता है तो वह सदन के अनुशासन के खिलाफ कार्य करता है और इसलिये वह उक्त अनुच्छेद १९४ के खंड (१) में प्रदत्त वाक् स्वातंत्र्य के विपरीत कार्य करता है।

इससे पूर्व मैं विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ३०४ का उल्लेख कर चुका हूं जिसमें अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि यदि उसकी राय हो कि सदन में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किये गये हैं जो मानहानि कारक या अशिष्ट या अभद्र हैं तो वह स्वविवेक से आदेश, दे सकेंगे कि ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सदन की कार्यवाही में से निकाल दिये जायें । इसी सदन के अध्यक्ष पद से दिये गये निर्णयों के संहित संकलन (अप्रैल, १९५२ से २२ दिसम्बर, १९६७ तक) के पृष्ठ ९१ पर निर्णय संख्या २ में २७ अप्रैल, १९६५ को श्री काशीनाथ मिश्र द्वारा अध्यक्ष की अनुमति के विरुद्ध बोलते रहने पर अध्यक्ष द्वारा उनके भाषण के उस अंश को कार्यवाही से निकालने की आज्ञा पर आपत्ति किये जाने पर अध्यक्ष ने यह निर्णय दिया कि:—

> "आपको कोई अधिकार नहीं है मुझसे इस प्रकार पूछने का, आप नियम देखिये । कोई सदस्य बिना अध्यक्ष की अनुज्ञा के इस सदन में नहीं बोल सकता और यदि कोई बोलता है तो वह अनधिकृत बोलता है और वह अभिलेख में नहीं आ सकता ।"

उक्त संकलन के पृष्ठ २४९ पर निर्णय संख्या ५२ में १६ दिसम्बर, १९६३ को श्री नेकराम शर्मा द्वारा उठाये गये इस व्यवस्था के प्रश्न पर कि:—

> "श्रीमन्, रोजमर्रा सदन में यह आपकी आदत सी पड़ गयी है कि जो आदरणीय सदस्य कुछ कहे उसको आप एक्सपंज करा देते हैं. . . माननीय सदस्यों को अधिकार है हर वस्तु कहने का और आप हर वस्तु को एक्सपंज नहीं करा सकते, यह आपको अधिकार नहीं है । "

श्री अध्यक्ष ने यह निर्णय दिया था कि:

"यह बात गलत है कि मैं एक्सपंज कर रहा हूं। अगर कोई माननीय सदस्य बगैर मेरी आज्ञा के बोलते हैं तो यह अनियमित है और जितनी भी बात वह कहेंगे वह रिकार्ड में नहीं आ सकती इस वास्ते कि वह बगैर मेरी आज्ञा के बोलते हैं। बगैर इजाजत लिये माननीय सदस्य बोलेंगे तो बिल्कुल अनियमित है और जो अनियमित है वह रिकार्ड में नहीं आना चाहिये।"

उक्त पृष्ठ २४९ पर ही निर्णय संख्या ५३ में १७ मार्च, १९६४ को भाषण के आपत्तिजनक अंश को कार्यवाही में रिकार्ड न किये जाने के श्री अध्यक्ष की आज्ञा के ऊपर श्री टम्बेश्वर प्रसाद तथा श्री काशीनाथ मिश्र द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्नों पर निर्णय देते समय श्री अध्यक्ष ने कहा कि :—

"वे सब बातें जो अनुचित रूप से यहां कही जा रही हैं, वह रिकार्ड से निकाल दी जायेंगी। कायदा यह है कि इस सदन में एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा, अगर १९५२ से १९६२ तक के अध्यक्ष पद से दिये गये निर्णयों के संकलन देखें, तो उसमें आपको मिलेगा कि अगर कोई माननीय सदस्य खड़ा हो और कोई प्रश्न उठाये तो जब तक वह बोलते रहें और मैं उनकी बात को मान लूं कि ठीक बोल रहे हैं तो वह कार्यवाही के अनुसार होगा। अगर मैं इस परिणाम पर पहुंचूं कि यह गलत तरीके से बात कर रहे हैं तो मैं आदेश दे सकता हूं कि यह कार्यवाही का अंश न हो।"

कौल और शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" के अंग्रेजी संस्करण के पृष्ठ ८५२ पर भी अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार बिना आज्ञा के बोलने वाले सदस्यों के भाषण को कार्यवाही से निकाल देने के अधिकार का उल्लेख इस प्रकार है—(इसे मैं केवल हिन्दी में पढ़ देता हूं, अंग्रेजी में नहीं):—

(यदि कोई सदस्य बिना पुकारे जाने पर और अध्यक्ष के मना करने पर भी बोलना जारी रखता है तो अध्यक्ष उसके भाषण को कार्यवाही से निकाल देने के आदेश दे सकते हैं। इसी प्रकार यदि कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य या मन्त्री के भाषण में व्यवधान जारी रखता है तो अध्यक्ष यह निर्देश दे सकते हैं कि उसके द्वारा किया गया व्यवधान लिखित न किया जाय।)

इस प्रकार संसद में और इस सदन में ऐसे सदस्यों के भाषण को जो बिना अध्यक्ष की अनुमति के बोलते हैं या किसी सदस्य के भाषण के बीच व्यवधान उपस्थित करते हैं, संविधान एवं नियम के विपरीत होने के कारण ऐसे सदस्य का भाषण कार्यवाही का अंग ही नहीं होता और उसे कार्यवाही से निकाल देने का अधिकार अध्यक्ष को प्राप्त है। उक्त पुस्तक के पृष्ठ ८५१ पर दी गयी पाद टिप्पणी (ए) के अनुसार, जिसकी पुष्टि 'मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस' के 18वें संस्करण के पृष्ठ ४२८–४२९ से भी होती है, हाउस आफ कामन्स में यह प्रैक्टिस है कि कार्यवाहियों से अंशों को सामान्यतः निकालने से बचा जाता है परन्तु वहां अध्यक्ष इस बात पर जोर देते हैं कि जो भी आपत्तिजनक अंश हैं, वे वापस लिये जायं और यदि वापस नहीं लिया जाता है तो उसे 'घोर अव्यवस्थित आचरण' माना जाता है और तदनुसार सदस्यों को निष्कासन के दण्ड से दण्डित किया जाता है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि जहां हाउस आफ कामन्स के विशेषाधिकार, शक्तियां एवं अन्मुक्तियां इस देश की संसद, एवं विधान मण्डलों को प्राप्त हैं, वहीं अपनी प्रक्रिया निर्धारण के लिये इस देश की संसद एवं विधान मण्डल पूर्णरूपेण स्वतंत्र हैं और इसलिये यहां दण्ड देने की प्रक्रिया न अपना करके इस सम्बन्ध में यह प्रक्रिया अपनायी गयी है कि ऐसे सदस्यों के भाषणों को कार्यवाही का अंश न बनने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष]

जैसा कि मैंने २६ जुलाई, १९७४ को श्री देहलवी द्वारा आपत्ति उठाये जाने पर कहा था, व्यक्तिगत रूप से मैं कार्यवाही से किसी अंश को निकालने के विरुद्ध हूं परन्तु मैं नियमों एवं अपने पूर्ववर्ती अध्यक्षों तथा लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णयों से बंधा हुआ हूं। साथ ही, जहा किसी एक सदस्य को सदन में भाषण करने या अपनी बात रखने का अधिकार है, वहीं दूसरे सदस्यों को भी उसी प्रकार सदन में भाषण करने या अपनी बात रखने की स्वतंत्रता तथा अधिकार है और यदि कोई सदस्य जो अध्यक्ष की अनुमति से बोल रहा है तो दूसरे सदस्य द्वारा बिना अनुमति के बोलना और उसके भाषण में व्यवधान करना उस दूसरे सदस्य के वाक् स्वातंत्र्य का हनन है। ऐसी स्थिति में मेरा यह कर्तव्य हो जाता है कि इस प्रकार अनुशासनबद्ध और नियमानुसार मेरी अनुमति से बोलने वाले ऐसे सदस्य के अधिकारों की रक्षा करूं। इसका उपाय यह है कि जो दूसरा सदस्य इस प्रकार व्यवधान करता है या बिना अनुमति के बोलता है और मेरे द्वारा बार-बार टोके जाने या आग्रह करने पर भी अपना भाषण या व्यवधान जारी रखता है, उसके विरुद्ध निष्कासन की कार्यवाही करूं अथवा उसके भाषण को कार्यवाही का अंग न बनने दूं। इस देश की लोक सभा एवं इस सदन में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार निष्कासन के कठिन दण्ड के बजाय सामान्यतः दूसरा विकल्प समीचीन समझा गया है जब तक कि सदस्य का व्यवहार ऐसा घोर अव्यवस्थापूर्ण न हो जाय कि अग्रेतर कार्यवाही आवश्यक समझी जाय।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि किसी सदस्य का यह अधिकार नहीं है कि वह बिना अध्यक्ष की अनुमति से सदन में बोले या दूसरे सदस्य के भाषण या सदन का कार्यवाही में व्यधान उत्पन्न करे। ऐसे सदस्य का भाषण, जो बार-बार मना करने या टोके जाने पर भी इस प्रकार बिना अनुमति बोलता है और सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करता है, वह संवधान के व नियमों के विरुद्ध होने के कारण कार्यवाही का भाग ही नहीं होता और पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार है कि वह उसके भाषण को सदन की कार्यवाही का अंग न बनने देने के लिये कार्यवाही से निकाल देने का आदेश दे। विकल्प में पीठासीन अधिकारी ऐसे सदस्य को सदन से बाहर जाने या निष्कासन के दण्ड से दण्डित करने की कार्यवाही कर सकता है। अतएव, मैं श्री देहलवी द्वारा उठायी गयी आपत्ति को अस्वीकार करता हूं।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मेरी भी तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

निर्णय देने के बाद नहीं सुनता। अगर कुछ कहना है तो लिखकर दें। आज इस पर बहुत हो गया। अब हम आगे चलते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मान्यवर, आपने जो पढ़ा है, उसमें एक बात यह भी जोड़ दें--मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहिं विरंचि सम।

श्री अध्यक्ष--

मैं नहीं जोड़ूंगा। आप मेरे सलाहकार नहीं हैं।

श्री मोती लाल देहलवी--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

मैं उसे अव्यवस्थित करार देता हूं।

श्री मोती लाल देहलवी—

आप अव्यवस्थित करार दे रहे हैं और सुनना नहीं चाहते तो मैं इसके विरोध में में ५ मिनट के लिये वहिर्गमन करता हूं।

(श्री मोती लाल देहलवी सदन त्याग कर चले गये।)

ग्राम कालाकांकर, थाना संग्रामगढ़, जिला प्रतापगढ़ में श्री जगन्नाथ एवं श्री तेजी लाल की गोली मार कर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ३०-६-७४ को सुबह ग्राम कालाकांकर जिला प्रतापगढ़ में दो दलों के बीच झगड़े व मारपीट की एक घटना हुई जिसमें एक दल की ओर से चलाई गई गोलियों से दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति जगन्नाथ तथा एक अन्य व्यक्ति तेजी लाल की मृत्यु हो गई। इस सम्बन्ध में पुलिस के रिकार्ड के अनुसार मृत व्यक्तियों के पक्ष के श्री मूल चन्द की सूचना पर अपराध संख्या ७५ के अन्तर्गत धारा १४७/१४८/१४९/३२३/३०७/३०२ भारतीय दण्ड विधान तथा विपक्ष के श्री विनोद कुमार की रिपोर्ट पर अपराध संख्या ७५-ए के अन्तर्गत धारा १४७/१४८/१४९/३०७/३२३ भारतीय दण्ड विधान थाना संग्रामगढ़ जिला प्रतापगढ़ में दिनांक ३०-६-७४ को ही कायम किये गए।

थानाध्यक्ष ने श्री मूलचन्द की रिपोर्ट लिखने के तुरन्त बाद उनका बयान धारा १८१ जाब्ता फौजदारी में अंकित किया जिसमें उन्होंने अपनी ओर से लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट का पूर्ण रूप से समर्थन नहीं किया। उनकी रिपोर्ट पर दर्ज मुकदमें के तीन नामांकित अभियुक्तों को पुलिस ने उसी दिन गिरफ्तार कर लिया तथा शेष आठ नामजद अभियुक्तों ने बाद में न्यायालय में आत्म-समर्पण किया जिनमें से एक के अतिरिक्त सब न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिये गये हैं। अपराध संख्या ७५-ए जो विनोद की रिपोर्ट पर कायम हुआ, में ११ में से 8 नामजद अभियुक्त गिरफ्तार किये गये किन्तु बाद में ये धारा १६९ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत रिहा कर दिये गए।

उपरोक्त घटना की सूचना मिलने पर जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक उसी दिन तुरन्त घटना स्थल पर पहुंचे जहां जन-साधारण ने उनसे थानाध्यक्ष की ढिलाई और दुर्व्यवहार की शिकायतें कीं। अतः थानाध्यक्ष को तुरन्त निलम्बित करके पुलिस लाइन में स्थानान्तरित कर दिया गया और उनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जायगी।

इस मामले के सम्बन्ध में थानाध्यक्ष के विरुद्ध श्री मूलचन्द ने एक शिकायती पत्र दिनांक ५-७-७४, पुलिस अधीक्षक को दिया था इस शिकायती-पत्र और थानाध्यक्ष द्वारा धारा १६१ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत लिये गए मूलचन्द के बयान में घटना के तथ्यों के वर्णन में कोई अन्तर नहीं है। विपक्षियों की ओर से भी शासन को इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि ऊपरी दबाव के कारण पुलिस ने उनके मुकदमें में कार्यवाही नहीं की। अतः शासन ने उपरोक्त दोनों मुकदमों और पुलिस के आचरण की अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच कराये जाने हेतु आदेश दे दिये हैं।

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)—

यह जो मुंसिफ का आर्डर हुआ है वह अंग्रेजी में है उसे मैं आपकी इजाजत से पढ़ देना चाहता हूं :—

श्री अध्यक्ष—

उसका सारांश बतला दें।

श्री नियाज हसन खां—

पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ दूं :—

"Heard the learned counsel for the applicants and the report A. P. P. and other documents on record. The incident is alleged to have taken place on June 30, 1974. The parties lodged the F. I. R."

मैं यह पूछना चाहता हूं कि कब्ल इसके कि और पढ़ूं कई एफ० आई० आर० लिखाई गयी। पहला प्रश्न यह है कि दो एफ० आई० आर० लिखाई गयी थी, उनमें से एक बदली गयी ? फिर तीसरी लिखाई गयी, तो यह सही है या नहीं ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार दो रिपोर्ट्स लिखाई गईं। एक रिपोर्ट मूलचन्द ने लिखाई जिसकी तरफ के दो आदमी मर चुके हैं और दूसरी विनोद कुमार ने लिखाई। इस तरह से दो रिपोर्ट लिखाई गयीं।

*श्री नियाज हसन खां—

Regarding the incident which was registered as crime No. 75 of 74 and 75-A of 74, the reasons best known to the prosecution report under section 169 Cr. P. C., was submitted by police station Sangramgarh while the other case of crime No. 75/74 is still pending. The accused persons were also got released by the police on July 4, 1974. No papers excepting report under section 169 Cr. P. C., have yet been sent to court this facts clearly goes to show that the inclination of the investigating agency for the complainant in the present case. The perusal of the injury report and the post-mortem report of Jagannath and Tejilal show that they received gun shot injuries. Both the parties have received lathi injuries as admitted in the F. I. R. dated June 30, 1974, lodged at about 9.45 a.m. The accused persons also lodged F. I. R. same day at 10.10 a.m. From

दोनों तरफ से एफ० आई० आर० लिखाई गई।

the perusal and close scrutiny of the evidence on record find that no *prima facie* under section 302/307 I. P. C., is made out against the accused persons, except Balram. Admittedly the decreased died of the gun shot fired by the accused Balram. The complainant Mool Chand has also admitted that some of them gave lathi blow to Mata Din father of the accused Balram. Since cross case were lodged by the parties and reports under section 169 Cr. P. C. have been submitted by police in cross case No. 75-A/74. *I find that there is something fishy in the matter.*

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस वाक्य की ओर ले जाना चाहता हूं कि मुंसिफ के इस फैसले के अनुसार आप यह जांच सी० आई० डी० के सुपुर्द कर देंगे ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम मंगल पांडेय---

सी० आई० डी० के पास तो है ही।

*श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)---

जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि मामला सी० आई० डी० को सुपुर्द कर दिया गया है, मैं केवल तथ्यों के बारे में उनसे जानकारी चाहता हूं कि ३०-६-७४ को ग्राम कालाकांकर में एक शादी थी और वहां बारात आयी हुई थी और उसके स्वागत के लिये एक द्वार बनाया गया था और उसमें एक कपड़ा लगाया हुआ था उसे तोड़कर और कपड़े को फाड़कर झगड़े की शुरुआत हुई और तब मामला आगे बढ़ गया ? क्या यह भी सही है कि कुछ लोग मंडप के अन्दर घुस आये और बाधा डाली तथा दूल्हे को भी घसीट दिया ?

श्री राज मंगल पांडेय---

मान्यवर, यह रिपोर्ट मूलचन्द की थी जिसकी तरफ के दो आदमी मारे गये।

श्री राम सेवक यादव---

क्या यह सत्य है कि जो ये जगन्नाथ थे ये अभियुक्त की गोली से मारे गये और जिनकी लाश सड़क पर पड़ी हुई मिली। मैं यह जानना चाहता हूं कि पहले एफ० आई० आर० किस पक्ष की ओर से की गई थी क्यों ऊपर आपने अपने बयान में कहा है कि १६१ में तुरन्त कलमबन्द की कार्यवाही की गई जिसमें दोनों में मतभेद था और अन्त में कहा गया कि दोनों में मतभेद नहीं है ? तो एफ० आई० आर० और १६१ का बयान पढ़कर क्या सुनाएंगे कि वह क्या है ?

श्री राजमंगल पांडेय---

मान्यवर, सदस्य जो कह रहे हैं उसके आधार पर थानेदार ने किया था, जब अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनको मालूम हुआ कि दरोगा का रोल इस मामले में फेयर नहीं रहा है, दूसरे पक्ष के साथ ज्यादा हमदर्दी बरती है क्योंकि एक पक्ष के दो और दूसरे पक्ष के ११ में से ८ हुए। तो ऐसा समझकर कि उसका आचरण संदिग्ध रहा, उसको सस्पेंड किया गया और स्थानान्तरण कर दिया गया। इसलिए १६१ की रिपोर्ट में ट्रक का रोकना और घर के अन्दर घुसकर मारपीट करने से मालूम हुआ कि वह दूसरी पार्टी से ज्यादा इन्ट्रेस्ट ले रहे थे, जो विनोद-कुमार की पार्टी थी।

श्री रामसेवक यादव---

जब एस० डी० एम० और इंचार्ज को तो गोली दोनों तरफ से चलीं, तो क्या मौके पर गोलियों के निशान या उनके खोल वहां कहीं पाये गये हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय---

ये बातें तो इंक्वायरी के डिटेल की बातें हैं। इस सम्बन्ध में अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि यह बताऊं। यह बातें जांच के लिए अपराध अनुसन्धान विभाग को दी गई है, वे इसे पता लगाएंगे। माननीय सदस्य इसे स्वीकार करेंगे कि चौधरी साहब जैसे व्यक्ति ने ज्यों ही लिखा, इसकी इंक्वायरी सी० आई० डी० को दे दी जाए, उस केस को सी० आई० डी० को दे दिया गया, जिससे कहीं कोई यह न कह सके---

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामसेवक यादव—

एफ० आई० आर० पर जो जांच हुई, उसके बारे में बलराम के घर पर जांच करने जब गये, तो क्या वहां पर असलहा या इस्तेमाली कारतूस वगैरह भी बरामद हुए ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मेरे पास १६१ के बयान की नकल तो नहीं है, लेकिन यह भी नहीं है कि वहां पर कोई असलहा प्राप्त हुए। सी० आई० डी० जांच कर रही है, उसके बाद ही डिटेल में कुछ बता सकूंगा।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

११ आदमी नामजद दर्ज थे, उनमें से ८ आदमी अदालत में सरेंडर हुए, उनके खिलाफ ही रिपोर्ट लिखी गई। आप कहते हैं एस० पी० मौके पर गये, १७९ एस० पी० के दस्तखत से होता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्यों वह गये ?

श्री राजमंगल पांडेय—

एस० पी० जब मौके पर पहुंचे, उनको मालूम हुआ कि दरोगा का रोल एक पार्टी की तरफ ज्यादा झुका हुआ है और उन्होंने उसके कथन पर विश्वास नहीं किया। तो मैं उनकी पावर को तो नहीं कह सकता हूं, हम कैसे कह दें कि उन्होंने क्यों किया। उनके जो डिस्क्रियेशन में था, उन्होंने उचित समझा सो किया।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

माननीय मंत्री जी के जवाब से सम्बन्धित जैसा कि अभी बताया कि उन मजलूमों को पुलिस की तरफ से कोई हमदर्दी नहीं मिल सकी और पुलिस ने इस सिलसिले में कोई उनके साथ हमदर्दी नहीं की जिससे कि उन्हें जुल्म और ज्यादती का बदला मिल सकता, तो क्या मंत्री जी इस बात का यकीन दिलायेंगे तथा आइन्दा इस सिलसिले में कोई ऐसा कदम उठायेंगे ताकि मजलूमों के साथ जो ज्यादती हुई है, उसका बदला मिल सके ?

श्री राजमंगल पांडेय—

यह तो कानून की बात है, न्यायालय इसे देखेगा। मुकदमें कायम हो चुके हैं, सी० आई डी० को केस दिया जा चुका है। कानून सक्षम है, जो अपराधी हैं उन्हें उचित दण्ड दिया जाएगा। जो निर्णय होगा उस पर कार्यवाही होगी।

श्री रामस्वरूप भारतीय (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह गोली किस स्थान पर चली—मूलचन्द के मकान पर या विनोद कुमार के मकान पर ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मूलचन्द ने जो लिखा है उसको मैं पढ़ देता हूं—'निवेदन है कि मैं ग्राम कालाकांकर का निवासी हूं। मेरी बहन की शादी थी जिसमें मैं तथा मेरे भाई घर पर थे। दि० ३०-६-७४ को करीब ७ बजे सुबह उमेशचन्द, नि० कालाकांकर ट्रक लेकर बालू लादने गंगा नदी की तरफ जा रहा था उसकी गलती व लापरवाही से ट्रक बारात में स्वागत में लगाये हुए मेरे फाटक से टकरा गयी और फाटक टूट गया। मेरे भाई राजाराम ने कहा क्या अंधे होकर चला रहे हो इस पर उमेशचन्द गाड़ी से उतर कर भद्दी-भद्दी गालियां मेरे भाई को देने लगा और झगड़े पर उतारू हुआ। मेरा भाई लालजी वा राजाराम ने झगड़ा बचाने के लिए लाल साहब से जो करीब में ही थे अपने दरवाजे पर थे शिकायत किया।' लाल साहब वहां के प्रतिष्ठित आदमी हैं। बीच-बचाव करने के बाद ये लोग चले आये। आने के बाद गोली चलायी है।

श्री शारदा भक्त सिंह (जिला हरदोई)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या ७५-ए जिसमें १६९ लगायी गयी, और मैजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, उसमें स्वीकृति मिली या नहीं ?

श्री राजमंगल पांडेय---

इसकी जानकारी नहीं है कि मैजिस्ट्रेट ने स्वीकृति दिया या नहीं।

श्री रामस्वरूप भारतीय---

जो एफ० आई० आर० लिखायी है मूलचन्द ने उसमें यह भी है---'इस पर फिर हम लोग बाबू सुरेश प्रताप के पास गये तब फिर महर लोगों के साथ लाल सुरेश सिंह, मंगल कोरी, नाग जी, शंकर पासी, सतन उर्फ भंडारी व हम सब भी घर वाले, बलराम के घर पर गये, वहां गये तो बाहर बलराम, मातादीन उपरोक्त सभी मुलजिमान मिले और बातचीत होने लगी इसी पर गरमागरमी होने लगी कि मुझे पता नहीं कि मातादीन को उस भीड़ में किसने मारा कि इतने में बलराम अन्दर घुस कर अपनी बन्दूक लेकर कोठे पर चढ़ गया। इससे यह साबित होता है कि अपराध संख्या ७५ के मुलजिमान बलराम के घर पर चढ़ गये और उसके पिता को मारा। उसके पश्चात् गोली चलने की नौबत आयी। तो पुलिस अधीक्षक किस प्रकार इस नतीजे पर पहुंचे कि थाना इंचार्ज एक पक्ष का समर्थन कर रहा है ?

श्री राजमंगल पांडेय---

इसमें कई इंसीडेंट्स हैं। एक तो फाटक टूटने पर कहा सुनी हुई। फिर उसके घर पर झगड़ा हुआ। इसमें उसके पिता ने डंडा मार दिया। वे चले गये। फिर गोली चलायी गयी है। डंडा मारने से और गोली चलाने से कोई रिलेशन नहीं है।

लोक-लेखा समिति तथा प्रतिनिहित विधायन समिति में सहयुक्त सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु विधान परिषद् के सदस्यों को सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्ताव

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि चूंकि विधान सभा की लोक-लेखा समिति में और प्रतिनिहित विधायन समिति में प्रचलित प्रथा के अनुसार विधान परिषद् के क्रमशः ५ और ४ सदस्य सहयुक्त सदस्य के रूप में सम्मिलित किये जाते रहे हैं और इसके लिए सम्बन्धित समिति के सभापति द्वारा प्रत्येक वर्ष में प्रस्तुत प्रस्ताव के विधान सभा द्वारा पारित हो जाने पर विधान परिषद् से अनुरोध किया जाता है ;

और चूंकि उक्त प्रक्रिया में विगत कुछ वर्षों में कठिनाइयां आयी हैं व समितियों के गठन में विलम्ब हुआ है,

अतएव, विधान सभा यह निश्चय करती है कि विधान परिषद् यदि सहमत हो तो उक्त समितियों में उनके विधान सभा द्वारा गठित हो जाने के पश्चात् सहयुक्त सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में लोक-लेखा समिति की दशा में ५ सदस्य और प्रतिनिहित विधायन समिति की दशा में ४ सदस्य निर्वाचित करके भेज दिया करें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि "चूंकि विधान सभा की लोक-लेखा समिति में और प्रतिनिहित विधायन समिति में प्रचलित प्रथा के अनुसार विधान परिषद् के क्रमशः ५ और ४ सदस्य सहयुक्त सदस्य के रूप में सम्मिलित किये जाते रहे हैं और इसके लिए सम्बन्धित समिति के सभापति द्वारा प्रत्येक वर्ष में प्रस्तुत प्रस्ताव के विधान सभा द्वारा पारित हो जाने पर विधान परिषद् से अनुरोध किया जाता है और चूंकि उक्त प्रक्रिया में विगत कुछ वर्षों में कठिनाइयां आई हैं व समितियों के गठन में विलम्ब हुआ है;

अतएव, विधान सभा यह निश्चय करती है कि विधान परिषद् यदि सहमत हो तो उक्त समितियों में उनके विधान सभा द्वारा गठित हो जाने के पश्चात् सहयुक्त सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में लोक-लेखा समिति की दशा में ५ सदस्य और प्रतिनिहित विधायन समिति की दशा में 4 सदस्य निर्वाचित कर भेज दिया करें।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव बाढ़ के बारे में दिया है।

श्री अध्यक्ष—

यह तो परसों है। एक तो आपका है, एक श्री जनार्दन प्रसाद ओझा का है और एक श्री मधुकर दिघे का है।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अगर मंत्री जी होते तो मैं कुछ कहता। इस पर शीघ्र से शीघ्र चर्चा होनी चाहिये और 5/6 दिन के लिये सदन बन्द हो। ऐसी स्थिति अनेक वर्षों से उत्पन्न नहीं हुई है। यहां का प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज टोटली फेल हो गई हैं। उन्होंने बहुत खराब काम किया है। उनकी जितनी निन्दा की जाय वह कम है।

(व्यवधान तथा शोर)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

माननीय नेता जनसंघ का प्रस्ताव उपयुक्त है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

परसों 8 तारीख को बाढ़ के बारे में.... (व्यवधान तथा शोर)

(सदन में कई सदस्य एक साथ बोल रहे थे जिससे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था।)

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

आज शाम को सरकार की तरफ से बयान आना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

पूर्वी जिले में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि सदन का कार्य रोक कर उस पर विचार होना चाहिये।

(व्यवधान तथा शोर)

श्री ध्रुव नारायण सिंह (जिला गोरखपुर)—

इस पर अविलम्ब कार्यवाही होनी चाहिये। सिंचाई मंत्री अकेले जाकर क्या करेंगे। ५/६ दिन के लिये सदन बन्द होना चाहिये जिससे सब लोग अपने-अपने क्षेत्र में जाकर जनता की सेवा कर सकें।

(व्यवधान)

श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

बहुत से लोग तबाह हुये हैं और कई लोग मर गये हैं नैपाल की तराई में और एक भी कर्मचारी वहां नहीं गया है। सब कर्मचारी अपने-अपने घरों को भाग गये हैं।

(व्यवधान)

सदन एक सप्ताह के लिए स्थगित होय।

श्री अध्यक्ष—

आपके जवाब देवे खातिर मन्त्री जी खड़े भये। सुनत काहे न।

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)—

मान्यवर, यह बात सही है कि गोरखपुर में बाढ़ जोरों पर है....

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

देवरिया में भी है.....

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, देवरिया में भी है, लेकिन सही स्थिति यह है कि सरकार इस सम्बन्ध में सचेष्ट है। जिलाधिकारी, गोरखपुर को बुला कर कह दिया गया है कि राशन व पैसे आदि की व्यवस्था उचित रूप से की जाये और किसी भी समय रिलीफ वर्क में शिथिलता न आने पावे.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, आदमी वहां पर मर रहे हैं। यह मेरी जानकारी है.....

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र में गये थे?

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

वहां नाव तक का इन्तजाम नहीं है...

श्री हरि केवल (जिला देवरिया—

मान्यवर,...

(व्यवधान)

श्री श्रीनारायण---

सरकार नाकाम है। सरकार कुर्सी छोड़ दे अब।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

कृपा कर इस सदन को एक सप्ताह के लिए स्थगित होना चाहिए।

श्री श्रीनारायण---

सदन बन्द होय और बाढ़ का इन्तजाम होय।

श्री हरि केवल---

आप सदन की कार्यवाही को रोकें।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर भाषण देने लगे।)

श्री अध्यक्ष---

तो ध्यानाकर्षण हो गया। सरकार का ध्यान आकृष्ट हो गया है।

श्री राम मूर्ति (जिला बरेली)---

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब कभी राप्ती और घाघरा का पानी मिलता है गोरखपुर में तो बड़ी भयानक स्थिति हो जाती है। पिछले जमाने में भी ऐसा होता रहा है। मंत्री जी स्वयं देवरिया के रहने वाले हैं, उनके पास हेलीकाप्टर है, तो मन्त्री जी खुद जाकर देखें। मान्यवर, पहले भी ऐसा हुआ करता था और ऐसी स्थिति में सदन २-४ दिन के लिए बन्द कर दिया जाता था। बजट भी पास हो गया है, अब कोई इतना इम्पार्टेन्ट काम सदन में नहीं है। ऐसे कठिन वक्त में लोगों की मदद, हम लोग अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर करें। मान्यवर, यह कोई नयी बात नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ करता था और सदन कुछ दिनों के लिए बन्द कर दिया जाता था।

श्री राज मंगल पाण्डेय---

मान्यवर, माननीय सदस्य ने वहां के लोगों की स्थिति की हालत के बारे में सुना नहीं होगा। हमारे दो मन्त्री आज वहां पर गए हुए हैं। माननीय सिंचाई मन्त्री और माननीय इस्तफा हुसैन वहां पर स्थिति की जानकारी करने के लिए गये हुए हैं। माननीय मुख्य मन्त्री ने सारे जिलाधिकारियों को बाढ़ के बारे में जहां-जहां पर बाढ़ के बारे में सूचना है, वहां के जिलाधिकारियों को आदेश दे दिये हैं कि बाढ़ के सम्बन्ध में वे कोई ढिलाई न करें। उन्होंने वहां के अधिकारियों को सचेष्ट कर दिया है कि यदि कोई अधिकारी बाढ़ के बारे में तनिक भी ढिलाई करेगा तो उसे बख्शा नहीं जायगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

मान्यवर, देवरिया जिले में किसी प्रकार की राहत कार्य की शुरुआत ही नहीं की गई है।

(अनेकों सदस्य एक साथ खड़े होकर अपना-अपना भाषण एक साथ देने लगे।)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

मान्यवर, १ अगस्त को खाद्य आयुक्त एवं खाद्य सचिव ने जो मोटे अन्न का आदेश भेजा है वह आदेश कहां पर पड़ा है ?

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलते रहे।)

कुछ सदस्य—

मान्यवर, देवरिया जिले में लोग अन्न से तबाह हैं और लोग वहां पर बाढ़ के कारण छप्पर पर बैठे हुए हैं और अधिकारी लोग वहां पर कुछ नहीं कर रहे हैं ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

श्रीमन्, वहां पर खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा छापे मारे गये और उन्होंने हजारों क्विन्टल गल्ला पकड़ा जबकि उस एरिया में उन्हें छापे नहीं मारने चाहिए थे, इससे वहां पर खाद्य की बड़ी विषम परिस्थिति पैदा हो गयी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

सदन के इधर के और उधर के दोनों ओर के माननीय सदस्यों की राय जाहिर हो गई है कि आप सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं . . .

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, आपने देख लिया है कि सदन के माननीय सदस्य कितने दुःखी हैं । अखबार में लिखा है कि वहां पर ३६० नावें भेजी गयीं लेकिन वहां पर ५ नावें भी उपलब्ध नहीं हैं । बन्ध तीन जगहों पर कट गये हैं । बोरा लिए हुए इन्जीनियर्स बैठे हुए हैं । यही स्थिति गोरखपुर और देवरिया की भी है । ऐसे अधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर माननीय मन्त्री जी इस प्रकार का बयान देते हैं । पहले भी जब कभी इस प्रकार की बाढ़ आयी है, ऐसा संकट आया है तो सदन स्थगित कर दिया जाता था । इसी प्रकार से अब भी ४–५ दिन के लिए सदन स्थगित कर सकते हैं ताकि हम लोग अपने-अपने क्षेत्र में जा सकें और कुछ सहायता पहुंचा सकें । यहां से जिलाधिकारियों के पास आदेश चले जाते हैं । आपके इन्जीनियरिंग विभाग और सिंचाई विभाग ने उन बन्धों को ठीक तरह से बनाया नहीं है, पहले से इन बन्धों की रक्षा के लिए कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है । हम लोग वहां पर जाकर खड़े रहते हैं । मुझे तकलीफ हुई है कि आज मैं अपने जिले को छोड़कर यहां आया हूं । आज सभी माननीय सदस्य चाहेंगे कि उन दुःखियों के हित में, आज यहां पर माननीय मुख्य मन्त्री जी उपस्थित नहीं हैं, अन्यथा उनसे आग्रह करते, पांडेय जी तो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, सदन को स्थगित कर दें कम से कम ५ दिन के लिए क्योंकि इससे बढ़कर और जरूरी कार्य यहां पर नहीं है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

श्रीमन्, वहां पर बंधे ही नहीं टूटे हैं, वहां की जनता के धीरज का बांध भी टूटा है ।

श्री गोपीनाथ कामेश्वर पुरी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, राप्ती पर पुल कट रहा है । पुल गिरने वाला है । उस पर कोई ठोकर वगैरह भी नहीं है । वह पुल बहने जा रहा है । बस्ती जिले की यह स्थिति है बाढ़ की । देवरिया और गोरखपुर की भी ऐसी ही होगी । मेरी भी प्रार्थना है कि सदन की बैठक कुछ दिन के लिए स्थगित कर दी जाय ।

श्री राज मंगल पांडेय—

४ तारीख को हमारे माननीय सदस्य और सारे उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर से सम्बन्धित और चीफ इन्जीनियर, इर्रीगेशन विभाग के सारे के सारे लोग एक-एक गांव में घूम-घूम कर आये, ४ तारीख को ४–३० बजे । मैं गोरखपर में शाम को ५ बजे तक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राज मंडल पाण्डे]

वहां रहा। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट दी। आज भी २ मन्त्री गोरखपुर गए हुए हैं। वे सारे वातावरण को देखने और सारी चीजों का पता लगाने के लिये गए हुए हैं....

*श्री मधुकर दिघे—

इन बांधों का जो आज तक का पुराना इतिहास है वह यह है कि १ या १ १/२ बांध टूटे हों लेकिन इस बार तो मलौनी, होवर्ट, रिंगबंड, महावापुर, बरही पाथ, अस्वनपार, तथा फरेन्दा तहसील एवं गोरी राप्ती के कई छोटे-छोटे कैंची बांध टूट गये हैं। कई बांधों में दरार पड़ गई है। शायद पानी गोरखपुर शहर के अन्दर भी घुस गया हो। जिलाधिकारी चाहे कितना भी प्रयत्न करें, वह रुक नहीं सकता है। पिछले २–३ वर्ष से वहां पर एक रत्ती भर भी काम नहीं हुआ है। जो रुपया आप रिलीफ के लिए बंटवा रहे हैं, वह पानी में बहा जा रहा है। यह एक विशेष स्थिति है जिसको आप तभी रोक पायेंगे जब कि खास तौर से आप पूरे के पूरे ड्रेनेज विभाग के अधिकारियों, सिंचाई विभाग के अधिकारियों, जिले के अधिकारियों और मन्त्रिमण्डल स्तर पर कोई युद्धस्तर पर, खास लोगों को ले जाकर स्वयं बैठ कर काम नहीं करवाते हैं तब तक आप गोरखपुर नगर और जिले को कतई नहीं बचा सकते हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में मोटे कपड़े, मोटे अन्न, मिट्टी के तेल, दवाइयों की सुविधा नहीं दी गई तो वह तबाह हो जायेंगे... (व्यवधान)

एक सदस्य—

(सरकारी पक्ष से)

सिंचाई विभाग की कोई व्यवस्था नहीं है....

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 में हम चर्चा दे सकते हैं। आप वही सब बातें कह रहे हैं, जो विरोधी पक्ष के हैं वह भी वही कह रहे हैं। उनमें और आप में जहां तक बाढ़ के विनाशकारी तथ्यों पका सम्बन्ध है, कोई फर्क नहीं है।.... (व्यवधान)

क्या ऐडजर्नमेंट मोशन स्वीकार कर लूं? आप चाहते हैं कि कार्य-स्थगन स्वीकार कर लूं? प्रश्न यह है कि आज जो नियम ५६ का है उसको देख लें। इसमें आपका काम रुक जाता है, सरकार का नहीं रुकता। ४ से ६ बजे तक काम है "प्रदेश की खाद्य स्थिति पर चर्चा" जो दो घन्टे की है। फिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वाला है। यह सब आपका ही काम है। माननीय राम सेवक यादव का है उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था जांच समिति की रिपोर्ट पर सम्बन्धित, तो ऐसी स्थिति में अगर आप चाहें तो ये काम आपके आड़े आयेंगे...

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

कल अव्वल वक्त में इसे ले लिया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---

आज ५१ का जब हो तो सरकार की तरफ से कोई संस्तुति, घोषणा हो जाय। जब कार्य-सूची १३ आयेगी तो सरकार, जो कुछ भी उसके पास सूचना है वह देगी और तब जो कुछ होगा---कल इस पर बहस हमें कराने में कोई एतराज नहीं है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)---

यह ऐडजर्नमेंट मोशन का मसला बहुत अहम है, इस पर काम रोक कर बहस कराइये।

श्री अध्यक्ष---

बर्क साहब की महत्ता है, मैं मानता हूं कि आज का विषय महत्वपूर्ण है---उसके बारे में कोई दो राय नहीं हैं। प्रश्न यह है कि ५६ आप चाहेंगे तो आपका ही काम रुक जाता है, आज तो आपका ही काम है। एक संकल्प है उनका ५ मिनट का। सरकारी काम नहीं है, नहीं तो दे दिया जाता। इसीलिये सभी अस्वीकार है।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)---

मेरा काशी विद्यापीठ का मामला है नियम ५६ का।

श्री अध्यक्ष---

नियम ५१ में दे दें आप।

उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था जांच समिति १९७२-७४ के प्रतिवेदन पर चर्चा

*श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)---

अध्यक्ष महोदय, यह जो भूमि-व्यवस्था जांच समिति का प्रतिवेदन १९७२-७३ का जो कि श्री मंगलदेव जी विशारद की अध्यक्षता में गठित हुई थी उसके बारे में कुछ चीजें रखना चाहता हूं। केन्द्र ने एक समिति बनायी थी जब श्री जवाहर लाल जी जीवित थे प्रो० महाल नोविस की और उनको सुपुर्द किया गया था कि वह पता लगायें कि जो राष्ट्रीय आय बढ़ी है वह कहां चली गयी। उस समिति ने बड़ा परिश्रम किया और अपने प्रतिवेदन में कहा कि देश में जो आय बढ़ी है उसका करीब-करीब दो-तिहाई जो देश के बड़े-बड़े पूंजीपति ७८-७९ की संख्या में हैं वह हड़प ले जाते हैं और बाकी देश की जनता के लिए सिर्फ एक-तिहाई बचता है। समिति का यह भी काम था कि वह सुझाये कि इस राष्ट्रीय आय का बंटवारा कैसे हो जिससे देश के सभी लोगों को उसमें हिस्सा मिल सके। लेकिन काफी समय बीत गया, स्वर्गीय प्रधान मन्त्री भी नहीं रहे और प्रोफेसर महालनोविस की वह रिपोर्ट कहां चली गई इसका कुछ पता नहीं। राष्ट्रीय आय में इस देश की जनता को कोई हिस्सा नहीं मिला। ठीक उसी तरह से भूमि-व्यवस्था जांच समिति का भी यह काम था कि वह यह पता लगाये कि जो जोत हदबन्दी कानून १९७२ बना है उससे जो अतिरिक्त जमीन मिलनी चाहिए, जो ग्राम-समाज और सरकार की भूमि थी वह हरिजनों को खासतौर से समाज के कमजोर वर्गों को मिली कि नहीं मिली और नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली। उनकी क्या-क्या दिक्कतें हैं, इसका पता लगायें। इसने भी अपना प्रतिवेदन दे दिया जिस पर आज सदन में आपके जरिये मैं अपनी बात रख रहा हूं।

मुझे डर है माननीय अध्यक्ष महोदय, और डर क्या पूरा विश्वास है कि जो हस्र प्रोफेसर महालनोविस प्रतिवेदन का हुआ है वही हस्र इस प्रतिवेदन का भी होने जा रहा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम सेवक यादव[

है, इस पर कोई अमल वगैरह होने का नहीं। हां, एक चर्चा सुनी और वह यह है कि जैसे जमीन का पता लगाने का काम था माननीय मंगल देव विशारद कमेटी का, अब कोई दूसरे विशारद आने वाले हैं जमीन का बंटवारा करने। यह एक धन्धा है चलने वाला, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैंने अपना डर पहले ही निवेदन कर दिया और मैं साफ कह दूं कि मैं उन व्यक्तियों में से हूं कि जो चाहते हैं कि सचमुच कमजोर वर्ग को जमीन मिले। लेकिन हमारा इस सरकार पर आरोप है कि यह सरकार जमीन नहीं देना चाहती। यह बराबर आशा बंधाये हुए है कि हरिजनों को जमीन मिलेगी और बेचारे हरिजन मुंह खोले हुए हैं कि स्वाती का बूंद कब टपके लेकिन यह स्वाती का बूंद टपकने वाला नहीं है। यह अगर इधर और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों के दिमाग में बैठ जाये तो शायद कोई दूसरा रास्ता निकाला जा सकता है।

मैं इस सिलसिले में जो आज जमीन की स्थिति है उसके बारे में कह देना चाहता हूं कि पहली बात तो यह कि ८० प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है जिसमें से ७५ फीसदी लोग खेती पर निर्भर हैं। लेकिन जमीन कौन दबाये है इसे समझ लीजिये। आमतौर से यह धारणा है कि जो भी खेती करने वाला है सभी जमीन दबाये हैं। लेकिन अगर आप जमीन की वस्तुस्थिति को देखेंगे तो पता चलेगा कि जो जमीन दबाये हुए हैं वह कुछ थोड़े से लोग हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आपके सामने आंकड़े रखूं। हमारी जानकारी के हिसाब से, माननीय माल मन्त्री को सही जानकारी होगी, ढाई एकड़ से कम खेती करने वाले लोग अपने प्रदेश में ५१.३ प्रतिशत हैं। ढाई से साढ़े ७ एकड़ तक---३५.६ प्रतिशत और ७.५ से अधिक वालों से १५.१ प्रतिशत। चौथाई सैकड़ा जमीन केवल ४ सैकड़ा लोगों के पास है। मान्यवर, मंगलदेव विशारद कमेटी ने बड़ी मेहनत करके कुछ तथ्यों को उजागर किया है। वे तथ्य ऐसे हैं जिन्हें सरकार अच्छी तरह से जानती है। कोई चीज इस रिपोर्ट में ऐसी नहीं है जो सरकार की जानकारी में न हो। मगर इन सिफारिशों पर कोई अमल नहीं होता है, और इस कारण जो भी तथ्य हमारे सामने आते हैं उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है।

मैं इस प्रतिवेदन के कुछ मुख्य-मुख्य मुद्दों को आपके सामने रखना चाहता हूं। इसमें सुझाव दिया गया है कि अधिकतम जोत सीमा अधिनियम, १९७२ में कुछ संशोधन किया जाय। जो अपवाद अब तक छोड़ दिये गये हैं उनको हटा दिया जाय। इसी प्रकार जिन लोगों को मकान बनाने के लिए ऋण दिया जाता है उस सम्बन्ध में भी इसमें सुझाव दिये गये हैं। ये सुझाव ऐसे हैं जिनको मैं स्वीकार करता हूं, और सरकार से विनती करता हूं कि सरकार भी उन सुझावों को स्वीकार करे। लेकिन जो भूमि सम्बन्धी अधिनियम हैं सन् 60 और ७२ के, उनके सम्बन्ध में मेरे आरोप हैं। मैंने एक बार यहां सदन में कहा था और आज फिर कहना चाहता हूं, यह मामला है नीति और नीयत का। मैं सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि सरकार की नीति और नीयत न जमीन बांटने की है और न जमीन बचाने की है। कानून बनाने के लिए मान्यवर, कानून नहीं होता। कोई कानून बनता है तो उसका उद्देश्य होता है। जब जमींदारी उन्मूलन कानून बना था तो उसका मकसद यह था कि यह जो बिचौलिये किसान का शोषण करते हैं वे खत्म हों। दूसरा मकसद यह था कि जो फालतू जमीन पड़ी है वह निकले और सरकार के हाथ में आये। वह जमीन कमजोर और जरूरतमंद लोगों को मिले---इन उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह प्राप्त हुआ कि बिचौलिए समाप्त हो गये, मगर कमजोर तबके को जमीन नहीं मिल पायी। जमीन बचाने का जो उद्देश्य था वह पूरा नहीं हो पाया। इस बात का बड़ा ढोल पीटा गया था कि कमजोर तबके को जमीन दी जायेगी, मगर आज तक उनको जमीन नहीं मिल पायी है। आज कांग्रेस पक्ष में बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो पहले विरोधी पक्ष में बैठते थे और बराबर यह ढोल

पीटते थे कि जमीन का पुनर्वितरण हो, और उन लोगों ने उसके लिए आन्दोलन भी चलाये थे। उस समय जब जमीन बांटने की बात कही जाती थी तो हंसी-मजाक उड़ाया जाता था कि जमीन क्या कोई रबड़ है।

अध्यक्ष महोदय, आपको भी उसकी जानकारी होगी कि सन् ४७ के बाद, जब डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने जमीन के बंटवारे की बात उठायी थी तो उन्होंने बताया था कि करीब १३–१४ करोड़ एकड़ बन्जर भूमि ऐसी है जो खेती योग्य है। ३–४ करोड़ एकड़ भूमि ऐसी है जो बहुत कम मेहनत से तोड़ी जा सकती है। गांधी जी के सामने रखा तो उस समय स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू ने यही वाक्य कहा था कि जमीन कोई रबर है? कहां है वह जमीन? तब डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था—मैं अपनी बात नहीं कहता हूं, आपके आंकड़े कहते हैं कि आपका मकसद था जमीन के वितरण करने का लेकिन जमीन का वितरण नहीं हुआ। कब हुआ, जब जमीन्दारी खतम हो गयी। सन् ४६ में प्रस्ताव पास हुआ था जिसका जिक्र श्री मंगल देव विशारद प्रतिवेदन में भी है कि सन् १९४६ में एक रेज्योलूशन हुआ था कि जमीन्दारी खतम हो और उस रेज्योलूशन की तहत एक कमेटी बनी। उसने सारी चीजों की छानबीन की। सन् ४६ से ५१ तक ६ वर्ष का समय इसके लिए लिया गया। अगर सचमुच में उस समय के लोग ईमानदारी से जानबूझ कर चाहते कि उसकी जमीन निकले तो एक कलम से आर्डिनेंस जारी करके जमींदारी खतम हो सकती थी और ऐसी तफसीली पहलू की जांच-पड़ताल बाद में हो सकती थी क्योंकि हमारी यह सरकार तो आर्डिनेंसों को जारी करने में बड़ी माहिर है। लेकिन ६ वर्ष तक प्रतिवेदन का इन्तजार किया गया, तब जाकर सन् ५१ में वह अधिनियम बना। नतीजा यह हुआ कि बिचौलिये लोग अपनी जमीन इधर-उधर ट्रांसफर करके हटा सके तथा उनको बेचने की पूरी सुविधा व छूट मिल गयी। इसका नतीजा यह हुआ कि जो उस कानून का मकसद था वह खतम हो गया और उस कानून को बनाने के पहले ही उसका गला घोंट दिया गया। सन् ५२ से जद्दोजहद करते-करते सन् ६० आया। इन ८ वर्षों में न मालूम कितनी जमीन की मवइयत बदली होगी, कितने मालिक बदले होंगे, कितने घरों में लड़के-बच्चे वाले बढ़े होंगे, और किस तरह से उनके अन्दर चीजों का बंटवारा हुआ होगा। क्योंकि उनमें भी पढ़े-लिखे जानकार और चालाक भी होते हैं। वे जानते होंगे कि आगे चल कर क्या होने वाला है और क्या मिलेगा और उसी तरह से वे भविष्य की तैयारी करते रहे होंगे। चुनांचे ८ वर्ष के अन्दर-अन्दर उन्होंने जमीन का ऐसा इन्तजाम कर लिया तब जाकर सन् ६० में वह अधिनियम बना। जो आपका मकसद था उसकी कहीं पूर्ति नहीं होने पायी। पूरी तरह से 8 वर्ष का आपने उनको मौका दिया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपकी नीति ही जमीन देने की नहीं थी।

आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी को याद दिलाऊं। क्योंकि मैं समझता हूंकि माननीय मन्त्री जी वकील हैं, माल के रहे होंगे, तो १९६० में जो अधिनियम बना, उसमें उस समय जो आपने जमीन की सीमा रखी वह ४० एकड़ की रखी एक परिवार के लिये अच्छी जमीन की, और अगर जमीन की किस्म कुछ बदल जाय तो उसी हिसाब से ड्योढ़ी जमीन हो जाय यानी ४० एकड़ की ६० एकड़ हो जाय, ६० एकड़ की ९० एकड़ हो जाय और इस तरह से उसकी सीमा बदलती चली जाय। अगर फिर परिवार की संख्या बढ़े तो जमीन बदल जाय। मैं कहता हूं कि उस समय जमीन की सीमा ४० एकड़ रखने में सरकार का क्या तर्क था और आज अब एक परिवार के लिए १८ एकड़ की सीमा रखने में क्या तर्क है? यह तो उसी तरह से हुआ कि सामने वाले दरवाजे से कहें कि चोरी हो रही है, चोर को पकड़ो और उसके पहले ही चोर को इत्तिला दे दें कि पीछे के दरवाजे से निकल जाओ।

[श्री राम सेवक यादव]

फिर इस में अपवाद भी रखा गया है । अगर अपवादों की संख्या देखी जाय तो उसकी एक लम्बी लिस्ट बन जाय । यांत्रिक खेती, यान्त्रिक खेती अपवाद है । अगर ४–६–१० आदमी मिल कर कह दें कि हम यांत्रिक खेती कर रहे हैं तो वह अपवाद में आ जायगा । इतना ही नहीं, बाग की कोई सीमा नहीं है कि कितनी जमीन बाग के लिये रहेगी । आपके हिसाब से जो जितना चाहे बाग रख ले । मैं कहता हूं कि मुबारक हो इन लोगों को जो पटवारी हैं और लेखपाल हैं । यह अगर जिन्दा रहे तो कागज पर बाग लग जायेंगे, जमीन पर लगाने की जरूरत नहीं है । आपके जो जज हैं, जो मुंसिफ, मैजिस्ट्रेट या अन्य अधिकारी हैं वह तो कागज देखेंगे । इस सदन में बैठने वाले सदस्य और माननीय मन्त्री जी भी कागज देखेंगे । कागजी बाग खूब लगे हैं और लग रहे हैं । क्या यह बाग किसान ने लगाये हैं, छोटे-छोटे-लोगों ने लगाये हैं । यह बाग लगाये हैं जो राज्यपाल हैं, जो बहराइच के निवासी हैं । कानून का गला घोंट कर इस तरह से कागजी बाग लगाये जा रहे हैं । फिर, पौल्ट्री फार्म, हार्टीकल्चर और न जाने कितने कल्चर बन करके, रिलीजस इन्स्टीट्यूशंस के नाम पर तमाम अन्य, जो १९६० के कानून के मुताबिक थे, उनको खत्म कर दिया गया है । क्यों ? एक तरफ तो नाटक करते हैं कि हरिजनों को और छोटे किसानों को जमीन देंगे और दूसरी तरफ कानून ऐसा रचते हैं कि उनको जमीन मिलने न पाये । मैं जानना चाहता हूं कि कितनी जमीन मिली । जो गरीब हरिजन हैं उनको १९६० से लेकर जिलेवार अब तक कितनी जमीन मिली ? आपके जो आंकड़े हैं वह भी इसकी असल कसौटी नहीं हैं । कसौटी यह होनी चाहिये कि जो यह हमारी जन प्रतिनिधियों की समितियां हैं उनको यह सूचना मिले कि यहां-यहां पर इतनी-इतनी जमीन मिली है । वह उसकी तसदीक करें, छानबीन करें और देखें कि जमीन बांटी गयी है या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो साफ कह देना चाहता हूं कि जमीन कहीं बंटी बंटी नहीं है । अगर कहीं थोड़ी बहुत बंटी भी है तो वह समस्या का निराकरण नहीं है । जो आपका इतना बड़ा उद्देश्य है उसकी इससे पूर्ति भी नहीं होती है ।

मान्यवर, अगर इसको पढ़ें तो देखने में आयेगा कि सहकारी खेती बहुत है । क्या इसका फायदा छोटे किसानों ने, मजदूरों ने और जो समाज का कमजोर वर्ग है उसने उठाया है । यह जो सुरजीत सिंह मजीठिया, जिंदल कम्पनी का फार्म है जो नैनीताल या कहीं और है इन्होंने ही सहकारी खेती का फायदा उठाया है । इसमें इतनी कोआपरेटिव सोसाइटीज

(इस समय १ बजकर २२ मिनट पर अधिष्ठाता श्री भगवती सिंह विशारद पीठासीन हुये ।)

बनी हैं कि जब लोग इसको पढ़ेंगे तो यही कहेंगे कि सहकारी खेती खूब चल रही है । मगर यदि इसका भंडाफोड़ किया जाय तो पता चलेगा कि सहकारी खेती के पीछे जो यह कल-कारखाने वाले लोग हैं इनका ही अधिकार जमा है । यहां कहा जाता है कि एकाधिकार तोड़ेंगे । जमीन को बांटेंगे । आज २६ वर्ष हो गये एकाधिकार को तोड़ा नहीं गया है बल्कि जोड़ा गया है । जिनके पास कल-कारखाने हैं, जो बड़े लोग हैं, आज जमीन उनके हाथों में जा रही है ।

मैं बता देना चाहता हूं, मिसाल के तौर पर । जब यहां माल विभाग पर बहस चल रही थी, या कोई बिल पर बोलते हुए मैंने कहा था और मन्त्री जी को चुनौती दी थी कि आप लखनऊ को केन्द्र बनायें, जांच करें । अध्यक्ष महोदय, जो आपकी सड़क जाती है उन्नाव होते हुए कानपुर, इस पर या हर सड़क, जैसे लखनऊ–फैजाबाद, लखनऊ–सीतापुर आदि सड़कों पर चारों तरफ १० मील के अन्दर देखें तो आपको पता चलेगा कि यह जो फार्म हैं क्या गरीबों के हैं, हरिजनों के हैं । यह फार्म किन के हाथ में हैं, जांच की जरूरत

है। इन्क्वायरी कमेटी की जरूरत है। रोजाना जो यह गाड़ियां गुजरती हैं उनसे यह पता तो चल जाता होगा कि यह किन की जमीनें हैं। यह जमीनें जो आपके सुपरिंटेंडिंग इन्जीयनर हैं, जो आपके मुख्य सचिव हैं, जो आई० जी०, डी० आई० जी० हैं इन्हीं लोगों की, इन्हीं बड़े-बड़े लोगों की यह जमीनें हैं। आंख पर चश्मा चढ़ाने से दिखना बन्द नहीं होता है और ज्यादा दिखायी देने लगता है। लकिन आपको पता नहीं कि जिनक पास संपत्ति है उनके पास जमीनें सब जा रही हैं। मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि जमीन सब बंट कर रहेगी, समाजवाद आ कर रहेगा और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। परन्तु उन पर अमल नहीं होता है। अमल इस तरह होता है कि हम बिल्कुल उल्टी दिशा में बढ़ते चले जा रहे हैं। सन् १९६० में जमीन देने वाला कानून लागू किया गया और १९७२ वाला जो कानून है उस में सुधार किये गये हैं। इस में पुराने अपवादों को हटा दिया गया है। अब इन लोगों का मकसद पूरा हो गया है। १२-१४ साल के बाद राम जी का बनवास पूरा हुआ था। इसी तरह १९७२ में यह सुधार कानून लाये।

अध्यक्ष महोदय, भूदान वाला कानून आया, कंसालीडेशन का कानून १९७२ में आया और उसमें संशोधन भी आ गये कि अधिकतम जोत सीमा निर्धारित की जाय। श्रीमन, चूंकि अब परिवार बढ़ा होगा तो जो बम्बई या नेपाल में रहते हैं उनके नाम भी संशोधन कर के लिखवा लें। अपवाद को निकाल दिया किन्तु फिर भी ७-८ अपवाद छोड़ दिये हैं। विचित्र अपवाद छोड़ दिया है, परन्तु घुड़साल अपवाद हो गया। मन्त्री जी इस पर रोशनी डालें कि यह किस के लिये कानून है? यह किस विशेष व्यक्ति के लिये कानून है? श्रीमन्, ८ ऐसे इंडस्ट्रियल परपज के लिये हैं। कोई कह देगा कि यहां पर उद्योग लगेंगे, फिर मकान के लिये रख देंगे। मकान की इसमें परिभाषा नहीं दी गई है। हरिजन को मकान बनाने के लिये जमीन दे रहें हैं। १५० वर्ग गज जिसमें हरिजन के परिवार रहेंगे और शहरों में गरीब तबका फुटपाथ पर शरण लेता है। शहर में यदि गरीब को कोई कोठरी मिल भी गई तो उसमें २०-२५ आदमी भरे होंगें। जस्टिस भवन ने निर्णय दिया है कि अगर कोई एक कोठरी बनाकर एक बाउन्ड्री खींच दें तो वह सब मकान हो जायगा। इसी तरह शिक्षा संस्थाओं के लिये भी अपवाद दूर होने चाहिये। कानपुर यहां से नजदीक है, वहां विद्यालयों में उद्योगपति रहते हैं। आजकल शिक्षा संस्थायें उद्योग की तरह चलाई जा रही हैं। यहां पर सदन में प्रतापगढ़ जिले के माननीय सदस्य बैठे होंगे तो उनको पता होगा कि प्रतापगढ़ में भी यह उद्योग चल रहा है। हर जगह यह संस्थायें उद्योग की तरह चलाई जा रही हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

उधर राजा हैं इसलिए वहां घुड़साल की जरूरत होगी।

श्री रामसेवक यादव--

मैं माधव बाबू से कहूंगा कि उनको घुड़साल नहीं गधिसाल की जरूरत है। फिर उसके बाद गोशाला का अपवाद मौजूद है। फिर एक विचित्र बात है। सरकार अपनी जमीन पट्टे पर देगी। चाहे उसके पास जमीन ग्राम सभा की हो या बन विभाग की हो, वह पट्टा पर देगी। यह किसको जमीन देगी यह नहीं है। जो सरकार आज हरिजन को भूमि देने की बात करती है और पिछड़े लोगों को जमीन देने की बात करती है, उसने यह बात रक्खी है। यह भाषण देंगे तो दिल्ली की देवी की वन्दना करेंगे और अन्त म उसकी आरती करेंगे और बीच में हरिजन की अर्चना होगी। मैं चुनौती के साथ यह बात कहता हूं कि उधर के बैठने वाले लोग सब से ज्यादा जमीन हड़पे हुए हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

दोनों ओर के लोगों के पास है।

श्री राम सेवक यादव---

दोनों ओर के लोगों के पास होगी लेकिन उधर के लोगों के पास अधिक जमीन है। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि सरकार की यह जो जमीन है उसमें हरिजन शब्द छोड़ दिया है। नैनीताल में जंगल कटते हैं या नहर की जमीन निकलती है। नहर के लिये जो जमीन ली गई पूरी इस्तेमाल नहीं हुई और सारी की सारी जमीन बड़े-बड़े लोगों को दे दी गई।

श्री अधिष्ठाता---

कितना समय आप और लेंगे ?

श्री काशी नाथ मिश्र---

यह सारी बातें जो इसमें दी हुई हैं उन्हीं को बतला रहे हैं, यह अपने सुझाव दे दें।

श्री राम सेवक यादव---

मैं सुझाव दूंगा। एक चीज यह कही गई कि विशेष प्रकार से खेती करने वाले लोग हैं, जमीन रिक्लेम करने वाले हैं उनको यह जमीन दी जावेगी। यह ७--८ अपवाद हैं। मैं मन्त्री जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि उन्होंने एक बिल इन्ट्रोड्यूस किया है। शायद इन सुझावों पर उन्होंने ध्यान दिया होगा लेकिन यदि ऐसा नहीं किया है तो इन अपवादों को दूर करने की कोशिश करेंगे। वह उसमें नये संशोधन लावें।

राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)---

यह तो समझ की चीज है, अपवाद है या नहीं।

श्री राम सेवक यादव---

यह तो ठीक है। सत्ता दल के लोगों को सब से ज्यादा समझ होती है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

घुड़साल के लिये आपने गधिवारा कहा है तो गधे ला दीजिये।

श्री राम सेवक यादव---

क्या और गधे चाहिये, अभी काफी नहीं हैं। काशीनाथ और प्रभु नारायण भेज दिये हैं।

श्री प्रभु नारायण (जिला वाराणसी)---

जो कुछ यादव जी ने कहा है उस पर मैं आपत्ति करता हूं। अगर इस तरह से बात की जावेगी तो अच्छा नहीं होगा। आपने कहा कि भेज दिये, आप बड़े योग्य हैं, आपकी योग्यता क्या है, स्थिति क्या है ? उप नेता, विरोधी दल को इस तरह की बात नहीं करना चाहिये।

श्री राम सेवक यादव---

मान्यवर, मैंने तो मजाक के तौर पर कह दिया था। अगर किसी को ठेस लगी है, तो उसके लिये क्षमा चाहता हूं। कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे माननीय सदस्य तो कितने पुराने हैं, समझदार हैं, तजुर्बेकार भी हैं। लेकिन वह क्या हैं, यह तो जमाना बतायेगा, क्योंकि उनके तजुर्बे का अंत नहीं है। बहुत पुराने राजनीतिज्ञ ठहरे न।

दूसरी बात मैं मन्त्री जी महोदय से कह रहा था कि आपके जो कानून हैं, जमीन के बारे में आपने न जाने कितने कानून बनाये हैं, भूदान ऐक्ट, कन्सालीडेशन ऐक्ट, एबालीशन ऐक्ट, लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, आदि-आदि। साधारण किसानों और कमजोर वर्ग के लिये इन कानूनों से निकल पाना मुश्किल है, जैसा कि इस प्रतिवेदन में भी कई जगह कहा गया है। कभी चले गये सिविल कोर्ट, कभी चले गये हाई कोर्ट। सारे के सारे मुकदमें वहां कार्यवाही के लिये पेंडिंग है। निर्णय नहीं हो रहा है। तो मेरा कहना है कि कोई इस तरह का आयोग बने जो जमीन सम्बन्धी सभी कानूनों को पढ़कर, लिखकर, समझकर, एक निश्चित रूप दे और एक ही माल का, जमीन का, कानून बनाया जाय, जिससे सारी परेशानियां दूर हो जायं। अधिष्ठाता महोदय, यह स्थिति जमीन की है, जमीन के बंटवारे का जब ये जिक्र करते हैं। अगर सचमुच आप जमीन का बंटवारा चाहते हैं, तो जमीन की लालच का अंत कीजिये। इसको लेकर निरन्तर चलते न रहें, अन्यथा जिस दिन हरिजनों में निराशा फैलेगी, वे सारी चीजों को आपकी जान जायेंगे, तो वह बहुत ही आपके लिये खराब बात होगी और किसी देश की जनता को जब सरकार के प्रति अविश्वास और निराशा पैदा हो जाती है, तो फिर देश में उथल-पुथल और क्रांति होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ करना हो, तत्काल करें। इसको ज्यादा खींचते न रहें। जब गेहूं की वसूली होती है तो अधिष्ठाता महोदय, लेखपाल से लेकर कलेक्टर तक सारी मशीनरी उसी में लग जाती है। कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं। कई बार प्रश्न इस सदन में उठाया जा चुका है। लोगों को तंग किया जाता है। पूरी शक्ति लगा दी जाती है। बी० एल० डब्लू० से लेकर ए० डी० एम० (प्लानिंग) तक सारी शक्ति लगा दी जाती है तो कोई निश्चित योजना बनाकर, निश्चित अधिकार देकर, हर तहसील को अधिकारी निश्चित कर दें और समय एक निश्चित कर दें कि ६ महीने के अन्दर जिसको मिलने वाली है मिल जाय। अगर ऐसा नहीं करते, तो मैं कहूंगा कि आपकी नियत ही नहीं है ऐसी।

इसमें परिशिष्ट दी हुई है। इसमें उधर के सदस्यों का ध्यान खींचना चाहता हूं। परिशिष्ट ११ में लिखा है कि "गांव सभा भूमि के आवंटन पर प्रगति विवरण" अब प्रगति विवरण से एक दो जगहों का हाल मैं बताना चाहता हूं। हमीरपुर और बांदा में सीरदारी के लिये जो जमीन प्राप्त हैं उसके और पट्टे हो सकते हैं। हमीरपुर में २९,३४४ एकड़, बांदा में २६,९१७ एकड़ जमीन है और इस सारी जमीन के पट्टे दोनों जिलों में हो चुके हैं। मैं दोनों जिलों में जांच की मांग करता हूं क्योंकि ये सारे के सारे आंकड़े गलत व झूठे हैं। यह असंभव है कि जितनी जमीन थी उस सब पर पट्टे दिये जा चुके हैं। हमीरपुर और बांदा ऐसे जिले हैं जहां से हरिजन भगाये जा रहे हैं। दो तारीख को एक एडजर्नमेंट मोशन इसके लिये दिया गया था। इसी तरह से गोंडा और बहराइच के आंकड़े मैं रखूंगा। गोंडा में ९,९५१ एकड़ तथा बहराइच में १७,०२४ एकड़ जमीन में से ९,८४१ एकड़ तथा १५,०८६ एकड़ जमीन क्रमशः बट चुकी है यानी करीब-करीब सब बट गयी। ये भी बड़े सामन्ती जिले हैं। गोंडा के बारे में यहां सवाल उठाया गया था कि तरबगंज तहसील के आंवली पारसली ग्रामों में जितने हरिजनों को जमीन बांटी गयी वे सब खदेड़ दिये गये, भगा दिये गये और हरिजनों का कब्जा जमीन पर नहीं होने दिया गया। हमारे भतपूर्व मुख्य मन्त्री थे उनके पड़ोस का जिला मिर्जापुर है। वहां ३७,४५७ एकड़ जमीन बटी हुई है। इस प्रगति विवरण में ऐसे आंकड़े आये हैं उन उन स्थानों के जहां पर मुख्य मन्त्री रहते हैं, केन्द्र के मन्त्री रहते हैं, प्रधान मन्त्री रहते हैं और वहां पर पट्टों की हालत इतनी खराब है कि कहीं एक-तिहाई जमीन बंटी है, कहीं पर एक-चौथाई जमीन बंटी है। दरअसल वहां पर जबरदस्त बड़ी जमीन वाले पुराने जमींदार हैं, उनके रहते जमीन बंट नहीं सकती। यह नीयत का मामला है।

इसी तरह से परिशिष्ट १९ है। इस में ५० एकड़ से अधिक वाले जो फार्म हैं उनकी संख्या २७० दिखाई गयी है। कई लोगों के नाम जमीन है और फार्म एक जगह है और

[श्री राम सेवक यादव]

ऐसा मालूम होता है कि सब फर्जी लोगों के नाम इंदराजात हैं। उन इन्दराजों को न ठीक करने की कोशिश की गयी है, न ठीक करना मुमकिन है। २७० के अलावा और फार्म भी होंगे। इस रिपोर्ट में बहुत बड़े लोग छूट गये हैं जैसे केन्द्र के मन्त्री शाहनवाज के फार्म का इसमें जिक्र नहीं है। इसी तरह से एक भूतपूर्व मन्त्री थे, वे हमारे बीच में हैं भी नहीं। स्वर्गीय श्री गोविन्द सहाय के फार्म का जिक्र इसमें नहीं किया गया है। इसी प्रकार बुलन्दशहर के सुन्दर पाल जी के फार्म का भी जिक्र नहीं है। मैं यह नाम इसलिये ले रहा हूं कि यह इस सरकार के समाजवादी कारनामे हैं जो कि हर वक्त "हरे समाजवाद, हरे जमीन का आवंटन" भजती रहती है। इसी तरह से कमलापुर है जहां पर कि हजारों एकड़ जमीन पर बाग लगा हुआ है। वास्तविकता कुछ नहीं है। लेकिन मीलों आप चले जाइये बाग ही दिखायी पड़ता है और अभी तक उसमें एक भी डोरी नहीं लगी होगी। इसी तरह से अजीत प्रसाद जैन का फार्म है। इधर जो यहां के मन्त्री हैं, सिंचाई मन्त्री हैं, भूतपूर्व मन्त्री हैं, मन्त्री रह चुके हैं या अब मन्त्री बनने के लालच में हैं, उनके फार्म हैं। हां, यह तो मैं कह सकता हूं कि मुख्य मन्त्री के पास जमीन नहीं है, यह मेरी जानकारी है। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि उनके पास कोई मकान नहीं है। वे आकाश वृत्ति पर जीते हैं। इन २५/२६ बर्षों में आकाश वृत्ति खूब चली है। इसी तरह से अधिष्ठाता महोदय....

(शासन पक्ष की ओर से "महोदया" शब्द किसी सदस्य द्वारा कहने पर)

मान्यवर, आप रंगीले हो गये हैं इसलिये आपको महोदया शब्द ही सुनायी पड़ता है। अधिष्ठाता महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि तहसील नगीना में तेलीपाड़ा एक जगह है जहां पर कि एन० सी० जिन्दल चैरीटेबल ट्रस्ट फार्म है जो कि १ हजार ४४ एकड़ का है। इसी तरह से अपर गन्जेज शुगर मिल फार्म है जहां पर कि ३३१ एकड़ पर यह फार्म है। इसमें कोई हिस्सेदार नहीं है। तो जब कोई हिस्सेदार ही नहीं है तो यह जमीन क्यों नहीं बांटी गई और उस पर क्या कार्यवाही हुई। अपर गन्जेज शूगर मिल फार्म, रसूलपुर में २,४५६ एकड़ जमीन पर है क्यों नहीं यह जमीन बांटी गई? पेज नं० १५० पर बिलासपुर तहसील में दि भाई साहब कोआपरेटिव फार्मिग सोसाइटी है और इसी प्रकार सीरियल नम्बर १२२ से लेकर १३६ तक कोआपरेटिव सोसाइटी के फार्म हैं जो कि सब फर्जी हैं। इसी तरह से लक्ष्मी देवी मार्डर्न कोआपरेटिव फार्म है और गुरुनानक सोसाइटी लि० फार्म है। इसी तरह से इस्कोर्ट रामनगर में है।

एक दूसरी बात इस सरकार की क्रियाशीलता और मुस्तैदी चुस्ती के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूं। यह परिशिष्ट २०, पेज संख्या १५६ है इसमें मैं आपके सामने प्रतापपुर शुगर कम्पनी, चकिया, देवरिया के बारे में बताऊंगा कि इसका अतिरिक्त घोषित क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जिसका बन्दोबस्त हो चुका है, क्षेत्रफल जो पट्टे पर उठाने हेतु उपलब्ध है। तो इसके लिये ३८०.५० एकड़ उपलब्ध है पट्टे के लिए लेकिन दिया नहीं गया है, क्यों? इसी तरह से गोरखपुर में महावीर शुगर मिल, सिसवा बाजार के पास १७६.८३ एकड़ उपलब्ध है लेकिन पट्टे पर नहीं दिया गया था। फिर उसी तरह से हिन्दुस्तान शुगर मिल, गोला पर २,५६३.३१ उपलब्ध है, लेकिन वह भी सब की सब पट्टे पर नहीं दी गई। उसी तरह से दी लक्ष्मी शुगर मिल्स, महोली के पास मौजूद है ७७७.०४ एकड़ भूमि, लेकिन दी नहीं दी गई है। और आगे देखें अवध शुगर मिल, हरगांव के पास उपलब्ध है ३,४५२.२७ एकड़, लेकिन दी नहीं गई है। बहुतों के मुकदमें चल रहे हैं, मैं उसके विश्लेषण में नहीं जाना चाहता। यह है इनका समाजवाद और इनकी सरकारी मशीनरी की मुस्तैदी। मेरा तो आरोप है कि न इनकी नीयत है और न इनकी मशीन इस योग्य

। इनकी मशीन और उसके चालक ऐसे ही समाज से आये हैं, ऐसे समाज का प्रतिनधित्व करते हैं, जिनका हित इसी में है कि ये जमीनें कमजोर लोगों के हाथों में न जाने पावें। नतीजा आपके सामने है, जो प्रतिवेदन में दिया है। इसको आप अधिष्ठाता महोदय स्वयं समझ सकते हैं।

इसके साथ-साथ मैं आपका ध्यान परिशिष्ट २१, पृष्ठ संख्या १५८ की ओर दिलाना चाहता हूं, यह वह परिशिष्ट है उन सरकारी जमीनों के बारे में जिनके मुकदमें चल रहे हैं अर्थात् सरकार की जमीनों पर दूसरे लोग काबिज हैं। कब्जा चल रहा है, लेकिन लोग हट नहीं रहे हैं। देहरादून में बेदखली की कार्यवाही की गई २,७१८ मामलों में, किन्तु कब्जा हटा पाये केवल १,६९० मामलों में ही। फिर, सबसे ज्यादा दुखद समस्या एटा जिले में है जहां १,८९४ मामलों में बेदखली की कार्यवाही की गई और कब्जा हटा पाये कुल ७१६ से। इसी तरह से बिजनौर में २,४६२ केसेज में बेदखली की कार्यवाही हुई और कब्जे हटे १,७२३ से। तो अधिष्ठाता महोदय, जितने कब्जे हटाये गये हैं, उससे ज्यादा कब्जे हैं और सदन में हमेशा यह आता था कि ग्राम समाज की जमीन पर,सरकार की जमीन पर पुराने चन्द लोग, प्रधान लोग बलपूर्वक कब्जा किये हुए हैं। पट्टा भी हो जाता है तो भी लोग लिये हुए जेब में रखे रहते हैं प्रोनोट की तरह, पर उनको कभी कब्जा नहीं उन पर मिलता है। इनकी नीयत नहीं है, शक्ति नहीं है कि ये उनको उनपर कब्जा दिला सकें। मैं इनको चुनौती देता हूं, शायद चुनौती में ही आकर ये कुछ लोगों को कब्जा दिला सकें।

अब आप परिशिष्ट १८ को ले लें, इसमें यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मामले जिनमें सीलिंग अधिनियम के प्रभाव से बचने के लिए विभिन्न प्रकार की कोशिशें की गयीं। तो इसमें बहुत दुखद कहानी है, धोखे की कहानी है, ठगी की कहानी है, गरीबों को धोखा देने की कहानी है। ये कौन हैं? मजीठिया परिवार गोरखपुर का। यह उपमन्त्री, रक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के रहे हैं। इससे बड़ा तो कोई कांग्रेसी होगा नहीं, इससे बड़े समाजवादी तो मिलेंगे नहीं। गांव का रामदीन लोहार तो एक रुपया चन्दे का मेम्बर होगा। सुरजीत सिंह मजीठिया से बढ़कर तो कोई कांग्रेसी नहीं हो सकते हैं, वह समाजवादी हैं। हम लोग तो प्रतिक्रियावादी हैं, रिएक्शनरीज हैं। लेकिन यह जो सुरजीतसिंह मजीठिया समाजवादी हैं, इनका मामला देखिये। नाम खातेदार सुरजीतसिंह, कुल भूमि जो खातेदार की जोत में थी, १,०३२.१७ एकड़, लेडी पुरसन एजूकेशन ट्रस्ट को हस्तान्तरित कर दिया ४२१.५५ एकड़, डेयरी में दे दी गयी १६६ एकड़, बाग में छूट गयी १०४.६० एकड़, सड़क आदि में छूट गयी ७.२१ एकड़।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)––

अधिष्ठाता महोदय, और लोगों को भी बोलना है।

श्री रामसेवक यादव––

लड़कों को बटवारे में मिली १५२.५६ एकड़। डिस्टिलरी में दी गयी १४० एकड़। इसी तरह से सुरेन्द्र सिंह के पास ९५१.४४ एकड़ जमीन थी। ४६०.९२ एकड़ लेडी परसन एजूकेशन ट्रस्ट को हस्तान्तरित कर दी गयी, १६६ एकड़ डेयरी को, ८६.०५ एकड़ बाग को, ७.२१ एकड़ सड़क आदि को, १६२.०३ डिस्टिलरी को। गुरनिहालसिंह के पास ४८० एकड़ जमीन...

श्री अधिष्ठाता––

अपन सुझाव पर आ जायं और समाप्त कीजिये।

श्री रामसेवक यादव---

यह तो जरूरी है जिससे प्रदेश समझ जाय कि कुछ मिलने वाला नहीं है क्योंकि स्वाती की बूंद की तरह मुंह खोल कर बैठे रहें। इसी तरह से दलीपसिंह के पास जमीन थी। कुल मिला कर इनके पास ३,१३१.७१ एकड़ जमीन थी और बच गयी, खातेदार को जो सीलिंग क्षेत्र के अधीन भूमि दी गयी, जो ट्रस्ट में चली गयी वह वहां चली गयी, खातेदार को मिली २२०.९६ एकड़ और बांटने को मिल गयी २९.२६ एकड़। यह हैं कांग्रेस के नेता सुरजीतसिंह मजठिया। अध्यक्ष महोदय, पांच-सात मिनट में खत्म किये देता हूं। इसी तरह से गणेश शुगर मिल्स, आनन्दनगर, गोरखपुर का मामला है, बहेड़ी शुगर वर्क्स, बरेली का मामला है, फिर अपर गंजेज शुगर मिल, स्योहारा, जिला बिजनौर का मामला है। फिर राजा भगौती प्रसाद सिंह, रामगढ़, जिला इलाहाबाद का मामला है। यह तो समाजवादी हो गये। (व्यवधान) आपके साथ रहेंगे। हमारे साथ क्या मतलब है। फिर एग्रीकल्चरल फार्म, शुगर मिल, जिला बिजनौर का मामला है। फिर कुंवर चन्द्र शेखर प्रसाद सिंह, इलाहाबाद के हैं, मुख्य मन्त्री के यहां के। फिर वही नहीं हैं राजा युवराजदत्त सिंह, ओयल, हिन्दुस्तान शुगर मिल, गोलागोकरननाथ, कलेक्टिव फार्म ऐंड फोरेस्ट लिमिटेड, खीरी।

श्री अधिष्ठाता---

यह तो परिशिष्ट में दिये हुए हैं। प्रक्रिया क्या होनी चाहिए इस पर आइए।

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पांडेय)---

चन्द्र शेखर प्रसाद सिंह से माननीय मुख्य मन्त्री से क्या ताल्लुक ?

श्री रामसेवक यादव---

ताल्लुक है। मैंने यहां पर कहा था, कई मामलों का हवाला दिया था, जहां-जहां मुख्य मन्त्री और प्रधान मन्त्री हैं वहां जमीन बांटने की हालत बहुत खराब है, जहां ज्यादा अच्छी होनी चाहिये। एक राज्यपाल हैं सरदार जोगेंदर सिंह। इसमें लिखा है, इसको मैं पढ़ देना चाहता हूं---खातेदार की कुल जोत २,२६०.६० एकड़ थी। उन्होंने बाग भूमि के निमित्त बहुत बड़े क्षेत्रफल पर छूट की मांग की जिस पर यह निर्णय दिया गया कि पेड़ १ मई, १९५९ से पूर्व के लगाये हुए सिद्ध नहीं हो सके, केवल २ एकड़ भूमि बाग के निमित्त छोड़ी गयी। कुल भूमि को 20 अगस्त, १९५९ से पूर्व हस्तान्तरित मान लिया गया। नियत प्राधिकारी के आदेश दिनांक १६ जून, १९६२ के अनुसार २,१८०.२६ एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई। इस आदेश के विरुद्ध अपील १० अप्रैल, १९६३ को खारिज हुई। खातेदार की ओर से रिट याचिका भी दायर हुई थी जो बाद में खारिज हो गयी। उच्च न्यायालय का अन्तरिम आदेश समाप्त होने के उपरान्त अतिरिक्त घोषित भूमि पर कब्जा १५ नवम्बर, १९६८ को लिया जा सका। उपलब्ध सूचना के अनुसार सरदार जोगेन्द्रसिंह के खाते की २,१८०.२६ एकड़ अतिरिक्त घोषित भूमि में से १,०९५.२२ एकड़ भूमि ५२५ व्यक्तियों को बांटी गई; २०५.०४ एकड़ भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त पाई गई और शेष ८८० एकड़ भूमि सरदार साहब के व्यक्तियों के अनधिकृत कब्जे में बताई गई। इसके बाद राजा दिनेश सिंह हैं ही, कुंवर उदयवीर सिंह हैं।

इसके बाद गोपालपुर फार्म, जिला मिर्जापुर के बारे में मैं सदन को बताना चाहता हूं। जिला मिर्जापुर में ग्राम गोपालपुर, बैदौली में गोपालपुर फार्म के नाम से ४,५३२ एकड़ का बहुत बड़ा फार्म है। भू-अभिलेखों के अनुसार इस भूमि पर १४ व्यक्तियों के नाम दर्ज थे जिनमें से अधिकांश वाराणसी के अधिवासी हैं। खातेदारों के हिस्से सम्पूर्ण

जोत में बराबर-बराबर मान लिया जाय तो प्रत्येक हिस्से में ३२३.७१ एकड़ भूमि होती है। जिला कार्यालय से ज्ञात करने पर मालूम हुआ कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० के अन्तर्गत इन खातेदारों को जोत के विषय में कोई कार्यवाही क्षेत्र सीलिंग अवधारण की नहीं की गई जबकि प्रत्येक के पास केवल इसी फार्म में ही अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि थी। कहा जाता है कि इन फार्म होल्डरों की कोई सहकारी कृषि समिति है। यदि ऐसी कोई समिति बनाई भी गई हो तो भी उसे अधिनियम की पुरानी धारा ६(१५) के अन्तर्गत छूट नहीं मिल सकती थी। खतौनी में अंकित इन्दराज इस बात का सबूत है। यह सम्पूर्ण १४ व्यक्तियों का नाम दर्ज था। किसी सहकारी कृषि समिति का नाम दर्ज नहीं था। इस फार्म के सिलसिले में एक और दिलचस्प बात नोटिस में, यह आई है कि जुडीशियल अफसर के आदेश दिनांक १७ अप्रैल, १९७२ जो मुकदमा संख्या २४६/१०/१६/३५० में पारित किया गया, के आधार पर गोपालपुर फार्म की सम्पूर्ण भूमि पर ९३ अन्य नाम बतौर सहखातेदार दर्ज कर दिये गये हैं। जिला कार्यालय से यह सूचना प्राप्त हुई है कि उक्त दावा २४ जनवरी, १९७१ से पूर्व दायर किया गया था। इसका नतीजा यह होगा कि इतने बड़े फार्म की जोत में से कोई भूमि अतिरिक्त घोषित नहीं हो पायेगी। मौके पर यह फार्म एक ही इकाई है और लगता है कि केवल एक ही परिवार के लाभ के लिए यह फार्म विद्यमान है। प्रदेश में कई जिलों बिहार व नैपाल के लोगों के नाम फार्म में प्रत्यक्ष रूप से फर्जी दर्ज कराये गये हैं ताकि फार्म सीलिंग अधिनियम के प्राविधानों की लपेट से बच जायें।

अधिष्ठाता महोदय, यह किसकी प्रति है। यह सरकारी प्रति है जो रात दिन जमीन बांटने के नारे से हिचकती नहीं है और कानूनों का डकोसला रखती है। आज कांग्रेस के बड़े-बड़े लोगों के हाथ में ही जमीन फंसी हुई है। हर तहसील पर एक कमेटी बनाई जाय और तहसीलदार को जिम्मेदार बनाया जाय कि वह ६ महीने के अन्दर भूमि वितरण का काम करे और इसकी व्यवस्था करे ताकि हरिजनों तथा अन्य गरीबों को जमीन मिल सके और हमेशा के लिए भूमि वितरण का सवाल खत्म हो जाय। लोग बिला वजह आशा लगाकर परेशान और दुखी न हों और जो हरिजनों का शोषण किया जा रहा है वह न हो सके। इन शब्दों के साथ जो मैंने जमीन के बटवारे की बात कही है उसको मन्त्री जी मान कर कार्यवाही करें।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो भूमि व्यवस्था जांच समिति की रिपोर्ट पर बहस की जा रही है, इस सम्बन्ध में इस प्रतिवेदन को सात हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली, जांच से मिलने वाली भूमि को दलित वर्ग की आवास-व्यवस्था के सम्बन्ध में है। इसमें समिति की तरफ से १७ सिफारिशें की गई हैं। दूसरा भाग है कृषि भूमि का आवंटन, इसमें ३७ सिफारिशें कमेटी ने की हैं, तीसरी भूमिहीन वर्गों में कृषि हेतु साधनों का अभाव, इसमें कमेटी ने ६ सिफारिशें की हैं, चौथी पट्टे की भूमि के हस्तान्तरण की समस्या के सम्बन्ध में एक सिफारिश की है और तकावी ऋण की समस्या के सम्बन्ध में ७ सिफारिशें कमेटी ने की हैं तराई भाभर तथा पर्वतीय क्षेत्रों के विषय में समिति ने २५ सिफारिशें की हैं। इस तरह से कुल ८८ सिफारिशें इस जांच समिति ने की हैं और एक हिस्सा है जिसमें विभिन्न प्रकार के परिशिष्ट दिये हुये हैं। मान्यवर, सरकार से यह जो सिफारिशें की गई है, मैं चाहता हूं कि इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाय, लेकिन एक बड़ी दिक्कत यह होती है कि यह जो सिफारिशें इनको कार्यान्वित करने का भार कर्मचारियों पर होता है जैसे, कानूनगो, लेखपाल इत्यादि। इन लोगों के पास अपना काम खुद का इतना अधिक होता है कि ये लोग इस काम को नहीं

[श्री माता प्रसाद]

दख पाते हैं। यदि सरकार चाहती है कि सही माने में इनका कार्यान्वयन हो तो इसके लिए अलग से कोई मशीनरी की व्यवस्था करें।

इस सम्बन्ध में समिति ने इन सिफारिशों में लिखा है कि यह काम इन कर्मचारियों से लिया जाता है इसलिए यह काम अच्छी तरह से नहीं होता है। आवास स्थल के सम्बन्ध में समिति ने बड़े विस्तार से विवेचन किया है, निर्बल वर्गों के लिए। मान्यवर, आज भी हमारे देश में आजादी के बाद हरिजनों का और पिछड़े वर्गों का शोषण हो रहा है। उनके रहने के लिए एक समस्या है। यह खुशी की बात है कि हमारी सरकार इस प्रकार का प्रयास कर रही है कि उनको मकान के लिए भूमि मिल सके। सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रयास भी किया है जैसे जमींदारी भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० में १२२-ग धारा के अन्तर्गत और १२३ के अन्तर्गत इसकी व्यवस्था की है। १२२-ग के अन्तर्गत मान्यवर, अनुसूचित जातियों को भूमि की व्यवस्था का प्राविधान है। ग्राम सभा की जमीन अगर उपलब्ध है तो एस०डी०एम० को अधिकार है कि वह एक प्रस्ताव पास करा कर आबादी के लिए जमीन दे सके। १२३ के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि ग्राम समाज की जमीन पर अगर २४ मई,१९७१ तक कोई भी भूमिहीन हरिजन की आबादी रही हो और उसकी झोपड़ी भी पड़ी हुई है तो वह उसका मालिक होगा। मान्यवर, सरकार ने यह व्यवस्था की है, लेकिन नियमों की जानकारी आज भी वहां के प्रधानों को और बी०डी०ओ० को नहीं है। इसकी जानकारी वकीलों को भी नहीं है, अफसरों को भी इसकी जानकारी नहीं है। इस सम्बन्ध में इस समिति ने अध्याय ४ में आखिर की ३ पंक्तियों में इस बात का उल्लेख किया है—"किन्तु नियमित रूप से समाज के पिछड़े वर्गों के लोगों को गृह स्थल प्रदान करने की दिशा में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ है। कुछ ऐसा आभास हुआ है कि पुराने नियमों की कोई जानकारी गांव प्रधानों अथवा "भूमि प्रबन्धक समितियों के सदस्यों, यहां तक कि क्षेत्रीय अधिकारियों को भी नहीं रही।" तो मैं चाहता हूं कि सरकार इसके प्रचार की पूरी व्यवस्था करे।

दूसरी बात मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि भूमि अर्जन अधिनियम की यह व्यवस्था सरकार ने की है कि जिनको कि रहने के लिए जमीन नहीं है उन्हें जमीन अधिग्रहण करके उनको जमीन दे सकते हैं। लेकिन आज भी एक बहुत बड़ी समस्या गांवों में मौजूद है कि बहुत से लोग गांवों में मकान बना कर रह रहे हैं, वे जमीनें, कहीं पर बाग दर्ज हैं, कहीं पर खेत दर्ज है, कहीं पर किसी के नाम है और कहीं पर कुछ और दर्ज है। कभी-कभी इस तरह के लोगों को जो आबाद हैं, उनको जो असली मालिक है, बाग के नाम पर, उन असली काबिज लोगों को निकाल देते हैं। यह खुशी की बात है कि इस कमेटी की रिपोर्ट के पृष्ठ १५ पर लिखा है कि—"इसके अतिरिक्त अन्य लोगों की जोतों तथा बागात में समाज के गरीब वर्गों के लोगों के मकान बने हुए हैं जिनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई और आज भी वे जोत के खातेदारों की दया पर ही निर्भर हैं। कुछ आबादियां तो जमींदारी विनाश अधिनियम के लागू होने के पूर्व से बनी हुई हैं और अधिनियम की धारा ९ के अन्तर्गत ऐसी आबादियों में स्थित भवनों के नीचे की भूमि के मालिक भवनों के मालिक ही हैं किन्तु जो मकान भूतपूर्व सीर, खुदकाश्त तथा बागात की भूमि में बने हुए हैं उन पर अधिनियम के दो प्राविधानों में मकानों के नीचे की भूमि की मिल्कियत के विषय में विरोध उत्पन्न हो गया है। कुछ मामले अदालतों में भी गये हैं जिनमें से कुछ के निर्णय धारा ९ के अन्तर्गत मकानों के मालिकों के पक्ष में हुए हैं और कुछ के निर्णय धारा १८ के अन्तर्गत भूमिधरों के पक्ष में हुए हैं। यह समस्या किसी न किसी अंश में प्रदेश भर में विद्यमान है किन्तु समस्या अवध के जिलों में जहां ताल्लुकेदारी प्रथा का जोर रहा है, तथा जिला मिर्जापुर में विशेष रूप

से गम्भीर है। वर्तमान विधिक स्थिति भ्रांतिमूलक है और इसमें सुधार की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त कुछ बड़े खातेदारों ने जमींदारी-विनाश के उपरान्त भी अपनी जोत में कुछ मजदूरों को बसाया है जहां पर उनके कच्चे व अधपक्के मकान बने हुए हैं। ऐसे गरीबों की सहायता के लिए अधिनियम में कोई प्राविधान नहीं है और खातेदार जब भी चाहे अपनी जोत में बसे हुए मजदूरों को वहां से उजड़ने के लिए विवश कर सकता है। यह स्थिति किसी न किसी रूप में बेगार को भी कायम रखती है। इसमें अविलम्ब कोई सुधार करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से मान्यवर, कभी-कभी जब झगड़े होते हैं और ऐसे लोग जो बागों में आबाद हैं, उनको मजबूर करके मजदूरी करायी जाती है और यदि वे मजदूरी या बेगार नहीं करते हैं, तो उनको निकालने के लिए उन पर मुकदमा चलाकर उनको उन मकानों से निकाल दिया जाता है।

मान्यवर, कई मुकदमें हमारी जानकारी में लड़े गये लेकिन मुकदमें से भी वह हार गये। बाग के मालिक कह देते हैं कि असल खाते में हमारा नाम है इसलिए हमारी जमीन यह है। आबादी की जमीन कुछ इस तरह की है कि कैफियत के खाने में लिख दिया जाता है "आबादी"। मुकदमें में जो असल खातेदार होता है, वह जीत जाता है और जो लोग मौके पर काबिज रहते हैं, वे हटा दिये जाते हैं। जो लोग नहीं हटते हैं, तो उनको गुलामी तथा बेगार करना पड़ता है। इस रिपोर्ट में इसका तजकिरा है कि इस तरह के लोग जो खेतों में बहुत दिनों से आबाद हैं वह खेत और बाग दूसरों के नाम से चले आ रहे हैं लेकिन मौके पर आबादी चली आ रही है। सरकार को एक ऐसी व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी चाहिए कि जो लोग वहां पर बसे हैं और बहुत दिनों से काबिज चले आ रहे हैं वे न हटने पावें अगर ऐसी जमीन को देने के लिए कोई अड़चन हो तो वह भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत तुरन्त जमीन एक्वायर करके उसके जो मालिक हैं उनको मोआवजा देकर जो लोग मौके पर आबाद हैं उनको वह जमीन दिया जाय। मान्यवर, यह केन्द्रीय सरकार की योजना आई है। केन्द्रीय सरकार ने कहा है कि इस तरह की आबादी के लिए जो भी जमीन एक्वायर की जायगी उस जमीन के लिए जितना भी खर्च होगा वह केन्द्रीय सरकार देगी।

दूसरी बात मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि भूमि आवंटन के सम्बन्ध में हरिजनों को भूमि देने के लिए सरकार ने जो वरीयता का क्रम रखा है वह कुछ इस तरह का है कि जिसकी वजह से हरिजनों को भूमि नहीं मिल पा रही है। मान्यवर, मैं इस जांच समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ २४ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसके पैरा ५.१५ में दिया हुआ है कि आज जो व्यवस्था है जमींदारी विनाश अधिनियम, १९५० की वर्तमान धारा १९८ (१) के अन्तर्गत दिया हुआ है लेकिन इस पृष्ठ के अन्त में समिति ने जो सिफारिश की है उसमें दिया है कि प्राथमिकता युद्ध में वीरगति को प्राप्त सैनिक के भूमिहीन आश्रित, (२) अनुसूचित जाति। अनुसूचित जन जाति के भूमि हीन खेतिहर मजदूर, (३) अन्य भूमिहीन खेतिहर मजदूर, (४) भूमिहीन भूतपूर्व सैनिक (जो अधिकारी न रहा हो) तथा भूमिहीन राजनैतिक पीड़ित, (५) कृषि विषय में प्रशिक्षण देने वाली शिक्षा संस्था, (६) छोटे काश्तकार जिसके पास ३ १/८ एकड़ से कम भूमि हो और (७) अन्य व्यक्ति। तो मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि भूमि देने के सम्बन्ध में जांच समिति ने जिस वरीयता की सिफारिश की है, उसी के अनुसार सरकार निर्धारित करें, तब कुछ भूमि मिल सकेगी। अगर नहीं बदलती है तो जैसी व्यवस्था चल रही है वैसी ही चलती रहेगी और हरिजनों को भूमि नहीं मिल सकेगी।

[श्री माता प्रसाद]

बहुत सी जमींन परती घोषित की गई है और यह कहा गया है कि वह दी जायेगी। लेकिन मौके पर कहीं भी कोई जमींन परती नहीं पड़ी हुई है। किसी न किसी आदमी ने उस पर कब्जा कर लिया है। अगर वह भूमि एलाट की गई है तो २२९ के मुकदमे कायम कर दिये गये हैं। वे कहते हैं कि उनके कब्जे तो बहुत दिनों से चले आ रहे हैं। गांवों के जो प्रधान होते हैं, वे भी जाकर भूमि पर कब्जे करने वाले व्यक्ति की तरफ से बयान दे देते हैं कि यह भूमि उनके ही कब्जे में चली आती है। तो इस प्रकार से वे भूमि को पा जाते हैं। सरकार को चाहिये कि जितनी भी भूमि ग्राम समाज की हो, उसको खाली कराकर, इसके लिये चाहे कितने भी सख्त से सख्त कदम उन्हें उठाने पड़े इन लोगों को दी जाय। अगर कोई काश्तकार जिसके पास ३ १/८ एकड़ से कम की जमींन हो, अपनी जमींन मिलाकर भी, तो उस पर थोड़ी सी ढिलाई दी जा सकती है। लेकिन आज ठीक इसके उल्टा होता है। अगर कोई छोटा काश्तकार ५ बिस्वे जमींन पर जो ग्राम समाज की भूमि है, काबिज है तो उस के ऊपर सख्त से सख्त जुर्माना किया जाता है लेकिन बड़े-बड़े आदमियों का जिनके पास १००–१०० एकड़ भूमि है, उनका ऐसी जमींनों पर कब्जा बना हुआ है। इससे सरकार का दुहरा नुकसान होता है। न तो सरकार को इन अनधिकृत कब्जा करने वालों से मालगुजारी ही मिलती है और दूसरे इनसे बड़े-बड़े लोग ही फायदा उठाते हैं क्योंकि हमारे लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार सब लोग इनके यहां जाकर चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। इसलिये इन लोगों से जमींन नही निकल पाती है। आज कहीं भी जमींन बंजर या परती नहीं है। सरकार को चाहिये कि इस प्रकार की जमींनों को निकालने के लिये कोई सख्त से सख्त कदम उठये और वह घोषित करे कि इस तरह की जमींन जो चोरी करेगा, उसे चोरी की सजा दी जायेगी। तब जा कर हो सकता है कि सरकार को कुछ जमींन मिल सके।

इन थोड़े से शब्दों के साथ में समिति ने जो मेहनत की है, उसके लिये उसे बधाई देता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय भीखालाल।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी के खड़े रहने पर)

आप अपने विचार बाद में प्रकट कर लीजियेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यह प्रथम बार हुआ है शायद कि क्रम आपने न जाने किस कारण तोड़ा है।

श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)--

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिवेदन की कापी बहुत से विधायकों को भी नहीं मिली है उनको दिलवा दी जाय। साथ ही गांव के हर प्रधान को और जनता को भी बटवा दी जाय ताकि यह पोल खुल जाय और वह भी जान जांय कि १–१ हजार एकड़ वाले ऐसे कौन हैं जो हड़प गये हैं जमींनों को।

श्री भीखालाल--

अधिठाता महोदय, पूर्व इसके कि मैं इस भूमि व्यवस्था जांच समिति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में कुछ अपने बिचार व्यक्त करूं मैं माननीय मंगलदेव विशारद और उस समिति के अन्य सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विषय पर बहुत ही गहराई से अध्ययन किया है और बिषय की गंभीरता को आज प्रदेश के सामने रख दिया है।

बड़े साहस और निर्भीकता के साथ बगैर किसी लगाव-लपेट के तथ्यों को प्रदेश के सामने रख के इस कमेटी ने प्रदेश की बड़ी सेवा की है, इसलिये माननीय सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूं ।

मान्यवर, इस कमेटी ने दिखा दिया कि इस प्रदेश के जो भूमि सुधार के कानून हैं, विशेषकर सीलिंग के कानून कैसे हैं और उनका खोखलापान प्रदेश के सामने उजागर कर दिया है और आज यह स्पष्ट हो गया है कि सीलिंग के कानूनों से प्रदेश की भूमि व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया-इस कमेटी का मूल तत्व यह है । वैसे इस कमेटी से हमारे प्रदेश के जमीन के भूखों को, भूमिहीनों को, हरिजनों को कितना फायदा होगा, कितना नही होगा यह तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि इस कमेटी ने जो बहुत बहुमूल्य सिफारिशें की हैं उनको किस सीमा तक सरकार मानती है और लागू करती है ।

मान्यवर, मैं सीलिंग के ही विषय को पहले लेता हूं । सीलिंग का कानून १९६० में बनाया गया ताकि जमीनों का बटवारा जो बहुत असमान है, उस असमानता को दूर किया जाय और प्रदेश के अन्दर जो बहुत से जमीन के भूखें हैं उनकी भूख को मिटाया जाय और राष्ट्रीय आन्दोलन के जमाने का जो नारा था कि जमीन जोतने वालों को मिले, उस नारे को अम्ली शक्ल दी जाय -उसको लेकर यह सीलिंग का कानून बनाया गया । लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस कानून के बनाने में हमारा जो उद्देश्य था कि जमीन ज्यादा से ज्यादा बड़े काश्तकारों से निकाली जाय और भूमिहीनों को दी जाय उसको नजर अन्दाज करके ऐसा कानून बनाया गया कि जमीनों को कैसे ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार बचाया जाय और इसमें इसी नजरिये से तरह-तरह के लूपहोल्स और प्राविधान रखे गये ।

पहली बात तो यह है कि जमीन की हद-बन्दी की चर्चा १९५८ से शुरू हुई जब कांग्रेस का नागपुर महाधिवेशन में सीलिंग का प्रस्ताव हुआ था और तभी से तरह - तरह की अटकलें होने लगीं कि कितनी सीमा लगायी जायेगी और जमीन कैसे बचाई जाय । जमींदारी विनाश के बाद और जमींदारों के खात्मे के बाद जो नया वर्ग तैयार हुआ बड़े-बड़े भूस्वामियों का उनको पहले से ही सचेत कर कर दिया गया है, कांग्रेस शासन ने यह जो नया वर्ग पैदा किया है उनके बड़े-बड़े कार्य हैं और यह फ़ार्म बड़े-बड़े उद्योगपति बड़े-बड़े सरकारी कर्मचारी जो रिटायर हो चुके या आज भी सेवारत हैं उन लोगों के फार्म हैं । तराई के इलाके में चले जाइये आपको मिल जायेंगे कि कितने मिलीटरी के अफसरों के अथवा सिविल के अफसरों के फार्म हैं । इन लोगों को १९५८ से ही चेतावनी दी गयी कि होशियार हो जाओ, जमीनों पर सीलिंग लगने वाली है । नतीजा यह हुआ कि बटवारे शुरू हो गये तभी से । इसलिये जब नागपुर में चर्चा हुई थी सीलिंग की तो क्या यह जरूरी नहीं था कि यह भी चर्चा उठती कि जब से प्रस्ताव पास हुआ है तभी से यह बटवारे भी रोक दिये जायेंगे और उन हस्तांतरणों का कोई ख्याल नहीं किया जायेगा जो बाद में किसी ने कर दिये हों लेकिन ऐसा नहीं हुआ ।

१९६० में विधान सभा में जो विधेयक पेश हुआ था उसमें यह प्राविधान था कि यह कानून १५ अगस्त, १९५९ से लागू किया जायेगा । हमारे इस आक्षेप की कि यह कानून जमीन बचाने के लिये बनाया गया था इस बात से भी पुष्टि होती है कि इस सदन में सरकार की तरफ से एक संशोधन पेश किया गया था कि १५ अगस्त, १९५९ की बजाय २० अगस्त, १९५९ कर दिया जाय । स्वर्गीय हुकुम सिंह जी उस समय माल मंत्री थे । उनसे पूंछा गया कि क्या तर्क है इसके पीछे तो वह कोई तर्क नहीं दे सके थे । अभी माननीय रामसेवक जी ने यह कहा कि १९७२ के संशोधन विधेयक में पहले यह प्राविधान रखा गया था कि २४ फरवरी, १९७० से लागू होगा लेकिन बाद में २४ जनवरी, १९७१ किया गया । क्यों किया गया ? गोपालपुर फार्म में कुछ गड़बड़ी करनी थी ताकि उनपर

[श्री भीखालाल]

किसी तरह सीलिंग लागू न हो सके। इसी तरह से जब १९६० का कानून बनाया गया तो उन पांच दिनों के अन्दर सरकार के पक्ष में जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठे हुये लोगों के हस्तान्तरण और बटवारे उन पांच दिनों में हुये थे। इसलिये वह संशोधन किया गया। इसी से मेरे आक्षेप की पुष्टि होती है कि यह कानून जमीन बचाने के लिये ही बनाया गया।

माननीय चौधरी चरण सिंह जी चले गये, मैं चाहता था कि वह यहां पर होते क्योंकि वह भी उस सरकार मे उस वक्त थे। जमीनों के सम्बन्ध में हमारे प्रदेश में और भूमि व्यवस्था की जानकारी रखने वालों में वह भी प्रमुख व्यक्ति हैं। जमींदारी एबालिशन के वक्त उनकी बड़ी सेवायें रही हैं। लेकिन जमीन की सीलिंग की बंगलिंग करने में जितनी जिम्मेदारी और लोगों की है चौधरी चरण सिंह जी की कम नहीं है। जब यह विधेयक यहां पेश हुआ था, मैं भी सदस्य था। सम्भवतः १९६० में यह पेश हुआ था। उससे पहले पता नही था कि कितने एकड़ की सीलिंग होगी लेकिन माननीय चौधरी चरण सिंह ने अप्रैल, १९६० में मेरठ में एक सभा में भाषण किया कि ४० एकड़ की हदबन्दी लगाने जा रहे हैं, बागों को मुक्त करने जा रहे हैं ऐसा विधेयक असेम्बली में आने वाला है। यह चेतावनी थी लोगों के लिये कि ४० एकड़ से ऊपर जमीनों का अपना इन्तजाम कर लें, बाग लगा लें क्योंकि बागों को हम मुक्त करने जा रहे हैं। उसके बाद कितने ही फर्जी बाग लगे यह सब माननीय सदस्य जानते हैं जिनका देहातों से ताल्लुक है। इसके अलावा किस तरह से छूटें दी गयीं हैं माननीय राम सेवक जी ने जो पढ़कर सुनाया कि किस तरह के बागों के नाम पर बंगलिंग की गयी, दूसरी छूटें दी गयीं बाग के नाम पर, खलिहान के नाम पर, मकान के नाम पर, मकान के सहन के नाम पर, कुक्कुट पालन के नाम पर, फार्म की सड़कों के नाम पर, और न जाने किस किस नाम पर। इसका नतीजा यह हुआ कि जो जमीनें मिलने वाली भी थीं वह भी नहीं मिल सकीं। सब लोगों ने अपने तिकड़मों से बचा लीं। इस कमेटी ने तो चन्द उदाहरण दिये हैं वह हांडी में से एक, दो चावल निकाल कर परखने के समान है। हजारों की तादाद में ऐसे फार्म होंगे जिन्होंने ऐसी छूटों का बेजा फायदा उठा कर जमीनें बचाने की कोशिश की है। माननीय राम सेवक जी ने अभी रिपोर्ट से पढ़ कर सुनाया कि मजीठिया फार्म में ३,१३१ एकड़ जमीन थी और छूट हो गयी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के नाम पर ८८२ एकड़ की बागों के नाम ६८८ एकड़, डेरी के नाम ५०१ एकड़, सड़क के नाम १७ एकड़, डिस्टलरी के नाम ३३३ एकड़ इस तरह से कई नामों से जमीन को बचा लिया गया और केवल २९ एकड़ जमीन निकाली जा सकी।

जब सन् ७२ में संशोधन विधेयक लाया गया था तो कहा गया था सरकार की ओर से कि सीलिंग में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। १०–१८ एकड़ तक सीलिंग लगा रहे हैं। जब बिल लाया गया तो उसे २४ फरवरी, १९७० से लागू करने का प्राविधान रखा गया। जब सरकारी पक्ष पर बड़े-बड़े भू-स्वामियों का दबाव पड़ा तो सरकार फिर उससे भी पीछे हट गयी। पहला विधेयक वापस कर लिया गया और दूसरा एक विधेयक लाया गया और उसमें २४ जनवरी, १९७१ से लागू होने की बात कही गयी। इस बंगलिंग में चौधरी चरणसिंह की सेवा भी कुछ कम नहीं है। सन् १९६९ में कांग्रेस के टूटने के बाद, गुप्ता जी के साझे में जब चरणसिंह जी की मिनिस्ट्री बनी और १७ मार्च, १९७० में चरणसिंह जी ने मुख्य मंत्री का पद सम्भाला तो २४ मार्च, १९७० को अमीनुद्दौला पार्क में एक मीटिंग में चौधरी साहब ने नीति संबंधी सार्वजनिक रूप से पहली घोषणा की कि हमने निर्णय लिया है कि हम सीलिंग की सीमा को घटायेंगे, उसे ३० एकड़ करेंगे और आज से ही यह आदेश दे दिये जायेंगे और आज की तारीख से बंटवारे संबंधी कोई कार्यवाही नहीं होगी, रजिस्ट्रार के दफ्तर में रजिस्टर में लाइन खींच दी जायेगी, लेकिन जब उन पर उनकी सरकार में बैठे

हुए बड़े-बड़े भू-स्वामियों का दबाव पड़ा, उनको चुनौती दी गयी कि यदि तुम ऐसा करोगे तो मुख्य मंत्री नहीं रह पाओगे, तो उन्होंने विधान सभा में कहा कि मैंने अमीनुद्दौला पार्क में जो घोषणा की थी वह मेरी व्यक्तिगत राय थी, अभी सरकार ने इस संबंध में कोई फैसला नहीं किया है, कैबिनेट कोई निर्णय लेगी, तभी उसको लागू किया जायेगा । इससे जिन-जिन लोगों के पास अधिक जमीन थी उन सबको चेतावनी अवश्य मिल गई और उन सब ने अपनी-अपनी जमीन का बन्दोबस्त करना प्रारम्भ कर दिया ।

मान्यवर, जो भी कानून इस संबंध में बनाये गये थे वे इस दृष्टि से नहीं बनाये गये कि जमीन निकल सके, बल्कि इस दृष्टि से बने कि जमीन कैसे बचाई जा सके । खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, यह असर हुआ इनके कानूनों का । ठाकुर हुकुमसिंह जी ने इसी सदन में घोषणा की थी कि सीलिंग से करीब ६ लाख एकड़ जमीन निकलेगी । भरोसा उनको भी नहीं था, इसलिये उन्होंने बाद को यह भी कहा था कि ६ लाख न सही, ४ लाख 37 हजार एकड़ तो जरूर ही जमीन निकल आयेगी। मान्यवर, सरकार की जो भी घोषणायें होती हैं अब उन पर कोई यकीन नहीं रह गया है । सरकार के सचिव लोग किस प्रकार के आंकड़े बना कर देते हैं उन पर कोई भरोसा नहीं रह गया है । जो भी आंकड़े वे देते हैं मंत्री लोग आंख बन्द करके उसको यहां रख देते हैं । समय समय पर जब जैसे चाहते हैं आंकड़े प्रस्तुत कर देते हैं । मान्यवर, सन् १९६९ में सानियाल कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी और उसमें सीलिंग के बाद जो काम हुए हैं उसके कुछ आंकड़े उस रिपोर्ट में दिये हैं । जमीन पर जो उस वक्त तक कब्जा लिया गया १,८१,३६४ एकड़ थी और जो जमीन बंटी थी उस वक्त तक यानी १९६९ तक वह थी १,०४,०४१ एकड़ । मंगलदेव विशारद कमेटी की रिपोर्ट में जो सरकारी आंकड़े दिये गये हैं वे ३० जून, १९७३ तक के हैं। उसमें दिया गया है कि २,०१,००० हजार एकड़ जमीन पर कब्जा हुआ है और १,१०,००० एकड़ जमीन बंटी है। उसमें काश्तकारों को बंटी है ९०,००० एकड़, और २०,००० एकड़ कुछ संस्थाओं को बंटी है। इससे पहले काश्कारों को बंटी है १,०४,००० एकड़, और अब काश्तकारों को बंटी है ९०,००० एकड़ चार साल के बाद । उसके बाद पहले १९ मार्च, १९७४ को राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा कि १,१८,००० एकड़ जमीन बंटी है और उसके कुछ दिनों बाद अभी १२ जुलाई को हमारे राजस्व मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में बतलाया कि १,१७,००० एकड़ जमीन बंटी है। अब कौन से आंकड़े पर यकीन किया जाय ? इसके पहले हमारे राजस्व सचिव श्री चतुर्वेदी ने अखबारों में एक बयान दिया था । अखबार की कटिंग तो इस समय मेरे पास नहीं है लेकिन आंकड़े जरूर हैं। उनका कहना है कि १,४०,००० एकड़ जमीन बंटी है । तो हम किसकी बात को मानें कि किसके आंकड़े सही हैं, और इससे यह भी यकीन नहीं होता कि वास्तव में जमीन बंटी भी है या नहीं बंटी है । मान्यवर, आज तक इस सीलिंग के नाम पर जो कुछ हुआ उससे इस प्रदेश के भूमिहीनों की कोई सेवा नहीं हुई है ।

अब प्रश्न यह है कि क्या किया जाय ? इस कमेटी के सारे उद्धरणों को मैं नहीं पढ़ता क्योंकि श्री राम सेवक जी यादव ने उनको पढ़ दिया है। बहुत गम्भीर आरोप हैं । क्या सरकार उस संबंध में कुछ करने के लिये साहस रखती है। पंजाब में हरचन्द कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित होती है और उसमें देखा यह जाता है कि सरकार में बैठे हुये फलां-फलां मंत्रियों ने अपने पदों का दुरुपयोग करके अमुक-अमुक जमीन को अपने रिश्तेदारों के नाम या अपने नाम अंकित कराया है, उनको मंत्रिपद छोड़ना पड़ा और उनके खिलाफ कार्यवाही की गई । तो क्या यह सरकार साहस करेगी कि चाहे प्रदेश की सरकार में या केन्द्र की सरकार में जो मंत्री पद पर बैठे हुये हैं या जो सार्वजनिक जीवन में ऊंचे ओहदों पर बैठे हुये हैं या सरकार के दफ्तरों में ऊंचे पदों पर बैठे हुये हैं और अपने पदों का दुरुपयोग करके जमीनों को अपने नाम, अपने रिश्तेदारों के नाम कराये हों, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करें ? अगर साहस है तो माननीय मंत्री जी आज यहां

[श्री भीखा लाल]

घोषणा करें। मैं मांग करता हूं कि जिस तरह से हरचन्द कमेटी की रिपोर्ट पर पंजाब सरकार ने किया है, ऐसे लोगों को जिम्मेदारी के पदों से हटाया जाय और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

हमारी नौकरशाही ने भी उसमें कोई कम बेईमानी नहीं की है। इसकी बहुत सी मिशालें आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगी। अगर पूरे प्रदेश के आंकड़े को निकाला जाय और उन केसेज की जांच की जाय तो मालूम होगा कि वास्तव में नौकरशाही ने कानून की अवहेलना करके जमीनों को बांटने में मदद दी है। २४ फरवरी, ७१ के बाद जब कि संशोधन विधेयक विधान सभा में पास हो गया, खाली लखीमपुर जिले में ही हजारों की तादाद में बंटवारे हुये, बेनामें हुए और अधिकारियों ने उनमें मदद की और उनके दाखिल-खारिज के आदेश देकर अमलदरामद कराया। हस्तांतरण भी तमाम हुये हैं। तो क्या यह उनके द्वारा सीलिंग की उपेक्षा नहीं की जा रही है क्या आप इसकी जांच कराने के लिये तैयार हैं ?

अब मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। इस समस्या को हल करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी भी चिन्तित हैं। उन्होंने उस दिन सदन में नीति संबंधी बातें करते हुये कहा था कि जमीन जोतने वाले को ही जमीन दी जाय, यह नारा अमल में पूरा नहीं हुआ है। आज जो बड़े बड़े फार्म कायम हैं, १० साल के पहले जो एक ही परिवार की मिल्कियत थी और इस सीलिंग के कानून बनने के बाद भी उस पर एक ही परिवार की मिल्कियत बनी हुई है। आज सीलिंग से जमीन के बंटवारे की जो व्यवस्था है उसका प्रदेश को कृषि ढांचे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन क्या रास्ता है ? उन्होंने अपने भाषण में कोई रास्ता नहीं बताया। उन्होंने इतनी घोषणा तो की कि किसान को जमीन देंगे, भूमिहीनों को घर बनाने के तथा खेती के लिये जमीन देंगे। लेकिन सीलिंग को ठीक तरह से लागू नहीं किया गया है। इसको ठीक करने के लिये क्या करने जा रहे हैं। इसकी कोई घोषणा नहीं की।

इसलिये मेरा मत है कि इसको ठीक करने के लिये केवल २ ही विकल्प हैं। एक तो यह है कि जिस वक्त जमींदारी खत्म हुई थी, १९५२ में, उस समय जो रिकार्ड्स थे, उनके आधार पर मान कर उनको दुरुस्त किया जाय और उसके आधार पर सीलिंग लागू की जाय। लेकिन मान्यवर, इसमें काफी कठिनाई होगी। क्योंकि उस समय से अब तक जमीन का हस्तांतरण कई बार हो चुका होगा। कई बार जमीन बेची और खरीदी गयी होगी। कई लोगों के हाथों से वह गुजर चुकी होगी। तो इस तरीके से कठिनाई तो है पर इसको अपनाया जा सकता है।

दूसरा विकल्प है कि पूरी जमीन को नेशनलाइज किया जाय और नये सिरे से उसका बंटवारा किया जाय। जो जमीन के फर्जी जोतने वाले हैं उनके हाथों से जमीन को लिया जाय और नये सिरे से उनको जो वाकई जमीन के जोतने वाले हैं उनको दिया जाय। इसके लिये अर्थशास्त्रियों और कृषि पंडितों की सहायता ली जाय और इस बात का हिसाब-किताब लगावें कि किस तरह से जमीनें बांटी जायं, यही दो विकल्प हैं।

मैं राजस्व मंत्री जी से चाहूंगा कि जब वह जवाब में बोलें तो कुछ घोषणा करें कि क्या करने जा रहे हैं जिससे जो गरीब हैं जो हरिजन हैं, जो छोटे छोटे किसान हैं जो प्रदेश का पिछड़ा कमजोर वर्ग है, उसको किस प्रकार जमीन मिल सके।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने बोलने का अवसर दिया। यह जो प्रतिवेदन है। जिस पर चर्चा हो रही है, यह दरअसल कमजोर और भूमि हीन वर्ग को राहत देने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की नीयत से है। इसको मैं दो हिस्सों में बांटता हूं। मेरा कहना यह है कि सरकार इस समस्या को राजनैतिक दृष्टि से देखती है। यदि राजनीतिक दृष्टि से न देखती तो आज गरीब, असहाय हरिजन की समस्या का हल जरूर हो गया होता।

मान्यवर, जो १९७१ की सेंसेज रिपोर्ट है उसमें दिया हुआ है, उसी का उद्धरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। ७६ प्रतिशत की आबादी किसान और मजदूरों की है। इसमें से 17 प्रतिशत तो भूमिहीन मजदूर हैं। अगर इनकी संख्या देखी जाय तो १ करोड़ ६० लाख के लगभग है। अगर परिवार के हिसाब से देखा जाय तो यह ३२ लाख परिवार हैं। २ लाख एकड़ जमीन बतायी जाती है कि निकलने जा रही है। तो इन ३२ लाख परिवारों में २ लाख एकड़ जमीन किस प्रकार से बांटी जायगी इसकी किसी को चिंता नहीं है। केवल दूसरी बातों पर ही इसको यहां ध्यान दिया जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखें तो १ करोड़१५ लाख किसान परिवार हैं इसमें से ३५ प्रतिशत यानी कि ४० लाख लोगों के पास २ एकड़ से कम जमीन है। अगर इस प्रकार से जोड़ा जाय,४०+३२ =७२,तो ७२ लाखआदमी ऐसे हैं जिनको जमीन मिलनी चाहिये। तो आप इस २ लाख एकड़ जमीन का बंटवारा इतने लोगों में कैसे करेंगे। मिसाल के तौर आप100 एकड़ करेंगे, फिर ४० एकड़ करेंगे और फिर ३० एकड़ करेंगे और इसी तरह से गरीब किसान से वोट लेने के लिये आप उसे लालच देते रहेंगे। आप उसे इसी तरह से जबह करते रहेंगे। मैं तो समझता हूं कि इन लोगों का उद्धार करने की आपकी नियत नहीं है। वरना आपने इस तरफ कोई कदम उठाया होता। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि यह सारी भूमि बांटने पर भी समस्या हल नहीं होगी। २७ सालों में भी इन समस्याओं को हल करने में आपने ध्यान नहीं दिया। यदि ध्यान दिया होता तो जो छोटे और कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको खाने, वस्त्र तथा रहने के लिये मकान के लिये छोटे-छोटे उद्योग देते। आज केवल छोटे-छोटे धंधे कृषि पर ही न निर्भर रहते हैं। मंत्री जी इसका जवाब देंगे कि कितने भूमिहीन हैं और कितनों को जमीन बांटी गयी कितनों को जमीन नहीं मिली, इस पर विचार करेंगे। आज न मालूम कितने भूखों मर रहे हैं। इसलिये जो भूमि उपलब्ध है उसका किस प्रकार वितरण होना चाहिये, इस पर विचार नहीं किया है। यह समिति इससे संबंधित है।

लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने इस पहलू पर ध्यान दिया है कि जो जमीन की असमानता है वह समाप्त हो और यही हम लोगों की भी भावना थी। भूमि की पुनः वितरण करने की नियत से तथा स्तर ऊंचा उठाने की नियत से जमींदारी ऐक्ट और सीलिंग ऐक्ट भी लाये हैं। परन्तु इसके पीछे इनकी दो समस्यायें थी—एक तो आवास की समस्या और दूसरी जोतने वाली भूमि पाने की समस्या। दिनांक १४-७-७२ को १४ लाख से अधिक परिवारों को मकान की आवश्यकता थी। इनकी सूचना के अनुसार ५८ प्रतिशत लोगों को गृहस्थल मिल गया। आबादी के लिये तीन जरिये थे—ग्राम सभा से, चकबन्दी से तथा सीलिंग से। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से १९७२ के सर्वे के अनुसार आवास स्थल के लिये २७,७८६ हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता थी जो कि ग्राम सभा, चकबन्दी तथा सीलिंग से प्राप्त हुई। ग्राम सभायें भूमि का प्रबन्ध करती हैं। परन्तु उसमें बड़ी धांधलेबाजी हुई है। जो भूमि थी वह गरीबों को नहीं मिली बल्कि वह प्रभावशाली लोगों को मिली। बड़े लोग बराबर उस पर काबिज रहे और उसका ट्रांसफर नहीं होने दिया। भूमि के प्रबन्धक बड़े लोग ही थे इसलिये उनका गरीबों पर प्रभाव था और इसलिये भूमि का ठीक से बंटवारा नहीं हो सका। इसी प्रकार मान्यवर, जो परती जमीन पड़ी है वह बांटी नहीं जा सकती है क्योंकि वह ग्राम सभाओं के पास है और उसमें बड़े लोग होते हैं। तो श्रीमन्, हर गांव की स्थिति को जानना चाहिये। वहां जो परती जमीन पड़ी है वह भी गरीबों को नहीं मिली है क्योंकि उस पर भी बड़े लोगों का कब्जा है। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि इस पर कड़े कदम उठाये जाने चाहिये कि जो भूमि गांव समाज की है उसके बारे में एस०डी०ओ० हर गांव की रिपोर्ट दे। वह यह भी रिपोर्ट दे कि कितने लोगों के पास मकान नहीं हैं, कितने लोगों को भूमि का वितरण हुआ है और कितने को नहीं।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

एक दूसरी बात इस संबंध में कहकर मैं समाप्त कर दूं । वह यह है कि जो स्कीम बनाई थी वह मैंने देखी । जिन लोगों को जमींन मिली है भगवान जाने वह कैसे स्कीम बनाई गई । केंद्रीय सरकार की योजना थी कि १०० वर्ग गज जमींन मकान बनाने के लिये प्रत्येक परिवार को दी जाय । उस के लिये ३० लाख रुपया दिये जाने की बात थी । २४३ ब्लाक लिये गये लेकिन १७२ मंजूर हुए लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि अभीतक कर्मचारियों ने सिर्फ ६९,६९० रु० ही खर्च किया है, उसकी अवधि पूरी होने वाली है । मैं आशा करता हूं कि यह पूरा रुपया खर्च किया जावेगा और इस कार्य में शीघ्रता की जावेगी । जिनको यह जमींन दी जा रही है वह इतने गरीब हैं कि मकान बनाने के लिये उनको ऋण या अनुदान दिये जाने की भी जरूरत है । दूसरी बात मैं यह कह दूं कि लैन्ड एक्वीजीशन की प्रोसीडिंग्स बहुत लम्बी है । उसमें नियम १७ के अन्दर तुरन्त कब्जा दे दें तब तो ठीक है नहीं तो गरीब को मिल नहीं पाता है । उसको इससे राहत नहीं मिलती है । मैं यह भी कह दूं कि जो प्रिआरिटीज जमीन अलाट करने के बारे में रक्खी गई हैं वह बदलनी चाहिये । इस संबंध में इस समिति ने ठीक ही लिखा है । जब मैं वकील था तो बराबर इसके लिये लड़ता रहा हूं । शिक्षा संस्थाओं के नाम पर बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी जमींनों को ले लेते हैं । मैं तो मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस संबंध में जिलों से रिपोर्ट मंगावें और देखें कि कितनी जमींन इस तरह से चली गई है ।

जमींन दो ही तरीकों से मिल सकती है । पहला जमींदारी अबालिशन से जो ग्राम सभाओं को मिली है और दूसरे सीलिंग के जरिये । जमींदारी अबालिशन में जो प्राविधान है उसमें बहुत कमियां हैं । यह जमींन बड़े-बड़े आदमियों ने अपने कब्जे में कर रक्खी हैं । इसकी लेखपाल समय पर रिपोर्ट नहीं देता है और एस०डी०ओ० ऐसा समझता है कि उसकी इस संबंध में कोई ड्यूटी नहीं है । जो जमींन मिली है वह ग्राम समाज को मिली है तो उसका सही इस्तेमाल होना चाहिये । भूमिहीन की परिभाषा भी गलत है । उस पर भी विचार करने की जरूरत है । मैं एक बात की ओर और मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह कि सरकार ऊसर जमींन तुड़वाये और भूमिहीनों में बांटे । उनसे कुछ वर्ष तक लगान न लिया जाय और बाद में लिया जा सकता है । नदी के पेटे में भी जमींन पड़ी रहती है । उस पर बड़े बड़े लोग कब्जा कर लेते हैं । उसको भी आप देखें । अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि सीमाबन्दी के कानून में बहुत खामियां हैं । उनके बारे में भीखालाल जी ने ध्यान आकर्षित किया है । वह कमियां भी बतलाते हैं लेकिन गठबंधन भी उन्हीं से करते हैं और उधर ही झुके रहते हैं । यह मेरी शिकायत है, आलोचना नहीं । न मैं चौधरी साहब को जानता हूं, न बहुगुना को । मैं तो कांग्रेस को जानता हूं जिस खेमे में गये हैं । जिस खेमे को उन्होंने गले से लगाया है । वह दिल से मिल गये कि नहीं, वह अलग बात है ।

मान्यवर, सीलिंग ऐक्ट के अन्दर सारी जमीन अपने नाम करा लिया, घोड़ों के नाम करा लिया और एक मर्तबा तो जिक्र आया कि कुत्ते के नाम करा कर जमीन छिपाई गई । मैं बाहैसियत वकील के कहता हूं, कि वह प्रोसीजर लम्बा है। मंत्री जी जरा ध्यान दें । मैं फिर दुहराता हूं कि कुछ इन्स्टीट्यूशन्स ऐसे हैं. . . चैरेटिबिल इन्स्टीट्यूशन्स की तो मैं बात ही नहीं करता, जैसे एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स, बांसी और बस्ती में, आप देख लें । तो मेरा निवेदन है कि सीलिंग ऐक्ट में परिवर्तन करें । संयोग से यह प्रस्ताव सदन के सामने है । एक समिति बनेगी जो देखेगा कि कमजोर वर्गों को राहत मिली कि नहीं । लेकिन उसको एग्जीक्यूशन का पावर नहीं होगा । तो अगर नेकनीयती है, हरिजन वर्ग का हित करना चाहते हैं तो कृपा कर इसके एक आफिसर मुकर्रर करें, जो हर गांव से रिपोर्ट मंगावे और प्रोसीडिंग्स को एक्सपीडाइट करे, उनकी भूमि की निगरानी करे । कमीशन भी बुरी चीज नहीं है, अगर

ऐसी चीज हो जाय। मान्यवर, साधारण किसान का लड़का हूं। जमीन देने पर भी उनको राहत नहीं मिलती। जब उनके पास पैसा न हो। इसके अलावा बेदखल कर जमीन दें, तो केवल कागज पर कब्जा देना, बुरी बात है। बेदखल करने के बाद अगर फिर कब्जा कर ले, तो ५/२० के बजाय ५/५० कम्पेनसेशन करें। एक बार बेदखल होने के बाद दुबारा फिर कब्जा नहीं होना चाहिये।

इसके बाद मैं आखिरी बात कहता हूं कि गरीब तबके को मनी लैंडर बहुत चूसते हैं। दिया १०० रुपये और कह दिया कि साल भर काम करना पड़ेगा। उस रुपये से उसने बैल खरीद लिये। लेकिन मजदूरी उसको ८ आने और १२ आने से ज्यादा नहीं पड़ती। आप बीस कानून बनायें, उसको रोक नहीं सकते। इसलिये उनको आसान किश्तों पर और आसान सूद पर तकाबी का पैसा दें, जैसे कि कुछ इण्डस्ट्रीज के लिये ५ रुपये/६ रुपये परसेंट पर देते हैं। जो नयी जमीन तोड़ें, उनको अनुदान के रूप में दें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री लोकपति (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय उपनेता, विरोधी दल और माननीय भीखालाल जी ने गोपालपुर फार्म की चर्चा की। इसके पूर्व मंगलदेव विशारद की रिपोर्ट पर चर्चा के समय भी नेता, समाजवादी दल ने चर्चा उसके बारे में की। जहां तक गोपालपुर फार्म का मामला है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वह जो रिपोर्ट आई है वह वस्तु स्थिति से परे है। गोपालपुर कोआपरेटिव फार्मिग सोसाइटी लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन १९ जनवरी, १९५१ को हुआ था जमींदारी एबालीशन के पूर्व और इसके सदस्य १०५ आज भी हैं जो जमींदारी एबालिशन के पूर्व थे। दुःख यह है कि मंगलदेव जी को कोई ऐसी सूचना मिली थी कि मिर्जापुर जनपद में कोई सहकारी फार्म है जिसका रकबा ४ हजार एकड़ से अधिक है और वह कोआपरेटिव सोसाइटी के फार्म में है तो उसको किसी पदाधिकारी को बुलाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पहले उस बारे में जानकारी हासिल कर लेनी चाहिये थी। उस कोआपरेटिव फार्मिग सोसाइटी का मैं गालिबन ६४–६५ में कोषाध्यक्ष था। उतनी जानकारी के अन्तर्गत मैं सम्मानित सदन को बतलाना चाहता हूं कि उसमें न तो भूतपूर्व मुख्य मंत्री का कोई स्वार्थ था जैसा कि दो माननीय नेताओं ने कहा अपने भाषण के दौरान कि २४ फरवरी, ७० से यह कानून लागू हो यह पहले प्रतिवदन में आया लेकिन बाद में २४ फरवरी, ७१ कर दिया, इसलिये कि किसी एक सहकारी फार्म में कुछ जमीन का घपला करना था। यह बात सत्यता से परे है।

यह कोआपरेटिव फार्म ९३ व्यक्तियों के नाम दर्ज है, जिस समय यह कोआपरेटिव सोसाइटी बनी, रजिस्ट्रेशन हुआ तो उस समय जो बाईलाज बने उसमें यह लिखा हुआ है कि जब भी यह सहकारी समिति टूटेगी तो जो ओरिजनल मेम्बर्स हैं उनको यह जमीन वापस हो जायगी और वहां १०५ ओरिजनल मेम्बर्स थे जो आज भी हैं। जो कागज बना है रजिस्ट्रेशन का उसमें उन १४ व्यक्तियों का नाम दर्ज किया गया है जिन्होंने कोआपरेटिव सोसाइटी को जन्म दिया और जिनको डायरेक्टर एवं प्रबन्ध समिति के सदस्य कहा जा सकता है, वे १४ व्यक्ति थे। उनमें से कुछ लोग मर गये और उनके पारिवार के लोगों ने विरासत के बतौर अपने नाम चढ़ाने चाहे, जिसके लिये प्रार्थना-पत्र जिला प्रशासन को दिये गये। मेरे समय में भी दो तीन प्रार्थना-पत्र जिला प्रशासन को दिये गये थे लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। १९६९–७० में संभवतः सेक्शन २२९-बी के अन्तर्गत सब नाम चढ़ गये और इसमें कोई चीज फर्जी नहीं की गयी। इस प्रदेश में कभी सीलिंग आयेगी अथवा नहीं आयेगी, सीलिंग की क्या सीमा निर्धारित की जायगी उस समय इसकी कोई चर्चा तक नहीं थी। जो सदस्य पहले १०५ थे वे आज भी हैं। यही एक स्पष्टीकरण देने के लिये मैं खड़ा हुआ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री काशीनाथ मिश्र---

मैं खड़ा हुआ लेकिन मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता---

आपकी ओर ध्यान न दिया जाय यह कैसे हो सकता है ?

श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)---

मैं पहले भी खड़ा हुआ था लेकिन अवसर नहीं दिया गया । ओझा जी के बाद मुझे समय दिया जायगा यह मैं आशा करता हूं ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं निश्चित रूप से विशारद जी के प्रति आभारी हूं क्योंकि उन्होंने निर्भीकता और मेहनत के साथ इस रिपोर्ट को सदन के सामने रखने की हिम्मत की । हिम्मत शब्द मैं जानबूझ कर कह रहा हूं क्योंकि जो व्यक्ति लुटेरों के चक्कर में आ गया हो, उनकी गोद में रहा हो, जिन्होंने हमेशा भूमि हड़पने का काम किया हो उनके साथ रह कर निर्भयतापूर्वक यह रिपोर्ट दी तो हम यह कह सकेंगे कि उन्होंने रिपोर्ट देने का साहस किया और हिम्मत की ।

मान्यवर, कुछ वर्ष पूर्व जब हमारे दल ने "भूमि का बंटवारा हो" का आन्दोलन चलाया था तो उसे सत्ता पक्ष के लोगों ने भूमि हड़पो आन्दोलन (लैण्ड ग्रेब मूवमेंट) कहा था । जो दल भूमि का बंटवारा चाहता हो, उसके लिये आन्दोलन करता हो उसके लिये ऐसा कहना कहां तक उचित है ? यह प्रतिवेदन कहता है कि इसका सत्ता पक्ष से सीधा रास्ता है । भूमि के बंटवारे के बारे में कई कानून बने और सभी कानूनों की एक ही मंशा थी कि किस तरह से भूमिहीनों को उनके द्वारा जमीन उपलब्ध करायी जाय किन्तु इस रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि सारे जो भी नियम हैं वे सब बड़े लोगों के लिये ही हैं । अब मैं इसी प्रतिवेदन में निर्दिष्ट एक दृष्टान्त आपके सामने रखना चाहता हूं । यहां पर सरदार सुरेन्द्र सिंह मजीठिया की चर्चा हुई । मजीठिया परिवार की चर्चा केवल इसलिये नहीं आयी कि वे केन्द्र में उप रक्षा मंत्री थे बल्कि उसके पीछे इतिहास है । सन १८५७ में जब पूर्वी जिलों के लोग अंग्रेजों को बाहर निकालने की लड़ाई लड़ रहे थे, इस देश में आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय बुद्धिसिंह जिसकी काफी जमीन थी, उनको पेड़ में लटकाकर गोली मारने वाले भी सत्ता पक्ष के लोग ही थे जिनके कब्जे में अभी भी उस व्यक्ति की साढ़े तीन हजार एकड़ जमीन है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की प्रक्रिया पूरे प्रदेश ही नहीं अपितु देश में हो रही है । इस भूमि के स्वामित्व के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है । इसका पता लगाया जाय कि यह जमीन किन-किन लोगों के पास किस-किस तरह से है । कानून बनाकर जमीन को गोलमाल किया गया और उसमें स्वामित्व पैदा कर लिया । जिन्होंने भूमि को तोड़ा, भूमि को समतल बनाया, उसे उपजाऊ बनाया, उसमें अपना खून पसीना बहाकर खेती के योग्य बनाया वे स्लेव और गुलाम कहे गये । आज गुलाम की फौज इस देश में भरी पड़ी है । बड़े लोगों ने, सत्ताधारियों ने अपनी तिकड़म से, जाल-बट्टे से भूमि पर कब्जा कर लिया । वे लोग आज जितने भी कानून बना रहे हैं उनसे लगता है कि आज भी वे उस भूमि को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं । इस बारे में कई बार यह सवाल यहां पर आया और चर्चा भी हुई और मंत्रियों ने बयान भी दिये किन्तु मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि अगर सरकार की मंशा भूमि वितरण की है, अगर सरकार चाहती है कि भूमि का बंटवारा हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, पूर्ण शक्ति के साथ, संकल्प के साथ, डिटरमिनेशन के साथ मैदान में आना चाहिये था और कहना चाहिये था कि हम जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू कर रहे हैं । मुख्य मंत्री जी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ने इस बारे में कुछ कोशिश भी की किन्तु जो उनके प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा कि यदि आप ऐसा करेंगे तो हम सरकार को नहीं चलने देंगे।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक कमीशन हरिशरण नाम का पंजाब में गठित किया गया था। क्या उसी तरह का कमीशन सरकार बैठाने के लिये सचेष्ट है? मैं आज निश्चित रूप से और कैटेगोरिकली आश्वासन चाहता हूं कि ऐसी एक कमेटी बैठायी जाय। जो यह प्रतिवेदन है वह एक प्रिपिरेटरी रिपोर्ट है और भूमि को हड़पने मात्र की ओर इशारा करती है। आज प्रदेश में लैन्ड लेस लेबरर्स की संख्या बढ़ रही है, भूख की समस्या बढ़ रही है इसलिये भूमि का इस प्रदेश में बहुत अहम सवाल है। आज जो छोटी जोत के लोग हैं, उनकी समस्याएं बढ़ रही हैं। जमींदारी टूटने के बाद, सत्ता के आर्थिक साधनों का, राजनैतिक साधनों का फिर से केन्द्रीयकरण शुरू हो गया है। ट्रैक्टर आपने किसको दिया, कर्ज किसको दे रहे हैं, जो इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंट्स हैं उनको किसको दे रहे हैं? यह सब आप उन्हीं लोगों को दे रहे है, जिनके पास काफी जमीन पड़ी हुई है। जिन्होंने जाल-बट्टे से, तिकड़म से, मां-बाप के द्वारा लूटी हुई जमीनों को अपने पास छल-बल से बनाए रखा है, रोके रखा है। आज उन्हीं के हवाले सारे साधन, सारा पैसा और सारा बजट आप करने जा रहे हैं और प्रदेश का वह छोटा किसान जो वातस्व में हल चलाता है, जिसको जमीन से मोहब्बत है, जो उसे अपनी मां कहकर उसकी पूजा करता है, जो दिन-रात उसमें पसीना बहाता है, वह भूमि के लिये तरस रहा है। वह भूमि पर जान देता है, लेकिन भूमि का मालिक नहीं है। तो सरकार की कोई नीति बने कि भूमि जो खेत में काम करने वाले हैं, उनके हवाले की जाए।

यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जो प्रकृति प्रदत्त चीज है, जिस वस्तु को भगवान ने पैदा किया है, वह चीज समाज की होती है, व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। जैसे कि रोशनी, पानी, हवा हैं, जो कि प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, वे समाज की हैं, किसी व्यक्ति विशेष का उस पर कोई अधिकार नहीं, उसी तरह से जमीन पर भी समाज का स्वामित्व होना चाहिये। उत्पादन के जो साधन है, उनमें जमीन से बड़ा कोई साधन नहीं है। जमीन पर सार्वजनिक स्वामित्व हो, इसकी घोषणा सरकार को करना चाहिये। इस प्रतिवेदन में जिन बातों की ओर इशारा किया गया है, उसके लिये सरकार को आवश्यक है कि ज्यादा सत्ता के अधिकारों के साथ एक दूसरी कमेटी बिठानी चाहिये, जो, सारे प्रदेश में जो भूमि की अव्यवस्था और लूट हुई है, उसको प्रकाश में लाकर नये सिरे से भूमि का बटवारा करे। जो भूमि पर काम करने वाले लोग हैं, उसके हवाले भूमि करनी चाहिये। जिसने कभी खेती नहीं की है, या पेड़ और खेत नहीं देखे हैं, ऐसे लोगों के पास भूमि रखने से, मैं समझता हूं उत्पादन शक्ति के कम होने और अशान्ति और अव्यवस्था होने के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा।

अन्त में मैं इस प्रतिवेदन का समर्थन करते हुये निवेदन करूंगा कि शासन कोई दूसरी कमेटी बनावे, जो ज्यादा शक्ति सम्पन्न हो और जो भूमि की प्रदेश में दुर्दशा हुई है, उसको सही दिशा दे।

*श्री काशीनाथ मिश्र––

अधिष्ठाता महोदय, जैसा भीखालाल जी ने कहा, वास्तव में जैसा मंगलदेव विशारद और उनकी कमेटी ने इस प्रकार की विस्तृत रिपोर्ट पेश करके सारे प्रदेश की जबरदस्त सेवा की है और जो चीजें प्रकाश में नहीं थीं, उनको भी वह प्रकाश में लाई है, उसके लिये वह सचमुच और कमेटी के अन्य सदस्य सराहना के पात्र हैं। जहां तक राम सेवक यादव ने जो कहा कि इस सरकार की न नीयत है न लक्ष्य है कि जमीन का बटवारा हो, उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा। यह साफ है कि कांग्रेस सरकार ने ही इस कमेटी को बिठाया,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

इसलिये वह सरकार भी प्रशंसा की पात्र होनी चाहिये। उनकी और उनकी सम्बन्धित पार्टी की हिम्मत नहीं थी, जिन्होंने लम्बी चौड़ी बात की, कि वे इस दिशा में कोई कदम उठाते। वे केवल बातें ही करते रहे। उनका भी लक्ष्य यह था कि जमीन को हथियाने और हड़पने का काम चलता रहे। जो भी शासन दिल्ली में रहा, उस शासन ने जमीन को अपना हथियार बनाया। मुगलों के जमाने में बड़े-बड़े नवाब कायम किये गये, बड़ी-बड़ी जमीन उनके कब्जे में की गई, ताकि वे सत्ता के समर्थक रहें। अंग्रेजों के जमाने में भी यही हुआ, राजा-महाराजाओं, खान बहादुरों को जमीनें दी गईं, जो उनके समर्थक रहे। आज मैं कांग्रेस की हूकूमत से कहना चाहता हूं कि अगर सचमुच कांग्रेस अपनी जड़ को जन साधारण में मजबूत करना चाहती है तो जो हरिजन, मजदूर, किसान, गरीब है, जो उसको वोट देते हैं जमीन पर इनकी मिल्कियत कायम करनी होगी। जांच कमीशन भी अपनी रिपोर्ट में कहता है कि जब तक जमीन की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक नये समाज का नये देश का निर्माण नहीं कर सकते। जमीन की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। उस दिन कृषि अनुदान पर बोलते हुये माननीय बहुगुणा जी ने कहा कि कृषि उत्पादन और भूमि व्यवस्था का घनिष्ट सम्बन्ध है कृषि का उत्पादन तेजी से नहीं बढ़ रहा है और कृषि में मौलिक परिवर्तन नहीं कर पाये हैं। भूमि की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, जो आज कमी है। यह सारी बात रिपोर्ट में है। सवाल है कि इस कमी को कैसे दूर किया जाय। आज देहात के अन्दर १० एकड़ की जोत रखने वाला किसान समाज में जो स्थान रखता है, शहर में पचास लाख का बनिया व्यापारी वह दबदबा नगर में रखता, जो सामंती ठाठबाट है जो मुगलों के जमाने से चला आ रहा है, उस दबदबे को खत्म करने के लिये, गांवों के सम्बन्धों को नये सिरे से कायम करने के लिये, नये समाज में समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लिये आवश्यक है कि भूमि व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन, क्रान्तिकारी परिवर्तन किया जाय। इसमें दो रायें नहीं हैं। जैसा भीखालाल जी ने कहा, शासन पर बैठने वालों को एक मात्र अधिकार है कि सारे उत्तर प्रदेश, सारे देश की जो मिल्कियत है, कांग्रेस सरकार की मिल्कियत में समावेश हो, नये सिरे से प्रबन्ध करने के लिये। माता प्रसाद जी ने जैसा कहा, माधव प्रसाद जी की पार्टी का जमीन के बटवारे में विश्वास नहीं है और न रामसेवक जी की पार्टी का विश्वास है। नेता विरोधी दल ने कहा था कि लगान लगना चाहिये। भारतीय क्रान्ति दल के चुनाव घोषणा पत्र में जमीन की नये सिरे से व्यवस्था करने की बात नहीं है। माधव प्रसाद जी कह रहे थे कि भूमिहीनों को जमीन दे दी जाय। मैं सही मानी में कहना चाहता हूं कि आज लगान की भी बात है। लगान खत्म होना चाहिये। यह मुगलों की परिपाटी है। यह प्रथा मुगलों से लेकर अंग्रेजों के जमाने में थी। इस बात के होते हुये भी चौधरी चरण सिंह कहते हैं कि लगान लगना चाहिये। आप एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लगायें।

इसमें २७० फार्मों के सम्बन्ध में जो बात कही है जमीन सही है पर मिल्कियत को कायम रखने के लिये सोसाइटियां कायम की गयी हैं। जैसा कि माता प्रसाद जी ने कहा है कि जिन्होंने ऐसी सोसाइटियां बनायी हैं या सारी जमीनों को फार्म में मिला लिया है, सरकार, सरकारी मिल्कियत घोषित कर दे और जो उस क्षेत्र के भूमिहीन, किसान, मजदूर हैं उनमें बांट दी जाय और जो आज तक उनके मालिक रहे हैं उनको दंडित किया जाय, उनका दंड इतना ही है कि उनको बिलकुल मिल्कियत से अलग कर दिया जाय। एक धुर, एक गट्ठा जिनका रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, ऐसा कानून बनायें, सारे इस तरह से लोग, जितने फार्म वाले लोग हैं एक आदमी भी एक धुर का मालिक नहीं रह सकता। और इस बात को भी ऐलान करना होगा कि गजटी नौकरियों, खेती और व्यापार तीनों एक ही परिवार में समाविष्ट नहीं होंगी। जब समाजवादी व्यवस्था की बात करते हैं तो किसी परिवार में बड़ी-बड़ी खेती रहे, नौकरियां रहें और व्यापार भी रहे तो इससे धन एक जगह इकट्ठा हो जायेगा। हम लोगों को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी। जैसा कि भीखालाल जी ने कहा कि ऐसा नियम बनाया जाय

कि किसी एक परिवार में खेती होगी तो उसमें अफसरशाही नहीं होगी, उसमें व्यापार नहीं होगा। एक परिवार में खेती रहे, दूसरे में व्यापार रहे और तीसरे में नौकरियां रहें। जब ऐसी व्यवस्था करेंगे तो सच्चे माने में हमारे यहां समाजवाद आयेगा।

हमारे पास जमीन की कमी नहीं है। करोड़ों एकड़ जमीन है और सारे हरिजन, भूमिहीनों को जमीन मिल सकती है। आज तक लैंड रेवेन्यू का सही कानून नहीं बन पाया। इस लिये नये सिरे से कानून बनाया जाय। आप जोतदार की परिभाषा कीजिये। यह जो आपने भूमिधरी के चार खण्ड बनाये हैं उसको खत्म करके एक ही वर्ग बनाइये। इस तरह की व्यवस्था करेंगे तो समाजवाद कायम करने की शुरुआत होगी। इस कमेटी की रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी कार्यान्वित की जाय। इस संबंध में प्रदेशीय सरकार क्रान्तिकारी कानून जल्द से जल्द बनाये।

*श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, माननीय काशीनाथ मिश्र ने जो बात कही, यदि सत्ता पार्टी और कांग्रेस के लोग इसे मान लें और कार्यान्वित करने लग जायं तो मैं समझूंगा कि इधर जितने भी लोग बैठे हैं उनका उनसे कोई भी विरोध नहीं रह जायेगा, इस मसले को लेकर। लेकिन प्रश्न यह है और हमारा अनुभव बताता है कि २५-२६ वर्षों से इस मसले को जान बूझ कर बिगाड़ा गया है और यह इल्जाम माननीय रामसेवक जी ने अपने भाषण में सत्तारूढ़ दल के ऊपर लगाया था। यह जो कमेटी बनी इसकी रिपोर्ट आ गई है परन्तु पुनः प्रश्न यह उठेगा। जो छिपी हुई चीज थी उसको मंगलदेव विशारद समिति ने उजागर किया और सबके सामने ला दिया है। चीज तो थी लेकिन छिपी हुई थी। सरकार की जानकारी में था लेकिन कागजों में छिपी हुई थी, उसको सामने ला दिया है। ऐसा नहीं है कि वे लोग जो इन प्रश्नों पर लगातार आवाज उठा रहे हैं, उनके सामने यह प्रश्न साफ तौर पर नहीं रहा है।

(इस समय ३ बज कर २४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

अध्यक्ष महोदय मैं लगातार पिछले २०-२५ वर्षों से इसी इलाके में अपनी लड़ाई और कार्य का क्षेत्र बनाये हुये हूं जहां पर सर सुरेन्द्र सिंह मजीठिया और श्री सुरजीत सिंह मजीठिया रहते हैं वह मेरा जिला है और वे इस इलाके के महाराजा कहलाते हैं। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त है कि उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने में कांग्रेस पार्टी की पुलिस का मुकाबला करना पड़ा है और कई बार गोली चली है और ६-६ महीने तक मुझे जेल में रहना पड़ा है मैं बराबर देख रहा हूं जब मैं गोरखपुर से चलता हूं और कागज पढ़ता हूं और नियम और कानून देखता हूं तो पता चलता है कि ४० एकड़ से ज्यादा जमीन रखने का किसी को अधिकार नहीं है सीलिंग ऐक्ट के अनुसार यह गैर कानूनी है लेकिन जैसे ही गोरखपुर से ५-६ मील मोटर से बैठ कर आगे बढ़ता हूं तो जैसे ही कुसमी का जंगल पार किया तो १५-१६ मील के इलाके में आप किसी से पूछें कि जमीन किसकी बाग किसका तो यही मालूम होगा कि सर सुरेन्द्र सिंह मजीठिया की है। जब अंग्रेजों ने पूरे प्रदेश और देश को अपने चंगुल में दबोच रखा था उस समय इस परिवार ने इस प्रदेश के बहादुर वीर बन्धु सिंह को मरवाने में मदद की थी। इनको उस इलाके का राजा बना दिया गया उस जमीन को अभी तक कांग्रेस पार्टी के ने छीन नहीं पायी है। पिछले साल हजारों एकड़ जमीन का बन्दोबस्त होने के सम्बन्ध में पैसा वसूल किया। सरकार के सारे कानूनों को ताख पर रखकर उन्होंने यह काम किया।

जब माननीय मंगलदेव विशारद की समिति हमारे यहां गयी तो हमने सरकार का कानून होते हुये भी किया जैसे प्रधान मंत्री एलान कर रही थीं कि हम पुराने पापों को धोकर नया बन्दोबस्त करने जा रही हैं। माननीय मंगलदेव विशारद, ओझा जी, काशीनाथ मिश्र और माननीय अध्यक्ष जी आपने भी उन आन्दोलनों में सिरकत की थी और मैं उन संघर्षों का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मधुकर दिघे]

संचालक रहा हूं। सरकार ने ऐलान कर दिया कि २३ एकड़ जमीन पर नया हवाई अड्डा बनान के लिये कागजात की दुरुस्ती करने का काम इस परिवार ने किया। एक आदमी ह जो दिल्ली में ट्रान्सपोर्ट का धन्धा करता है और हरिद्वार में उसका फार्म है। शाहनेवाज खां के नाम से भी फार्म है। बड़े-बड़े अधिकारियों के नाम से फार्म हैं। लखनऊ से चलकर बाराबंकी तक लखनऊ से कानपुर और लखनऊ से सीतापुर तक बड़े अधिकारियों के नाम के फार्म हैं। यह काम उस समय शुरू हुआ जब हमें भूमिहीनों को भूमि बांटनी है। जमीन आज भी नहीं बंटी। हरिजन आज भी जमीन नहीं पा रहा है। क्योंकि यह सरकार नहीं चाहती है कि उन्हें जमीन मिल सके। बार-बार कहा जाता है कि उनको भूमि दी जायेगी और नियमों का हवाला दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में पुलिस की व्यवस्था की जाये। कोई पुलिस का दरोगा या सिपाही नहीं होता है इतना ही नहीं मेरा अनुभव मान्यवर यह है कि जो इनके कर्मचारी हैं इसके जो पुलिस के अधिकारी हैं वे लोग खुद अपनी जबान से मैंने अपने कानों से सुना कि उन लोगों ने कहा कि क्या जमीन देकर होगा? कैसे यह चमरा जमीन जोत कर अनाज पैदा कर पायेगा ? ऐसी बात हम लोगों को सुनने को मिली हैं। माननीय काशीनाथ जी कहते हैं कि सरकार चाहती है कि जमीन बांटे परन्तु हम उनको बांटने में रोड़ा अटकाते हैं।

मान्यवर पूरा सदन चाहता है कि भूमि व्यवस्था बदले। तो यह कहता हूं कि अगर यह सरकार ईमानदार होती अगर राजस्व मंत्री जी ईमानदारी से यह काम करना चाहें तो १ महीने के अन्दर जितनी भी ऐसी जमीने हैं जो भी सीलिंग के अन्दर निकल जा सकती हैं ऐसी जमीन जो परती और बंजर है उसके ऊपर एक कानून बना कर कि यह सारी जमीन आज से सरकार की हो गई उसके लिये एक महीने कर्मचारियों को लगाकर हदबंदी करा दें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे जिले में केवल एक कांग्रेस का नेता सर सुरेन्द्र सिंह मजीठिया है। पुरुषोत्तम दास फारेस्ट से लगातार इस बात के लिये लड़ते रहे कि यह जमीन फारेस्ट की नहीं है यह जमीन तो हमारी है जहां पर ओझा जी भी गिरफ्तार हुये थे मेरे साथ, मेरे साथ डेढ़ सौ आदमी वहां पर गिरफ्तार हुये थे उस जमीन पर हाई कोर्ट का फैसला हो गया कि यह जमीन फारेस्ट की नहीं है यह जमीन पुरुषोत्तम दास रईस की है। लेकिन इन्दराज नहीं कराया अभी तक क्योंकि अगर इन्दराज करा देंगे तो जमीन सीलिंग में निकल जायगी। इस लिये १ वर्ष तक लगातार उस जमीन का इन्दराज नहीं कराया।

मान्यवर मंगलदेव की कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद यह जमी न बंट जायगी यह उम्मीद की गई थी लेकिन अभी तक कोई जमीन का बंटवारा नहीं हुआ। मुझे आज भी यह विश्वास नहीं है कि यह जमीन के बंटवारे का काम यह सरकार करेगी। अगर यह सरकार बंटवारा करना चाहती है तो जैसा मैंने कहा कि १ महीने के अन्दर विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करके जिले में लेखपालों और कानूनगो से कागजात लेकर पूरे प्रदेश की सारी जमीन का कब्जा लेकर बंटवारा का काम किया जा सकता है। लेकिन यदि ईमानदारी हो और यह काम करने पर ही जैसा माननीय काशीनाथ मिश्र ने कहा कि वह ठीक ही कहा कि अगर आपकी व्यवस्था ठीक नहीं होती तो अन्न का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता है। कुछ जमीनों पर झगड़े के कारण फसल नहीं उगाई जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि प्रदेश में कागज में तो लेखपाल लिख देता है यह लागत में लाई हुई जमीन है उत्पादन हो रहा है लेकिन वास्तविकता यह होती है कि केवल झगड़े के कारण उत्पादन नहीं हो रहा है। जो उत्पादन हो सकता है उस उत्पादन से हम लोग वंचित हो जाते हैं और प्रदेश में अन्न की कमी हो जाती है। हजारों एकड़ ऐसी जमीन निकल सकती है जिसका उत्पादन जमीन की पुनर्वितरण व्यवस्था के द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है। जो समिति की रिपोर्ट

आपके सामने आ गयी है, सारी चीजें उसमें उजागर हो गयी हैं तो कम से कम यह सरकार उस नियत से जिसकी हम उपेक्षा करते हैं उसे पूरा करे क्योंकि बोल और कार्य, जब तक कथनी और करनी का मिलान न होगा जो आपके मन को इच्छा हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता है। करोड़ों हरिजनों के लिए कोई महत्व नहीं रखता है। अगर आप इसे अमल में लाना चाहते हैं तो अपनी कथनी और करनी में सेल लाइये तब यह प्रश्न हल हो सकता है।

इन शब्दों के साथ जिस समिति ने यह रिपोर्ट दी उसके अपने और अपने दल की ओर से धन्यवाद देता हूं क्योंकि ऐसे प्रश्न कम से कम सदन और जनता के सामने तो आ गये हैं।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

इस रिपोर्ट के संबंध में जो सदन के सम्मुख पेश है जैसा कि माननीय दिधे जी ने कहा मैं भी उस समिति को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि काफी लम्बे अरसे से 25–26 वर्षों से अगर कहूं तो जो बातें सदन में और बाहर कही जाती रही हैं जिन खामियों और कमियों की ओर इशारे के रूप में किया जाता रहा है उन सारी चीजों का जिक्र इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में किया है। माननीय राम सेवक यादव और अन्य माननीय सदस्यों ने जिन प्रश्नों की ओर इशारा किया है मैं समझता हूं कि उनके बारे में २ रायें नहीं हैं। सवाल एक बात का है कि यह कहना कि आपकी नीयत नहीं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। अगर सरकार की ऐसी नीयत न होती तो इस समिति का प्रतिवेदन इस रूप में आपके सामने न आता।

श्री राम सेवक यादव—

इन्होंने नीयत नहीं कहा बदनियत कहा है।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

तो यह इस बात को जाहिर करता है कि जब कोई मर्ज होता है तो उसका डाइगनोसिस करना बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगर सही मर्ज का पता न चले तो इलाज वैसे ही होता है जैसे अंधेरे में कोई तीर चलाता है। मुझे खुशी है कि जो मर्ज है कम से कम उसकी सही रूप से पहचान कर इसे अधिकारिक रूप में सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है। यह बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण घटना है। चूंकि भूमि का बंटवारा भूमिहीनों को जमीन मिलना उनके आवास की समस्या और फिर उसका इस्तेमाल कैसे होता है उसका हस्तांतरण कैसे दूसरे लोगों के हाथ में हो रहा है ये सब मसले ऐसे हैं जिन पर बहुत विस्तृत विवेचन की आवश्यकता है जसा कि सभी माननीय सदस्यों ने कहा है।

मैं केवल २ बातों की ओर इशारा करता हूं। कमेटी की जो एप्रोच इस मायने में रही है कि राजस्व विभाग की महकमें के अधिकारियों के पास बहुत कम है इस वजह से विभिन्न जो अधिनियम बनाये गये हैं उनको वे अन्जाम नहीं दे पाते हैं इसको मैं नहीं मानता हूं मैं इससे अपनी असहमित प्रकट करता हूं। जो लोग बहुत से कामों को अंजाम नहीं दे पाते हैं ९० प्रतिशत उनमें से जो गड़बड़ियां होती हैं व गलत नीतियों के कारण हो रही हैं। मैंने स्वयं एक रिपोर्ट तैयार की है। मेरे पास जो आवेदन पत्र आते रहे हैं इस प्रदेश के दूसरे इलाक़ों से उनका उसमें जिक्र है। माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो जोत संबंधी अधिनियम में छूट दी है उनकी ओर दिलाना चाहता हूं। भू-दान की जमीनों को आपने छोड़ दिया है। आपके मन में माननीय जय प्रकाश नारायण और बिनोबा जी के प्रति जो आदर है उसे ध्यान में रखते हुये आपकी समझ में आया और ऐसे जो संस्थान हैं उनकी जमीनों को हदबन्दी से आपने मुक्त कर दिया। श्रीमन् मेरे पास रिपोर्ट मौजूद है कि इसी कानपुर के जिले में भूदान की जमीन के पट्टे उन लोगों ने ले लिये हैं जिनके पास एक-एक महीने में १५–१५, २०–२० हजार रुपया खाली मकान के किराये की आमदनी होती है। मेरे पास नाम हैं, रिपोर्ट है। अधिकारी ने जांच की कि हां

[श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव]

यह सही बात है कि जिन लोगों ने भूदान की जमीन का 72 एकड़ जमीन का पट्टा लिया और उन लोगों का परिवार बड़े-बड़े जो पूंजीपति थे एक बाप के 7 बेटे और उनकी ७ बहुयें और उन्हीं के दो नौकर-इतने आदमियों के नाम भूदान की जमीन का पट्टा लिया गया। तो कृपया इस तरह की जो संस्थायें हैं उनकी ओर निगाह डालें।

दूसरी बात कहना चाहूंगा कि एक तो जमीन का बंटवारा करते समय व्यक्तिगत भूमिहीनों को आप जमीन देना बन्द कर दें। मेरे पास रिपोर्ट मौजूद हैं। एक गांव में एक मनीलेंडर ने 18 आदमियों से जिनको आप भूमिहीन नहीं कह सकते एक के पास 2 बिसवा, दूसरे के पास 4 बिसवा, एक के पास 7 बिसवा इस तरह से जमीन थी तो 17 आदमियों के बनामें उनकी जमीनों के 10-10 15 रुपया कर्जा देकर करा लिये और 4 सालो में उस कर्जे का सूद बढ़ा करके उनकी जमीनों को लिखा लिया। तो छोट-छोटे काश्तकारों की जमीनों के इस प्रकार हस्तांतरण हो जाते हैं। तो मेरा दूसरा सुझाव यह है कि ऐसा करें कि सहकारी समितियां भूमिहीनों की बनाकर उनको जमीन दें। किसी एक आदमी को देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि न तो उनके पास साधन हैं, धीरे-धीरे वह जमीनें संपत्तिवान लोगों के हाथ में वे बेंच देते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इजराइल में यह प्रयोग सफलता के साथ किया जा चुका है। क्योंकि जो नये लोग आकर बसे उनको जमीन दी और किबुताश और मोशाब नाम के जो फार्म बने हैं उनमें ऐसी जमीनें थीं कि जिन पर मिल्कियत किसी की नहीं थी। जो उस पर आबाद हैं उनकी सामूहिक मिल्कियत मानी जाती है। तो आप जो यह बांटते वक्त दो बीघा, एक बीघा, 5, 12 देते हैं इसका कोई अर्थ नहीं है सिवाय इसके कि केवल हरिजन से ढेले फुड़वाना चाहते हैं दूसरा परपज साल्व नहीं होता। इसलिये आप सहकारी समितियां बना कर के भूमिहीनों को उतने साधन मुहइया करें और उनको भूमि दें।

*श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, आपने भूमि व्यवस्था जांच समिति के संबंध में मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं। 8 फरवरी, 1972 से 30 मार्च 1974 तक दो वर्ष से अधिक समय लगा कर माननीय मंगलदेव विशारद जी की अध्यक्षता में जो समिति बनी, उसने जो अथक परिश्रम किया और आज हमारे सामने यहां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है इसके संबंध में जिन उद्देश्यों को लेकर यह समिति गठित की गयी थी वह इस प्रकार है:—

समाज के निर्बल वर्गों के लिये आवास-स्थल आवंटन की व्यवस्था। कृषि भूमि का आबंटन। अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त भूमि जो प्राप्त हुई उसका आबंटन तथा अनधिकृत कब्जे जिन लोगों ने कर लिये उनसे भूमि वापस दिलाने की व्यवस्था। और यह जो अन्य प्रकार के स्रोतों से जो भूमि प्राप्त हुई उस भूमि की व्यवस्था तथा भूमिहीनों में जो भूमि बांटी जाय। उसके लिये साधन का जो अभाव है उसको दूर करने का प्रयास किया जाय तथा जो भूमि लोग प्राप्त करके उसका हस्तांतरण करते हैं इसकी रोकथाम की व्यवस्था की जाय तथा भूमिहीन किसान को तकावी और ऋण की व्यवस्था की जाय, इन समस्याओं को लेकर इस समिति की स्थापना हुई थी। मैं समझता हूं कि कृषि के संबंध में भूमि के बंटवारे के संबंध में आजादी के समय से यह बात लगातार उठायी जाती रही और जमींदारी एबालिशन के बाद भूमि को किस प्रकार वितरित किया जाय इसके संबंध में बार-बार बात उठायी जाती रही। लेकिन जिस प्रकार से भूमि की व्यवस्था और भूमि का बंटवारा करने का विचार किया गया वह शायद आज तक सफल नहीं हो पाया। उद्देश्य तो यह था कि जो भूमि ऐसे किसानों के पास

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आ चुकी है जो उस पर खेती कर नहीं पाते या इतना अन्न नहीं पैदा कर पाते जितना दूसरा कोई कर पाता जिससे अपने प्रदेश की खाद्य समस्या सुलझाई जा सके और प्रदेश खाद्य के बारे में अपने पैरों पर खड़ा हो सके। एक तो इस विकट समस्या को हल करने के लिये यह विचार किया गया था कि जमीन का उचित रूप से बटवारा किया जाय। दूसरे, जिनके पास खेती नहीं है और वे खेतिहर मजदूर कहे जाते हैं, खेती में काम करते हैं, रात दिन पसीना बहाते हैं लेकिन उनको शाम को भरपेट खाने को अन्न नहीं मिलता ऐसे भूमिहीन किसानों को जमीन दी जाय जो स्वयं अपने हाथ से खेती करके अपनी जीविका चला सकें इसके ऊपर हमारे बहुत से अन्य माननीय सदस्यों ने चर्चायें की हैं। मैं एक-दो समस्याओं का उल्लेख करना चाहूंगा।

इस प्रतिवेदन को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि कितनी ही भूमि आज प्रदेश के अन्दर कागजों में दबी हुई है और प्रकाश में नहीं आई। कितनी ही सरकारें आयीं, चाहे वह माननीय गुप्ता जी रहे हों, चाहे माननीय कमलापति जी त्रिपाठी रहे हों चाहे माननीय बहुगुणा जी रहे हों, 1971 से 73 तक की कार्यवाही उठाकर पढ़ लें तीन बार घोषणायें हुई हैं 31 दिसम्बर, 72 तक कि सारी भूमि बांटी जायगी। पिछले दिनों इसी सदन में जब माननीय मुख्य मंत्री जी कृषि के अनुदान पर उत्तर देने के लिये खड़े हुये तो उन्होंने यह घोषणा की कि सारी भूमि जो इस समय बेकार पड़ी हुई है, गांव सभाओं के माध्यम से या सीलिंग के माध्यम से प्राप्त हुई है वह सारी भूमि इस वर्ष के अन्दर बांटी जायगी और उस घोषणा पर हमारे सत्ता दल के सदस्यों ने मेजें थपथपा कर कितनी खुशी मनायी। लेकिन घोषणा करने से काम नहीं चलेगा घोषणायें तो आपने कितनी ही पिछले बार की हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाये। मुझे विश्वास है कि यह सरकार कोई ऐसा कदम उठायगी जिसके आधार पर भूमि की समुचित व्यवस्था होगी।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त कीजिये।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, यह जो मंगलदेव विशारद जांच कमेटी की रिपोर्ट है उसका स्वागत करते हुये एक बात कहना चाहता हूं। सरकार ने जनता को धोखे में डालने के लिये बड़े-बड़े आयोग, बड़ी-बड़ी कमेटियां और कमीशन बिठाये। लेकिन परिणाम सामने जब आया तो उन रिपोर्टों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। समय-समय पर अनेक सुन्दर से सुन्दर कमीशन बैठाये गये, मगर किसी की रिपोर्ट पर सरकार ने कोई कार्यवाही कभी नहीं की। खोसला जांच समिति की कितनी ही महत्वपूर्ण सिफारिशें थीं उनको सरकार ने नहीं माना और जिसके कारण नर्मदा जल विवाद के कारण राष्ट्र को 10 अरब का नुकसान हुआ। एक जांच समिति महाजन आयोग के नाम से बनी थी, उसकी सिफारिशों पर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। और मैसूर, महाराष्ट्र का विवाद बना रहा।

मान्यवर, प्राचीन भारत के इतिहास में ऐसे उदाहरण मिले हैं कि हिरण्याक्ष और मधु कैटभ जैसे दैत्य ने तमाम भूमि का अपहरण किया मगर बाद में वे समुद्र में चले गये, और स्वयं नारायण को अवतार लेकर उनका बध करना पड़ा था। लेकिन यह सरकारी पक्ष वाले ऐसे दैत्य हैं जो लाखों एकड़ भूमि को हड़पने के बाद भी यहीं स्थल पर ही बैठे हुये हैं। 4–4 हजार एकड़ जमीन एक-एक आदमी हड़प गया। मैंने पहले भी इस सदन में कहा था कि अंग्रेजी शासन काल में लार्ड कार्नवालिश ने भी यह महसूस किया था कि इस देश की भूमि की समस्या ऐसी है जिसका हल होना बहुत मुश्किल है। जैसा कि अभी माननीय सदस्य ओझा और माननीय दिधे जी ने बताया कि एक सरदार जी बन्धुसिंह जो आजादी की लड़ाई में झांसी पर चढ़ गया था, उस तक की जमीन को हड़प गये। जब तक यह जमीन खेतिहर मजदूरों और किसानों के पास नहीं होगी देश की समस्या हल नहीं हो सकती। हमारे वेदों में कोदों, सांवा, काकुन आदि जैसे नाजों का जिक्र है। प्राचीन काल में छोटे-छोटे किसान ही इन अनाजों को पैदा करते थे। आज इनको पैदा करने की कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

[श्री पुरुषोत्तम कौशिक]

मैं बस्ती जनपद की बात कहना चाहता हूं। वहां खलीलाबाद में 3 ब्लाक ऐसे हैं जहां छोटे-छोटे भूमिहीन हरिजनों को जमीन मिलना तो दूर रहा, उलटे उनकी जमीनों को बड़े-बड़े लोग लिये बैठे हैं। छोटे-छोटे हरिजनों के घरों का रास्ता तक बन्द कर दिया है, रास्ते की जमीन तक हथिया ली है। उनके निकलने का रास्ता नहीं रह गया है।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मैं वेदों का उद्धरण देकर बता रहा हूं। देश में कितने प्रकार के मोटे अन्न पैदा किये जाते थे प्रियंगववूच मेंणवस्य में श्यामा काश्च में भीखाराश्च में

गो धूमाश्च में मसूराश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम्।
यज्ञेन कल्पन्ताम् ॥

यह ऐसा देश है।

यस्यामापः समुद्रचराः प्रवहन्ति।।

किन्तु आज एक शायर के शब्दों में ऐसी स्थिति है--

गफलत की बेहुशी की, तसद्दुद की धूप में,
कब तक जलेगा आगका, इंसान दोस्तों।
सांसों की आग में न बचा, सब्र का कफन,
बिकने लगीं अमान्तें, ईमान दोस्तों।
वह गांव का पनघट हो, या शहर के मयखाने,
तूफाने हवादिस में गुम हैं सभी अफसानें।
आगासतो जाहिर है, उतरे हुये चेहरों से,
इस दौरे तरक्की का अंजाम खुदा जानें।

श्री राम सेवक यादव--

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जिस प्रतिवेदन पर चर्चा हो रही है उसके लिये जो समय निश्चित हुआ है, मैं कहूंगा कि कुछ और समय बढ़ा दिया जाय। अब माननीय मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं। बहुत से लोगों ने कई प्रश्न उठाये हैं। यह माननीय मंत्री जी के प्रति भी अन्याय होगा क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं होगा।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

आपके लीडर और डिप्टी लीडर के सुझाव तो आ चुके हैं।

एक सदस्य--

अध्यक्ष महोदय, मैं पांच बार खड़ा हो चुका लेकिन न तो अधिष्ठाता महोदय ने और न आपने ही मुझे समय दिया।

श्री अध्यक्ष--

जो खड़े हुए उनको समय दिया गया। आप में कोई सुरखाब का पर लगा हुआ है कि बिना खड़े हुए आपको समय दिया जाय। आप खड़े नहीं हुए इसलिये आपको समय नहीं मिला समय मांगने का यह कोई ढंग नहीं है। जो खड़े हुये उनको समय मिला।

एक सदस्य---

आप तो मुंह देख-देख कर लोगों को बोलने की इजाजत देते हैं।

श्री अध्यक्ष---

खाद्य स्थिति पर आगे आज 4 बजे से 6 बजे तक दो घंटे की चर्चा है और उसके बाद एक आध घंटे की चर्चा है तो यह कैसे हो सकेगा।

श्री राम सेवक यादव---

माननीय मंत्री महोदय के उत्तर के लिये किसी दूसरे दिन का समय निकालें और अन्य लोगों को कुछ समय बढ़ा कर इस प्रतिवेदन पर बोलने का मौका दिया जाय ताकि लोगों के साथ न्याय हो जाय।

(व्यवधान)

एक सदस्य---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आज के एजेंडे की ओर ले जाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

अभी नहीं। प्रश्न यह है कि आगे के लिये क्या प्रक्रिया अपनायी जाय। ऐसे थोड़ा समय हम इसमें दे सकते हैं लेकिन आगे ४ से ६ बजे तक खाद्य स्थिति पर चर्चा है जिस पर बोलने के लिये माननीय सदन उद्वेलित है। माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी, आज के लिये आपने जो प्रोग्राम तय किया है तो कहां से समय मिलेगा? अगर मान लिया जाय कि हम और आप सभी तैयार हों कि कुछ समय और बढ़ा दिया जाय ताकि प्रतिवेदन पर थोड़ी और चर्चा हो जाय लेकिन आगे आधे घंट की और बहस है और अगर यह सब हो जाय तो ७ बजे तक का प्रोग्राम है। जैसा आप कहें, मुझे बैठने में या सुनने में या किसी को बैठाने में कोई एतराज नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

क्या कार्य-स्थगन प्रस्ताव के बारे में आप कह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष---

जी नहीं, कार्य सूची में जो है, जो प्रतिवेदन था उस पर यह तय हुआ था कि तीन घंटे का समय दिया जाय लेकिन कार्य मंत्रणा समिति में यह कहा गया था कि प्रतिवेदन पर चर्चा के लिये थोड़ा और समय दिया जाय तो अब कहें कि कैसे किया जाय?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

थोड़ा समय और मिल जाय तो ठीक है, वरना आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें।

श्री अध्यक्ष---

अगर पांच-पांच मिनट का समय रखते तो कुछ ज्यादा लोगों को बोलने का मौका मिल जाता। आप कहें तो तीन-तीन मिनट या पांच-पांच मिनट का समय दे दिया जाय लेकिन माननीय सदस्य पांच मिनट का समय देने पर भी 5 मिनट पर रुकते नहीं हैं।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी द्वारा सहमति देने पर)

तो ठीक है, आपके दल को तो बहुत समय दिया है। एक घंटा २० मिनट, लेकिन अब श्री मोतीलाल देहलवी को ५ मिनट का समय देता हूं और जनसंघ को भी ५ मिनट का समय दे दूंगा।

*श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

अध्यक्ष महोदय, जब भी कांग्रेस के लोग हरिजनों की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई शैतान कुरान की आयत पढ़ रहा हो।

अध्यक्ष महोदय, असल में इस रिपोर्ट का हम स्वागत जरूरत करते हैं जो माननीय मंगल देव विशारद ने पेश की है। लेकिन मैं उनको बधाई तब दूंगा, यह रिपोर्ट जो उन्होंने दी है उसको कार्यान्वित करने के लिये, जिस तरह से उन्होंने इस रिपोर्ट को बनाने में मेहनत की है उसी तरह से मेहनत करेंगे। इसके लिये वह कोशिश करेंगे।

मान्यवर अभी कांग्रेस के एक सदस्य बोल रहे थे और उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया कि श्री जय प्रकाश नारायण ने भूदान आन्दोलन के द्वारा जो जमीन प्राप्त की थी, वह ऐसे लोगों को दे दी जिनकी आमदनी ज्यादा थी। १ -१५ हजार रुपये महीना थी। इस पर माननीय मंगलदेव विशारद जी जो हमारे सामने बैठे हैं, हंस रहे थे।

*श्री अध्यक्ष--

(हंसते हुये) आप सामने न देखें, आप सदन को देखिये।

श्री मोती लाल देहलवी--

जब वह हंस रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वह माननीय कांग्रेस के सदस्य से असहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस देश के अन्दर जमीन के बंटवारे के संबंध में जिन्होंने एक मात्र बिकल्प दिया था वह राम मनोहर लोहिया जी थे। वह कहते थे कि जो धरती का जोतने वाला है वही धरती का राजा है।

अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते ही होंगे कि इस जमीन को जोतने वाला कौन होगा, कौन है जो मेहनत करता है। कौन है जो इस जमीन पर अपना पसीना बहा करके और कौन है जो अपना खून सुखा करके अनाज पैदा करता है। वह हमारा गरीब हरिजन किसान है। लेकिन आज देखने में आ रहा है कि जो हरिजन हैं वह बड़े-बड़े फार्मों पर बेगार करते हैं। वह आज एक रुपये दो रुपये पर मजदूरी करने के लिये बाध्य किये जाते हैं। क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है।

मान्यवर पिछले दिनों हम लोगों ने, हमारे दल ने एक आन्दोलन चलाया कि जो जमीन बेकार पड़ी है उस पर कब्जा कर लो। जिस जमीन पर पैदावार की जा सकती है जो बेकार पड़ी है उस पर कब्जा कर लो लेकिन सरकार के इन्हीं लोगों ने हमको जेल भेज दिया और बड़ी गलत दफायें लगाकर हम लोगों को जेल भेजा गया।

अध्यक्ष महोदय यह शुरू से ही कहा जा रहा है कि हरिजनों को सही मानों में जमीन मिले, उनकी समस्या का हल हो। लेकिन यह सरकार हमेशा मगरमच्छी आंसू बहाती रही है। सामने टुकड़े फेंक रही है। कांग्रेस सरकार आज २६ सालों से यही काम कर रही है उनके वोट लेने के लिये। तो अध्यक्ष महोदय, इसका एक मात्र विकल्प यही है जो डा० लोहिया ने दिया था कि जो जमीन पर मेहनत करता है वह जमीन उसके पास होनी चाहिये।

आज राम सेवक यादव जी ने जिक्र किया किस तरह से जमीनों को फार्मों की शकल में, कहीं स्कूलों के नाम देकर, कहीं धर्म के आधार पर कांग्रेस के लोगों ने हथिया लिया है। अगर सही मानों में आपको हरिजनों को जमीन देना है तो सवाल यह पैदा होता है कि आप जमीन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को और मांगिये। पर होता क्या है कि तुम्हारे घर डकैती पकने वाली है, चोरी होने वाली है, होशियार रहो। सालों ढिंढोरा पीटने में लग जाता है। नतीजा यह हुआ है कि इन्हीं कांग्रेस के बड़े-बड़े लोगों ने, नेताओं ने कहीं धर्म के नाम पर, कहीं स्कूल के नाम पर, कहीं कालेज के नाम पर, कहीं हाथी पालने के नाम पर और कहीं मुरगे-मुरगी पालने के नाम पर जमीनों को हथिया लिया है। एक तरफ तो हरिजनों के लिये ढिंढोरा पीटा जाता है और दूसरी तरफ हरिजन आज जमीनों के लिये तरस रहा है। और बड़े-बड़े फार्मों पर वह मजदूरी करने के लिये बाध्य है।

श्री दयाराम भास्कर—

अध्यक्ष महोदय, आज यह जो भूमि व्यवस्था जांच समिति की रिपोर्ट पेश हुई है और इसको माननीय मंगल देव विशारद तथा उनके साथियों ने जिस निष्ठा और ईमानदारी के साथ पेश किया है यदि हुकूमत उसी निष्ठा और ईमानदारी से काम करे तो सम्भव है कि भूमिहीन और हरिजनों को कुछ जमीन मिल जाय। मैं इस सिलसिले में भूमि जांच व्यवस्था के तहत माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहूंगा हूं कि पिछले समय में जब 115 सी की रिपोर्ट जमीन दिलाने के संबंध में आई तो बड़े-बड़े काश्तकारों जिन्होंने ऊसर भूमि को जोत लिया था तो उन पर कोई रिपोर्ट नहीं हुई। लेखपालों से उन्होंने फर्जी रिपोर्ट दिलवाई जिसमें गरीब भूमिहीन और हरिजनों के ऊपर ताल और भीटा पर रिपोर्ट करके उन लोगों पर जुर्माना किया गया। वह बेचारे तहसील में हाजिर हुये और कहा कि मैं नहीं जानता कि उक्त जमीन कहां है और न मैं उसको जोतता हूं। फिर भी उन गरीबों पर तीन हजार व चार हजार रूपये जुर्माना भी हुआ। मिसाल के तौर पर मैं आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील के गांव लसड़ा कलां, तसड़ा खुर्द, पकरोल, सुरहन, करूई तथा लारपुर साहब अली गांवों में झूठी रिपोर्ट करके और काश्तकार हरिजनों पर भरों पर जो एकदम गरीब है उनके साथ विश्वास घात किया गया है। इतना ही नहीं लारपुर साहब अली गांव में एक-एक मकान, जो उनके दादा परदादा लोगों का बनाया हुआ है, के अगवारे और पिछवाड़े की बंजर भूमि सरकारी कागज में लिखवा दिया है जिसके कारण उन मकान मालिकों को ५–५ व ६–६ हजार रु० जुर्माना हुआ। यह इसलिये हुआ है कि उन्होंने लेखपाल को घूस नहीं दिया था। इस गांव में ५२–५३ हरिजन भर के तथा अहीर के मकानों पर इस तरह की झूठी रिपोर्ट लिखाई गई है जिससे उनको जेल भेजा जाता है और जुर्माना होता है। यह सब सरकार की ढीली नीति नौकरशाही का परिणाम है जिसके कारण हरिजनों भरों और गरीबों की दुर्दशा हो रही है। जमीन पाने को कौन कहे उनके रहने के लिये जमीन नहीं है। माननीय राजस्व मंत्री जी इस पर ध्यान दें। इसके संबंध में मैं लिख भी चुका हूं।

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि श्री बिनोबा भावे ने जो हरिजनों तथा भरों को दान में भूमि दिया है उसके कागज अभी तक दुरस्त नहीं हुये हैं। इसलिये उन गरीब भरों, हरिजनों पर भारी जुर्माना हो चुका है। प्रधान और लेखापाल ने जो गरीबों को ५ या १० बिसवा जमीन दिया है उसके लिये इन लोगों ने १००/१०० रुपये लिये हैं। इसके बावजूद उनके कागज तहसील में पड़े हुये हैं तो उन रजिस्टरों का कहना है कि कागज पूरा होने के लिये हमको भी कुछ मिलना चाहिये। इस प्रकार ४ व १० बिस्वा जमीन भी हरिजनों के नाम नहीं हो सकती है। इसी सिलसिले में एक बात मैं और अर्ज कर दूं कि जो भूमि वितरण की बात है तो फूलपुर तहसील के गांव थिरई पट्टी में लेखपाल और प्रधान के सांठगांठ करके भूमिहीनों से कहा कि तुम इतना पैसा दो तभी हम अवास हेतु जमीन देंगे।

जो लोग लोटाथाली बेचकर रुपया लाये और धन दिया उनको जमीन दी गई लेकिन जिन्हें मिलनी चाहिये थी उनको नहीं मिली, इस कारण मामला बढ़ा। नतीजा यह है कि साल भर पहले पैसा देने के बावजूद भूमि का आबंटन नहीं हुआ है क्योंकि लोगों ने विरोध किया कि पैसा

[श्री दयाराम भास्कर]

लिया गया है। शासन की ढिलाई के कारण सारी की सारी जमीन कागज में ही पड़ी हुई है। आबंटन नहीं हुआ।

श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

भूमि व्यवस्था जांच समिति की रिपोर्ट को लेकर आज सदन में दोनों पक्षों के लोग हरिजनों और भूमिहीनों की बातें लेकर बड़ी गर्म चर्चा कर रहे हैं। प्रत्येक पक्ष चाहे वह सरकारी हो या विरोधी पक्ष हो हरिजनों को भूमि दिये जाने की वकालत कर रहा है। २६,२७ वर्षों से हरिजनों को भूमि दिये जाने की बात चली आ रही है। इसकी चेष्टा की जा रही है लेकिन जमीन खतम होती है, न हरिजन खतम होता है और न भूमिहीन खतम होते हैं। देहात में एक कहावत है। गूलर का फूल न किसी ने देखा है और न पाया है लेकिन उसकी बात खतम नहीं होती है। वही हाल जमीन का भी है। कोई भूमिहीन भूमि पाता नहीं है और उनकी संख्या भी कम नहीं हो रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जितने हम लोग बैठे हुये हैं अगर ईमानदारी से हरिजनों को जमीन देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जमीन उनको मिल सकती है लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरह की कोरी बातें करके तो हम वर्गवाद की भावना को पैदा कर रहे हैं। इसका परिणाम भयंकर हो सकता है। आज हरिजनों को हमने ईर्ष्या की लाइन में लाकर खड़ा कर दिया है। जिसकी भलाई करना है ईमानदारी से कीजिये। ऐसा न हो कि भलाई बुराई में बदल जाय। हरिजन और अहरिजन की भावना पैदा कर देने से गरीबी मिटने वाली नहीं है। मैं कहता हूं कि जितने भी भूमिहीन हैं सभी को जमीन दी जाये केवल हरिजन का नाम ही न लिया जाय। जहां तक भूमिहीनों को भूमि देने की बात है अगर हम लोग जो ४२५ यहां बैठे पर हुये हैं यह संकल्प कर लें और अपनी १० प्रतिशत भूमि भूमिहीनों को संकल्प कर दें तो निश्चित रूप से भूमिहीनों को जमीन मिल जायगी और कब्जा भी मिल जावेगा। हम कब्जा नहीं देते हैं और विधान सभा में वकालत भी कर रहे हैं।

श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष—

आप तो हमेशा ही कहते रहते हैं। अब नहीं।

श्री भाभी—

जो बात छूट गई है और किसी ने नहीं कहा, वह मैं कहूंगा। केवल २ मिनट।

श्री अध्यक्ष—

अब नहीं। कृपया बैठ जायं।

[× × ×]

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, एक मिनट में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता। कृपाकर आप आसन ग्रहण करें।

[***] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

एक निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष---

मैं कहता हूं, कृपया आप आसन ग्रहण करें । इस तरह से काम नहीं चलेगा ।

**श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

श्रीमन्, श्री मंगल देव विशारद की अपनी भूमि व्यवस्था जांच समिति की रिपोर्ट ३० मार्च, ७४ को राज्य सरकार को प्राप्त हुई थी । यह समिति फरवरी, १९७२ में गठित की गई थी । 2 वर्ष के कठिन प्रयास से उन्होंने सूबे के विभिन्न भागों की समस्याओं का अध्ययन किया । मैं इसके लिये, उनको और जिन सदस्यों ने इसमें सहयोग दिया है, धन्यवाद देता हूं । आज सदन के समक्ष इस समिति की रिपोर्ट पर विचार और वादविवाद होने को था । श्रीमन्, मुझे अफसोस है कि जिन माननीय सदस्यों ने इस पर वादविवाद मांगा, उन्होंने पहले यह कहा कि इसमें सरकार की नीयत में फर्क है । मान्यवर, अगर इस सरकार की नीयत में फर्क होता, तो यह समिति गठित नहीं की जाती । उस सरकार को, जिस वक्त सन् 72 में यह समिति गठित की गयी, बधाई है । जो कई वर्षों की समस्यायें थीं, हरिजनों के आवास स्थल आवंटन करने के संबंध में, उनकी कृषि के लिये भूमि के संबंध में, सीलिंग के सिलसिले में जो जमीन किसी तरह से निकल सकी, या निकली, इन सभी बातों के बारे में कन्सालीडेटेड रिपोर्ट पेश करने के लिये इस सरकार ने इस समिति को गठित किया । आज इस समिति की जांच रिपोर्ट सदन के समक्ष पेश है ।

श्रीमन्, मौजूदा सरकार इस बात पर निर्णय ले सकती थी । लेकिन वह निर्णय कुछ ही विचारों पर होता । इसलिये राज्य सरकार ने यह समझ कर कि पूरे सदन के सुझाव उस समिति के प्रत्येक आइटम पर ले लिये जायं तब उसको कार्यरूप में परिणत करने की कोशिश की जाय । यादव जी जो उपनेता विरोधी दल हैं उन्होंने सुझाव देने के बजाय रिपोर्ट को पढ़ना अच्छा समझा, जब कि रिपोर्ट तो हर माननीय सदस्य के पास बहुत दिनों से थी और प्रत्येक माननीय सदस्य ने उसका अध्ययन किया होगा । रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि उसने किसी को बख्शा नहीं है चाहे वह किसी भी तरह बैठने वाला हो जिसने सीलिंग की जमीन को बचाने का प्रयास किया है या नहीं किया है । ५० एकड़ से ऊपर के भी जो किसान हैं उसकी भी लिस्ट रिपोर्ट में है और उसमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कांग्रेसी होंगे । लिहाजा इस कमेटी को गठित कराना और ऐसी रिपोर्ट को प्रस्तुत कराना ही इस सरकार की निष्पक्षता का सबूत है कि वह इस बात में किसी तरह की अवहेलना नहीं करना चाहती और यह नहीं कि एक नमूने की यह रिपोर्ट है जो बाद में रद्दी की टोकरी में डाल दी जायेगी । यह अवश्य है कि समिति की जो जांच रिपोर्ट है उसमें कुछ ऐसे मसले हैं जिनमें कानूनी पेचीदगियां हैं, कुछ आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त हैं जिसकी वजह से उनको कार्य रूप में परिणत नहीं किया जा सकता । लेकिन अगर आप मिलान करेंगे तो देखेंगे कि ८८ आइटम्स में से ४० आइटम पहले ही अपूर्ण हो चुके हैं ।

तीन, चार भागों में इस समिति की रिपोर्ट है । पहली बात यह है कि आवासीय स्थल का आवंटन उनको किया जाय जिनको रहने की दिक्कत है और उसमें अधिकतर पहले हरिजन और बाद में खेतिहर मजदूर आते हैं । इसकी व्यवस्था के लिये पहले तो गांव समाज की जमीन थी । दूसरा सोर्स था चकबन्दी के जरिये जो जमीन बचती है । उसके लिये भूमिहीनों की लिस्ट है जिनको आवास की आवश्यकता है । वह लिस्ट हर डिप्टी कलेक्टर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री स्वामी प्रसाद सिंह]

के पास अथवा तहसील में मौजूद है और उनको हिदायत है कि चकबन्दी करते समय आवास-हीन लोगों की लिस्ट अपने पास रखें। विशारद जी ने वह संकेत किया कि वह लिस्ट कम्पलीट नहीं है। उसके लिये हम इस बात पर तैयार हैं कि पूरी लिस्ट की जांच कराना तो असंभव सा है लेकिन जिनका उस लिस्ट में नाम नहीं है उनके लिये हम ऐलान कर देंगे गांव में और जिनका नाम नहीं है लिस्ट में वह प्रार्थना पत्र भेज देंगे, और जांच करने के बाद उनका नाम उस लिस्ट में दर्ज हो जायेगा। दूसरा सोर्स है हमारी सीलिंग का। सीलिंग से उस गांव में क्यों भूमि निकलती है उसका भी आवंटन किया जाता है। चौथी बात यह है कि अगर ८ परसेन्ट या सीलिंग से या कन्सोलिडेशन से आवास के लिये जमीन नहीं मिलती है तो उसमें भूमि-अर्जन किया जा सकता है। उसका भी प्राविधान है। इसके अलावा भूमि अर्जन का जो लेन्थी प्रोसीजर था वह भी छोटा कर दिया गया है।

जहां तक पट्टों का प्रश्न है जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा यह बात अवश्य है कि भूमिहीन और भूमिहीनों की लिस्ट कभी कम नहीं होगी और इस देश के अन्दर कभी समय नहीं आ सकता है कि जब यह कहा जायगा कि यहां भूमिहीन कोई नहीं है। भूमिहीन होते चले जायेंगे और जैसे-जैसे कोशिश की जायगी सीलिंग आदि से भूमि निकलती चली जायगी। इस समिति में बहुत से लोगों के नाम हैं उनमें से बहुत से गलत भी हो सकते हैं और ऐसे भी बहुत से हो सकते हैं जिन्होंने कि सचमुच सीलिंग से बचने के लिये कार्यवाही भी की हो। लेकिन इस समिति में जो लिस्ट दी गई है उसमें सारे पर्टिकुलर्स नहीं दिये गये हैं। उनके डिटेल्स जानने के लिये कि उसमें मैलाफाइडी हुई है और कानून बनने के पहले ही जमीन का ट्रांसफर आदि किया गया है, लीगल आस्पेक्ट देखने की आवश्यकता होगी।

श्रीमन्, जहां तक अन्य समस्याओं का प्रश्न है, माननीय सदस्यों ने अलग-अलग सुझाव दिये हैं। हमारा सुझाव यह था कि वरीयता को चेंज किया जाय और हमने उसे चेंज कर भी दिया है और सिर्फ यह रखा है कि जिनकी जमीन किसी में एक्वायर होती है उनको पहले प्राथमिकता दी जायेगी, उसके बाद जो शहीद हुये हैं उनके आश्रितों को और उसके बाद हरिजन और खेतिहर मजदूरों को दी जायेगी। विशारद कमेटी में उनको पहले प्रायोरिटी थी जिसका इसमें हवाला है। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा और यह सही बात है कि वह सीलिंग ऐक्ट बहुत से होशियार लोगों के दिमाग में आ गया था कि कोई व्यक्ति देश के अन्दर जितनी जमीन रखना चाहेगा वह नहीं रख सकेगा। जो होशियार लोग थे उन्होंने उतने अर्से में सीलिंग से बचने के लिये जो तरीके थे, वे उन्होंने अपनाये। इसके लिये विरोध पक्ष और यह पक्ष दोनों जिम्मेदार हैं। क्योंकि १९७०-७१ में यह सीलिंग ऐक्ट लागू हुआ था जब कि हमारे विरोधी दल के नेता चौधरी साहब मुख्य मंत्री थे।

*श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

अगर आप मेरी एक बात सुन लें तो आपके लिये आसानी हो जायेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को लागू किया जाय या न किया जाय, जमीन लोगों को मिले या न मिले, लेकिन जो यह रिपोर्ट है और इसमें बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सीलिंग को इवेड करके जमीन को अपने कब्जे में कर दिया है और उस में केन्द्रीय मंत्री भी हैं तो मैं यह चाहता हूं कि आज यह सदन यह संकल्प करे या एक राय से यह सिफारिश करे कि केन्द्रीय मंत्रियों के ऊपर आरोप इस रिपोर्ट में लगाये गये हैं उनके तहत वे त्याग-पत्र दें। इसी तरह से पंजाब में भी जब जमीन को बचाने का मामला आया था तो यह सिफारिश हुई थी कि जिन मंत्रियों के खिलाफ उस रिपोर्ट में आरोप

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थे, जिन्होंने गलत तरीके से जमीन छिपाई थी उनको अविलम्ब इस्तीफा देना पड़ा था। इसी प्रकार से हमारे यहां भी यह बेसिक रिक्वायरमेन्ट है। यह काम करना बहुत जरूरी है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, मुझे बड़ा अफसोस है कि एक माननीय सदस्य जो कि काफी शिक्षित और विद्वान है, ने ऐसी बात कही। किसी की जमीन और किसी की सर्विस लेना बिना जानकारी के और बिना उसकी डिटेल्ड सूचना प्राप्त किये हुये कहां तक ठीक होगा, आज मंत्री जी से वह आश्वासन चाहते हैं, इस तरह का आश्वासन दें। आश्वासन तो तभी हो सकता है .....

श्री सत्यपाल मलिक--

यह तो एक नैतिक सवाल है। इस रिपोर्ट में कम से कम केन्द्रीय मंत्री पद पर आरोप स्वयंसिद्ध है। यदि आप नहीं करते हैं तो आप कहें कि आपकी अनैतिकता की सरकार है।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि एक हरिजन विधायक को मारा गया। तो यह भी नैतिक प्रश्न है। आप किसी की जायदाद ले लेंगे, किसी की सर्विस ले लेंगे, बिना उसे कोई नोटिस दिये, बिना आरोप को डिटेल में देखे हुये बिना प्रोसीजर एडाप्ट किये हुये, यह भी आप चाहते हैं।

श्री सत्यपाल मलिक--

पंजाब में ऐसा ही हुआ है। यह सार्वजनिक जीवन की सफाई को बचाने के लिये आवश्यक है।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

देखिये मैं बैठ नहीं रहा हूं, आप लोग बैठ जायं। जो आपके नेता हैं, उनके वक्त में जमीन निकल सकती थी एक मिनट में सदन में आश्वासन देकर निकल सकती थी।

*श्री राम सेवक यादव--

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो कहा,असल में हमने क्या किया है, हम बिरोध पक्ष में हैं, यदि हमने चोरी की है तो इसका भी उत्तरदायित्व उन पर है, उनकी ड्यूटी है कि वह हमको पकड़ें--

पहले आप यह तो मानें कि आपने चोरी की है।

श्री रामसेवक यादव--

श्रीमन, मन्त्री महोदय को इतने गम्भीर प्रतिवेदन पर इतने हल्केपन से जवाब नहीं देना चाहिये। यह प्रतिवेदन इनको काफी दिन पहले मिल गया था। इन सब पर आरोप लगा है। जो तथ्य उजागर किये गये हैं, जिनकी जानकारी कराई गई है, सच्चाई उन्हें बहुत पहले ही जान लेनी चाहिए थी। उन्होंने कह दिया--हमने केवल

---

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम सेवक यादव]

'पढ़ दिया', लेकिन आपने पढ़कर ही उसपर कौन सी जानकारी की, कहां वस्तुस्थिति की जानकारी की। आपको जानकारी करनी चाहिये थी कि आरोप है या नहीं और इस समय आपको यहां पूरी तैयारी से जवाब देना चाहिए था। आप कहते हैं कि कोई सुझाव नहीं दिया गया। सुझाव क्यों नहीं दिये गये, हमने कहा है क्या आप कोई निश्चित समय निर्धारित करेंगे कि इतने दिनों के अन्दर ग्राम समाज के अन्दर सीलिंग की जमीन कमजोर वर्ग और हरिजनों में बांट देंगे। सुझाव दिया गया कि आप अपवादों को समाप्त कर देंगे। यदि उनके बारे में कोई निश्चित उत्तर सरकार का नहीं आता है तो मैं समझूंगा कि यह सरकार उत्तरदायित्व से भागती है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

आपके हाथ में बागडोर राज्य सरकार की सौंप दी जायगी, यदि नहीं कर सके।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

यदि मन्त्री जी इस प्रकार से जवाब देंगे तो इनके पास कुम्मज न गिर पड़े।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

जो हमारे यादव जी ने हवाला दिया कि सूचना नहीं प्राप्त कर पाये, तो उस सम्बन्ध में गोपालपुर फार्म के बारे में हमारे सरकारी सदस्य ने इस सदन के सामने यह स्पष्ट किया कि सन् ५१ से उस सोसायटी का रजिस्ट्रेशन था। तो इस तरह की कोई बात इसमें देखेंगे। इस सन्दर्भ में सचिव को भी हमने बुलाया, तो उन्होंने कहा न तो हमने कागजात देखें और न वे मुकदमें देखें, जिसका हवाला है। तो जो उदाहरण दिये गये हैं, वे सही हैं, इस बात का प्रमाण नहीं है। तो जितने इस समय उदाहरण दिये गये हैं, इनमें कई ऐसे केसेज हैं, जो डाकूमेंट्री गलत हैं। तो उनसे जब इस बात को स्पष्ट करने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि इस को हम लोगों ने विशेष अदालत में जाकर...

(व्यवधान तथा शोर)

हमने उसमें जो ९३ अन्य नाम हैं उनको देखा।

श्री सत्यपाल मलिक---

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। एक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गयी। उस पर दो या एक महीने के बाद बहस होती है, इसके पूर्व केन्द्रीय मन्त्रियों के खिलाफ जो फाइंडिंग थी, उस पर सरकार ने तर्क जुटाने की कोशिश की है। एक हद तक सरकार का रुख उस कमेटी के खिलाफ है। मैं जानना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को सरकार सही मानती है या नहीं मानती है ? मन्त्री जी इस बात को स्पष्ट करें। हमारे उप नेता सदन ने इस बात को स्पष्ट कहा है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

एक स्पष्टीकरण है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

(व्यवधान)

इस जांच समिति की रिपोर्ट में, कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादा भूमि लिए हुए हैं उनका नाम नहीं आया है। किसी गांव में जांच करेंगे तो यह डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं हो सकती क्योंकि बहुत से माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि कुछ नाम इसमें पूछे गए हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं आपके माध्यम से स्पष्टीकरण चाहता हूं । माननीय मन्त्री जी वक्तव्य दे रहे हैं। आपसे निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष---

स्पष्टीकरण जो माननीय सदस्य बोलते हैं उनसे मांगा जाता है। मुझ से नहीं मांगा जाता है ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जो सुझाव दिये गये उनको मैंने सुना, उनको कार्य रूप में परिणत करने की कोशिश की जायगी ।

जल प्रदूषण को रोकने के लिए संसद को विधि निर्मित करने का अधिकार देने के सम्बन्ध में संकल्प

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पांडेय)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं--

चूंकि, जल प्रदूषण को रोकने तथा उसे नियन्त्रित करने और जल की स्वास्थ्य प्रदत्ता को बनाये रखने या दूषित जल को पुनः स्वास्थ्य प्रद बनाने के प्रयोजनों के कार्यान्वित करने के उद्देश्य से जल-प्रदूषण को रोकने तथा उसे नियन्त्रित करने के लिए बोर्डों की स्थापना करने तथा ऐसे बोर्डों को उनसे सम्बन्धित शक्तियां प्रदान करने और कृत्यों को सोचने की व्यवस्था करना समीचीन है :

और, चूंकि संसद को "संविधान" के अनुच्छेद २४९ तथा २५० में की गई व्यवस्था को छोड़कर राज्यों के लिए विधि बनाने की शक्ति नहीं है,

और, चूंकि संविधान के अनुच्छेद २५२ के खंड (१) के अनुसरण में कुछ अन्य राज्यों के किसान मंडलों द्वारा इस आशय के संकल्प पारित किये जाने पर कि पूर्वोक्त विषयों को उन राज्यों में संसद द्वारा बनायी गयी विधि द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए, संसद द्वारा दि वाटर (प्रिवेंशन ऐंड कन्ट्रोल आफ पोल्युशन) ऐक्ट, १९७४ (ऐक्ट संख्या ६, १९७४) अधिनियमित किया जा चुका है।

और, चकि इस विधान सभा को वांछनीय प्रतीत होता है कि संसद द्वारा अधिनियमित दि वाटर (प्रिवेंशन ऐंड कन्ट्रोल आफ पोल्यूशन) ऐक्ट, १९७४ (ऐक्ट संख्या ६, १९७४) को उपरोक्त कारणों से उत्तर प्रदेश राज्य में अपनाया जाये,

अतएव अब यह विधान सभा 'संविधान' के अनुच्छेद २५२ के खंड (१) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि दि वाटर (प्रिवेंशन ऐंड कन्ट्रोल आफ पोल्युशन) ऐक्ट, १९७४ (ऐक्ट संख्या ६, १९७४) को उत्तर प्रदेश राज्य में अपनाया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि चूंकि, जल प्रदूषण को रोकने तथा उसे नियंत्रित करने और जल की स्वास्थ्य प्रदत्ता को बनाये रखने या दूषित जल को पुनः स्वास्थ्य बनाने के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से जल-प्रदूषण को रोकने तथा उसे नियन्त्रित करने के लिए बोर्डों की स्थापना करने तथा ऐसे बोर्डों को उनसे सम्बन्धित शक्तियां प्रदान करने और कृत्यों को सौंपने की व्यवस्था करना समीचीन है:

[श्री अध्यक्ष]

और चूंकि संसद को "संविधान" के अनुच्छेद २४९ तथा २५० में की गई व्यवस्था को छोड़कर राज्यों के लिए विधि बनाने की शक्ति नहीं है,

और चूंकि संविधान के अनुच्छेद २५२ के खंड (१) के अनुसरण में कुछ अन्य राज्यों के विधान मंडलों द्वारा इस आशय के संकल्प पारित किये जाने पर कि पूर्वोक्त विषयों को उन राज्यों में संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विनियमित किया जाना चाहिये संसद द्वारा दि वाटर (प्रिवेंशन ऐंड कन्ट्रोल आफ पोल्युशन) ऐक्ट, १९७४ (ऐक्ट संख्या ६, १९७४) अधिनियमित किया जा चुका है,

और चूंकि इस विधान सभा को वांछनीय प्रतीत होता है कि संसद द्वारा अधिनियमित दि वाटर (प्रिवेंशन ऐंड कन्ट्रोल आफ पोल्युशन) ऐक्ट, १९७४ (ऐक्ट संख्या ६, १९७४) को उपरोक्त कारणों से उत्तर प्रदेश राज्य में अपनाया जाय।

अतएव अब यह विधान सभा "संविधान" के अनुच्छेद २५२ के खण्ड (१) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह संकल्प करती है कि दि वाटर (प्रिवेंशन ऐण्ड कन्ट्रोल आफ पोल्युशन) ऐक्ट, १९७४ (ऐक्ट संख्या ६, १९७४) को उत्तर प्रदेश राज्य में अपनाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था जांच समिति १९७२–७४ के प्रतिवेदन पर चर्चा (क्रमागत)

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने, मंगलदेव विशारद समिति के प्रतिवेदन में जो केन्द्रीय मन्त्रियों पर भूमि दबाने के आरोप लगाये, उनका कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया, इसलिए हम पांच मिनट के लिए सदन का त्याग करते हैं।

(श्री राम सेवक यादव अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग कर चले गये)

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों के कल्याण हेतु दोनों सदनों की संयुक्त समिति गठित करने के सम्बन्ध में संकल्प

*श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि....

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, यह संकल्प आज ही पहली बार मिला है....

श्री अध्यक्ष—

यह पहले बंट गया है। कार्य मन्त्रणा समिति में तय हुआ था, उससे पहले बंटा था।

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि, "यह विधान सभा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों के कल्याण तथा उत्थान हेतु

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकारी नीतियों एवं आदेशों के कार्यान्वयन की जांच हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के गठन के सम्बन्ध में यह संकल्प करती है कि---

१---राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति गठित की जाये जो "अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति न कहलाये और उसमें २५ सदस्य हों, जिनमें २१ विधान सभा और ४ विधान परिषद् के सदस्य होंगे। ये सदस्य प्रत्येक सदन के सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत (सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट) द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार निर्वाचित होंगे।

२---उक्त समिति के निम्न कृत्य होंगे---

(१) संविधान, विधियों तथा नियमावलियों एवं विभिन्न शासनादेशों द्वारा उक्त जातियों के हेतु प्रदत्त सेवाओं में आरक्षण एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था के कार्यान्वयन की प्रगति की जांच करना।

(२) इन वर्गों की दशा का कम से कम समय में सुधारने के लिए तथा शासन द्वारा निर्धारित नीतियों के उद्देश्य के पूर्ण कराने के हेतु सुझाव देना एवं उपाय बताना।

३---उक्त समिति विधान मंडल के दोनों सदनों को समय-समय पर पूर्वबल सभी या किसी विषय के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देगी।

४---उक्त समिति के सभापति के नियुक्ति उसके सदस्यों में से विधान सभा अध्यक्ष द्वारा की जायेगी। समिति की बैठक करने के लिए गणपूरक संख्या समिति के सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई होगी।

समिति का कार्यकाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष होगा, परन्तु ऐसे कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् भी वह उस समय तक बनी रहेगी जब तक कि नई समिति संघटित न हो जाय।

अन्य विषयों में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के समितियों से सम्बन्धित उपबन्ध ऐसे परिवर्तनों या परिष्कारों के साथ लागू होंगे गे जो अध्यक्ष द्वारा किये जायं।

५---यह सदन विधान परिषद् से यह सिफारिश करता है कि यदि विधान परिषद् इस संकल्प से कृपया सहमत हों तो उक्त संयुक्त समिति के गठन के लिए परिषद् द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नामों की सूचना इस सदन को उपलब्ध करायें।

श्री अध्यक्ष---

(माननीय श्री काशीनाथ मिश्र को संशोधन प्रस्तुत करने हेतु पुकारने पर) माननीय श्री काशीनाथ मिश्र नहीं हैं।

प्रश्न यह है कि यह विधान सभा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों के कल्याण तथा उत्थान हेतु सरकारी नीतियों एवं आदेशों के कार्यान्वियन की जांच हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति के गठन के सम्बन्ध में यह संकल्प करती है कि---

१---राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति गठित की जाय, जो "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों संबन्धी संयुक्त समिति" कहलाये और उसमें २५ सदस्य हों, जिसमें २१ विधान सभा और ४ विधान परिषद के सदस्य होंगें। ये सदस्य प्रत्येक सदन के सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत (सिंगिल ट्रन्स-फरेबिल वोट) द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार निर्वाचित होंगें।

२---उक्त समिति के निम्न कृत्य हों---

(१)संविधान, विधियों तथा नियमावलियों एवं विभिन्न शासनादेशों द्वारा उक्त जातियों के हेतु प्रदत्त सेवाओं में आरक्षण एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था के कार्यान्वयन की प्रगति की जांच करना ।

(२)इन वर्गों की दशा का कम से कम समय में सुधारने के लिये तथा शासन द्वारा निर्धारित नीतियों के उद्देश्य को पूर्ण कराने हेतु सुझाव देना एवं उपाय बताना ।

(३)उक्त समिति विधान मंडल के दोनों सदनों को समय-समय पर पूर्वोक्त सभी या किसी विषय के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देगी ।

४---उक्त समिति के सभापति की नियुक्ति उसके सदस्यों में से विधान सभा अध्यक्ष द्वारा की जायेगी । समिति की बैठक करने के लिये गणपूरक संख्या समिति के सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई होगी ।

समिति का कार्यकाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष होगा, परन्तु ऐसे कार्य काल की समाप्ति के लिये के पश्चात् भी वह उस समय तब बनी रहेगी जब तक कि नयी समिति संघठित न हो जाय ।

अन्य विषयों में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली १९५८ के समितियों से सम्बन्धित उपबन्ध ऐसे परिवर्तनों या परिष्कारों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष द्वारा किये जायें ।

५---यह सदन विधान परिषद से यह सिफारिश करता है कि यदि विधान परिषद इस संकल्प से कृपया सहमत हों तो उक्त संयुक्त समिति के गठन के लिये परिषद द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नामों की सूचना इस सदन को उपलब्ध करायें !

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रदेश की खाद्य स्थिति पर खाद्य मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर चर्चा

श्री अध्यक्ष---

प्रदेश की खाद्य स्थिति पर खाद्य मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा श्री काशीनाथ मिश्र नहीं है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति विषयक संकल्प में अपने संशोधन के संबंध में मुझे कहने का अवसर नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष---

आप विलम्ब से आये ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मैं सुनकर दौड़कर आया ।

श्री अध्यक्ष---

यह लड़कों का स्कूल नहीं है आपको रहना चाहिये ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब इस सदन में खाद्य तथा रसद बजट पेश हुआ था तो मैंने यह प्रार्थना की थी कि यह जो खाद्य विभाग है यह बड़ा निष्क्रिय है...

श्री अध्यक्ष--

कहां, क्या बोल रहे हैं। सवाल कुछ नहीं है वैसे ही हवा में कह दिया। पहले आने दीजिये खाद्य मन्त्री जी को।

खाद्य तथा रसद मन्त्री (डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी)--

मैं बयान तो ३० जुलाई, १९७४ को पढ़ चुकी हूं। माननीय सदस्य उस पर चर्चा आरम्भ करें। मैं उनका जवाब दे दूंगी।

श्री अध्यक्ष--

वक्तव्य हुआ था। इधर से नाम आना चाहिये। कौन इसको रखेगा।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

मैं यह कहना चाहता हूं कि उस दिन माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि जो नयी स्थिति होगी उसको कह देंगी, अगर कुछ हो तो कह दें।

श्री अध्यक्ष--

कुछ आपको इसमें जोड़ना है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

माननीय सदस्यों को जब जवाब दूंगी तब जो कुछ होगा कह दूंगी।

श्री अध्यक्ष--

अगर कोई तैयार न हो तो इसको दूसरे दिन लें।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, उस दिन थोड़ी सी चर्चा करते समय हम लोगों ने यह कहा था कि खाद्य की स्थिति दो कारणों से शोचनीय है। एक तो यह है कि पर्याप्त मात्रा में खाद्य वस्तुएं नहीं उपलब्ध कराई गई, यदि मिलीं भी तो उसका जिस ढंग से वितरण होना चाहिये वह वितरण आप नहीं कर रहे हैं और इस सम्बन्ध में हम लोगों ने कुछ उदाहरण भी दिये थे। जैसा उस दिन मैंने कहा था कि आपके पास गेहूं की मात्रा इसलिये पूरे तौर पर उपलब्ध नहीं हो सकी क्योंकि गेहूं की वसूली के सम्बन्ध में आपकी जो नीति है, वह दुविधा-पूर्ण है। आज हम इस स्थिति में नहीं हैं कि इस प्रदेश में जितनी आवश्यकता है उसे पूरा कर सकेंगे उस आवश्यकता को पूरा करने के लिये आपके भंडार में गेहूं नहीं है। आप ऐसा दावा नहीं कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी आप स्थिति सुधार लेंगे। जहां पर आपने अभाव की स्थिति पैदा करती है वहीं पर आप में कोई निर्णय लेने की क्षमता भी नहीं है, इस कारण ही आज हमारे देश के सामने अन्न की कमी है।

आज हमारे प्रदेश में अन्न का संकट पैदा हो गया है। जैसा मैंने कहा था कि 4 हजार यूनिट है छोटे-छोटे मिला कर बिस्कुट डबल रोटी बनाने वाले जो रजिस्टर्ड बेकरी नहीं होती हैं? तो उनको आप नहीं गिनते हैं? जो अनरजिस्टर्ड बेकरीज हैं और जो रजिस्टर्ड हैं ऐसे सब मिलाकर चार साढ़े चार हजार यूनिट्स काम करती हैं पूरे प्रदेश में और उसमें इस काम में छोटे-मोटे उद्योगों को गिन लिया जाय तो कम से कम 50 हजार

[श्री मधुकर दिघे—]

व्यक्ति इस काम में लगे हुए हैं। जो फ्लावर मिल्स थीं, वह भी बन्द हो गई हैं। हमारे गोरखपुर के अन्दर दो फ्लावर मिल्स चलती थीं और दोनों बन्द हो गईं। वहां पर जो आदमी काम करते थे वे सब बेकार हो गये। कानपुर में एक बिस्कुट फैक्टरी में साढ़े ३ सौ आदमी काम करते थे वह सब बेकार हो गये। वे बेचारे यहां पर आकर अनशन कर रहे थे। आपने आश्वासन दिया कि दिल्ली से गेहूं मिलेगा और फ्लावर मिलों को देंगे, तब मैदा तैयार होने पर उनको बेकरों को मैदा देंगे भगवान जाने कब गेहूं दिल्ली से आयेगा। इसमें दो नुक्सान आपके प्रदेश को हो गये। एक तो यह कि बड़े पैमाने पर बम्बई से माल प्रदेश में आ गया, वैसे जो बम्बई से आता है उसमें एक तो आपके प्रदेश के लोग बेकार हो गये, उनका काम आपने छीन लिया। दूसरे जो आपको टैक्स मिलता, सेल्स टैक्स मिलता, उसका सबका नुकसान हुआ। दूसरी सबसे बड़ी चीज यह हो गई कि आपके यहां पर, आने वाले दिनों में भी, उस मात्रा में और उस कीमत पर लोगों को मैदा नहीं मिल पायेगा। मैदा जिस मात्रा में और जिस कीमत पर बम्बई या दूसरे प्रदेशों में दिया जा रहा है उसका मुकाबला नहीं हो सकता। बम्बई में १९० रु० कुन्टल मैदा मिल रहा है। मध्य प्रदेश में 195 रु० कुन्टल मिल रहा है। आपके यहां चार सौ, साढ़े चार सौ रु०, ब्लैक में प्रति कुन्टल मिल रहा है। ऐसी स्थिति में यह एक बहुत बड़ा संकट आपके सामने आ गया।

अब मैं कुछ ऐसे उदाहरण देना चाहता हूं जो रोग का निदान कर सकेगा। आपने गड़बड़ कहां पर की है आपने कांग्रेस पार्टी के लोगों को सस्ते गल्ले की दूकानें दे दीं और उनको दूकानें दे दीं, जिनके पास धन नहीं था, जिनकी हैसियत नहीं थी कि दूकानें चला सकें। उन्होंने अपना एक धंधा बना लिया कि ५० रुपये हम को दे दो और हमारे नाम पर धंधा करो। मैं ऐसे उदाहरण जानता हूं जिसमें ४–४ और ५–५ दुकानों का एक मालिक एक आदमी है। अगर आप फाइल उठाकर देखें तो पता चलेगा कि हरिजनों और राजनैतिक और भू० पू० सैनिकों के नाम पर दूकानें दी हुई होती हैं। तो आपने स्वयं गड़बड़ी फैलाई है। यह आप स्वयं भी जानती हैं कि किसी भी राशन की दुकान को अगर ईमानदारी से चलाया जाय तो जो तौलइया है उसका भी खर्च नहीं निकल सकता है, दूकान का किराया भी नहीं निकल सकता है। माननीय गेंदा सिंह जी जब खाद्य मन्त्री थे तो उन्होंने कबूल किया था, और आपने भी कबूल किया था लेकिन यह जानकर भी जिलाधिकारी और सब लोग कहते हैं कि काम चलाना है। और अगर ब्लैक नहीं करेंगे तो कैसे यह दुकानें चलेंगी कार्य को चलाना है तो पीछे के दरवाजे से करना ताकि कहीं गड़बड़ न हो। तो राशन की दुकानों पर जो माल जायगा उसमें से आधा माल तो पीछे के दरवाजे से चला जायगा। जो पूंजीपति होता है वह आगे से ब्लैक मार्केट करता है और आप पीछे से कराते हैं और जो उपभोक्ता है, उनके सामने संकट पैदा होता है चाहे सरकार की दूकान हो, चाहे माननीया इंदिरा जी की सरकार की और चाहे माननीया बाजपेयी जी की दुकानें हों या चाहे किसी बनिये की दुकान हो, उपभोक्ता को लाभ नहीं होने वाला है। कितने ही कार्ड ऐसे बने हुए हैं जो दुकानदार के पास रखे रहते हैं और उतना माल पहले ही रास्ते में बेच दिया जाता है तो न तो आपकी वितरण व्यवस्था ही ठीक है और न पर्याप्त मात्रा में साधन उपलब्ध है। तो इस प्रकार से आपने पूरे प्रदेश को खाद्य के मामले में विषम परिस्थिति में डाल दिया है।

मैंने यहां पर जब एक सवाल उठाया था तो तब भी कहा था कि हमने माना कि आपको दिल्ली की सरकार ने कम तेल दिया मिट्टी का। फिर जिले में हम को कितना आवंटित हुआ। लेकिन जितनी मात्रा में भी मिला वह भी देहात तक पहुंचते-पहुंचते गायब हो गया। जिन लोगों को इसकी आवश्यकता खास तौर से महसूस नहीं होती, उनको तो

पीपे के पीपे मिल जाते हैं लेकिन देहात में जो ढेबरी जलाना चाहते हैं अपनी झोपड़ी में जिनको इसकी आवश्यकता है, उन तक पहुंच ही नहीं पाता है। दूसरे जब छोटे दुकानदार खरीदते हैं तो उन्हें एक पीपे के पीछे १८–१८ और ३०–२० रुपये घूस के रूप में देने पड़ते हैं। आपने अभी कुछ दिन पूर्व एक जी० ओ० निकाला और जो बड़े दुकानदार थे उनके दाम तो गिरा दिए और जो खुदरा या छोटे दुकानदार थे उनके दाम बढ़ा दिये। उनको छोटे दुकानदारों को ज्यादा दाम पर मिलेगा और सस्ती कीमत पर बेचना पड़ेगा। उनको बड़े दुकानदारों की सस्ती कीमत पर मिलेगा और ज्यादा दाम पर बेचना पड़ेगा। उपभोक्ता को जिसके द्वारा मिलने वाला है, उसको महंगा मिलता है। कोई दुकानदार चाहे छोटा हो या बड़ा उसका मुनाफा घटेगा तो उपभोक्ता से वह वसूलेगा। ब्लैक में बेच कर, हम शिकायत करते हैं, बी० डी० ओ० मौके पर जाता है, जांच होती है, और जांच का परिणाम कुछ नहीं निकलता और उपभोक्ताओं को मजबूरन ज्यादा दामों पर लेना पड़ता है।

इसी तरह से सीमेन्ट का मामला भी है। मैं तो यहां तक जानता हूं कि सीमेन्ट की दुकान है तो ५–५ आदमियों के नाम पर। मैंने इस सम्बन्ध में सवाल भी पूछा था, जो शिकायतें आई थीं, दर्ख्वास्तें आई थीं वे दफ्तर से गायब हुई बतायी गयीं। दर्ख्वास्तें उन्हें मिली ही नहीं। तो ये दरख्वास्तें गायब कैसे हुईं? कौन व्यक्ति है? क्योंकि कुछ कांग्रेस के मेम्बरान चाहते थे कि उनका सवाल ऐसे व्यक्तियों का सवाल विधान सभा में न उठे। बात क्या थी कि 5 सीमेन्ट की दुकानें एक ही चौराहे पर आकर सिमट गयीं। एक है मलांव की, एक है जानीपुर की और अन्य-अन्य नामों की दूसरी-दूसरी दुकानें; और सब कौड़ी राम में एक चौराहे पर पहुंच गया क्यों? एक गोरखपुर में चीनी की दुकान है, एक बड़हलगंज में है १०, ५ मील के फासले पर और सब आकर सिमट गयीं एक चौराहे पर। तो उसमें से चीनी ब्लैक मार्केट हो जाती है। जिनको मिलना चाहिये नहीं मिलती। तो जब तक आप ईमानदारी से विचार नहीं करेंगे, अपने पुराने नियमों को बदलने की हिम्मत नहीं करेंगे और नये सुझाव जो विरोध पक्ष से आपके हित में आते हैं उन पर अमल नहीं करेंगी तो गरीबों को राहत नहीं मिल सकती। हमारा तो उन सुझावों से केवल यह फायदा होता है कि जनता की जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए आवाज उठाते हैं उसमें सफलता मिलती है, लेकिन नाम आपका होता है, कांग्रेस पार्टी का फायदा ज्यादा है। इसलिये हमारे जो सुझाव खाद्य स्थिति को सुधारने में सहायक हो सकते ह, उन पर अवश्य विचार करिये।

गेहूं तो आपने गांव से ले लिया, अब गांव की स्थिति क्या है? मैं अभी गोरखपुर गया था। वहां जो खेतिहर मजदूर थे उनको मजदूरी पैसे के बदले गेहूं या अनाज मिलता था अपनी कमाई का हिस्सा, वह बन्द कर दिया और राशन की दूकानों पर केवल चीनी और मिट्टी का तेल दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिये कोई व्यवस्था वहां नहीं है। देहात से गेहूं तो आपने ले लिया लेकिन वहां के उन लोगों को जो मजदूर पेशा हैं उनकी पुनः व्यवस्था नहीं की कि उनको गेहूं मिल सके। तो स्वाभाविक है इससे भुखमरी पैदा हो रही है।

फिर बाढ़ आ गयी है। लाखों आदमी तबाह हो गये। कितने ही गांव कट गये। आप क्या करते हैं कि एक नाव पर दो बोरा चना, एक टिन मिट्टी का तेल और एक-एक ढिबरी बांटते चले जायेंगे। पाव-पाव भर गेहूं बांट दिया। तो क्या उस भाव पर गेहूं में पूरे परिवार की रक्षा हो सकेगी। पहले बड़े लोग चाहे कितनी ही दुष्ट प्रवृत्ति के होते थे तब भी ऐसी मुसीबत के समय एक पाव गेहूं निकाल करके अपने पड़ोसी को देने के लिये तैयार हो जाते थे, उनमें मजबूरन ऐसी स्थिति और भाव पैदा हो जाता था, क्योंकि मनुष्य कितना भी कठोर हो वह किसी को भूखा मरते देख नहीं सकता जब तक कि वह बहुत ही दुष्ट न हो। लेकिन अब तो उनके पास है ही नहीं। इसका मतलब है कि लोग

[श्री मधुकर दिघे]

भूखों मरेंगे। कुछ ऐसे स्थान हैं, टाउन एरिया पिपराइच का है, नौतनवां का टाउन एरिया है। वहां सरकारी कर्मचारी, छोटे दर्जे के काम करने वाले लोग, छोटे-छोटे दुकान में लगे हुए लोग, मेहतर हैं, हरिजन हैं, सफाई कर्मचारी हैं उनको गेहूं कहां से मिलेगा? गोरखपुर के बाजार में २-३० रुपये पर गेहूं नहीं मिल रहा था कुछ देर नहीं मिला। बाद में दूकानदारों ने कह दिया कि नहीं है पिराइच टाउन एरिया में कहीं है ही नहीं। लोग ऐसा अनाज खा रहे हैं जिससे बीमारी हो सकती है और मौत हो सकती है। आप कह देंगे कि मौत बीमारी से हुई, जबकि वास्तविकता यह है कि आम की गुठली खाते हैं तो बीमारी होगी और मौत होगी। तो असली कारण तो भुखमरी का है, लेकिन डाक्टरी रिपोर्ट आयेगी कि बीमारी से मरा। वस्तुस्थिति यह है कि खाने की वस्तु जो उपलब्ध कराई जा सकती थी वह उसको नहीं मिली। मैं चाहता नहीं हूं कि आप को कबूल करने की स्थिति में डालूं और लोगों के मरने पर आपसे जवाब तलब करूं। हम तो सरकार के हित में चाहते हैं कि देहात के कोने-कोने में रहने वाले लोगों को गेहूं मोट अनाज की व्यवस्था हो। आपने नहीं की तो आने वाले दो महीने में भुखमरी की अवस्था पैदा हो जायगी। गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़ जिलों में भादों और कुआर के महीने ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हैं जिसमें साधन-सम्पन्न लोगों की स्थिति भी बदतर हो जाती है। खेतिहर मजदूर, खोमचे लगाने वाले लोग और टाउन एरिया में अन्य रोजगार के लोगों की स्थिति तो बद से बदतर होने वाली है। इसलिये इतना ही कहूंगा कि खाद्य की वितरण व्यवस्था में जो कमी है उसे ठीक करें इस पर पुनर्विचार करें और खाद्य स्थिति को कैसे ठीक किया जा सकता है आवश्यकता हो तो केन्द्रीय सरकार से चाहे कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, इसके लिये आपको सजग होना चाहिये। यों कुछ ठोस सुझाव दे करके अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री रामप्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश की खाद्य स्थिति पर माननीया खाद्य मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा हो रही है। इस वक्तव्य में मुख्य तीन बातें हैं जिन्हें छूने की कोशिश की गयी है। पहली गेहूं वसूली की योजना उसकी कामयाबी और उसके अन्दर जो अच्छाइयां हैं उसके गीत गाये हैं। दूसरी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई से संबंधित नीतियों की कामयाबी और क्या करने जा रही है उसकी बात कही है और अन्त में संकल्प दोहराया है।

सबसे पहले जो गेहूं वसूली की योजना है उस संबंध में एक बात कही है कि हमने सवा छः एकड़ से ऊपर के किसानों से गेहूं लिया। प्रदेश तो बहुत बड़ा है और पूरे प्रदेश में सर्वे नहीं हो पायेगा। हम लोग, माननीय सदन के सदस्य हैं, एक निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में बैठे हुए माननीय सदस्यों में से इतनी जांच करा लें कि हमारे कितने सदस्य ऐसे हैं जो सवा छः एकड़ से ऊपर के मालिक थे और उन्होंने कितना गेहूं दिया है और दूसरे कितने ऐसे किसान हैं जो गेहूं के कामों के मालिक थे और उन्होंने कितना दिया है। इस सर्वे से ही अपनी तस्वीर और अपना आईना दिखाने लग जायगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सवा छः एकड़ नहीं, बड़ी-बड़ी होल्डिंग्स के किसान और खास तौर से, एक राजनीतिक दल विशेष लोग, बड़े-बड़े कांग्रेसी लोग थे जो अपना गेहूं तो होल्ड किये ही रहे उसके अलावा बड़े-बड़े व्यापारियों ने उनकी कोठियों में अपना गेहूं इकट्ठा कर दिया और कर रहे हैं क्योंकि एस०डी०एम०, डी०एम०, तहसीलदार किसी में दम नहीं था कि उनके यहां छापा मार सकते। अगर गलत है तो इसकी लिखित सूचना देने के लिए तैयार हूं। आपके माध्यम से मंत्री जी से कहूंगा कि इसकी जांच-पड़ताल कराने की कृपा करें। जहां छोटे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं दिया।

छोटे किसानों के घर से गेहूं खींचा गया, चक्कियों पर से पोटलियां छीनी गयीं, छोटे-छोटे किसानों को डी०आई० आर० में बन्द किया गया । आप सवा ६ एकड़ से ऊपर की बात करती हैं, एक एकड़ तक वाले किसानों से जबरदस्ती गेहूं लिया गया है । इसके स्पष्ट प्रमाण हैं । एक संबंध में एक बात याद आ गयी । एक भुरजी था । उसके यहां छापा लगाया गया । जब उसने अपनी करुण कला बतायी तो मुझे अपने छुटपन की यादें आयीं । मैं स्कूल में पढ़ता था । कांग्रेस के लोग जब जलूस निकालते थे तो यह गाना गाते थे ।

मेरी माता के सिर पर ताज रहे,
मेरी कुटिया में भरा अनाज रहे ।

तो मैं सोचने लगा कि यह कुटिया में भरा रहे कि कल्पना ले कर जो शासन आया था आज वह कुटिया में से घसीट कर गहूं निकाल रही है । इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा । माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य के अन्त में एक बात कही । शासन का यह दृढ़ संकल्प है कि प्रदेश में किसी प्रकार की भुखमरी न हो और इसके लिये जो भी आवश्यक व्यवस्था करनी पड़ेगी वह परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अवश्य की जायेगी ।" मान्यवर, इस प्रकार के संकल्प जाने कितनी बार दोहराये गये । यही वे संकल्प थे जो स्वतंत्रता से पहले भी हमारे बड़े-बड़े नेताओं ने प्रदेश और देश के सामने रखे थे जिनके ऊपर एकदम से जनता टूट पड़ी थी । दिल्ली के लाल जिले में जिस समय तिरंगा फहराया गया था तो यही संकल्प दोहराया गया था । माननीया मंत्री जी गम्भीरता के साथ प्रदेश की स्थिति को टटोलने की कोशिश करें । जहां लोग गुठली खा रहे हैं, जहां गंगा यमुना ऐसी पवित्र नदियां हैं, जो राम और कृष्ण की जन्मभूमि है वहां के लोग आम की गुठली और घास खायें और खाद्य स्थिति पर बैठ कर हम सवा चार सौ लोग आज विचार कर रहे हैं । आखिर यह स्थिति क्यों आयी है ? इस सब की जड़ में भ्रष्टाचार है । आपने अपने वक्तव्य में भी कहा है कि हमारे पास पर्याप्त स्टाक है । तो जहां बाढ़ आयी हुई है, जैसा कि अभी हमारे पूर्व के माननीय सदस्य कुछ कह रहे थे, क्या आप वहां अन्न की व्यवस्था कर सकेंगे । जहां लोग गुठली खा रहे हैं क्या आप वहां मोटे अनाज की भी व्यवस्था कर सकेंगे।

एक बात चीनी के संबंध में कही गयी है । और इस वक्तव्य से पहरे हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल ने स्वयं अपने अभिभाषण के पेज नं 7 पर एक बात कही थी कि पिछले साल चीनी के उत्पादन में जो ७ लाख टन की वृद्धि हुई थी उसमें अकेले हमारा हिस्सा 5 लाख टन का है । अगले साल सरकार चीनी मिलों की संख्या बढाने जा रही है। उन्होंने स्वयं कहा कि चीनी के उत्पादन में वृद्धि हुई है । दूसरी ओर सप्लाई साढ़े सात सौ ग्राम प्रति मास कर दी गयीहै । वह भी १५–१५ दिन की दी जा रही है शहरों और कस्बों में जिससे बड़ा हाहाकार मचा हुआ है । आपने जब किसानों से गेहूं लिया था तो कहा था कि हम तुम्हें सीमेंट देंगे । लेकिन हमारे यहां फर्रुखाबाद जनपद में हजारों की संख्या में ऐसे किसान हैं जिन्होंने २०–२५–५० क्विंटल गेहूं दिया लेकिन उनको एक भी बोरी सीमेंट की नहीं मिली । अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें सीमेंट दी ही नहीं गयी । तो आप कब तक झूठे प्रलोभन दे कर किसानों को भरमाने की कोशिश करेंगे । इस प्रकार गेहूं का प्रोडक्शन बजाय बढने के और घटेगा । जब किसान देखता है कि गेहूं के उत्पादन से तमाम झंझटें पैदा हो रही हैं, हमारे घर की तलाशी होने जा रही है, मैं केवल तीन, चार पंक्तियां कविता में कह कर अपनी बात को विश्राम दूंगा :

क्या नहीं देश मोहताज हुआ दाने-दाने के लिये आज,
क्या यही नीति बापू की थी, क्या यही हुआ अपना स्वराज,
अपने स्वराज में अपनी ही बेटियां सताई जाती हों,
अपने स्वराज में अपनों पर लाठियां चलाई जाती हों,

हम समझ न पाये थे पहले अपने स्वराज की परिभाषा,
पहले न ज्ञात हो सकी हमें कांग्रेसी के मुख की भाषा ।
सप्लाई दफ्तर में बोलो क्या-क्या पाप नहीं होते हैं,
वे परमिट हैं कौन-कौन से जो चुपचाप नहीं होते हैं ।
तुम्हें कसम है बापू की छाती के अंतिम बूंदों की,
सच कह देना क्या इन सब में शामिल आप नहीं होते हैं ।

आज भ्रष्टाचार के कारण चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है । इस भ्रष्टाचार को दूर करके ही आप खाद्य स्थिति पर नियंत्रण पा सकते हैं ।

*श्री राज बहादुर चन्द (जिला बस्ती)---

मान्यवर, अभी माननीय दिघे जी के भाषण को मैंने सुना । मैं आशा करता था कि वे इस चर्चा में कुछ ऐसे सुझाव देंगे जिससे कि इस खाद्य समस्या को सुलझाया जा सके मगर कोई ऐसा सुझाव उनकी ओर से नहीं मिला । उनका भाषण केवल फ्लावर मिल के कर्मचारियों की छटनी, बेकरी तथा एक दो अन्य बातों तक ही सीमित रहा । यह जितनी भी चर्चायें यहां खाद्य के संबंध में हुई हैं, उनसे खाद्य की समस्या और बिगड़ गयी है । इस प्रदेश में न गेहूं की कमी है और न ही चावल की कमी है । (व्यवधान) व्यापारी लोग गल्ला दबाये बैठे हैं जिसके कारण यह परेशानी आ रही है । लोग सोचते थे कि सावन के महीने में गेहूं ३ रुपये किलो मिलेगा, मगर सरकार की नीति और व्यवस्था के कारण आज बस्ती में गेहूं १४६ रुपये क्विंटल बिक रहा है । माननीय सदस्य अकाल और भुखमरी की जो बात करते हैं, मुझे तो कहीं भी वह देखने में नहीं आती । हमारे यहां एक भी मौत भुखमरी से नहीं हुई है । (व्यवधान) हर आदमी को खाने के लिये अन्न मिल रहा है । आप लोग ऐसी बात करते हैं कि लगता है आप लोग देश के शुभचिन्तक नहीं हैं ।

(व्यवधान)

एक सदस्य---

सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है ।

श्री राज बहादुर चन्द---

माननीय दिघे जी मेरे पास के जिले के रहने वाले हैं । हम लोगों के क्षेत्र में कहीं भी भुखमरी से मौत नहीं हुई है । केवल सरकार को बदनाम करने के लिये ही इस तरह की बातें कही जा रही है

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

मान्यवर, एक व्यक्ति मेरे पड़ोस के हैं । सावन में अंधे हो गये । गर्मियों के मई जून के महीने में जब भीषण गर्मी पड़ रही थी, आग की लपटें आसमान से धरती पर आ रहीं थी, पृथ्वी जल रही थी , उस समय भी इनको लग रहा था जैसे पानी और ठंडी हवा के फ़ुव्वारे बरस रहे हैं ---

भारत का भार उठाने को मजबूत कर रहे थे कंधे,
सब कुछ सरसब्ज उन्हें सूझे, वे हैं सावन के अंधे ।

श्री राजबहादुर चन्द---

आप तो कथा बांचते हैं, कृषि से आप को क्या मतलब ।

(व्यवधान)

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

मैं वाचक हूं, आपकी तरह से वंचक नहीं हूं ।

श्री राज बहादुर चन्द---

रोज-रोज असेम्बली में खाद्य समस्या को लाकर एक चर्चा का बिषय बना दिया जाता है । विरोधी पक्ष के लोगों द्वारा जितनी भ्रामक बातें कहीं जाती हैं उससे प्रदेश की जनता का भला नहीं हो रहा है । व्यापारियों नें गल्ले को छिपा रखा है किसानों ने गल्ले को छिपा रखा है । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या विरोधी पक्ष का यही काम है कि वे प्रदेश की खाद्य स्थिति को और खराब बनावें ! यह विरोधी पक्ष के लिये बड़े शर्म की बात है । आप लोगों को शर्म आनी चाहिये । (व्यवधान) । केवल राजनैतिक बातों से प्रेरित होकर केवल सरकार को बदनाम करने के लिये खाद्य समस्या को किसी न किसी रूप में ले आते हैं । अध्यक्ष जी, मेरा एक सुझाव है कि जो गल्ला जिस जिस क्षेत्र से वसूल हो उस क्षेत्र का गल्ला जो वहां बहत बड़े-बड़े गोदाम हैं उन्हीं में रखा जाय क्योंकि उन गोदामों से गल्ला एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर होता है तो उसमें खर्च भी बहुत पड़ता है ।

(व्यवधान)

मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिन किसानों को, गरीबों को कार्ड मिले हुये हों उनके लिये आपका आदेश होना चाहिये कि उन गरीब भूमिहीनों को गल्ला, मिट्टी का तेल, चीनी व सस्ते कपड़े वितरित किये जाय ।

(व्यवधान)

(श्री शारदा प्रसाद रावत के पुकारने पर जनसंघ दल के एक सदस्य के खड़े होने पर ।)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

क्या श्री शारदा प्रसाद रावत को बोलने का हक नही है ! आपके के दल के दूसरे सदस्य श्री राम प्रकाश त्रिपाठी बोल चुके हैं । अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपको बोलने का मौका नही दूंगा ।

*श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आज जो देहात में बिषम स्थिति उत्पन्न हुई है उसकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । अभी हमारे माननीय सदस्य बस्ती ने कहा कि उन्हें यहां बस्ती में १४६ रु० क्विंटल गेहू मिला । मैं भी बस्ती के ही पड़ोस में सहजनवां का रहने वाला हूं । मैंने खलीलाबाद के मारकेट में बहुत घटिया किस्म का गेहूं १८० रुपये क्विंटल खरीदा है ।

अच्छे किस्म का गेहूं आज २०० रुपये में बिक रहा है । लेकिन यह कहते हैं कि गेहूं १४६ रुपये में बिक रहा है । आप हाउस में तो कह देते हैं कि गेहूं १४६ रुपये में बिक रहा है पर यह आपने नहीं देखा कि गेहूं २०० रुपये में बिक रहा है ।

(इस समय ५ बजकर २७ मिनट पर अधिष्ठाता कुंवर श्रीपाल सिंह पीठासीन हुए)

आपने यह निर्णय लिया कि देहात में गेहूं नहीं देंगे । यह बात उचित नहीं है । देहात में मजदूरी डेढ़ रुपया, दो या ढाई रुपये या अधिक से अधिक तीन रुपये ही मिलती है । पर शहर में एक रिक्शा चलाने वाला भी रोजाना ६ रुपये से कम नहीं कमाता है । सात

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[शारदा प्रसाद रावत]

आठ रुपये की उनकी रोज की मजदूरी है । शहरों में मजदूरी ज्यादा है तो आप गेहूं दे रहे हैं और देहात जहां की मजदूरी कम है, सस्ते गल्ले की दूकान कम हैं वहां पर गेहूं नहीं दिया जा रहा है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप देहात की तरफ देखें । गेहूं की वसूली तो आपने कर ली है । किसान के पास गेहूं तो रह नहीं गया है । और दूसरे अनाज भी नहीं है इसलिये आप देहात के लिये व्यवस्था करें ।

इस वक्त सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गयी वह यह है कि बस्ती-गोरखपुर-देवरिया में हजारों गांवों में पानी भरा है । वह पानी से चारों तरफ से घिरे हैं । कानूनगो-लेखपाल नाव पर बैठकर १०-२० किलो नमक और १-२ टिन मिट्टी का तेल बांट रहे हैं । मान्यवर, वहां व्यापारियों के पास भी गल्ला नहीं है जो बांट सकें । एक संस्था है उसने वहां पर गल्ला बांटना चाहा था । संस्था ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, गोरखपुर से सम्पर्क स्थापित किया । इसलिये कि कंट्रोल रेट पर गल्ला मिले और उसे बांटा जाय । लेकिन उन्होंने कहा कि हम कंट्रोल रेट पर गेहूं बांटने के लिये नहीं दे सकते । तो मेरा निवेदन है कि जो इस प्रकार की संस्थायें हैं । जो लोग गेहूं खरीद कर बाढ ग्रस्त इलाके में बांटना चाहते हैं उनको कंट्रोल रेट पर गेहूं दिलाया जाय । क्योंकि तमाम लोग बाढ़ में फंसे हैं । इन लोगों के लिये गांवों में भी सस्ते गल्ले की दूकानों की व्यवस्था की जाय ।

दूसरी बात आज देहात में चीनी और मिट्टी का तेल भी नहीं मिल रहा है । चीनी अप्रैल से नहीं मिली है । पहले जब शादी ब्याह थे तो उस समय तो मिली थी पर तब से नहीं मिली है । तो आपसे निवेदन है कि जो गांव बांढ से घिरे हुये हैं जहां पर भोजन की व्यवस्था नहीं है उन लोगों के लिये अनाज और मिट्टी के तेल की व्यवस्था की जाय । गेहूं के अलावा जो अन्य अनाज हैं उनकी भी व्यवस्था सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा करायें ।

साथ ही साथ जो आनाज को खरीद कर लाते हैं उनको गल्ला नाव के जरिये से ले जाना पड़ता है । उनको ५-५, ८-८ रुपये नाव का किराया देना पड़ता है । तो सरकार को नाव का किराया जो उनको देना पड़ता है उसको देने की व्यवस्था करनी चाहिये । इसी तरह से जो रोग बाढ से घिरे है अविलम्ब उनकी रक्षा के लिये आपको कदम उठाने चाहिये ।

(श्री काशी नाथ मिश्र के खड़े होने पर)

एक सदस्य--

मान्यवर, बांदा जिले के बारे में मुझे भी बोलने का समय मिलना चाहिय ।

*श्री काशी नाथ मिश्र--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि इस विषय पर सरकारी पक्ष को प्रस्तुत करने का नौका दिया । अभी जो भी बातें विरोधी पक्ष से कही गयीं, केवल जो व्यवस्था में गड़बड़ी है उसी की तरफ माननीय सदस्यों ने ध्यान आकृष्ट किया । लेकिन जो इसकी जगह पर आल्टरनेटिव हो सकते थे, जो वैकल्पिक उपाय हो सकते थे, किसी माननीय सदस्य ने नहीं कहा । मान्यवर मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सस्ते गल्ले की दूकानों पर चीनी तो जरूर मिल रही है पर गल्ला नहीं मिल रहा है । यह बात सही है । इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या गल्ले की खासतौर से पूर्वी जिलों में है जहां पर बाढ़ का संकट है और हमारे बलिया में तो जबरदस्त महंगाई है । और खासतौर से वहां जो यह तस्करी हो रही है, तस्कर व्यापार हो रहा है वह भी इस स्थिति के लिये जिम्मेदार है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

खाद्य नीति इतनी गड़बड़ है कि तस्करी व्यापार की आड़ में जो इलाका बिहार से लगा हुआ है उसमें पुलिस काफी पैसे कमा रही है । ५ मील का जो बार्डर एरिया है उसमें से १० किलों से ज्यादा सामान नहीं ले जा सकते हैं । इस तरह बलिया शहर भी ५ मील की सीमा के अन्दर आता है । यदि यह नीति सरकार की कार्यान्वित की आप तो बलिया शहर में एक दाना भी गल्ला नहीं जाना चाहिये, लेकिन वहां गल्ला जाता है । पुलिस वाले बार्डर एरिया से ले जाने वालों को पकड़कर उससे कुछ वसूलते हैं, और इस तरह देहात में एक तरफ हमारे बलिया जनपद में भुखमरी की स्थिति है और दूसरी तरफ बड़े व्यापारियों से पुलिस वाले मिले हुए हैं जिससे कि गल्ले से लदे हुए ट्रक पार कर देते हैं। किन्तु उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। बलिया के शहर कोतवाल मिले हुये हैं और पुलिस की चौकी जो हैं वहां से तस्कर लोग माल ले जाते हैं। परन्तु खाना पूरी करने के लिये गरीब लोगों का चालान किया जाता है। इसकी ओर मैंने सरकार का तथा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हो रही है।

मान्यवर, दूसरी तरफ बलिया जिले में गरीब लोग बसते हैं जिनके पास जमीन नहीं है। वे केवल मजदूरी करके खाते हैं । यदि उनको आप चावल नहीं दे सकते हैं तो मोटा अनाज दीजिये । यदि सस्ते गल्ले की दुकान में राशन नहीं है तो आप घोषणा करें कि हम किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकती हैं । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज उन क्षेत्रों में कोई माकूल व्यवस्था नहीं है जिससे कि गरीब लोगों को खाना मिले । इसके अलावा जो पैसे वाले भी हैं उनको भी राशन नहीं मिल रहा है कि वे १० रु० किलो लेकर भी खा सकें । तो इस तरह की व्यवस्था से पैसे वाले तथा न पैसे वालों को भी खाने को नहीं मिल रहा है । यदि ऐसी व्यवस्था है तो सरकार को चाहिये कि वह सरकारी एजेंसी से या न्याय पंचायतों में अपने आदमी मुकर्रर करें जिससे देहातों में बार्डर एरिया से सामान ले जा सकें । सरकार चेक पोस्टें और कायम करे जिससे कि गल्ला बिहार में न जाने पावे।

श्रीमन्, आज बिल्कुल अन्न का कृत्रिम अभाव पैदा किया गया है । मुझे पूरी जानकारी है कि इस प्रदेश में गल्ला है । लेकिन वसूली के सवाल को लेकर चौधरी चरण सिंह तथा जनसंघ की पार्टी यह सवाल उठाती है कि धांधलेबाजी हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग गेहूं तथा चावल भरे हुये है उन पर सरकार को छापा मारना चाहिये और उस सामान को सस्ते दामों पर बेंचा जाय । वसूली की बात को उस तरफ के लोग कहते हैं कि ज्यादती हो रही है । मेरठ में बड़े-बड़े काश्तकारों के यहां सौ-सौ बोरा गल्ला रखा हुआ है परन्तु उन पर कोई कार्यवाही सरकार नहीं कर रही है । मेरा सरकार पर आरोप है कि बड़े लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । बलिया जिले में सैकड़ों बोरे गल्ला व्यापारी तथा बड़े काश्तकार रखे हुये हैं । ये लोग तस्कर व्यापार करते हैं । इसलिये सरकार को चाहिये कि उनसे गल्ला निकलवाने और वह सस्ते गल्ले की दुकान के जरिये बिकवाये । यह मेरी सरकार से अपील है ।

श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा)--

अधिष्ठाता महोदय, बांदा जिले की आवाज बुलन्द करने के लिये मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव रक्खा था । अध्यक्ष जी ने उसको अस्वीकार कर दिया । इस पर मैंने दुबारा फिर कोशिश की । अध्यक्ष महोदय ने फिर अस्वीकार कर दिया । इस पर मैंने सदन त्याग किया । तीसरी बार मैंने इसको फिर रक्खा और जब अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार नहीं किया तो हमने कहा कि आज सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे । इस पर खाद्य मंत्री ने आश्वासन दिया। तब अध्यक्ष महोदय ने दो घंटे की बहस स्वीकार की। तो मुझे निवेदन करना है कि यह बहस जो हो रही है, बांदा जिले में होने वाले गेहूं वसूली में अत्याचार के विषय में ही होना चाहिये थी यह सामान्य बहस नहीं है।

[श्री जगन्नाथ सिंह परमार]

आपने मुझे इस पीड़ा को सुनाने का अवसर दिया है, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। जो कोटा निर्धारित किया गया उसके बारे में मैं अपने डिवीजन की बात बतलाना चाहता हूं। १२ मई को सरकारी विज्ञप्ति निकली और झांसी का ८,००० टन, ललितपुर का ७,००० टन, जालौन १५,००० टन, हमीरपुर का २,००० टन और बांदा का ५,००० टन लक्ष्य रक्खा गया। महोदय, सभी जगह से प्रार्थना हुई कि लक्ष्य बहुत है। सरकार ने २८-५-७४ को इसको संशोधित किया। झांसी का ८,००० टन से ७,००० टन, ललितपर का ७,००० से ५,००० टन, जालौन का १५,००० से १२,००० टन, हमीरपुर का २०,००० से ११,००० टन लक्ष्य रखा गया और बांदा ५,००० से १,०००० टन बढ़ा दिया गया। यह क्यों किया गया इसका मैं जवाब चाहता हूं। पिछले साल ५,००० टन वसूल किया गया था जबकि फसल अच्छी थी लेकिन इस साल पाला और सूखा के बावजूद लक्ष्य ५,००० से १०,००० टन किया गया। इसकी वसूली के लिये दमनचक्र चला। इसको सरकार जानती है और सारा सदन जानता है। मेरे पास किये गये अत्याचार का कुछ ब्योरा मौजूद है उसको मैं आज बतलाना चाहता हूं। मेरे जिले में सर्वोदय मंडल है। करवी, मऊ में किए गए अत्याचारों का विवरण भेजा है यह असिंचित क्षेत्र है। वहां पर एक बीघा में १ मन से अधिक नहीं होता है। शासनादेश में कहा गया कि सवा ६ एकड़ से कम वाले से गेहूं नहीं वसूला जायगा। यह तादाद हमारे यहां भौगोलिक स्थिति को देखते हुए १० एकड़ की जानी चाहिये थी लेकिन वास्तव में सवा ६ एकड़ की छूट भी नहीं दी गई। वहां पर गेहूं वसूल किया गया है और सवा छः एकड़ से कम वालों से वसूल किया गया है तथा भूमिहीनों से भी वसूल किया गया है, मजदूरों से वसूल किया गया है और जिनके पास गेहूं नहीं निकला, उनसे पैसा वसूल किया गया है। सरकारी खरीद में और मार्केट भाव में जो डिफरेंस है, वह मजदूरों और गरीबों से वसूल करके सरकार कोटे में गेहूं भरा गया है। मान्यवर, सबसे शर्मनाक बात यह है कि मेरे जिले में एक-एक किलो गेहूं तक वसूल किया गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई जिला है, जहां किसानों, मजदूरों और गरीबों से एक-एक किलो गेहूं वसूल किया गया हो?

अब मैं, मान्यवर, जिले की खाद्य स्थिति पर आता हूं। मेरे जिले के मध्य भाग की जमीन कुछ ठीक है और वह क्षेत्र बाहर को गेहूं देता है। लेकिन हमारे जिले के कर्वी और मऊ क्षेत्र की स्थिति बड़ी खराब है। अभी माननीय काशीनाथ मिश्र ने कहा कि विरोधी दल के साथी सिर्फ आलोचना करते हैं। मैं मा० काशीनाथ मिश्र को आमंत्रित करता हूं कि यदि वह समय दें और वहां चल सकें तो मैं अपने क्षेत्र में लोगों को घास खाते दिखा सकता हूं। अगर मेरी बात झूठ निकले, तो सदन जितना चाहे, मुझे लज्जित कर सकता है। जो जंगली क्षेत्र हैं, जहां गेहूं तो क्या, कुछ नहीं होता है। मान्यवर, सरकार ने अभी हरिजनों की पीड़ा के प्रति आंसू बहाये। लेकिन, महोदय, मेरे जिले में जो हरिजन मजदूर हैं, जो खेतों की कटाई से एक या दो क्विन्टल गेहूं इकट्ठा किया था, उनका गेहूं भी छीना गया। मान्यवर, मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि गांव में यदि किसी के पास अधिक गेहूं होता है तो पास-पड़ोस का भी बीज व खाने का काम चल जाता है। लेकिन, महोदय, मेरे क्षेत्र में किसी किसान के पास गेहूं नहीं रहने पाया। यहां तक धांधली हुई है कि किसानों के दरवाजे ट्रक लगा कर बिना तोले हुये गेहूं भरा गया और बाद को गोदाम पर तोला गया।

श्री अधिष्ठाता—

जब लाल बत्ती जलती है, तो दो मिनट पहले जल जाती है। अतः माननीय सदस्य कृपया दो मिनट बाद ही खड़े हुआ करें।

श्री जगन्नाथ सिंह परमार---

सरकारी खरीद में जो अनियमिततायें हुईं, मैं उनका जिक्र करना चाहता हूं। अधिकारियों ने अपने उपयोग के लिये बोरों में अधिक गेहूं भरवाया और उसको बाद में तुलवाया। किसानों को १०५ रुपये प्रति क्विंटल मिलना चाहिये, लेकिन उसकी जगह उनको १०२ रुपये मिले, जब कि उनका गेहूं साफ कर, मिट्टी आदि छान कर लिया गया।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)---

मान्यवर, मुझको समय नहीं देंगे। अभी दो दिन हुये राखी बंधवाये और हमको भूल गये।

*श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---

मान्यवर, प्रस्ताव था कि जो जिन्दगी की जरूरत की हर चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उनको बांधने के लिये हमारा प्रस्ताव भी इसी के साथ जोड़ दिया गया है। इसलिये मुझको ज्यादा समय मिलना चाहिये। हमने अपने प्रस्ताव में कहा था कि आज देश को आजाद हुए २७ वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और २७ साल के दौरान जिन्दगी की जरूरत की हर चीज के दाम सुरसा की तरह बढ़ते चले जा रहे हैं। बजट सेशन शुरू नहीं हुआ था, उसके पहले ही चीजों के दाम बढ़ने शुरू हो गये थे। फिर बजट सेशन चल रहा था उस दौरान भी चीजों के दाम बढ़ते जा रहे थे। इस प्रकार यह दाम कहां जाकर रुकेंगे इसकी कल्पना नहीं की जा सकती उसी तरह से जिस तरह से आजादी के पहले या कुछ साल पूर्व यह हम अनुमान नहीं लगा सकते थे कि आज जो दाम जिन्दगी की जरूरियात के बढ़ गये हैं वे इस तरह से बढ़ेंगे? आज पारिवारिक जीवन महंगाई की वजह से सिकुड़ता जा रहा है, लोग घुटन महसूस कर रहे हैं, कुढ़न महसूस कर रहे हैं और जीवन बोझिल हो गया है। इसी कारण पड़ोस के प्रदेश बिहार में श्री जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में आन्दोलन चल रहा है और उसका समर्थन बराबर हमारा प्रदेश कर रहा है और २६ अगस्त को वह लखनऊ पधार रहे हैं। कोई असंभव बात नहीं होगी कि २६ अगस्त के दिन उत्तर प्रदेश में ज्वाला भभक उठे जिस प्रकार कि आज बिहार में भभक रही है।

श्री अधिष्ठाता---

आप अपने को विषय के अन्दर रखें।

श्री काशीनाथ मिश्र---

आप उनको बतला दें कि विषय क्या है?

श्री अधिष्ठाता---

समय सीमित है। आप अन्य विषय को मत लायें। महंगाई के लिये ८ तारीख निश्चित है, आज खाद्य स्थिति पर आप बोलें।

श्री मोतीलाल देहलवी---

हमारा प्रस्ताव आज के लिये जोड़ दिया गया था यह आप मालूम कर लें।

श्री अधिष्ठाता---

८ तारीख को महंगाई वाला विषय है। खाद्य वाला विषय आज है, उसी पर आप अपने को आज सीमित रखें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोतीलाल देहलवी—

अच्छी बात है। आज खाद्य स्थिति की बद्तर हालत है। राशन की दूकानों पर जो गेहूं मिल रहा है, चावल मिल रहा है उसमें मिलावट ही मिलावट है जिससे तरह-तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। शक्कर लोगों को महीनों नहीं मिलती। देहातों में महीनों तक शक्कर के दर्शन नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से वेजीटेबुल घी के दर्शन नहीं हो रहे हैं और अगर कहीं वेजीटेबुल घी मिलता भी है तो उसे लेबोरेटरी ने बताया कि उसमें चरबी और जला हुआ मोबिल-आयल मिला हुआ है। खाद्य पदार्थों में मिलावट की वजह से तरह-तरह की बीमारियों का शिकार हमारा प्रदेश हो गया है। माननीय मंत्री जी का कहना है कि हमारे प्रदेश में खाद्यान्नों की कमी नहीं है लेकिन बार-बार यह देखा जा रहा है कि यदि हमारे यहां खाद्यान्नों की कमी नहीं है तो जहां पर आज बाढ़ आयी हुई है, उसे रोकने के लिये आपने क्या इन्तजाम किये हैं? अगर बाढ़ की जगह पर आपने खाद्यान्न पैदा किया होता तो जो आज प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, जैसा कि अभी माननीय सदस्यों ने बताया कि देवरिया, गोरखपुर, बस्ती आदि स्थानों पर लोग बहुत परेशान हैं, वह न होता। मैं पूछता हूं कि क्या इस स्थिति से मंत्री जी अवगत नहीं हैं? वह संगम के स्थान की रहने वाली हैं। देहातों में लोगों को गल्ले की जरूरत है, मिट्टी के तेल की जरूरत है और जिन्दगी की अन्य चीजों की जरूरत है। मेरी जानकारी के अनुसार जैसा कि सम्बन्धित जिलों के माननीय सदस्यों से मालूम हुआ कि वहां पर कोई चीज उपलब्ध नहीं हो पा रही है और अगर है तो वह केवल नाम मात्र के लिये ही पर्याप्त है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

सभी लोग एक साथ तो नहीं बोल सकते। आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें, सबको मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

*श्री ध्रुव नारायण सिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, खाद्य स्थिति पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये जो आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद। मान्यवर, आज यहां पर खाद्य स्थिति पर विचार किया जा रहा है और सरकार ने इस सम्बन्ध में खरीद की नीति अपनायी है उससे जनता में संतोष है। वे गेहूं देकर अपनी अन्य आवश्यक वस्तुयें जैसे चीनी, सीमेंट और खाद आदि चीजें पा जाता है, इस तरह से उसमें संतोष है। मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय खाद्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस समय जो खाद्य के वितरण की व्यवस्था है उसमें आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। प्राइवेट दुकानों से गल्ले की जो वितरण व्यवस्था है उससे जनता में क्षोभ है। माननीया, मैं सुझाव देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, इतनी बड़ी-बड़ी मूछों के रहते हुये भी आप मुझे माननीया कह रहे हैं।

(हंसी)

श्री ध्रुव नारायण सिंह—

आपको तो मैं "मान्यवर" ही कह रहा हूं। मैं तो खाद्य मंत्री जी को "माननीया" कह रहा हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

आपने अपनी गल्ती को दूसरे रूप में से ठीक कर लिया। इसके लिये धन्यवाद।

श्री ध्रुव नारायण सिंह—

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज तो वितरण व्यवस्था प्राइवेट दुकानों द्वार की गई है उससे हमेशा गड़बड़ी होती है। मुझे साल भर तक प्रमुख रहने का अवसर मिला था और उस समय मैं देखता था ये लोग कैसे चीनी उठाते हैं और अन्य सामान उठाते हैं, किस तरह से बांटते हैं, वे सारी जानकारी मुझे है। मैं निवेदन करूंगा कि जो ये प्राइवेट दुकानदार हैं उनको खत्म करके साधन सहकारी समितियों के द्वारा राशन की दुकानों की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में वितरण के सम्बन्ध में जो भेद भावपूर्ण नीति अपनायी गई है उससे भी जनता में वहां पर काफी क्षोभ है जिनके पास रुपया है उनको गल्ला और चीनी ये लोग दे देते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में गल्ला नहीं देते हैं तो जो कि रुपये दो रुपये मजदूरी पाता है। जिससे अपना जीविकोपार्जन करते है। उसको महंगा गेंहूं लेना पड़ता है। मैं निवेदन करूंगा कि देहातों में जो भूमिहीन हैं, उन्हें आप राशन उसी तरह से दें, जैसे शहरी क्षेत्रों में देती हैं। मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय खाद्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप शहरी क्षेत्रों में फी आदमी साढ़े सात सौ ग्राम चीनी देते हैं जब कि देहाती क्षेत्रों में फी परिवार एक किलो चीनी देते हैं, तो यह भेदभाव क्यों ? चीनी तो बराबर मात्रा में सब खाते हैं। आप जिस तरह से चीनी शहरी क्षेत्रों में देते हैं, उसी प्रकार से देहाती क्षेत्रों में भी दें। सीमेंट के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि आप उसका कोटा बढ़ायें।

श्री देवकुमार यादव (जिला बांदा)—

मान्यवर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज प्रदेश के इस खाद्य संकट पर बहस के दौरान आपने मुझे समय दिया। मान्यवर, अभी इस पक्ष के साथी यह फरमा रहे थे कि इस प्रदेश में भुखमरी की हालत नहीं है,

(इस समय ५ बजकर ५८ मिनट पर अधिष्ठाता श्री राम सुन्दर पांडेय पीठासीन हुये।)

वास्तव में हम और हमारे साथी खुशी मनाते, यदि हमारे सम्मानित साथियों की बात सही होती। बड़ी हैरत की बात होती है जब हमारे कुछ साथी इस बहस को भी दलगत दृष्टि-कोण से, इधर की बातों का जवाब देने के दृष्टिकोण से लेते हैं। बड़ा ताज्जुब है, जो साथी कहते है कि इस प्रदेश में गल्ले की कमी नही है, इस प्रदेश में भुखमरी नही है, वे क्या इस सरकार को शुतुरमुर्ग की पालिसी पर ले जाना चाहते है। मैं दूर की बात नहीं कहना चाहता, इसी लखनऊ में आज गेंहूं और अन्य खाद्यान्नों का मिलना अति मुश्किल हो गया है। कीमत की बात सम्मानित सदस्य कहते हैं, मैं उसकी बात नहीं कहता। यहां गेंहूं दो-ढाई रुपये में भी नहीं मिलता है। इसी से इस प्रदेश में मैदे की कमी के कारण ५ हजार बैकरियां और ५० हजार उसके मजदूर बेकार पड़े हैं। फिर भी यह दावा करना कि प्रदेश में खाद्यान्न की कमी नहीं है, मैं महसूस करता हूं सरकार को सही रास्ते से गुमराह करना है। मैं माननीया खाद्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह सवाल या जवाब देने का अवसर नहीं है। आज मैं महसूस करता हूं कि जो खाद्यान्न की भयंकर और गम्भीर स्थिति है, उसमें इस प्रदेश के लाखों और करोड़ों जनता को मौत की छाया से बचाने का सवाल है। यह स्थिति क्यों पैदा हुई ? इसको तय करना पड़ेगा कि हम आजादी के इतने वर्ष बाद कब तक इस प्रदेश में और देश में खाद्य समस्या पर बहस करते रहेगें। अनाज के थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण को छोड़ देने और ठीक वितरण व्यवस्था न करने के आप जिम्मेदार है।

[श्री देवकुमार यादव]

गेंहूं की लेबी में बड़ी जोर जबरदस्त की गई, मैं उसको छोडता हूं । मैं निवेदन करूंगा आप इस प्रदेश की जनता को गल्ला किस प्रकार देने वाले है, कैसे उसको जिंदा रखने वाले हैं । बहुत से लोगों ने चीनी, सीमेंट, मिट्टी तेल की बात की, मैं उस सबको छोडता हूं । आज इस प्रदेश में जो, ज्वार, बाजरा जैसा अनाज भी नहीं मिल रहा है । जिसके जरिये इंसान को जिन्दा रख सकें । आज की बहस के दौरान सरकार को अपनी खाद्य स्थिति नीति पर भी विचार करना चाहिये । अगर सरकार ने गल्ले के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण नहीं किया या सरकार ने अपनी नीतियों को नहीं बदला तो यह स्थिति विषमतर होती जायगी । और सरकार इस प्रदेश की जनता को भुखमरी से बचा नहीं सकती है ।

मैं आप का ध्यान देहातों की ओर ले जाना चाहता हूं । सरकार शहरी क्षेत्रों में गल्ले की दूकानें खोल कर तुष्टि की नीति अपनाती है । गांवों में गल्ला नहीं पंहुच रहा है । अभी कुछ सज्जनों ने बांदा की बात कही । मैं तीन तारीख को पाठा एरिया में दौरा करके आया हूं । वहां की स्थिति यह है कि कोयला, हरिजन, मजदूर हजारों जनता पाठा एरिया को उसको तीन रुपये किलो जौ और बाजरे का आटा नहीं मिलता है। तीन चार रुपये किलो कोई खाद्यान्न नहीं मिलता । हजारों जनता चेंच और भाजी खा कर रह रही है । अगर सरकार इस प्रदेश की जनता, लाखों इंसानों को जिन्दा रखना चाहती है तो खाद्य समस्या की इस बहस के दौरान कुछ कारगर कदम उठाना पड़ेगा अन्यथा इस प्रदेश की तमाम जनता को भुखमरी से बचा नहीं सकती । अपनी बुनियादी नीतियों को कुछ परिवर्तित करना पड़ेगा । गांवों के सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने पड़ेंगी । जनता के माध्यम से ठीक से वितरण व्यवस्था करनी पड़ेगी ब्युरोक्रेसी के अन्दर जो भ्रष्टाचार है, जो ऊपर से रिलीफ भेजी जाती है नीचे के लोग खा जाते है, जनता के पास नहीं पंहुच पाती है । इसलिये सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं इसको दलगत सवाल न बना कर गम्भीरतापूर्वक इसको लेना है क्योंकि जनता को जिन्दा रखने का सवाल है। मुझे आशा है कि सरकार अपनी खाद्य नीति पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी और कारगर कदम उठायेगी ।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी बहुत कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर भाषण देने का मौका दिया । आपने इस बरसात के मौसम में अपनी कृपा की रिमझिम मेरे ऊपर, महिला के ऊपर बरसायी । खाद्य समस्या के विषय में बोलने से पहले मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि स्त्रियों के लिए भी भाषण का कोटा निर्धारित होना चाहिए । मैं समझती हूं कि दोनों पक्ष इससे सहमत होंगे कि बहनों के साथ न्याय किया जाय ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

राशन का कोटा महिला ही निर्धारित कर रही हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

सदन में तो बराबर का है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

खाद्य समस्या के बारे में यह ऐसी समस्या है जिसका सम्बन्ध स्त्रियों से बहुत अधिक है क्योंकि रसोईघर की मालिकिन एक स्त्री ही होती है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि प्रदेश में खाद्य समस्या को हैंडिल करने के लिये, खाद्य समस्या के क्षेत्र को संचालित करने के लिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमारे मुख्य मंत्री जी ने एक स्त्री, महिला को चुना है। महिला ही अन्नपूर्णा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक हमारे देश की बागडोर एक अन्नपूर्णा के हाथ में है और जब तक हमारे देश में खाद्य मंत्री के रूप में एक महिला हैं, कोई भुखमरी नहीं हो सकती, कोई बच्चा हमारे यहां महिला की छत्र छाया मे नहीं मर सकता। इस बात का पूरा भरोसा है। अगर आप खाद्य विभाग में ऊपर से नीचे तक अन्नपूर्णा को रखते तो यह परेशानी न होती। इसका मुझे पूरा विश्वास है। खैर, इसको छोड़िये। जो इस समय स्थिति है वह संकटकालीन स्थिति है। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं। यह सही है कि यह समस्या बड़ी गम्भीर है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

हमारे देश में नारी और महामारी दो का ही बोलबाला है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

जब आप लोग बोलते हैं तो मैं कभी डिस्टर्ब नहीं करती हूं। इसलिये अनुरोध है कि आप लोग मुझे बोलने दीजिये। बाद में कुछ भी कहें। इसके पीछे आज का नहीं बल्कि कई हजार वर्ष का इतिहास है। मैं पूछती हूं कि यह समस्या कब नहीं थी। आपको रामचन्द जी का जमाना याद होगा। जब वह वन में गये थे तो भिल्लनी के पास सिवाय झूठे बेर उनके सामने रखने के और कुछ नहीं जो वह उनके सामने पेश कर सके। इसी प्रकार कृष्ण जी के जमाने में एक तरफ तो युधिष्ठर की बड़ी अट्टालिकायें थीं और दूसरी तरफ विदुर के पास सिवाय साग और कुछ उनको खिलाने के लिये नहीं था। इसी तरह से आपने सुदामा की कहानी भी सुनी होगी। एक तरफ कृष्ण जी का ऐश्वर्य और वैभव और दूसरी तरफ उसके पास केवल थोड़े से चावल ही थे। यह कहानी खाद्य समस्या की, गरीबी की आज की नहीं बल्कि रामचन्द्र जी के जमाने की है।

यह क्या बात है। कितनी हुकूमतें आई और चली गई। लेकिन खाद्य समस्या अपनी जगह पर वहीं की वहीं हैं। यह बेसिक प्रश्न है। जब तक इसको हल नहीं किया जायगा यह बनी रहेगी। फर्क केवल यह है कि शबरी के जमाने में कोई असेम्बली नहीं थी। लेकिन आज हमारे पास असेम्बली है और गरीबी बोल सकती है, अपने आंसू बहा सकती है, अपनी समस्यायें पेश कर सकती है। यह बड़ा भारी फर्क है।

हमारे समाज की एक बेसिक कमी आर्थिक व्यवस्था है जिसकी वजह से हम खाद्य समस्या का हल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहां आर्थिक असमानता है। जब तक गरीबी अमीरी में भेद भाव है, जब तक पूंजीपति और मजदूर में भेद है, जब तक अफसर और नौकर भेद है तब तक इस खाद्य समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। आपको इस स्थिति को बदलना होगा। आपको समाजवाद की तरफ कदम बढ़ाना होगा। जब तक एक व्यक्ति १०० रुपये पाता है और दूसरा एक हजार पाता है तब तक इसका हल नहीं हो सकता है। असमानता जमाखोरी को पैदा करती है। यह जमाखोरी महिषासुर है। इन दोनों ने हमारे समाज को अपने चंगुल में फंसा रखा है और जनता तड़प रही है।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)---

लेबी क्या भाव बिक रही है।

श्रीमती स्वरूपकुमारी बख्शी---

हमारा जो बेसिक प्राबलम है उसको न सुधारेंगे....तब तक खाद्य समस्या क्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पायेंगे। यह मैं आज लिखकर देती हूं। हमारे खुद...

श्री अधिष्ठाता---

माननीया बख्शी जी आपका समय समाप्त हो गया।

श्री कृष्ण राय (जिला देवरिया)—

आज देवरिया पूरे उत्तर प्रदेश भर में मंहगा है। देवरिया में ८० प्रतिशत घरों में अनाज नहीं है और देवरिया जिले में चौतरफा बाढ़ का प्रकोप है। वहां पर लोग भूख से मर रहे हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देवरिया स्टेशन पर एक आदमी भूख से मर गया। आज एक वर्ष हो गया है गांव में राशन की दुकान बन्द कर दी गयी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसी टाउन एरिया म्युनिस्पैलिटी में हर जगह पर राशन की दुकान क्यों बन्द कर दी गयी है। इस कारण वहां लोग भूखों मर रहे हैं। सारा राशन बिहार में जा रहा है और बिहार से चीन को जा रहा है। पुलिस धनोपार्जन में लगी हुई है। जो बिहार का बार्डर है, वहां छोटे छोटे किसान ५–१० किलो अनाज ले जाते हैं तो उनसे पुलिस वाले पैसा ले लेते हैं। सारा गेहूं देवरिया का बिहार से चीन को जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी ने जल्दी से जल्दी राशन की दुकान नहीं दी तो देवरिया में भयंकर अकाल पड़ जायेगा। अगर सरकार चाहती है कि राशन के वितरण में बेईमानी न हो तो राशन की दुकानों की व्यवस्था जल्द से जल्द करे। इससे बेईमानी कम होगी। अगर गांव में राशन कार्ड बन जाय और मिट्टी का तेल, चीनी आदि उस पर उनको मिलने लगे तो बेईमानी कम हो जायेगी। तो आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी राशन कार्ड गांवों में भी बंटवाने की व्यवस्था करे।

दूसरी बात अगर आप तश्करी को रोकना चाहते हैं तो अपने अधिकारियों को ठीक करें देवरिया का सारा राशन बिहार में जा रहा है। बिहार म पडरौना तहसील है जिसमें गन्ना और हल्दी होती है। हाटा डूब गया। एक भी राशन की दुकान देवरिया में नही चल रही है। साल भर से अधिक हो गया है राशन की दुकानों को बन्द किये हुये। मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी राशन की व्यवस्था गांवों में करें . . . . अन्यथा हम लोग भूखों मर जायेंगे। गेंहूं की वसूली में जो गेंहूं हम लोगों से मांगा गया वह हम लोगों ने दिया।

श्री गोरे लाल शाक्य (जिला इटावा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को और सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अगर सरकार हमारे सुझाव को मान ले तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है। मेरा सुझाव है कि गल्ले का भाव सभी स्थानों पर एक सा होना चाहिये। इसके लिये सरकार को ट्रान्पोर्टेशन का खर्च बर्दाश्त करना पड़ेगा। खाद्य समस्या के ऊपर खासतौर से मैं कहना चाहता हूं कि गल्ले का ट्रान्सपोर्टेशन का खर्च सरकार बर्दाश्त करे। आप गल्ला किसानों से कम भाव में खरीद रहे हैं और बाजारों में गल्ला ज्यादा दाम पर बिक रहा है, तो आदमी गल्ला क्यों नही छिपावे ? यह समस्या जो है यह हमारी निकम्मी सरकार की जो नीति है, उसका दुस्परिणाम है। अब एक हमारी और दलील है कि जितने व्यापारी वर्ग होर्डिंग करते हैं, वह यहां से लदान करके बम्बई ले जायेंगे तो एक ही भाव बिकेगा, तो फिर वह जमाखोरी का पाप नही करेगा। जितना भी खाद्य पदार्थ है, उनका एक ही मूल्य होना चाहिये। मेरा एक फार्मूला है प्रदेश या देश में खाद्य पदार्थों का एक भाव, स्वतंत्र व्यापार एवं (इस समय ६ बजकर १७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)
ट्रान्सपोर्टेशन का खर्च सरकार बर्दाश्त करे तो यह समस्या हल हो सकती है।

मैं कुछ समस्यायें इटावा जिले के बारे में कहना चाहता हूं। इटावा जिले में जो राशन की दुकानों पर जो चीनी दी जाती है वह कलकुलेशन करने पर ३।। छटांक प्रति यूनिट पड़ती है। फूड सेक्रेटरी ने जिला अधिकारियों को यह आदेश दे रखे हैं कि एक महीने के लिये या १५ दिन के लिये चीनी का बितरण बन्द कर दो और तब चीनी बांटना शुरू करो। जिला अधिकारियों को यह आदेश रूल के मुताबिक नही भेजा गया, बल्कि केवल डिक्टेटरशिप के आधार पर ही यह आदेश भेजे गये हैं। मान्यवर, यह तो कोई सुझाव नहीं रहा। मा० मंत्री जी इसको नोट कर लें कि इटावा को जो चीनी दी गयी है वह साढ़े तीन छटांक प्रति यूनिट के हिसाब से दी गई है।

प्रजातंत्र में यह होता है कि अधिकतर जो चीजें होती हैं, उसकी व्यवस्था जनता करती है, चाहे वह शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे फूड की व्यवस्था हो। सरकार जनता को काम क्यों नहीं सौंपना चाहती है ? मैं चाहता हूं कि अगर यह राशनिंग पूर्णतः लागू करें और जिनकी आमदनी कम हो उनको राशन कार्ड दिये जांयं तथा जिनकी आमदनी ज्यादा हो, उनको बिलकुल राशन कार्ड न दिये जायं। इसके साथ ही साथ में यह कहना चाहता हूं कि खाद्य समस्या को हल अन्न के अधिक उत्पादन से ही नहीं होने वाला है। इसके लिये हमें अंडों का उत्पादन, मछली पालन आदि बातों पर बल देना चाहिये ताकि अधिक से अधिक, लोग इन चीजों को खायें। हमारे देश में अब भी इतनी जमीन पड़ी हुई है कि जिसको जोतकर अतिरिक्त अन्न पैदा किया जा सकता है। हमारी सरकार ने तो केवल जबरिया गल्ला वसूल करने का धन्धा बना लिया है। जो जमीन बेकार में पड़ी हुई है, उसको जोता नहीं जाता है। सिंचाई की भी व्यवस्था ठीक नहीं है। सिंचाई की व्यवस्था ठीक हो जाय तो भी हमारे देश की खाद्य समस्या हल हो सकती है।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने कहा जखीरेबाजी, मुनाफाखोरी, और मिलावट ये सारी समस्यायें हर जिले में, और हर स्थान पर हैं। मैं समझता हूं कि इनके बारे में सदन के सभी माननीय सदस्यों ने इनका वर्णन भी किया है।

खाद्य समस्या के लिये हमारे सामने पूर्वी बंगाल है। २-३ साल हुये हैं इसे आजादी प्राप्त किये। उन्होंने अपनी जनता के अन्दर एक उसूल बनाया। उन्होंने एलान किया कि जखीरेबाजी, मुनाफाखोरी और तस्करी करने वाले को सरे बाजार खड़ा करके गोली मार दी जायगी। जो हुकूमत ३ साल हुए अमल में आई हो और वह ऐसा सख्त उसूल बना सकती है। तो हम जो कि इतने दिनों से आजाद हैं और खाद्य समस्या की ऐसी शोचनीय है तो क्यों नहीं हम भी ऐसे उसूल बनाते हैं। खाद्य समस्या का हल एक ही है कि हम इसे गम्भीर रूप में लें और ऐसे काम करने वाले को सरे बाजार खड़ा करके गोली से मार देना चाहिये। बहुत से माननीय सदस्यों ने यहीं कहा कि हमारे प्रदेश में सब चीजें उपलब्ध हैं, अगर न होतीं तो ब्लैकमार्केट से कैसे प्राप्त हो सकती थीं। केवल समस्या माया खर्च करने की है। जो माननीय सदस्य यहां ज्यादा बोल सकते हैं, उनका भी कहना है कि कन्ट्रोल वाली चीजें भी ज्यादा पैसा खर्च करके मिल जाती है तो इसका समाधान केवल यह है कि जो आप सजा दीजिये वह कोर्ट सिस्टम से न देकर, उसे सरे बाजार गोली से निशाना लगवाइये। अगर इस तरह से २०-२५ आदमियों को भी आपने सजा दे दी तो इन समस्याओं का अपने आपसे हल हो जायगा। (एक माननीय सदस्य के खड़े होकर कुछ कहने पर) मैं यह नहीं समझा कि कौन सा आसमान टूट जायगा अगर आप अपनी बात को १ मिनट बाद में कह देंगे। मैं आपकी बात सुनने को यहां भी तैयार हूं और बाहर भी लेकिन यह तरीका ठीक नहीं है कि आप बीच में खड़े हों और बोलने लगें। मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि जरा सुन लीजिये। मैं तो गोली नहीं मारने वाला हूं। गोली मारने की बात तो हाउस तय करेगा। इसलिये डरने की बात नहीं है।

(व्यवधान)

आपसे ज्यादा त्यागी इधर बैठे हुये हैं।

श्री अजीत सिंह सेठी---

मैं यही समझता हूं कि असल में चोर आया, चोर आया सब कहते हैं लेकिन जो असलियत म चोर होता है वही खड़ा हो जाता है।

(शोर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गंगा प्रसाद---

अगर जांच की जाय तो तुम्हारे जैसे चरित्र वाले लोग ही ऐसा करते हैं ।

श्री अजीत सिंह सेठी---

मैंने क्या किसी माननीय सदस्य को कह दिया है ।

श्री गंगा प्रसाद---

क्या गोली मारने का अधिकार प्रजातन्त्र में है ? अगर ऐसा हो जाय तो उधर के लोगों का ज्यादा नम्बर आयेगा ।

(शोर)

श्री अजीत सिंह सेठी---

मैं कहता हूं कि प्रजातन्त्र में ऐसे लोगों को दुरुस्त करने का यही तरीका है । हरी सिंह नलवा ने जब जमरोत पर कब्जा किया (शोर) आज जो समाज है जिसमें आप भी शामिल हैं मैं भी शामिल हूं वह केवल बातें करना चाहता है असलियत को खोलना नहीं चाहता नहीं तो हम ४२५ लोग चुनाव लड़ कर आ सकते हैं तो क्यों सही रूप में चीजों का वितरण नहीं हो सकता । हम समाज को दुरुस्त नहीं करना चाहते, केवल बातें बनाना चाहते हैं । हरीसिंह नलवा ने जब काबुल की तरफ चढ़ाई की तो उसने सोचा कि यहां के लोग किस रूप में लड़ना चाहते हैं । जब वह ऐबटाबाद के पास पहुंचा तो उसने उस इलाके के वातावरण को पहले देखा, वहां के लोगों के स्वभाव को देखा । उसने देखा कि रात की जब बारिश आयी तो उन्होंने लकड़ी लेकर मिट्टी को पीटना शुरू किया ताकि अन्दर सीलन न आये । उसने अपने सवार बुला कर उस इलाके की वह पिटाई की कि उस पिटाई के बल पर उसने उस इलाके पर कब्जा कर लिया । आज हमारा समाज उसी रूप में बदल रहा है । उसको सुन्दर और सुखी बनाने के लिये हमारी हुकूमत को काफी सख्ती करनी पड़ेगी जिसके लिये मैं प्रार्थना करता हूं कि वह काफी ठोस कदम उठायें ।

*श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे माननीय सदस्य जो सत्ताधारी दल में आजकल बैठते हैं, काशीनाथ जी मिश्र, उन्होंने कहा कि विरोध पक्ष की ओर से कोई ठोस सुझाव नहीं आते केवल आलोचना होती है । मैं आपके सम्मुख दो, तीन बातें कहना चाहता हूं खासतौर से अपने इलाके की जहां से चन कर आता है । हमारे देवरिया जिले में गेंहूं की वसूली की चर्चा चली । मैं केवल तीन जगहों की जहां गेंहूं वसूली हुई है उसकी मिसाल देता हूं और जो सूची मैंने माननीय मंत्री जी की जानकारी में टंडन जी को दिया है उसकी बात आपको कहता हूं । पहली बात तो यह कि स्थल सेना के एक चालक हरमान सिंह हैं । वह शिव पुर पकड़ी थाना कप्तानगंज के रहने वाले हैं । उनके पास दो एकड़ जमीन है । मंत्रीजी की एक फौज जाती है और उनके घर में प्रवेश करती है । स्थल सेना के चालक घर पर आये थे । उसने कहा कि हमारे घर में आप क्यों आये हैं । पुलिस के अधिकारियों ने और परगना अधिकारी ने जब उनसे सवाल किया कि तुम्हारे घर से गेंहूं है, तो उसने कहा कि मेरे घर में गेहूं कहां से आया । इस पर नारज होकर हरिमानसिंह और ४ आदमियों को पकड़ कर कप्तानगंज थाने ले आये, उनको पीटा और कटहर के पेड़ से बांध दिया गया । जब उनके रिश्तेदार वगैरह गये तो उनको भी पीटा । डी०आई०आर० में बन्द करके भेज दिया । मैं चाहता हूं मंत्री जी इस घटना की जांच करायें ।

एक और घटना ग्राम सदांव के एक रामजी साहू के साथ घटी जो भूमिहीन हैं । उसको परगना अधिकारी ने पकड़ कर बन्द कर दिया । एक हड़क प्रसाद पान्डेय हैं, जिनका २ एकड़

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का खेत है, उसने जब गेहूं नहीं दिया तो उसको भी पकड़ कर बन्द कर दिया। हमने माननीय मंत्री जी को और खाद्य आयुक्त टंडन जी को १०५ से लोगों के नामों को लिख कर दिया जिनके पास हजारों मन गेहूं था, मगर चूंकि वे प्रभावशाली लोग थे, किसी के भी घर छापा नहीं मारा गया।

माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से ऐसा लगता है कि प्रदेश भर में कहीं जीवनोपयोगी वस्तुओं की कमी नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन वह सब कागज पर ही है। मंत्री जी कहती हैं कि मैं दुकानें स्वतः किसी को नहीं देती हूं। मुझे जानकारी है कि जितनी भी राशन की दूकानें दी गयी हैं उनमें अधिकांश सत्ताधारी लोगों के रिश्तेदारों के पास हैं। मंत्री जी के दफ्तर से ही अभी देवरिया जिले में भटनी और पडरौना में लोगों को दूकानें एलाट करने के आदेश गये हैं। मैंने इस संबंध में मंत्री जी को एक चिट्ठी भी लिखी, उसका कोई जवाब मुझे आज तक नहीं मिला।

तस्करी रोकने की बात मंत्री जी करती हैं। हमारे यहां सलेमपुर से बिहार बार्डर २४ किलोमीटर है। सलेमपर के पूर्व में छोटी गन्डक नदी है जिस पर पुल नहीं है। उसके बाद ही मझौली कसबा है जहां से बिहार बार्डर दूर पड़ता है, मगर यहां से गल्ला बिहार के लिये आसानी से जा सकता है। आपके अधिकारियों ने सलेमपुर के लिये प्रतिबन्ध लगा रखा है मगर मझौली में प्रतिबन्ध नहीं है। बिहार को गल्ला भेजने का काम मंत्री जी का दफ्तर कर रहा है। मैं चाहता हूं सलेमपुर में जो प्रतिबन्ध है उसको हटाना चाहिये।

देवरिया जिले में ७० प्रतिशत घरों में एक वक्त चूल्हा जलता है। हाहाकार मचा हुआ है। मजदूरी जो खेतों में मिला करती थी, आज उसे मजदूरी भी नहीं मिल रही है। दो तरफ से बाढ़ आ गयी है। एक तरफ से गंडक नहर का पानी चला गया और दूसरी तरफ से घाघरा का पानी चला गया जिससे खेती में लोगों को मजदूरी भी नहीं मिलती। कोई अपने खेतों में मजदूर लगाता ही नहीं है। हमारे यहां एक रावतपुर मठिया है जहां एक मजदूर को दिन भर काम करने पर ८ आने मजदूरी मिलती है और एक गांव बनकटा मठिया है जहां एक मजदूर को दिन भर काम करने पर केवल ४ आने मजदूरी मिलती है। अब आप ही सोचिये कि आज कोई अपनी जिन्दगी ८ आने और ४ आने में कैसे चला लेगा ?

हमारे इलाके की एक दर्दनाक घटना है जिसकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का, माननीय मुख्य मंत्री जी का और सारे लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे इलाके में बंशी हज्जाम जो बनकटा मिश्र का रहने वाला है, वह भिक्षाटन करता था, जब गांव वालों से उसे कुछ नहीं मिला तो एक हफ्ते उपवास करने पर उसके प्राण उड़ गये। दूसरी घटना है कि गोगई हरिजन, जो रावतपर मठिया का रहने वाला था वह भूख के कारण ही चल बसा। एक मूर्तनी बेवा जौजे जोगी हरिजन, गांव बढ़या हरदो, वह १–७–७४ को मर गयी। इसी तरह से एक नूरजहां, पुत्री दिलशेर, साकिस बानटोला, वह भी भूख से मर गयी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में २९ जुलाई से १ अगस्त तक ४ आदमी भूख से मर गये। अगर मैं १ से ३० तक की लिस्ट पढ़ूं तो उसमें बहुत देर लगेगी। सहला रावतपुर, मठिया, बढ़या हरदो, बानटोला, मझौली में २३ आदमी भूख से मरने की स्थिति में है।

श्री अध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, माननीया खाद्य मंत्री बोलें उसके पहले मैं ३–४ सवाल उनसे करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि जब बोलने लगें तब सवाल कीजियेगा।

*डाक्टर राजेन्द्र कुमारी पाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष जी, सदन में काफी गम्भीरता पूर्वक खाद्य स्थिति और जीवन की जो आवश्यक वस्तुयें हैं, उनके तिवरण की जो प्रणाली आज हमारे प्रदेश में है उस पर विचार किया। माननीय सदस्यों ने कुछ अच्छे सुझाव भी दिये, इसलिये मैं उनकी आभारी हूं। सरकार की जो वितरण व्यवस्था है, वह ज्यादा से ज्यादा अच्छी हो सके, यह हर माननीय सदस्य की चिन्ता का विषय है और मुझे इस बात का पूरा ध्यान है कि हमारे इस प्रदेश को, जो इनता बड़ा सूबा है जिसकी आबादी ९ करोड़ के लगभग है, उसकी जो जीवनोपयोगी वस्तुयें मिलनी चाहिये, जो भी सरकार प्रबन्ध करा रही है उसको ठीक से दी जा सके और उस वितरण व्यवस्था में कहीं भी अगर त्रुटि हो तो उसे दूर किया जा सके। यों तो आपने यह चिन्ता व्यक्त की कि गेहूं की कमी जगह जगह है और खासकर पूर्वी जिलों के माननीय सदस्यों ने अपने जो विचार व्यक्त किये हैं और स्थिति को बतलाया है, उन्होंने यह कहा कि देहातों की जो स्थिति है उसको देखते हुये दूकानों की व्यवस्था होनी चाहिये। कुछ माननीय सदस्यों ने गेहूं की वसूली के समय कुछ गलतियां हुई हैं, और छोटे किसानों से भी गल्ला वसूल किया गया है, उसकी भी चर्चा की। मैं इससे इन्कार नहीं करती कि इतने बड़े सूबे में कहीं कहीं पर छोटे किसानों से भी गल्ला लिया गया हो। लेकिन सरकार की तरफ से जो आदेश दिये गये थे वह बहुत स्पष्ट थे कि वसूली केवल बड़े किसानों से होगी और बाद म जब माननीय नेता विरोधी दल ने सवाल उठाया था तो उसके बाद जो हमारा रेडियोग्राम गया था उसमें भी स्पष्ट कर दिया गया था कि साढ़े ६ एकड़ से ऊपर यह वसूली की जाय। इसके पहले हो सकता है कि कुछ स्थानों पर इस तरह की वसूली हो गयी हो और मैं माननीय सदस्यों की भावना की इज्जत करती हूं कि उन्होंने इन लोगों की तरफ किसानों की तरफ, उनकी जो कठिनाइयां थीं उनको सरकार के सामने उपस्थित किया।

श्री जंग बहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, जिन्होंने अन्याय किसानों के ऊपर किया है उनको सजा नहीं दी गयी है।

श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, सजा की बात अपनी जगह पर है। मैं कह रही थी कि जो आपने यह कहा है, इस पर भविष्य में ध्यान रखा जायगा कि इस तरह की त्रुटि न हो। अभी तक जो हमारी व्यवस्था है उसमें यह है कि जो शहरों में घनी आबादी है वहां सस्ते गल्ले की सरकारी दूकानें खोली जाती हैं। ग्रामीण अंचलों से अनाज, चावल, गेहूं और अन्य मोटा अनाज लेकर के इकट्ठा करके उसको फिर शहर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से वितरित कराया जाता है। जो भी गल्ले की वसूली होती है वह केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार होती है।

*बाबा रामनाथ (जिल मैनपुरी)—

मान्यवर, मैं थोड़ा सा समय लूंगा। खाद्य मंत्री श्री शिंदे साहब ने जो उत्तर प्रदेश के लिये दिया ह। मैं समझता हूं कि जो हमारी खाद्य मंत्री महोदया हैं उस पर ध्यान देंगी। उन्होंने कहा है कि:—

There is enough marketable surplus which official agencies have failed to mop up and which presumably lies hoarded and cornered in the rich farmers granery, possibly not with out strong political backing.

इसका मतलब है कि जो हमारे सट्रल के राज्य मंत्री हैं उनका कहना है कि हमारे प्रदेश के अन्दर अब भी खाद्य सामग्री उन लोगों के पास है जिनके साथ पालीटिकल बैंकिंग हैं। तो इन लोगों के पास जो खाद्य सामग्री है उसको आप कैसे इकट्ठा करेंगी?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने हमारी बात कह दी। ठीक ही कहा है कि केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा है, उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं। हमारे सूबे में अभी भी गल्ला है जिसको निकाला जा सकता है, जिसकी ओर इशारा किया गया है। मैं यह कह रही थी कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से जो गेहूं दिया जाता है उसका ही वितरण हम सरकारी दूकानों के द्वारा करते हैं। इस बार ३० हजार टन प्रति महीने के हिसाब से दिया जा रहा है। इसमें जिन जगहों पर वितरण किया जा रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों में, बड़े केवल टाउन्स में और इसी तरह से २७-२८ जगहों पर वितरण किया जाता है। इस वितरण के विषय में हमारी सरकार की यह नीति है कि ऐसी व्यवस्था करायी जाय जिसमें हमारे बाजारों में गेहूं की आमद हो सके। और सरकारी वितरण व्यवस्था के ऊपर और ज्यादा बोझ न पड़े। इस प्रकार से जो हमने गेहूं की आमद में रुकावट डाल रखी थी चेक पोस्ट लगा रखी थीं उनको हटाया जा रहा है जिससे शहरों के अन्दर, टाउन एरियाज में और ऐसी अन्य जगहों पर गल्ले की आमद हो सके। हमारी सरकार ने इस वक्त निश्चय किया है कि आने वाले एक-दो महीनों में विशेष करके यह हम देखेंगे कि इसका क्या परिणाम निकलता है। मान्यवर, लोगों को कठिनाई न हो सके इस ओर भी हमने ध्यान दिया है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

आपकी आज्ञानुसार मान्यवर, मैं खाद्य मंत्री जी से २-३ प्रश्न करना चाहता हूं। पहला यह है कि यह चीज बराबर कही जा रही है कि ग्रामीण अंचलों में खाद्यान्न की सप्लाई बिल्कुल बन्द है। तो फिर क्या झूठा आश्वासन देने के लिये राशन कार्ड बने पड़े हैं। एक दूसरी बात २ अगस्त की है कि देवरिया जनपद में जहां सरकार ने वसूली बन्द कर की है वहां गरीब तपका भूख से तड़प रहा है। जहां गल्ला भरा पड़ा है वहां छापे नहीं पड़े हैं बल्कि गलत जगह पर छापे डाले गये हैं। इसलिये वहां खाद्यान्नों के मूल्य आसमान पर चढ़ गये हैं। तीसरी बात सीमेंट के डालमियां फैक्ट्री के बारे में है। इसका एक केन्द्र वाराणसी में है जिसमें २५० रु० प्रति बैगन का पड़ता है जिसको वे व्यापारियों से लेते हैं। चौथी बात वनस्पति घी के बारे में है कि इसका पहले मूल्य ८.४० रु० प्रति किलो था इस बार वह बढ़ाकर ११.४० रु० किया गया। यह भाव कहीं-कहीं १०.८० रु० भी है। तो यह भिन्न-भिन्न भाव पर क्यों बेचा जा रहा है?

श्री अध्यक्ष--

आप भाषण दे रहे हैं। यदि आप हमेशा ऐसा करेंगे तो मैं आपके दल के नेता निवेदन करूंगा कि हम क्यों इसको रखें? कोई वक्तव्य नहीं रखा जायगा। आपको बोलने की इजाजत नहीं है। आप प्रश्न कर सकते हैं---भाषण नहीं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मान्यवर, गेहूं की उपलब्धता बाजार में हो सके और छोटी-छोटी जगहों पर मिल सके इसलिये हमने यह निश्चय किया है कि डिफसिट जिलों में गल्ला ले जाने की रुकावट को खोल दें। यह इसी सप्ताह हम करने जा रही हैं। हमको केन्द्र सरकार से स्वीकृति मिल गई है। फुटकर व्यापारियों को किसानों से सीधे खरीदने की अनुमति सरकार दे रही है और उसके द्वारा वह जो गल्ला लेंगे वह सीमा के अन्दर रहेगा। यह सीमा एक वक्त में ५० क्विंटल खरीद सकते हैं और १०० क्विंटल तक रखा सकते हैं और वह लेवी फ्री होगा। सरकार की कोशिश है कि गहूं की कमी बढ़ने न पाये और जनता को गेहूं मिल सके। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि लोगों के पास गेहूं है। तो यह भी दिखाई पड़े जायेगा कि यदि गेहूं है तो वह मार्केट में आने लगेगा। हमारी यह नीति कल से लागू होने जा रही है और आशा है कि इसके द्वारा

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जो माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है, कि गेहूं नहीं मिल रहा है, वह इससे दूर हो जायेगी। साथ ही साथ यह भी किया है कि जो सरप्लस जिले हैं वहां पर जिले के अन्दर जो फुटकर व्यापारी हैं वह गल्ले को मंडी या बाजार में सीधे किसानों से खरीद सकते हैं और वह लेवी फ्री होगा। सरप्लस जिले जो हैं और डिफिसिट जिले जो हैं जिनको कि जोन में बांट रखा है वे अलग हैं।

एक सदस्य--

मान्यवर, जो ओपेन मार्के में गल्ला आयेगा वह किस दर पर होगा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

अभी सरकार ने बाजार में जो फुटकर कीमत होगी उसको तय नहीं किया है। उसको हम मार्केट में अरायवल के अनुसार देखेंगे। अगर यह एक सीमा से बाहर होगी तो कोई कीमत डिक्लेअर करेंगे।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

अभी आपने कहा कि जब आप देखेंगे कि गल्ले की कीमत बहुत अधिक हो गई है तो आप उसको तय करेंगे। आपको पता होना चाहिये कि इस समय २ रु० ३० पैसे किलो गेहूं बिक रहा है। तो क्या दाम निश्चित नहीं करना चाहिये ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

हमारी और आपकी यह चिन्ता है कि लोगों को गेहूं मिले वह एक निश्चित कीमत के अन्दर मिले। यदि १·५० रुपये से २ रुपये तक गेहूं उचित मात्रा में लोगों को मिल जाता है तो वह मौजूदा स्थिति में लोग किसी न किसी प्रकार चला लेंगे। साथ ही साथ यह भी समझना चाहिये कि सरकार कीमत बेतहाशा नहीं बढ़ने देगी।

श्री राम सेवक यादव--

यह बहस चलाना और उसका उत्तर होना यह इसका मुद्दा नहीं है। आपको खुशी हो रही है कि लोग २ रुपये तक गेहूं खरीद लेंगे। आप उस तबके को नहीं याद करती है जिसके पास गेहूं खरीदने के लिए रुपये नहीं हैं। यह मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग हैं। उसकी आपको चिन्ता नहीं है।

श्री रामअधार (जिला आजमगढ़)--

पेपर में निकला है कि सरकार सस्ते गल्ले की दूकानों पर कटौती करने जा रही है। अब ढेढ़ किलो गल्ला ही मिल सकेगा। तो इसके बारे में क्या कहना है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जो कटौती वाली बात कही गई है वह बिल्कुल गलत है।

श्री रामाधार--

यह इलाहाबाद के अखबार में निकला है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मैं कटौती नहीं करने जा रही हूं।

श्री अध्यक्ष--

दो घंटे की चर्चा का समय अब समाप्त हो गया है। जिस तरह से माननीय सदस्य बीच बीच में बोल रहे हैं यह ठीक नहीं है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

बाजार में गल्ला लाने की आप इजाजत दे रही हैं, तो क्या किसानों को भी लेवी फ्री गल्ला लाने की इजाजत होगी।

श्री सत्य प्रकाश--

पुलिस वाले एक एक बोरी गल्ला ले जाने वालों को भी पकड़ रहे हैं और गल्ला जब्त कर लेते हैं।

श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)--

मान्यवर, खाद्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य ३० तारीख को दिया है, अगर वही वक्तव्य वह दोहराती हैं, तो इस प्रकार इस माननीय सदन का समय बर्बाद करने से लाभ क्या ? आपने कहा कि मोटा अनाज पर्याप्त मात्रा में है। तो क्या खाद्य मंत्री जी निकट भविष्य में मोटे अनाज की दूकानें उन जिलों में जहां बाढ़ आई है, खुलवाने की व्यवस्था करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मान्यवर, वहां इस की व्यवस्था हो चुकी है। मोटा अनाज बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बांटा जा रहा है।

अब मैं, मान्यवर, केवल एक बात कहकर समाप्त करूंगी। माननीय दिघे जी ने चावल मिलों, रोटी और बिस्कुट की परेशानी की ओर बताया। इस सिलसिले में हम बराबर प्रयत्नशील रहे हैं। अभी मैं दिल्ली पहली तारीख को गई थी। उस वक्त हमने केन्द्रीय सरकार से बातचीत की थी और मैं इस सदन को यह सूचना देना चाहती हूं कि भारत सरकार ने हमें इस बात की इजाजत दी है कि उत्तर प्रदेश को ५,००० टन गेहूं पंजाब से २ महीने के लिये अगस्त-सितम्बर में लाने की इजाजत दी जायेगी--जिससे हमारी आटा मिलों में गेहूं पीसकर मैदा वगैरह बनाया जायेगा। इस तरह से जो तुरन्त कठिनाई है, वह दूर हो सकेगी। सरकार इस बात के लिये बराबर प्रयत्नशील कि यहां जो लोगों की आवश्यकता है, उसके हिसाब से चीनी, मिट्टी का तेल और सीमेन्ट मिलती रहे। हमारे पास जो आवंटन होता है उसे समय-समय पर उसी तरह से पूरे प्रदेश में आवंटित कर दिया जाता है।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

मैंने भाव के बारे में पूछा था।

श्री सत्य प्रकाश--

गेहूं का कोटा बढ़ायें। चीनी बढ़ा कर एक किलो करें। केवल वक्तव्य से काम नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष--

अब इस तरह से काम नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत चल सकता है। जो माननीय सदस्य बोले हैं उन्हें माननीय खाद्य मंत्री जी जवाब दे रही हैं। अब इसका समय समाप्त हो गया।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज नियम ५१ के अन्तर्गत १२ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

भाव बढ़ते जा रहे हैं, यह न्याय-संगत बात नहीं है। मंत्री जी ने भाव के दाम नहीं बताये।

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्री नारायण ने खाद्य विभाग के जिला पूर्ति कार्यालय में बिना किसी पूर्व सूचना के कर्मचारी निकाले जा रहे हैं जिससे असन्तोष है इसके बारे में उनकी सूचना है। यह प्रश्न आयेगा। यह पहले स्वीकृत हुआ है। इसमें माननीय श्रीनारायण जी का नाम भी जोड़ दिया जायेगा। इसलिये स्वीकार किया है।

एक बाढ़ से संबंधित माननीय दीप नारायण पांडेय, दीप नारायण बन महन्थ और रघुराज सिंह का गोंडा जिले में बाढ़ के संकट के बारे में और माननीय कृष्णा राय का देवरिया और गोरखपुर की नदियों की बाढ़ के संबंध में है। ८ तारीख को होने वाला है। उसमें जोड़ दिया जायगा। कल होगा, तो आ जायेगा।

बाकी एक इलाहाबाद में कृषि योग्य भूमि पर जीप फ्लेश लाइट कम्पनी के मालिकों द्वारा जबरन कब्जे के बारे में है, उसमें सरकार ने कब्जा नहीं किया। सरकार की जिम्मेदारी नहीं। इसमें आप अल्प सूचित प्रश्न कर सकते हैं। अधिकारियों से भी आपने बात कही है और उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया है।

श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद)--

मैंने इस बात को प्रश्न के लिये १५ दिन हुये दिया है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न दिया है तो आता होगा।

शेष अस्वीकार किये गये हैं।

एक सदस्य--

रघुकुल तिलक जी ने त्याग पत्र दे दिया है। भाई भतीजावाद तथा भ्रष्टाचार व्याप्त था...

श्री अध्यक्ष--

इस पर नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री राम सेवक यादव (जिल बाराबंकी)--

मेरी सूचना थी कि कानपुर महापालिका के अन्तर्गत जमीन हड़प लेने के संबंध में। इस पर आप केवल वक्तव्य दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष--

कानपुर नगर महापालिका के अन्तर्गत हजारों एकड़ भूमि को अधिकारियों, व्यापारियों तथा संसद सदस्यों द्वारा हड़प लिया जाना। यह आवलम्बनीय नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है। इसको मैं केवल वक्तव्य के लिये किये देता हूं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

२५ हजार एकड़ के क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। पडरौना तथा हाटा तहसील के गन्ने में कीटाणु लग जाने से फसल को बड़ी क्षति पहुंच रही है।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसे कार्यवाही के लिये भेजे देता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मेरी भी सूचना थी। हलीम मुस्लिम कालेज, कानपुर की छात्राओं के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया।

श्री अध्यक्ष—

कार्यवाही के लिये भेजे दे रहा हूं।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भीमवर, जिला आजमगढ़ के अध्यापकों तथा कर्मचारियों को दो वर्ष से वेतन न मिलने के सम्बन्ध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, यह विद्यालय हाई स्कूल तक है और जूनियर स्तर तक ५ हजार रुपये से ज्यादा वार्षिक अनुदान सरकार देती है। म ऐसा समझता हूं कि जहां सरकार एक पैसा भी देती है वहां सरकार का अधिकार एवं उसका कर्तव्य भी है कि वह इस पर कड़ी नजर रखे कि वह संस्था किस प्रकार से उस पसे को खर्च करती हैं। सरकार ने दो साल के अन्दर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भीमवर, जिला आजमगढ़ को ३० हजार रुपये से अधिक अनुडान दिया है लकिन इस संस्था ने एक पैसा भी अपने कर्मचारियों के वेतन पर उसमें से खर्च नहीं किया है। दो साल के दौरान इस विद्यालय में कोई भी उच्च शिक्षा अधिकारी इंक्वायरी के लिये नहीं गया कि आखिर ३० हजार की धनराशि का खर्च कैसे किया जा रहा है। वहां पर न कैश बुक ही है और न जिला विद्यालय निरीक्षक हिसाब ही देखता ह। वहां पर १६ कर्मचारी कार्य करते हैं जिन में से ११ अध्यापक का कार्य करते हैं और ५ लिपिक वगैरह हैं। दो साल से लगातार किसी के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है सरकार की ओर से भी कोई आदेश नहीं गया और न सरकारी अधिकारी ही यह देखते हैं कि पैसा कहां जाता है? इसका कारण यह भी ज्ञात होता है कि जिला विद्यालय निरीक्षक प्रबन्धक से मिल-जुल कर सारा पैसा हड़प कर जाते हैं।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क (जिला मुरादाबाद)—

कोरम नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

कोरम के लिये घंटी बजाई जाय।

(घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राम सुन्दर पांडेय—

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि तीसियों हजार रुपया सरकार के खजाने से इस स्कूल को दिया गया किन्तु सरकारी अधिकारियों ने इस पैसे का क्या किया और कहां खर्च किया, इस ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि इस व्यवस्थापक ने लिपिक को दबाव देकर हजारों रुपया ६ महीने की फीस का भी हड़प लिया है। जो ग्रांट सरकार से मिलती है उसका बिल नम्बर कैश बुक में चढ़ा लिया जाता है और तब उसका भुगतान होता है पर ऐसा भी नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

आप संक्षेप में कहें।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

मान्यवर, संक्षेप में ही कह रहा हूं और यह निवेदन कर रहा हूं कि जो रुपया प्रबन्धक की जेब में है वह किसी न किसी प्रकार से निकाला जाना चाहिए। दूसरा सरकार के आदेशों

[श्री राम सुन्दर पांडेय]

के बावजूद भी इस विद्यालय को आवर्तक अनुदान जो अधिकारी देता रहा उसके खिलाफ भी सरकार की ओर से कार्यवाही होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो रुपया राज्य कर्मचारियों का बकाया है उसे लेकर राज्य कर्मचारियों के हाथ में जाना चाहिए। स्पेशल आडिट हो यही मेरा सदन से अनुरोध है।

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)---

मान्यवर, जिस विद्यालय का माननीय पांडेय जी ने जिक्र किया है वह विद्यालय हाई स्कूल है लेकिन जूनियर हाई स्कूल तक ही अनुदानित है। तो ऐसी स्थिति में जाहिर है कि खर्च तो उनको हाई स्कूल के स्टाफ आदि पर करना होता है और मिलता है उनको जूनियर हाई स्कूल तक का ही। तो ला मुहाला उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, खराब है। पांडेय जी ने कहा कि तीसियों हजार रुपया इस विद्यालय को दो वर्षों में मिला है और उसका कोई हिसाब किताब नहीं है।

मान्यवर, जो आंकड़े मेरे पास हैं उनके अनुसार १९७२-७३ में इस स्कूल को ५,५३४ रुपये अनुदान मिला जिसमें महंगाई भत्ता और अनुरक्षण अनुदान है। १९७३-७४ में ९,६४४ रुपये मिला जिसमें कि महंगाई भत्ता, अनुरक्षण अनुदान और अन्तरिम सहायता शामिल है। इस प्रकार इस विद्यालय को पिछले दो वर्ष में १५,१७८ रुपया मिला। उनका यह कथन कि ३० हजार रुपया मिला सही नहीं है। यह बात सही है कि जहां सरकार का एक भी पैसा जाए, उसकी देखभाल सरकार को करनी चाहिए। मुझे खेद है कि इस स्कूल के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक---दोनों अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन कागजात देखने से यह मालूम होता है कि इन अधिकारियों ने बराबर प्रबन्ध में लिखा-पढ़ी की है और कागजात मांगे हैं। यह बड़ी भारी कठिनाई है, जब उनसे कागजात मांगे गये तो उन्होंने हिसाब किताब दिखाया नहीं और यह भी नहीं बताया कि वहां कितने विद्यार्थी हैं, कितने कर्मचारी हैं, कितना रुपया उनको मिला और कितना बाकी है, तथा छात्रों की क्षति-पूर्ति का जो अनुदान मिलता है, उसकी भी संख्या वह नहीं दे सके। इस सबसे मालूम हुआ कि वह कोई कागजात दिखाना नहीं चाहते, इसलिए जरूर उनके हिसाब-किताब में गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए वहां के जिला विद्यालय निरीक्षक ने निदेशक को संस्तुति की कि इस विद्यालय का विशेष आडिट कराया जाए और इस सिलसिले में कार्यवाई की जा रही है कि हम विशेष आडिट उसका करावें।

एक बात यह कही कि जो बकाया है, उसे दिलाया जाए, इसमें हमारी कठिनाई है, वह विद्यालय वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता, क्योंकि यह जूनियर हाई स्कूल तक ही अनुदानित है। हाई स्कूल का जो अपनी शुल्काय जमा करते हैं और जो सरकार देती है, वह दोनों जमा करके एक शामिल खाता बनता है और उससे निकालकर वेतन आदि पर व्यय किया जाता है। मैंने जैसा निवेदन किया उन्होंने कागज दिखाए नहीं, तो पता नहीं चल सका कि इनकी शुल्क आय क्या है। फिर अनुदानित जूनियर हाई स्कूल तक है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं है, प्रबन्ध पर है, वहां की वर्किंग कमेटी पर है। शासन के ऊपर तो उस वक्त आएगी, जब यह अनुदानित हो जाएगा तथा शामिल खाता खुल जायगा पेमेन्ट करने के लिए। तो वह जिम्मेदारी बकाया भुगतान की हम पर डालें, स्वयं प्रबन्ध करें या वहां के प्रबंधक से कहें।

मैंने जैसा कि निवेदन किया इनको १५ हजार के ऊपर रुपया मिला है, हम विशेष आडिट कराना चाहते हैं। इन्होंने एक काम यह भी किया कि मैनेजर रिटर्न देना होता है संस्था को उसके बाद ही अगला अनुदान मिलता है, इसे भी उन्होंने नहीं दिया। जब मांगा नहीं, तो हम दें किसको। इसलिए, पाण्डेय जी हमारी कठिनाई समझेंगे कि वह मांग ही नहीं रहे हैं। फिर भी जिला विद्यालय निरीक्षक ने जो ७२-७३ में अनुदान दिया था, उसी के आधार पर औसत निकाल कर ७३-७४ में भी दिया। यद्यपि वह कोई अच्छी बात नहीं थी। लेकिन वह

देखकर कि अध्यापकों और कर्मचारियों को नुकसान न हो, उनको कुछ मिल जाय, यह किया गया। मान्यवर, नवम्बर, ७२ तक का विद्यालय ने वेतन भुगतान कर दिया है, केवल इधर का बकाया है। मैंने उस दिन भी निवेदन किया था कि कोशिश यह की जाएगी कि बकाया वेतन दे सकें। यह कोशिश उस वक्त कामयाब हो सकेगी, जब कि वह हमें सभी अभिलेख दिखावें, हिसाब-किताब दिखावें, सब कागजात दें, जो उन्हें देने हैं और मैनेजर रिटर्न देना है, वह दें, तो उसके आधार पर आगणन करके अनुदान देने की व्यवस्था की जाएगी। और भी यह व्यवस्था की जायगी कि जो बकाया है उसे दे सकें। जैसा पांडेय जी ने अभी कहा, मेरा भी विचार है कि अगर यह संस्था इस तरह से चल रही है, तो यहां हम इसकी जांच करायेंगे, इसका स्पेशल आडिट भी कराएंगे। यहां एक बात और है। यहां प्रबन्धक समिति में भी आपस में विवाद है। आपस में झगड़ा करते रहते हैं। उसमें भी शिकायतें होती हैं। जहां इस तरह की स्थिति होती है, हिसाब किताब गड़बड़ होता है और विवाद होता है प्रबन्ध समिति में, वहां पर विभाग को अपना साधिकार नियंत्रक बैठाना होता है। यदि हम एक बार कोशिश करते हैं, फिर कागजात मंगा कर देखने की, विशेष आडिट कराएंगे, लेकिन व्यवस्था नहीं बनी तो साधिकार नियंत्रण बिठाने की व्यवस्था की जायगी।

*श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जो अध्यापक हैं, कर्मचारी हैं उनका कोई कुसूर नहीं है। जैसा माननीय मंत्री ने बताया, १९७२–७३ के अन्दाजे पर १९७३–७४ का अनुदान उन्होंने दे दिया, यद्यपि मैनेजमेंट से रिटर्न नहीं आया, मैं अनुरोध करूंगा कि १९७३ का जैसे अनुदान दे दिया वैसे ही १९७४–७५ का अनुदान दे दें जिससे कम से कम कर्मचारियों को तनख्वाह दे देंगे। अपना संस्थापक बैठा कर मैनेजमेंट से कह दें कि अदालत से अपना हक लेकर आएं उसके बाद चलाएं। मैं यह भी कहूंगा कि वह एक जगह ही नहीं अनेक जगहों पर सिर्फ कागज पर स्कूल चल रहे हैं आपके यहां से अनुदान बंटता है, इलाहाबाद में क्लर्क उसमें आधा पैसा अपना ले लेता है और आधा मैनेजमेंट को देता है। मैं गोरखपुर के फरेंदा और पीपीगंज दो स्कूलों का उदाहरण रखना चाहता हूं। किसानों की गाढ़ी कमाई का इस तरह से उपयोग होता है। और बड़ी सफाई से जवाब दे रहे हैं कि १५ हजार दे दिया और आपके हाथ में कुछ नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो इलाहाबाद से डाइरेक्टरेट के क्लर्क कर रहे हैं वह ठीक कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसकी जांच कराएंगे और कर्मचारियों और अधिकारियों को सख्त से सख्त सजा दी जाय ताकि आगे के लिए नमूना बने।

श्री राम जी लाल सहायक—

माननीय सदस्य ने मेरे निवेदन को सुना नहीं अन्यथा इतनी बात करने की जरूरत नहीं थी। मैं स्वयं कह चुका हूं कि हमारी कोशिश होगी कि उनका विशेष आडिट कराएंगे, लेकिन अगर उससे व्यवस्था नहीं बनती तो साधिकार नियंत्रक बैठाएंगे। जिन शिकायतों की बाबत कह रहे हैं और उन्होंने लिख कर भी दिया है मैं उसकी जांच करवा रहा हूं। लेकिन दिक्कत यह है, आज व्यवस्था जरूर खराब है, मैनेजमेंट की अपनी जगह कोशिश होती है, स्टाफ की अलग से कोशिश होती है। लेकिन इस बड़े प्रदेश में हजारों इंटरमीडिएट स्कूल और माध्यमिक विद्यालय हैं। अगर अलग से सेल बनाए तब भी बड़ी कठिनाई होगी, विभाग के वही अधिकारी आपके काम आते हैं।

उन्हीं के माध्यम से जांच करायी जाती है। कार्य करने में बड़ी देर हो जाती है। हमारी ऐसी कोशिश है कि हमारा पैसा जहां जाय वहां खराब न होने पाये। लेकिन मजबूरी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामजी लाल सहायक]

है, इतनी बड़ी तादाद है। फिर भी आप यकीन रखें कि इन बातों की व्यवस्था जरूर की जायगी।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

हमारे जिले में भी जांच करवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं। कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ७ बजकर २० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
६ अगस्त, १९७४।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

[देखिए नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८०६ पर]

विकास खण्ड वार विभिन्न राजकीय कृषि बीज भण्डारों पर भेजी गयी खाद का विवरण रवी वर्ष १९७३–७४ (मै० टन०) में जनपद गोरखपुर।

नाम विकास खण्ड	नाम बीज भंडार	खादों का नाम तथा मात्रा						कुल योग
		यूरिया	डाई	सी० ए० एम०	सु० फा०	ए० एन० पी०	एन० पी०	
१—गगहा	मजगांवा	२७–६४३–०००	६–०००–०००	..	..	१२–३२५–२००	..	४५–९६८–२००
२—गोला	भटनीपार	..	१२–०००–०००	..	..	..	..	४२–१२४–०००
	ककरहीर	२२–६२४–०००	..	७–५००–०००	..	..	..	
३—उरूआ	उरूआ	..	६–०००–०००	..	..	..	..	
	डेबरा ..	१२–६२४–०००	१०–०००–०००	..	..	..	..	२८–६२४–०००
४—बेलघाट	बेलघाट	१०–६०९–०००	६–०००–०००	..	..	..	..	१६–६०९–०००
५—कौड़ी-राम।	कौड़ीराम	२०–२४९–०००	..	६–०००–०००	..	..	..	२६–२४९–०००
६—बड़हल-गंज।	बड़हलगंज	२७–६५४–०००	..	६–५००–०००	..	१२–१०९–२००	..	४६–२६३–२००
७—खजनी	भरौहिया	१६–६४४–०००	..	६–०००–०००	..	..	..	२२–६४४–०००
८—बांसगांव	बांसगांव	१६–४०२–०००	..	६–०००–०००	..	..	..	२२–४०२–०००
९—चरगांवा	चरगांवा	५–०१९–०००	६–०००–०००	..	..	..	..	११–०१९–०००
१०—खोरा-बार।	खोराबार	१०–०७५–८००	६–४२०–०००	७–११२–०००	..	..	..	४३–६०७–८००
	झगहा	..	६–०००–०००	..	..	..	..	
	लहसड़ी	..	६–०००–०००	..	..	..	..	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नाम विकास खण्ड	नाम बीज भंडार	खादों का नाम तथा मात्रा						कुल योग
		यूरिया	ढाई	सी० ए० एम०	सु० फा०	ए० एन० पी०	एन० पी०	
११—ब्रह्मपुर	ब्रह्मपुर	५–०१९–०००	६–०००–०००	..	..	..	..	१७–०१९–०००
	राजधानी।	..	६–०००–०००	..	..	..	..	
१२—पिपराईच।	पिपराईच	१२–०७७–०००	११–०००–०००	८–५४०–०००	..	..	..	३१–६१७–०००
१३—भटहट	भटहट	२८–४२३–०००	१७–०००–०००	६–०००–०००	..	..	..	५१–४२३–०००
१४—बंगल कोडिया।	रावपुर	७–१७७–१७०	८–६००–०००	३–३५२–०००	१–५००–०००	..	३–०४२–०००	२३–६७१–१७०
१५—पाली	बबसर	१४–६१४–२००	४–०००–०००	..	..	..	..	१८–६१४–२००
१६—सरदार नगर।	सरदार नगर	१९–०७९–०००	..	१०–०००–०००	..	..	..	२९–०७९–०००
१७—सहजनवां।	सहजनवां	५–०१९–०००	..	७–५००–०००	..	..	..	१२–५१९–०००
१८—पिपरौली	मऊबापार	७–९३६–०००	६–०००–०००	..	..	..	..	१३–९३६–०००
१९—पनियरा	पनियरा	५–०१९–०००	..	५–०००–०००	..	..	..	२२–०१९–०००
	खैंचव।	..	१२–०००–०००	..	..	..	..	
२०—निचलौल	बलहीखौर	२९–२२२–७००	१६–०००–०००	..	..	..	..	४५–२२२–७००
२१—परतावल	परतावल	१२–७९९–०००	६–०००–०००	..	..	..	..	१८–७९९–०००
२२—धुधुली	धुधुली	२१–०९४–०००	१२–०००–०००	५–०००–०००	..	..	..	३८–०९४–०००
२३—महराज-गंज।	महराजगंज	१६–५४०–०००	६–०००–०००	..	..	..	..	२२–५४०–०००
२४—सिसवा	सिसवा	२०–११९–०००	..	..	..	..	..	२०–११९–०००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे ८१० पर।)

संलग्नक 'क'

१—श्री उग्रसेन, तत्कालीन एम० एल० ए०, बरहज, जिला देवरिया — सभापति

२—श्री भानु प्रताप सिंह, मोहाना कृषि फार्म, पो० मोहाना, जिला बस्ती — सदस्य

३—श्री देवी चरण अग्निहोत्री, तत्कालीन एम० एल० ए०, गली कसमंडी, मथुरा। — सदस्य

४—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता, नई बस्ती, सीतापुर — सदस्य

५—श्री गुर सरन लाल, तत्कालीन जनरल मैनेजर, केन्द्रीय दुग्धशाला, अलीगढ़। — सचिव।

संलग्नक 'ख'

मुख्य सिफारिशें	रिपोर्ट
(क) समिति आवश्यक समझती है कि यदि दुग्ध व्यवसाय को प्रोत्साहन देना है तो इसे व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखा जाय और इसके लिये दुग्ध परिषद् की स्थापना की जाय।	दुग्ध निगम स्थापित करने के निमित्त सरकार ने एक निर्णय यह लिया है कि प्रदेश के प्रत्येक मंडल में एक चुने हुए जिले में एक दुग्ध निगम की स्थापना की जाय और इस निर्णय के कार्यान्वयन हेतु एक समिति का गठन भी कर दिया गया है।
(ख) समिति संस्तुति करती है कि दूग्ध संकलन केन्द्रों को दुग्ध क्रय करने के लिये एसी नीति अपनानी चाहिये जिससे कि गाय के दुग्ध उत्पादकों को भी प्रोत्साहन मिले। उप-समिति के विचार से दूध का क्रय फेन्ट और एस०एन०एफ० दोनों की मात्रा को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाय।	संस्तुति शासन द्वारा मान ली गई है और उसे कार्यान्वित करने के निमित्त प्रबंध करने के निर्देश दे दिये गये हैं।
(ग) चारे की कमी के विषय में उप-समिति का सुझाव है कि उन्नतिशील एवं पौष्टिक चारा के बीज का उत्पादन भी अधिक मात्रा में पशुधन क्षेत्रों पर किया जावे। इसके साथ बड़े-बड़े काश्तकारों का भी सहयोग बीज उत्पादन में लिया जाय।	प्रक्षेत्रों पर अधिक चारे के बीज उत्पादन करने की नीति अपनाई जा रही है और इस कार्य में बड़े काश्तकारों का सहयोग प्राप्त करने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३८(२) क अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८१६ पर]

३१ मई, १९७४ को कृषि विभाग, सहकारिता संघ, गन्ना संघ, एग्रो तथा निजी विक्रेताओं के पास ६९,२३२ मै० टन नत्रजनिक, १३,६.. मै. टन फासफेटिक तथा ११,४९५ मै0 टन पोटैशिक उर्वरक (तत्वों में) का स्टाक था।

१ मई, १९७४ से ३१ मई, १९७४ तक विभिन्न संस्थाओं द्वारा १७,०७४ मै० टन नत्रजनिक, १४७९ मै0 टन फासफेटिक तथा १६०२ मैटरिक टन पोटैशिक उर्वरक (तत्वों में) प्राप्त किये गये।

१ मई, १९७४ से ३१ मई, १९७४ तक ७६१७ मैटरिक टन नत्रजनिक, ९४५ मैट्रिक टन फासफेट्रिक तथा १९७४ मै० टन पोटैशिक उर्वरकों (तत्वों में) का वितरण विभिन्न संस्थाओं द्वारा कृषकों को किया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८१५ पर)

लिस्ट बकायादार विकास खण्ड बिजौली (अलीगढ़) साधन सहकारी समिति, तेवतू

नाम सदस्य व पिता का नाम	तिथि जब से बकाया है	धन बकाया १-४-७४ को	कार्यवाही जो हुई	वसूली १५-७-७४		विवरण
				धन	तिथि	
१—मुंशीलाल पुत्र नैनसुख	३०-६-६६	४१-३०	अर्जीदावे स्वीकृत हो चुके हैं	..	..	वसूली न होने का कारण श्री किशन लाल व श्री बाबूराम भू० पू० सरपंच हैं जब तक इनके खिलाफ़ कार्यवाही नहीं की जायेगी तब तक वसूली नहीं हो पायेगी।
२—ज्वाला प्रसाद पुत्र करनसिंह	"	११५-६१		..	..	
३—प्यारेलाल पुत्र लीलाधर	"	३००-००		..	..	
४—टीका राम पुत्र दलीप	"	१३०-००	"	..	..	
५—मिश्री लालपुत्र लीलाधर	"	३००-००	"	..	..	
६—देवीसिंह पुत्र करनसिंह	"	१९५-००	"	..	..	
७—मिश्रीलाल पुत्र भोलाराम	"	८२-००	"	..	..	
८—माधो प्रसाद पुत्र कूमकरण ..	"	८००-००	"	..	..	
९—भगवती प्रसाद पुत्र अनोखेलाल ..	"	१५५-८७	"	..	..	" "
१०—पन्नालाल पुत्र छेदालाल	"	४६-५०	"	..	..	" "
११—राम प्रसाद पुत्र देवी	३०-६-६९	१०००-००	"	..	..	" "
१२—बांके लाल पुत्र राम प्रसाद	३०-६-६९	२५०-००	"	..	..	" "
१३—लक्ष्मी नारायन पुत्र गंगासहाय	३०-६-६९	४००-००	"	..	..	" "
१४—हरिनारायन पुत्र बलवन्त	"	२०००-००	"	..	..	" "

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६		७
१५—मुशीलाल पुत्र गड़बड़ी	३०—६—६६	१९५—००	"	..	..	"	"
१६—दोली पुत्र भोजराज	३5—६—६९	१०००—००	"	..	..	"	"
१७—राम दयाल पुत्र हरप्रसाद	३०—६—६६	४१—९२	"	..	..	"	"
१८—छिद्दू सिंह पुत्र बुद्धिसिंह	३०—६—६९	२०००—००	"	..	..	"	"
१९—सोरनसिंह पुत्र बलवन्तसिंह	"	२०००—००	"	..	..	"	"
२०—धनीराम पुत्र अगनलाल	"	५००—००	"	..	..	"	"
२१—रामवीर पुत्र गंगाराम	"	५०१—५०	"	..	..	"	"
२२—पुन्नी पुत्र भोजराम	३०—६—६६	६०—००	"	..	..	"	"
२३—मुकन्दीलाल पुत्र गोकुल	"	२६०—००	"	..	..	"	"
२४—लालसिंह पुत्र गुलाब	"	५०—००	"	..	..	"	"
२५—प्रभू पुत्र लक्ष्मन	"	२८०—००	"	..	..	"	"
२६—बाबूसिंह पुत्र भरतसिंह	"	४५५—००	"	..	..	"	"
२७—चुन्नीसिंह पुत्र सीताराम	"	११२—००	"	..	..	"	"
२८—किशनलाल पुत्र बाबूराम	३०—६—६९	२०००—००	"	..	..	"	"
२९—गोपीराम पुत्र बाबूराम	"	२०००—००	"	..	..	"	"
३०—अम्मनलाल पुत्र रूपराम	३०—६—६९	३००—००	"	..	..	"	"
३१—किशनलाल पुत्र लीलाधर	"	३००—००	"	..	..	"	"
३२—सोरनसिंह पुत्र करनसिंह ..	"	५०—००	"	..	..	"	"
३३—सीताराम पुत्र यादराम ..	"	१६—००	"	..	..	"	"
३४—रामदयाल पुत्र भूरीलाल ..	३०—६—६९	२०००—००	"	..	..	"	"
३५—मुंशीलाल पुत्र मंगल ..	"	२०००—००	"	..	..	"	"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

३६—मोहन लाल पुत्र खमानी	..	३०—६—६६	८०—७५	"	..	..	"	"
३७—हरदेव पुत्र कुन्दन	..	"	६०—००	"	..	..	"	"
३८—परसादी पुत्र हरदेव	..	"	१६—७५	"	..	..	"	"
३९—वासदेव पुत्र नन्हू	..	"	४७—१०	"	..	..	"	"
४०—हरप्रसाद पुत्र मुंशीलाल	..	३०—६—६६	१७९—००	"	..		"	"
४१—मुन्नीलाल पुत्र रामप्रसाद	..	"	१००—००	"	..	..	"	"
४२—हुलाशी पुत्र बांकेलाल	..	"	१५०—००	"	..	..	"	"
४३—कंचनसिंह पुत्र भूपसिंह	..	३०—६—६९	२००—००	"	..	..	"	"
४४—रापपाल पुत्र जयदेव	..	३०—६—६६	११—३५	"	..	..	"	"
४५—रामपाल पुत्र लीलाधर	..	"	१३०—००	"	..	..	"	"
४६—नन्हू पुत्र लाखाराम	..	"	१००—००	"	..	..	"	"
४७—टोडीसिंह पुत्र होतीसिंह	..	"	६२—००	"	..	..	"	"
४८—साहूकार पुत्र ईसेरवां	..	"	७५—००	"	..		"	"
४९—बुन्देली पुत्र सूम्मनखां	..	३०—६—६९	१०००—००	"	..	..	"	"
५०—भगवान सहाय पुत्र घूरेलाल	..	"	५००—००	"	..	..	"	"
५१—रामजीलाल पुत्र नन्हू	..	३०—६—६९	६२—००	"	..	..	"	"
५२—हरदेव पुत्र बाबूराम	..	"	१३—२५	"	..	..	"	"
५३—अजीमुद्दी नपुत्र अजीमुद्दीन	..	"	६०—००	"	..	..	"	"
५४—बाबूराम पुत्र लक्ष्मन	..	"	१३०—००	"	..	..	"	"
५५—लक्ष्मन पुत्र हुलासी	..	"	१५०—००	"	१५०—००	२—७—७४	"	"
५६—केवल पुत्र नन्हू	..	"	६०—००	"	..	..	"	"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६	७
५७—रामजीलाल पुत्र लीलाधर	..	"	५०—००	"	..	..	"	"
५८—सोना पुत्र लोता	..	"	१२०—००	"	..	..	"	"
५९—गनपत पुत्र तोताराम	..	३०—६—६९	६००—००	"	..	..	"	"
६०—राम भगत पुत्र नत्थू	..	३०—६—६६	१००—००	"	..	..	"	"
६१—जफर अली पुत्र सुबराती	..	"	५०—००	"	..	..	"	"
६२—जैनउद्दीन पुत्र नजीर खां	..	"	१५०—००	"	१५०—०	१२—७—७४	"	"
६३—बाबूराम पुत्र सुम्मेरी	..	"	८६—००	"	..	..	"	"
६४—राम पाल पुत्र लटूरी	..	"	६२—००	"	..	..	"	"
६५—सियाराम पुत्र गिरवर	..	"	१००—००	"	..	..	"	"
६६—दान सहाय पुत्र सीताराम	..	"	१९५—००	"	..	..	"	"
६७—बाले पुत्र प्रसाद	..	"	१००—००	"	..	..	"	"
६८—नोवत पुत्र रामसिंह	..	"	१००—००	"	..	..	"	"
		योग ..	२६,८३८—४६	"	३००—०			

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८१८ पर)

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा निर्मित हो रहे हरिजन आवास गृह की प्रगति

तालिका—१

क्रम-संख्या	विकास खंड का नाम	जयंती ग्राम का नाम	आवास गृहों की संख्या जो निर्मित हेतु प्रस्तावित हैं	आवास गृहों की संख्या जो निर्मित हुये	अवशेष
१	२	३	४	५	६
	जनपद गोरखपुर				
१	घुघली	मटकोपा	६	६	..
२	सिसवा	बरवा बिजयपति	६	६	..
३	कम्पियरगंज	चेमुख्य	६	६	..
४	धानो	संगद	६	६	..
५	बेलघाट	पिपरसंडी	६	६	..
६	उरुवा	बेरुवा	६	६	..
७	गोला	बेउरी	६	६	..
८	बड़हलगंज	छपिया	७	७	..
९	गगहा	राजपुर	३	३	..
१०	कौड़ीराम	भोटो	६	६	..
११	बांसगांव	विशुनपुर	६	६	..
१२	खजनी	सतुआभार	६	६	..
१३	चरगावा	नरायनपुर	४	४	..
१४	सरदारनगर	बिलारो	६	६	..
१५	पिपराइच	हररखापुर	६	६	..
१६	खोराबार	खोराबार	६	६	..
१७	पिपरौली	भौवापार	६	६	..
१८	सहजनवा	भगौरा	५	५	..
१९	ब्रह्मपुर	जंगल रसूलपुर	७	७	..
२०	जंगल कौड़िया	जिन्दापुर	६	६	..
२१	महराजगंज	पिपराबाबू	६	६	..

१	२	३	४	५	६
२२—पलियारी	..	महुवेइया	६	६	..
२३—पाली	..	लहरी	५	६	..
२४—फरेंदा	..	उदितपुर	६	६	..
२५—बृजमनगंज	..	शाहाबाद	६	६	..
२६—मिठौरा	..	पतरेवगवां	६	६	..
२७—निचलौल	..	बहुआर	६	६	..
२८—परतावल	..	पिपरपांती	६	६	..
२९—मटहट	..	बैसों	६	६	..
३०—लक्ष्मीपुर	..	रामनगर	६	६	६ इस पर ५० प्रतिशत काम हो चुका है।
३१—गौतमवां	..	जुमोली	५	५	..
		योग ..	१८०	१७४	६

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३२ पर)

तालिका

राजकीय कृषि प्रक्षेत्र नरायनपुर, जनपद, शाहजहांपुर के वर्ष १९७३–७४ का क्रमानुसार उत्पादन का विवरण

फसल का नाम					उत्पादन कुन्तल में,
१—धान	..	..	..	..	४२६.३९
२—जूट	..	..	..	..	०.३०
३—गेहूं	..	..	..	..	११४.३१
४—जौ	..	..	..	..	३२.२७
५—चना	..	..	..	..	७.११
				योग ..	३७१–३२

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 68 का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३५ पर)

सूची 'क'

पंच सम्मेलन २७–२८ मार्च, 1974 में भाग लेने वाले प्रतिनिधि

१—प्रमुख
२—प्रधान
३—सरपंच
४—जिला पंचायत राज अधिकारी
५—अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन)
६—खंड विकास अधिकारी
७—अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, जिला परिषद्
८—सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)
९—पंचायत निरीक्षक (उद्योग)
१०—ग्राम सेवक
११—पंचायत सेवक
१२—जिला संगठन कर्त्ता, प्रादेशिक विकास दल
१३—क्षेत्रीय संगठन कर्त्ता, प्रादेशिक विकास दल
१४—विभागाध्यक्ष एवं सचिवालय स्तर के विभागों के सचिव, उप सचिव एवं अन्य अधिकारी
१५—विधान सभा व विधान परिषद् के सदस्य
१६—मंत्रिमंडल के सदस्य
१७—भूतपूर्व निदेशक, पंचायत राज
१८—पत्रकार
१९—लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग के निदेशक।

विधान सभा

सूची "ख"

प्रादेशिक पंच सम्मेलन २७–२८ मार्च, १९७४ पर हुये व्यय का ब्योरेवार विवरण

	रु०
१—कपड़े के ६ बैनर बनवाने पर व्यय	१८०.००
२—सम्मेलन के प्रयोजनार्थ विविध प्रकार की लेखन-सामग्री आदि के क्रय पर	१,०१८.००
३—प्रतिनिधियों आदि को भोजन खिलाने में कुल्हड़ व पत्तल के क्रय पर व्यय	६७५ ००
४—चित्र खींचने पर व्यय	३६८.००
५—फर्नीचर, कनात, शामियाना आदि के किराये पर व्यय ..	२,१०८ ००
६—रात्रि में कार्य करने वाले कर्मचारियों को चाय व नाश्ता कराने पर व्यय	१६३.२५
७—कागज के फाइल कवर, बैजेज, निमंत्रण-पत्र आदि छपाने एवं क्रय पर व्यय	१,४९५.००
८—प्रतिनिधियों को चाय व मिष्ठान के खिलाने पर व्यय ..	६,१०२.७२
९—मोटर गाड़ियों को चलाने के लिये पेट्रोल क्रय पर व्यय ..	९५८.१०
१०—ट्रक किराया पर व्यय	७०.००
११—रेशमी कपड़े के बैजेज बनवाने पर	७६.००
१२—प्रतिनिधियों को पान खिलाने पर	३५.००
१३—फूल मालाओं के क्रय व्यय पर	१५.००
१४—प्रतिनिधियों को खाना खिलाने पर	५,१९४.००
१५—रवीन्द्रालय भवन आदि के किराये पर	१,५५०.००
१६—डुप्लीकेटिंग मशीन की मरम्मत पर व्यय	८९७.००
१७—किराया लाउडस्पीकर	६०.००
१८—गोटे के हारों के क्रय पर	१७.००
१९—मजदूरों की मजदूरी	६.००
२०—निदेशालय के कर्मचारियों को रिक्शा भाड़ा आदि देने पर व्यय ..	५००.००
२१—जूट की रस्सी के क्रय पर व्यय	१४.००
२२—पंच सम्मेलन वर्ष ७२–७३ की कार्यवाही पुस्तिका की १५०० प्रतियों के छपवाने पर व्यय	३,७३४.००
२३—स्वतंत्र भारत समाचार-पत्र में पंच सम्मेलन परिशिष्टांक के प्रकाशन पर व्यय	४,६५६.९६
२४—पंच सम्मेलन वर्ष १९७३–७४ के कार्यक्रम आदि की १५०० पुस्तिकाओं के छपानें पर व्यय ।	१,५३५.००
योग ..	३१,४२८.००

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६९ उत्तर पीछे पृष्ठ ८३५ पर)

परिवार कल्याण नियोजन कर्मचारी संघ रोहिल खण्ड मण्डल बरेली की मांग

१--परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रशासनिक नियंत्रण चिकित्सक वर्ग से हटाकर समाज शास्त्रियों के हाथ में दिये जाने चाहिये। यह नियंत्रण व्यवस्था ब्लाक स्तर, जिला अस्पताल, क्षेत्रीय स्तर एवं राज्य स्तर पर होनी चाहिये।

२--विभाग में स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी के पद राज पत्रित किया जाये। विभागीय पदोन्नति के मार्ग खोले जायं। वरिष्ठता सूची प्रकाशित हो। सेवा नियमावली बनाई जाय तथा माननीय मुख्य मंत्री श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा जी की घोषणानुसार तीन वर्ष की अवधि पूरी कर चुकने वाले कर्मचारियों को स्थायी किया जाय।

३--बहुबंधीय योजना के अन्तर्गत परिवार नियोजन कर्मचारियों को उनकी शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं वरिष्ठता के आधार पर स्थान दिये जाने चाहिये।

४--नगरपालिका एवं महापालिका में कार्यरत परिवार नियोजन कर्मचारियों को वे समस्त समाज सुविधायें दिये जाने चाहिये जो अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध हैं। या उन केन्द्रों को समाप्त कर शासन कर्मचारियों की नियमित सेवायें परिवार नियोजन कार्यक्रम में दें।

५--विभाग में कलाकार एवं फोटोग्राफर के पद पर अधिकांश कर्मचारी निर्धारित योग्यता नहीं रखते फिर भी शासन द्वारा योग्य एवं निर्धारित योग्यता न रखने वाले कर्मचारियों को एक ही वेतन क्रम दिया जा रहा है। अतः स्वास्थ्य सहायकों की भांति योग्यता के आधार पर अलग-अलग वेतन क्रम निर्धारित किया जाना चाहिये।

नत्थी 'झ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४१ पर)

जनपद जालौन में १ जनवरी से ३० जून, १९७४ तक देशी शराब के नीलाम किये गये ठेकों का वितरण

नाम/स्थान—दुकान देशी शराब ।	अनुज्ञापी का नाम तथा पता
१—गोपालगंज, उरई	श्री सूरजनरायन पुत्र श्री रतनलाल जायसवाल निवासी उरई ।
२—कुसमिलियां	" " "
३—गनेश गंज, उरई	श्री हरप्रसाद पुत्र श्री मन्नू लाल निवासी परमट, कानपुर ।
४—एट	" " "
५—आटा	श्री मोती लाल पुत्र श्री गंगा प्रसाद जयसवाल, निवासी परगड, कानपुर ।
६—हरदोई गूजर	" " "
७—कोटरा	" " "
८—इटौरा	श्री राधेमोहन पुत्र श्री राधाकृष्ण निवासी इटौरा तहसील कालपी ।
९—कदौरा	श्री कुंज बिहारी लाल, पुत्र श्री राम सहाय, निवासी परमट, कानपुर ।
१०—उदनपुर	" " "
११ कालपी	सर्वश्री (१) प्रेमचन्द्र पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद ६२, खुशाल पर्वत इलाहाबाद । (२) शालिगराम, पुत्र श्री राम किशन लाल, १८४-ए काछाकोना इलाहाबाद । (३) तेजनरायन, पुत्र श्री बद्री प्रसाद २०/७ पटकापुर, कानपुर । (४) श्याम किशोर कपूर, पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद, ६२, खुशाल पर्वत, इलाहाबाद ।
१२ जोलहूपुर	उक्त अनुज्ञापी जो संख्या ११ पर अंकित हैं ।
१३ कोंच (मानक चौक)	सर्वश्री राम गोपाल पुत्र श्री राम भरोसे, निवासी सदुपुरा तहसील कोंच एवं श्री हीरालाल, पुत्र श्री भगवानदास निवासी झांसी ।
१४ कोंच (पटेलनगर)	" " "
१५ सदूपुरा	" " "
१६ कोलिया	" " "
१७ जालौन	सर्वश्री राजाराम, पुत्र श्री देवी दास, निवासी जालौन एवं श्री सरजू सिंह, पुत्र श्री मनकान सिंह, निवासी रिनिया बेंदेपुर, तहसील कालपी जिला जालौन ।

नाम/स्थान, दुकान देशी शराब	अनुज्ञापी का नाम तथा पता
१	२
१८ हदरुखा	सर्वश्री (१) राम स्वरूप सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी रिनिया बेंदेपुर, तहसील कालपी, जि० जालौन (२) जाहर सिंह, पुत्र श्री रूप सिंह, निवासी नावई, परगना व जिला जालौन।
१९ चुर्खी	,, ,, ,,
२० कुठौंद	सर्वश्री (१) श्याम सुन्दर, पुत्र श्री काशीराम निवासी कुठौंद, परगना जालौन। (२) प्रेम कुमार पुत्र, श्री मेवालाल, निवासी कुठौंद, जिला जालौन।
२१ सिरसा कलार	,, ,, ,,
२२ नदी गांव	श्री बाबूराम, पुत्र श्री राम भरोसे, एवं श्री हरनरायन, पुत्र श्री राम गोपाल, निवासीगण, ग्राम सूदपुरा, तहसील कोंच, जिला जालौन।
२३ बंगरा	श्री हिम्मत बहादुर सिंह पुत्र श्री शिवशंकर सिंह, निवासी बगरा, तहसील कोंच, जिला जालौन।
२४ कुखमरा	श्री रामसिंह, पुत्र श्री गंगा प्रसाद निवासी कैलिया तहसील कोंच, जिला जालौन।
२५ रनवा	श्री गंगा प्रसाद, पुत्र श्री बिन्दा लाल, निवासी उन्नाव, जिला, उन्नाव द्वारा श्री राम गोपाल पुत्र राम भरोसे निवासी
२६ ऊमरी	(१) सर्वश्री भानु प्रसाद, पुत्र श्री रामेश्वर दयाल, निवासी रामपुरा, जिला जालौन। (२) श्री प्रभू दयाल पुत्र श्री राम दयाल, निवासी रहवा जिला हमीरपुर।
२७ जगम्मनपुर	उक्त अनुज्ञापी जी क्रम २६ पर अंकित है।
२८ अखासी	,, ,, ,,
२९ सरावन	,, ,, ,,
३० गोपाल पुरा	,, ,, ,,
३१ रामपुरा	,, ,, ,,
३२ माधोगढ़	,, ,, ,,

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१४० वि० सभा (१६११)—१९७५—८४५।